त्रयोदश माला, खंड 2, अंक 6

सोमवार, 6 दिसम्बर, 1999
15 अग्रहायण, 1921 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. D 60
Date 27.6.2005

सत्यमेव जयते

(खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं)

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे०एस० वत्स
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

गायूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 2, दूसरा सत्र, 1999/1921 (शक)]

अंक 6, सोमवार, 6 दिसम्बर, 1999/15 अग्रहायण, 1921 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	101, 103 और 104	2-24
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	102, 105, 106 और 108, से 120.	24-55
अतारांकित प्रश्न संख्या	963 से 1065, 1067 से 1124, 1126 से 1161, 1163 से 1182 और 1184 से 1192	55-274
सभा पटल पर रखे गए पत्र		274-277
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 1999-2000		277
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक)	मध्य प्रदेश में प्रस्तावित रामटेक-गोटेगांव रेल लाइन को शीघ्र बिछाए जाने की आवश्यकता श्री रामनरेश त्रिपाठी.	289
(दो)	मध्य प्रदेश के सागर संसदीय क्षेत्र के आगासौद में तेल शोधक कारखाने का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता श्री वीरेन्द्र कुमार	289
(तीन)	गुजरात के राधांपुर और दिशा में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र को शीघ्र आरंभ किए जाने की आवश्यकता श्री हरिभाई चौधरी	290
(चार)	महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में न्यूशोल तहसील में चीनी मिल द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी.	290
(पांच)	आंध्र प्रदेश के कुडप्पा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों पर और अधिक रेल सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी.	291
(छह)	कर्नाटक की लंबित पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता श्री ए० वेंकटेश नायक.	291
(सात)	त्रिवेन्द्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को चौबीसों घंटे चालू रखे जाने की आवश्यकता श्री कोडीकुनील सुरेश.	292
(आठ)	पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में भारी भूमि कटाव द्वारा निर्मित "चार लैण्ड्स" के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने हेतु उचित स्थानों पर सीमा सुरक्षा बल की चौकियां बनाए जाने की आवश्यकता श्री मोइनुल हसन	292

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(नौ)	आन्ध्र प्रदेश में पेनुमड्डी और पुलीगड्डा के निकट कृष्णा नदी पर गुंटूर और कृष्णा जिलों को जोड़ने वाले पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु .	293
(दस)	उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में वाह तहसील में चम्बल नदी पर पुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामजीलाल सुमन	293
(ग्यारह)	बिहार के अरवल जिले में रसोई गैस बिक्री केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री अरूण कुमार	294
(बारह)	जम्मू और कश्मीर के बेरोजगार युवकों के लिए विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अब्दुल रशीद शाहीन	294

लोक सभा

सोमवार, 6 दिसम्बर, 1999/15 अग्रहायण, 1921 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि बाबरी मस्जिद से संबंधित प्रश्न संख्या 104 पर पहले चर्चा की जाए। आज बाबरी मस्जिद की शहादत की सातवीं वर्षगांठ है। *(व्यवधान)*

श्री प्रिय रंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, आज 6 दिसम्बर है। आप इस प्रश्न पर पहले चर्चा क्यों नहीं करते ? इस सभा का कोई भी सदस्य आपत्ति नहीं करेगा। *(व्यवधान)*

श्री कोट्टीकुनिल सुरेश (अड़ूर) : महोदय, यह बिल्कुल समीचीन मांग है।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी भी हाल में उस प्रश्न पर चर्चा की जाएगी। अब हम प्रश्न संख्या 101 पर चर्चा करेंगे।

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : महोदय, मैं समझता हूं कि बाबरी मस्जिद के मामले में कोई पार्टी आपत्ति नहीं करेगी। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 101

(व्यवधान)

श्री जी०एम० बनातवाला : महोदय, कृपया बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर चर्चा कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी भी हाल में इस पर चर्चा होगी।

श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) :

श्री जी०एम० बनातवाला : महोदय, आप यह कर सकते हैं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समय बर्बाद न करें। इस प्रश्न पर चर्चा जरूर होगी हमें सभा का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।

अब मैं प्रश्न संख्या 101 पर चर्चा करूंगा। श्री लक्ष्मण सिंह—अनुपस्थित।

श्री ब्रज मोहन राम।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

वन क्षेत्र

+

*101. **श्री ब्रज मोहन राम :**
श्री लक्ष्मण सिंह :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वन क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वनों में तेजी से हो रही कमी पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है;

(ग) यदि हां, तो क्या मौजूदा वन क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है;

(घ) यदि नहीं, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वन भूमि में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(च) इस संबंध में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का वनभूमि के संरक्षण के लिए एक नया कानून बनाने का प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ज) विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) देश में वन क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) और (ग) राज्य वन स्थिति रिपोर्ट, 1997 के अनुसार भारत में वन क्षेत्र 63.3 मिलियन हेक्टेयर है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 19.27 प्रतिशत है। हालांकि वन क्षेत्र संबंधी कोई अन्तर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं लेकिन राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में देश के भौगोलिक क्षेत्र के 33 प्रतिशत क्षेत्र पर वन अथवा वृक्ष लगाने की परिकल्पना की गई है। वन क्षेत्र पर्याप्त न होने के कारण मिट्टी का कटाव, भूमि का अवक्रमण और भंगुर पारि-प्रणाली की अस्थिरता होती है।

(घ) से (च) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान 7.95 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वनीकरण किया गया है। वनों के संरक्षण और विकास के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के तहत मंत्रालय के लिए 1454 करोड़ रुपए का आंबटन निर्धारित किया गया है। नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के प्रथम दो वर्षों (1997-1999) में 3.05 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वनीकरण किया गया है। वनों के सतत

विकास और देश के भौगोलिक क्षेत्र के लिए एक तिहाई भाग तक वन/वृक्ष क्षेत्र में वृद्धि के लिए 20 वर्ष की व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है।

(छ) और (ज) वन भूमि को बचाने के लिए नया कानून लाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। परन्तु वनों के संरक्षण और विकास के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927 को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इसमें संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।

अनुबन्ध

वन स्थिति रिपोर्ट, 1997 के अनुसार देश में वन क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	वन स्थिति रिपोर्ट, 1997 के अनुसार वन क्षेत्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	43,290
2.	अरुणाचल प्रदेश	68,602
3.	असम	23,824
4.	बिहार	26,524
5.	दिल्ली	26
6.	गोवा	1,252
7.	गुजरात	12,578
8.	हरियाणा	604
9.	हिमाचल प्रदेश	12,521
10.	जम्मू और कश्मीर	20,440
11.	कर्नाटक	32,403
12.	केरल	10,334
13.	मध्य प्रदेश	131,195
14.	महाराष्ट्र	46,143
15.	मणिपुर	17,418
16.	मेघालय	15,657
17.	मिजोरम	18,775
18.	नागालैंड	14,221
19.	उड़ीसा	46,941
20.	पंजाब	1,387
21.	राजस्थान	13,353
22.	सिक्किम	3,129
23.	तमिलनाडु	17,064
24.	त्रिपुरा	5,546
25.	उत्तर प्रदेश	33,994
26.	पश्चिम बंगाल	8,349
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7,613
28.	चण्डीगढ़	7
29.	दादरा और नगर हवेली	204
30.	दमन और द्वीव	3
31.	लक्षद्वीप	शून्य
32.	पांडिचेरी	शून्य

[हिन्दी]

श्री ब्रज मोहन राम : उपाध्यक्ष महोदय, अभी पूरे देश के 19.27 प्रतिशत भूभाग में जंगल हैं। आजादी के बाद यह कम रेशियो में बढ़े हैं। आप 33 प्रतिशत लक्ष्य को कैसे पूरा करेंगे और बिहार की इस समय क्या स्थिति है ?

[अनुवाद]

श्री टी०आर० बालू : महोदय, पहली योजना से पांचवी योजना तक, अर्थात् 1951 से 1980 तक 3.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर जंगल लगाने का कार्य शुरू किया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आबंटन 0.7 प्रतिशत था और 4.65 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर जंगल लगाने का कार्य किया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में योजना-आबंटन का 1.03 प्रतिशत आबंटन किया गया था और 8.86 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर जंगल लगाए गए थे। वर्ष 1990 से 1992 तक की वार्षिक योजनाओं के दौरान 3.12 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर जंगल लगाए गए थे। आठवीं योजना के दौरान, अर्थात् 1992 से 1997 तक 0.94 प्रतिशत आबंटन किया गया था और 7.95 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर जंगल लगाए गए थे। नौवीं योजना के दौरान इस मंत्रालय के लिए 1,454 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था। गत दो वर्षों के दौरान 3.05 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर जंगल लगाया गया था।

जहां तक बिहार का संबंध है कुल भौगोलिक क्षेत्र 1,73,877 वर्ग किलोमीटर है और 26,524 वर्ग किलोमीटर भूमि पर जंगल लगाए गए थे। वास्तव में यह प्रतिशत 15.3 है।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : महोदय, यह प्रश्न जरा भिन्न था। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ब्रज मोहन राम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री जी से जानना चाहता था, उसका जवाब माननीय मंत्री जी से प्राप्त नहीं हुआ है। मैं यह कह रहा था कि बिहार में 1947 में क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है ?

[अनुवाद]

श्री टी०आर० बालू : वर्ष 1947 में यह वास्तव में वन भूमि के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 14 प्रतिशत था और अब यह 19.27 प्रतिशत है।

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : महोदय, वनाच्छादित भूमि से संबंधित राष्ट्रीय नीति में यह दिया गया है कि यह 33 प्रतिशत है जबकि वनाच्छादित राज्यों में आंध्र प्रदेश का स्थान पांचवा है और लगभग 46,000 एकड़ भूमि पर जंगल हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वह वनाच्छादित क्षेत्र के 33 प्रतिशत के अंतर्गत आता है या नहीं। दूसरे, मेरे निर्वाचन क्षेत्र, विशाखापतनम् शहर से लगे क्षेत्र 'कम्बालाकोंडा' से लगा हुआ जंगल क्षेत्र है जहां से चीते और बाघ शहर में आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने दो लोगों को उस समय दबोच लिया जब वे सो रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : मैं जानना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसी नीति है कि उसे 'राष्ट्रीय उद्यान' में बदला जाए।

श्री टी०आर० बालू : इस सुझाव पर गौर किया गया जाएगा।

इसके साथ ही मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि जहां तक आंध्र प्रदेश का संबंध है इस समय वहां जंगल से आच्छादित भूमि 15.7 प्रतिशत ही है।

डा० (श्रीमती) बीट्रिक्स डीसूजा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जंगल क्षेत्रों में जनजातीय लोगों, विशेषकर वहां के लोगों, जहां से उन्हें हटाया गया है, के बारे में स्कीमों के बारे में जानना चाहूंगा।

श्री टी०आर० बालू : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी एक स्कीम है जिसका नाम उसूफ्रस्ट शेयरिंग बेसिस स्कीम है। यह एक भागीदारी वाली पद्धति है और जनजातीय और ग्रामीण लोग पहले ही विकास कार्यक्रमों में लगे हुए हैं। भागीदारी के आधार पर हमारे यहां क्षयगत जंगलों के पुनरूत्पादन की स्कीम है। इसको आठवीं योजना में ही शुरू किया गया था। आठवीं योजना में नौ राज्यों को शामिल किया गया था। 8338 हेक्टेयर भूमि पर जंगल लगाने के लिए 7.35 करोड़ रुपए का परिव्यय किया गया था। नौवीं योजना में परिव्यय 15 करोड़ रुपए का है और आच्छादित क्षेत्र 15677 हेक्टेयर भूमि है। इसके अंतर्गत 14 राज्य आते हैं—आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर। जहां तक भागीदारी का संबंध है, जनता को 25 प्रतिशत न्यूनतम भागीदारी दी गई है। जहां तक आंध्र प्रदेश का संबंध है वे लोग जनता को सौ प्रतिशत भागदारी दे रहे हैं।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में क्षारीय जंगलों जैसे मंग्रोव (हेंटल), सुन्दरी, राथ, भुवा इत्यादि में आधी कमी की जानकारी है। क्या सरकार को क्षारीय जंगल भूमि को वन विभाग की अनुमति के बिना झींगा मछली के तालाब और कृषि भूमि में बदलने की जानकारी है तथा क्या सरकार को ऐसे वनों के कटाव के कारण चक्रवात तथा ज्वारीय लहरों से पड़ने वाले विनाशकारी प्रभाव की जानकारी है और अगर है तो और अधिक चक्रवातीय विनाश तथा अन्य पर्यावरणीय विनाश को रोकने के लिए उड़ीसा के तटीय क्षेत्र के साथ-साथ कम से कम तीन किलोमीटर तक क्षारीय जंगलों को उगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठा रही है।

श्री टी०आर० बालू : महोदय, मैं माननीय सदस्य की प्रशंसा करता हूं। वास्तव में चक्रवात आने से पहले उड़ीसा में जंगल से आच्छादित क्षेत्र 46.941 वर्ग किलोमीटर था। जहां तक क्षारीय क्षेत्र का संबंध है हमें तटीय क्षेत्र में और नदियों के दो तरफ मैंग्रोव उगाने होंगे। जहां तक उड़ीसा का संबंध है, चक्रवात के दौरान कुल क्षतिग्रस्त क्षेत्र 935 वर्ग किलोमीटर था, प्रभावित प्राकृतिक जंगल और वनरोपण 93,558 हेक्टेयर भूमि पर था, विनष्ट तटीय खेती 430 वर्ग किलोमीटर अर्थात् 43,000 हेक्टेयर भूमि थी और 15.58 लाख पेड़ भूमि से उखड़ गए थे। इतनी अधिक मात्रा में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करने के लिए हमने उड़ीसा के चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों के लिए लोगों का एक दल भेजा है। एक कार्य योजना की परिकल्पना की गई थी और अनुमानत: 241 करोड़ रुपए देने का विचार था।

महोदय, मैंने योजना आयोग से पहले ही अनुरोध किया है कि वे कुल 541 करोड़ रुपये में से 26.67 करोड़ रुपये चालू वर्ष के दौरान वन रोपण के लिए 19.22 करोड़ रुपये और समग्र क्षेत्र के सुधार के लिए 7.45 करोड़ रुपये तुरन्त राहत के लिए दें। मैं योजना आयोग से इसके बारे में पहले ही अनुरोध कर चुका हूं और मैंने इस पर योजना आयोग के सदस्यों के साथ चर्चा की है। इसपर तदनुसार विचार किया जाएगा।

श्री के०पी० सिंहदेव : महोदय, पिछले 35 वर्षों से लगातार आ रहे चक्रवातों ने उड़ीसा के जंगलों को नष्ट कर लगभग 39 प्रतिशत से लेकर 11 प्रतिशत तक पहुंचा दिया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या वे क्षेत्रीय सेना की एक पर्यावरणीय बटालियन बनाने पर विचार कर रहे हैं जिसने राजस्थान के मरुभूमि इलाके में और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर खंड के चूना-पत्थर क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया था जिसे स्वर्गीय इंदिरा गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी के समय गठित किया गया था। क्या माननीय मंत्री उड़ीसा के लिए क्षेत्री सेना बनाने पर विचार करेंगे ? इसका कारण यह है कि उड़ीसा सरकार ने पहले ही पर्यावरणीय बटालियन की क्षेत्रीय सेना इकाई का पता लगाने और उसकी स्थापना के लिए रक्षा मंत्री को पत्र लिया है।

श्री टी०आर० बालू : महोदय, माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार किया जाएगा और मैं उनकी बात यथाशीघ्र सुनूंगा।

श्रीमती कृष्णा बोस : महोदय, हम सभी जानते हैं कि अगर अपर्याप्त जंगल हो तो मिट्टी और भूमि का क्षय होता है। मैं माननीय मंत्रीजी से केवल यही जानना चाहूंगा कि जंगल में कौन-कौन से वृक्ष लगाए जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि पश्चिम बंगाल में हमने देखा है कि इस काम के लिए युक्लिप्टस के पेड़ लगाए गए हैं। परंतु ये पेड़ बहुत ही नाजुक होते हैं और मिट्टी और भूमि के

क्षय को बचाने के लिए बिल्कुल सहायक नहीं होते। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि आमतौर पर जंगलों के लिए किस प्रकार के पेड़ लगाए जाते हैं ?

श्री टी०आर० बालू : महोदय, जहां बहुत अधिक लोग रहते हों वैसे क्षेत्रों में जंगलों के लिए यूक्लिप्टस के पेड़ लगाना ठीक नहीं है। यह उस वातावरण का और मिट्टी का पानी सोख लेते हैं।

महोदय, माननीय मंत्री द्वारा पूछे गए इस विशेष प्रश्न के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि मिट्टी के क्षय को रोकने के लिए जंगल लगाने हेतु स्वदेशी प्रजाति के मिले-जुले पेड़ लगाना उपयुक्त होगा।

श्री राजीव प्रताप रूडी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 1947 में 14 फीसदी फॉरेस्ट कवर था और आज 19 प्रतिशत है। मंत्री जी का कहना है कि पिछले 50 वर्षों में हम लोग चार प्रतिशत की उपलब्धि कर पाएं हैं जब हम पचास वर्षों में चार प्रतिशत की उपलब्धि हासिल कर पाए हैं तो किस प्रकार 2010 तक या 2020 तक आपकी योजनाओं के द्वारा हम 33 प्रतिशत भूभाग पर फॉरेस्ट कवर का लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय, मूल बात यह है कि 1985 के बाद एन.आर.ई.पी. और आर.एल.ई.जी.पी. को जवाहर रोजगार योजना के साथ मिला दिया गया। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो 20 प्रतिशत की राशि जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से देहातों में वृक्षारोपण के लिए भेजी जाती है, क्या उसे वापस लौटाकर एन.आर.ई.पी. और आर.एल.ई.जी.पी. की स्कीमों द्वारा राज्य सरकार को सीधे पैसा देकर वृक्षारोपण के कार्य में प्रगति लाना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री टी०आर० बालू : महोदय, वास्तव में 33 प्रतिशत वन क्षेत्र के लिए हमें प्रतिवर्ष 5285 करोड़ रुपए के आबंटन की आवश्यकता है, किंतु हमें प्रतिपर्ष 1615 करोड़ रुपए का आबंटन मिल रहा है। 1950-80 की अवधि के दौरान विस्तृत वन क्षेत्रों को गैर-वानिकी कार्यों के उपयोग में बदल दिया गया। संयोग से लगभग दो लाख गांवों में लगभग 10 करोड़ लोग वनों के आस-पास रहते हैं। लगभग 27.5 करोड़ लोग वनों में रहते हैं और अपनी आजीविका के स्रोत के लिए वन्य उत्पादों पर निर्भर रहते हैं वास्तव में इस संबंध में हमें आम लोगों के सहयोग व सहायता की अधिकाधिक आवश्यकता है।

हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी। वही नहीं चिरस्थायी परिस्थितियों के निर्माण के लिए हमें स्कूली बच्चों से लेकर महाविद्यालय के छात्रों वे आध्यापकों तक हर किसी को इसमें शामिल करना होगा। महोदय, वस्तुत: आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इसके लिए वे अपने स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से कुछ निवेश करें।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पर्यावरण ऐसा विषय है जिस पर इस सदन में चर्चा नहीं हुई है। अत: इस पर आधे-घंटे की चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री टी०आर० बालू : ईंधन के लिए लकड़ी की आपूर्ति 201 मिलियन टन है ओर मांग और पूर्ति के बीच में अन्तर 86 मिलियन टन है। जहां तक इमारती लकड़ी का संबंध है यह अन्तर 21 मिलियन घन मीटर है। इस अन्तर के कारण वनाच्छादित क्षेत्रों का क्षय हो रहा है। इसीलिए हमने भविष्य के लिए एक रणीनति बनाई है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, इस प्रश्न पर आधे-घंटे की चर्चा की आवश्यकता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री टी०आर० बालू : वनाच्छादित क्षेत्र का 33 प्रतिशत तक विस्तार के लिए 1999 में एक राष्ट्रीय वन कार्य योजना तैयार की गई है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, इस प्रश्न पर आधे-घटे की चर्चा की जानी चाहिए।

श्री टी०आर० बालू : दूसरी नीति वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए वन विकास एजेंसी का गठन करता है। तीसरी नीति मैनग्रोव वनों और तूफानग्रस्त राज्यों के तटीय क्षेत्रों में अधिवासों का विकास करना है। पांचवीं नीति बंजर पहाड़ों में वृक्षारोपण की है। हमने ये नीतियां अपनाई हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, अनेक सदस्य इस पर विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं। इस पर आधे घंटे की चर्चा की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं। आप सूचना दीजिए। प्रश्न संख्या 102, श्री शीशराम सिंह रवि-अनुपस्थित, श्री विलास मुत्तेमवार — अनुपस्थित।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन दरें

+

*103. **श्री महेश्वर सिंह :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन दरों में हाल की वृद्धि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन दरें और जमानत शुल्क शहरी क्षेत्रों के बराबर हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संबंधित प्रस्तावों पर पुनर्विचार करने और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकरण शुल्क, टेलीफोन कॉल प्रभारों और टेलीफोन किराया कम करके इस संबंध में पूर्व स्थिति बहाल करने का है;

(ग) यदि हां, तो अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) भाग "क" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नही उठता।

(ङ) ग्रामीण क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं में वांछित सुधार के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। सभी ग्रामीण एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदल दिया गया है। एस.टी.डी सेवा में सुधार के लिए विश्वसनीय ट्रांसमीशन माध्यम लगाया जा रहा है। सभी गांवों में सन् 2002 तक दूरसंचार सेवा प्रदान कर दी जाएगी। सरकार ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर सेवा, उत्तम प्रबंध एवं विस्तार के लिए कटिबद्ध है।

श्री महेश्वर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टेलीफोन आज अमीर व्यक्ति का शौक नहीं बल्कि जन-साधारण की आवश्यकता है। देश में विशेषकर पहाड़ी प्रांतों में अनेक इस प्रकार के छोटे-छोटे कस्बे हैं, जिनका विकास की दृष्टि से स्थानीय सरकारों अथवा प्रांतीय सरकारों ने ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़कर नगर पंचायतों का गठन किया है और वहां के विकास को देखते हुए आप ही के मंत्रालय ने पहले एक अधिसूचना जारी की थी कि ऐसे क्षेत्र जिनकी संख्या पांच हजार से कम है, भले ही वहां शहरी पंचायतें बनाई गई हों, लेकिन उन क्षेत्रों में भी टेलीफोन की सिक्युरिटी एक हजार रुपये ली जायेगी। किराया पचास रुपये मासिक होगा और 250 कालें मुफ्त दी जायेंगी। लेकिन बाद में यह सुविधा विदड्रा कर ली गई है और शहरी क्षेत्रों की दरें वहां लागू की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिये।

श्री महेश्वर सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात पर पुनर्विचार करेगी कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुविधा प्रदान की जाए। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह सैकिंड सप्लीमेंटरी है ?

श्री महेश्वर सिंह : नहीं सर, यह इसी का पार्ट है कि दुर्गम क्षेत्रों में लाइन स्टाफ की बहुत कमी है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, वे प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं; वे वक्तव्य दे रहे हैं। यह लम्बा भाषण देकर सभा का कार्य बाधित करना है।

श्री महेश्वर सिंह : इसका निर्णय अध्यक्षपीठ करेगी न कि आप।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सब लोग इसमें पार्टीसिपेट करना चाहते हैं, इसलिए आप सिर्फ सवाल पूछिये।

[अनुवाद]

श्री महेश्वर सिंह : महोदय, अब तक मैंने अपना प्रश्न पूछ लिया होता।

[हिन्दी]

सर, मेरे प्रश्न का दूसरा हिस्सा यह है कि दुर्गम क्षेत्रों में लाइन स्टाफ की बहुत कमी है, जिसके फलस्वरूप जब ज्यादातर एक्सचेंजिज खराब हो जाते हैं तो कई दिनों तक उनकी रिपेयर नहीं होती है। अत: क्या ऐसी जगहों पर आप स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग देकर कैजुअल लेबर भर्ती करेंगे, ताकि एक्सचेंजिज ठीक से चल सकें ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चार्जेज एक* कर दिये गये हैं, ठीक नहीं है। क्योंकि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में 50 प्रतिशत कम है और कॉल के हिसाब से भी जहां ग्रामीण क्षेत्रों में 60 पैसे है, वहां शहरी क्षेत्र में 80 पैसे चार्जेज है। अत: माननीय सदस्य का यह कहना कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में एक बराबर कर दिया गया है, यह सही नहीं है।

[अनुवाद]

श्री महेश्वर सिंह : महोदय, वे प्रश्न को नहीं समझ सके। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पहले सरकार ने एक पत्र इश्यू किया कि जो नगर पंचायतें हैं जिनमें आसपास के ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हैं और जिनकी संख्या 5000 ये कम है वहां इन दारों में छूट होगी, लेकिन बाद में यह पत्र विथड्रा कर लिया गया। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बारे में पुनिर्विचार करेगी कि जिन नगर पंचायतों की आबादी 5000 हजार की आबादी से कम है वहां इन दरों में छूट दी जाए।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, जो टैरिफ आर्डर है वह पहले सरकार तय करती थी और सारी दरें सरकार द्वारा तय की जाती थीं, लेकिन जब से टेलीग्राम रैगुलेटरी अथोरिटी "ट्राई" बनी है, तब से यह सारा का सारा अधिकार उसके पास चला गया और सारी दरें वह तय करती है और ट्राई की जो दरें 1 मई से लागू हुई हैं, उनमें यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि रूरल एरियाज में 1 से 75 काल तक फ्री हैं और 75 से 500 तक अस्सी पैसे और 500 से अधिक पर रु० 1.20 प्रति काल की दर से चार्ज किया जा रहा है। जो ट्राई के टैरिफ का आर्डर था उसमें डी.टी.ओ. यानी सरकार ने उसको बढ़ाकर 1 से 75 की बजाय 1 से 25 तक फ्री कर दिया और हम लोगों ने 126 से लेकर 225 काल तक, मतलब ट्राई ने कहा था कि 75 से 500 तक 80 पैसे रखो, हमने उसे 60 पैसे प्रति काल कर दिया और 500 से अधिक के लिए उन्होंने कहा था कि रु० 1.20 रखो, हमने 251 से 500 काल तक एक रुपया रखा और जो उन्होंने रिकमेंड किया था 500 से अधिक के लिए रु० 1.20 वह हमने कर दिया। कहने का मतलब यह है कि हमने ट्राई की सीमा से, ट्राई की जो सोलिंग थी उससे आउट नहीं किया। उसकी सीमा में रहकर हम जितना फायदा रूरल एरिया को दे सकते थे, वह देने का काम हमने किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, शहरी एरिया में ट्राई ने कहा कि 60 काल तक फ्री करो। हमने उसको 75 काल कर दिया ट्राई ने कहा कि 61 से 500 काल तक एक रुपया प्रति काल चार्ज रखो। हमने उसके 76 से लेकर 200 काल तक 80 पैसे प्रति काल कर दिया। उन्होंने कहा कि 500 से ऊपर रु० 1.20 करो। हमने 200 से 500 तक एक रुपया कर दिया। 500 से ऊपर जैसा ट्राई ने रु० 1.20 प्रति काल करने को कहा वैसा हमने कर दिया। इस प्रकार से यह ट्राई की सीमा के अंतर्गत रहकर ही जो काम हम कर सकते थे, जितनी सुविधा हम दे सकते थे, वह हमने की। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्राई को हम इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, ट्राई को हम स्ट्रांग बनाना चाहते हैं और टैरिफ के मामले में उसी को पूरा अधिकार है। उसकी लिमिट के अंदर जो हम कर सकते थे वह मैक्सीमम हमने फायदा देने का काम किया।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों की दुर्दशा के बारे में बताया, मैं उनसे सहमत हूं कि गांवों के टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थिति बहुत बदतर है, इसमें दो मत नहीं हैं। जहां तक एम०ए०आर०आर० सिस्टम का सवाल है, उसके बारे में मैं यह तो नहीं कह सकता था कि वह टोटली फेल्योर है, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि यह सिस्टम अनुपयुक्त हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : राम विलास जी, थोड़ा संक्षेप में जवाब दें, तो बेहतर रहेगा।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न का दायरा ही इतना बड़ा है कि मैं क्या करूं।

उपाध्यक्ष महोदय डब्ल्यू.आई.एल.एल. और जितने भी दूसरे सिस्टम हैं इनकी जांच के लिए मैंने अपने स्टेट मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक हाई लैवल कमेटी बना दी है। इन सबकी जांच चल रही है, लेकिन जहां तक एम.ए.आर.आर. का सवाल है उसमें दो मत नहीं हैं कि यह सिस्टम असफल रहा है। मैं स्वयं अभी पांच-छः राज्यों में घूम कर आया हूं। जम्मू-कश्मीर, चंडीगढ़, बिहार और तमिलनाडु, जहां-जहां मैं गया वहां-वहां मैंने इस सिस्टम को फेल्योर पाया और खामियां पाईं। हम नया सिस्टम शुरू करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे टेलीफोन एक्सचेंजेज है, उनकी हालत भी बहुत खराब है, वहां जितने लाइनमैन होने चाहिए, उतने नहीं हैं, उनकी कमी है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा मंत्रालय, टेलीफोन उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए प्रयत्नशील है। जो हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र हैं उनमें टेलीफोन सुविधा को सुचारू रूप से चलाने हेतु मैंने 30 नवंबर को आर्डर दिया है कि जितने भी लाइनमैन हैं, उन सबको पेजर दिए जाएं जिससे कि वे बेहतर सेवा प्रदान कर सकें। सरकार बेहतर सुविधा देने के लिए कटिबद्ध है। सुपरवीजन के लिए हमने अपने मंत्रालय में एक हाई लैवल कमेटी सीनियर डी.डी.जी. की अध्यक्षता में बना दी है। वे इसको मानिटर करने का काम करेंगे। हम गांवों में सन् 2002 तक टेलीफोन लगाने और वहां टेलीफोन सुविधाएं बेहतर करने के लिए कटिबद्ध हैं। इसके साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में वर्ल्ड क्लास की सर्विस देने के लिए भी हम कटिबद्ध हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भेदभाव किया गया है, मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया गया है।

श्री महेश्वर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जो ग्रामीण इलाकों के दुर्गम क्षेत्रों के लोग हैं उनको टेलीफोन बिल जमा करने की जो सुविधा है वह केवल सब-पोस्ट, पोस्ट आफिस और बैंकों में ही उपलब्ध हैं और आप इस बात से सहमत होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में 20-20 और 25-25 किलोमीटर दूर सब-पोस्ट आफिस है ओर बैंक तो और भी ज्यादा दूर हैं। इसलिए क्या मंत्री महोदय, ऐसे निर्देश देंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता हैं वे अपने टेलीफोन के बिल शाखा डाकघरों में जमा करा सकें क्योंकि अनेक बार तो टेलीफोन के बिल की रकम से उसका आने-जाने में बस का किराया ज्यादा लग जाता है ?

श्री राम विलास पासवान : जी, नहीं। इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि गांवों में जो शाखा डाकघर हैं, उनमें नकदी की सुरक्षा का कोई साधन नहीं है। यदि ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता चैक से बिल जमा कराना चाहते हैं, तो नेशनलाइज्ड बैंकों के साथ हमारे अधिकारी को-आर्डिनेशन कर सकते हैं और उनके कोआर्डीनेशन के बाद वे ऐसा कर सकते है।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शनों को नुकसान हुआ है। यदि माननीय मंत्री आधे-घंटे की चर्चा के लिए सहमत हों तो हम इस मामले पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री राम विलास पासवान : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं पूरी चर्चा के लिए भी सहमत हूं।

श्री राजेश पायलट : माननीय मंत्री सहमत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब आप उन्हें सूचना दीजिए।

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इतने विस्तार से उत्तर दिया है कि शायद ऐसा लगता है कि सदन में अब कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि एम.ए.आर.आर. सिस्टम लगाने में करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुए और यह सिस्टम सफल नहीं रहा, तो इसके लिए कोन जिम्मेदार है या जिन्होंने इस सिस्टम को लगवाया था उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे और दूसरी बात मैं यह जानना चाहती हूं कि अभी आपने कहा कि वहां आप इलैक्ट्रिक एक्सचेंजेज लगाने जा रहे हैं जिसके लिए गांवों में अभी तार खींचे जाएंगे, मैं समझती हूं कि इसमें टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए क्या कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात यह जानना चाहती हूं कि जैसा अभी हमारे भाई सांसद महेश्वर सिंह ने पूछा कि शाखा डाकघरों में

टेलीफोन के उपभोक्ताओं को बिल जमा कराने की व्यवस्था की जाए और मंत्री महोदय ने असमर्थता व्यक्त की है, तो क्या वे ऐसी व्यवस्था करेंगे कि विभाग की एक मोबाइल वैन ऐसे क्षेत्रों में जाए और वह कलैक्शन करके ले आए। उसके लिए दिन नियत किए जा सकते हैं ?

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्या का एम.ए.आर.आर. के बारे में चिन्ता करने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के बारे में पूछना है, मैं उन्हें अवगत कराना चाहूंगा कि संचार मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जहां निरन्तर एक्सपैरीमेंट हो रहा है और किसी का मोटिव और इंटेंशन ऐसा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यह बात जरूर है कि जब विभाग का धन खर्च होता है, तो इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि बेहतर टैक्नोलॉजी होनी चाहिए। हम उस सबको स्वयं देख रहे हैं।

श्री जे०एस० बराड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से सिर्फ एक बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं हालांकि आपका जवाब मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा बड़े खूबसूरत ढंग से तैयार किया गया है कि सभी ग्रामीण दूरभाष केन्द्रों को इलेक्ट्रानिक्स दूरभाष केन्द्रों में बदला जाएगा।

महोदय, मैं आपको अपने तजुर्बे के आधार पर बताना चाहता हूं कि फोनों की दृष्टि से वैसे तो सारे देश की हालत बहुत खराब है, लेकिन गांवों के टेलीफोनों की हालत तो बहुत ही खराब है और गांवों में टेलीफोन काम करते ही नहीं हैं। पासवान साहब आप बहुत काबिल मंत्री हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने चुनावों के समय पंजाब के 783 गांवों में टेलीफोन से संपर्क करने का प्रयास किया और मेरा संपर्क नहीं हो पाया। हालत यह थी कि सुबह से फोन करना शुरू कर देते थे, लेकिन टेलीफोन नहीं मिलता था। इसलिए मेरा आपमे पूछना यह है कि आप क्या इसकी एक हाई लैवल इन्क्वायरी कराने के आर्डर देंगे कि जिसको भारतवर्ष कहते हैं, वह गांवों में बसता है और वहां टेलीफोन काम ही नहीं करते ?

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, टेलीफोन गांव-गांव में लगे हुए हैं और उनके लिए हमारे पूरे देश में 25000 टेलीफोन एक्सचेंजेज हैं उनमें से 19,288 ग्रामीण इलाकों में हैं और मैंने स्वयं कहा है कि टेलीफोन एक्सचेंजज की हालत उतनी अच्छी नहीं है जहां तक ग्रीवेंसिस सेल का सवाल है, हमने रेल मिनिस्ट्री में जैसा किया था, उसी तरीके से हमने अपने अधीन एक ग्रीवैंस सैल की स्थापना की है। वहां से हमें लगातार इन्फोर्मेशन्स आ रही हैं। ऐसी भी इन्फोर्मेशन्स आ रही है कि जहां पर टेलीफोन नहीं भी लगा है, वहां से भी बिल चार्ज किया जा रहा है। यह सारी चीजें हैं। अब हम कोई आकाश से नहीं आये हैं। *(व्यवधान)* जो क्वेश्चन आप उधर बैठकर कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री जे०एस० बराड़ : आप एक प्रिविलेज्ड मंत्री हैं *(व्यवधान)* ऐसा लगता है कि आप आकास से आए हैं। *(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : माननीय सदस्य का सुझाव सही है। पहले जो स्थिति थी, उस स्थिति में सुधार हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि उसमें सुधार नहीं हुआ है। पहले जब हम लोग टेलीफोन करने के लिए बैठते थे तो हर समय लाइन खराब रहती थी। आज वह स्थिति नहीं है लेकिन फिर भी उसमें सुधार की आवश्यकता है।

श्री जे०एस० बराड़ : आप मान लीजिए कि हालत बहुत बुरी है।

श्री राम विलास पासवान : मैं हर स्टेट के मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट को पर्सनली बुलाऊंगा चाहे मैं दिल्ली में हूं या स्टेट में हूं और आपकी जो भी समस्या होगी, उसका इमीजिएट निदान करने की कोशिश करूंगा।

श्री जे०एस० बराड़ : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में दो बातों को स्वीकार किया है। एक, उन्होंने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में जो एक्सचेंज हैं, वे काम नहीं करते हैं। दूसरा, उनका कहना है कि लाइन मैन और फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों की कमी की वजह से भी काम अवरुद्ध हो जाता है। हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जब आप यह महसूस करते हैं कि ग्रामीण इलाकों में पुरानी मशीनें खराब हैं जिसके चलते एक्सचेंज काम नहीं करते हैं तो क्या ग्रामीण इलाकों में जितने भी छोटे-छोटे एक्सचेंज हैं, वहां फाईबर केबल लगाकर, खासकर बिहार में क्योंकि बिहार में ज्यादातर टेलीफोन एक्सचेंज काम नहीं कर रहे हैं, उनके एक्सचेंज का सुधार करेंगे ?

दूसरा, जब आप यह महसूस करते हैं कि कर्मचारियों की कमी की वजह से काम नहीं चल रहा है तो बिहार में जो कर्मचारी पहले से कार्यरत् थे, उनको हटाया क्यों गया है ? क्या आप वहां जितने पुराने और नये कर्मचारियों की आवश्यकता है, उनकी बहाली करेंगे ?

श्री राम विलास पासवान : जहां तक कर्मचारी का सवाल है, तो मैंने आदेश दे दिया है कि कोई भी एक्सचेंज अनमैंड नहीं रहेगा, उसको मैंड किया जायेगा क्योंकि वहीं हमारी बेसिक चीज है। दूसरा सवाल ऑप्टिकल फाईबर का है। जहा तक हमारी लाइन होगी, वहां तक हम मैक्सिमम ऑप्टिकल फाईबर लगायेंगे और जहां हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वहां हम माइक्रोवेव, डब्ल्यू.एल.एल. या सेटेलाइट हो, बहुत सी तकनीक आई, उसका इस्तेमाल करेंगे। माननीय सदस्य की जो चिन्ता है, वहीं चिन्ता हमारी भी है कि जो भी एक्सचेंज हैं, उनमें अच्छी लाइन लगे और उससे पूरे गांव को कवर किया जाये।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, टेलीफोन के बारे में पूरे देश में असंतोष व्याप्त है। मैं मंत्री जी का ध्यान दो बातों की तरफ ले जाना चाहता हूं। पहला, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर इन सब कठिनाइयों के अलावा भी पैदल चलने में या एक-दूसरे से सम्पर्क करने में बहुत मुश्किल होती है। दूसरा, दूर-दराज क्षेत्र के अंदर दुर्घटना या बीमारी हो गयी तो उसकी सूचना देने की कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए आप पहाड़ों की ओर विशेष ध्यान दें।

आपने अभी सेटेलाइट के बारे में कहा है। मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से सेटेलाइट की हालत वही होने वाली है, जो एम.ए.आर.आर. की हुई है। मेरे क्षेत्र के अंदर जितने भी सेटेलाइट स्टेशन हैं, उनमें आधे से ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। यदि एक छोटा सा पुर्जा भी खराब हो जाये तो

उसको लाने के लिए बंगलौर जाना पड़ता है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह कैसी व्यवस्था है ? अगर उस क्षेत्र के अंदर एक छोटा सा पुर्जा भी खराब हो जाये तो आदमी हिलते-हिलते बंगलौर पहुंच जायेगा और जब वहां से पुर्जा आयेगा तब उसका इस्तेमाल करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिये।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : मैं यह जानना चाहता हूं कि स्पेयर मेनटेनैंस की व्यवस्था ऐसी क्यों नहीं हो रही है कि जिस क्षेत्र में इक्विपमैंट हैं, वहां पर स्पेयर जो ए.बी.सी. एनालाईसिस आदि अनेकों चीजें हैं जिससे पता लगता है कि कितना स्पेयर रखना चाहिए, तो क्या आप सेटेलाइट के लिए विशेषकर पहाड़ों में इस प्रकार की स्पेयर की व्यवस्था करेंगे ?

श्री राम विलास पासवान : जहां तक इनका पर्टिकुलर सवाल है, उसको मैं स्वयं दिखलवा लूंगा। दूसरा, जो पहाड़ी क्षेत्र का सवाल है तो भारत एक ऐसा भू-भाग है जहां कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं रेगिस्तान इलाका है तो कहीं फ्लड का इलाका है। इसलिए मैंने कहा कि जहां जो टेक्नोलॉजी उपयुक्त होगी वहां हम उसी तरह की अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती रेणुका चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया है जिसे मैं पूछने जा रही थी। इसलिए मैं कोई प्रश्न नहीं पूछ रही हूं।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि सन् 2002 तक देश के सभी गांवों को टेलीफोन सुविधा से जोड़ा जाएगा। उनके पूर्व मंत्री ने सन् 2000 तक की बात कही थी। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिए, पूर्व मंत्री के बारे में हिसाब-किताब मत करिए।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : राज्यों में जब टेलीफोन कमेटी की मीटिंग होती है तो कहा जाता है कि हमें केन्द्र की ओर से पूरे टेलीफोन एक्सचेंज नहीं मिल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में सन् 2002 तक देश के सभी गांवों को टेलीफोन सुविधा से जोड़ा जाएगा, यह आपको पूर्ण विश्वास है ?

श्री राम विलास पासवान : पूर्ण विश्वास ही नहीं मैं उसे करके दिखाऊंगा और सन् 2002 नहीं, मैं साउथ स्टेट में सन् 2001 तक करने जा रहा हूं। आपने जो कठिनाई बताई है, इक्विपमैंट के कारण मार्च-अप्रैल-मई में जो काम बंद रहता था, उस समय टैंडर निकलता था और अगस्त-सितम्बर में काम शुरू होता था, मैंने कहा है कि टैंडर की प्रक्रिया को पहले से पूरा करें जिससे अप्रैल-मई-जून में काम रुका नहीं रहे। जहां तक इक्विपमैंट्स का सवाल है, उनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी।

डॉ० सुशील कुमार इन्दौरा : उपाध्यक्ष जी, आज टेलीफोन जरूरियात की चीज हो गई है। टेलीफोन विभाग ने गांवों के लोगों से यह वायदा किया था कि आप 15 सिक्युरिटी भर दीजिए, हम आपके यहां एक मिनी टेलीफोन एक्सचेंज लगा देंगे। लोगों को सिक्युरिटी भरे हुए तीन-चार साल हो गए हैं लेकिन टेलीफोन विभाग ने अभी तक उसपर कोई कार्यवाही नहीं की है मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उपभोक्ता का पैसा ब्याज समेत या डबल, जैसे फिक्सड डिपॉजिट में कराया जाता है, मिलेगा ? मेरे क्षेत्र सहरसा, हरियाणा में एक लॉक पैंडिग मांग है कि सिरसा को जिला टेलीफोन उपभोक्ता सैंटर बनाया जाए। क्या उसे पूरा किया जाएगा ? टेलीफोन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के बारे में यदि यह कहा जाए कि कोई भी उपभोक्ता वहां जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती। *(व्यवधान)* क्या इसमें सुधार किया जाएगा ?

श्री राम विलास पासवान : यह बात सही है कि जहां एक्सचेंज ऑफिस के लिए पैसा जमा कर दिया गया है, वहां अभी तक *(व्यवधान)* जहां-जहां पैसा जमा किया गया है, *(व्यवधान)* कहीं टेलीफोन लगेगा, मैंने कहा कि उसके तीन साधन हैं – पहले तार के माध्यम से चलता था, तांबे का तार होता था और वह कट जाता था। अब ऑप्टिकल फाईबर या दूसरे केबल के माध्यम से चल रहा है। जहां केबल पहुंच जाता है वहां टेलीफोन लग जाता है। दिल्ली में भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां हम अभी तक टेलीफोन की सुविधा नहीं दे पाए हैं जिन्होंने रिकमैंड किया और उस रिकमैंडेशन के आधार पर समय से टेलीफोन नहीं लग पाया है। मैं स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं। जैसा मैंने कहा, कहां, कौन सी टैक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए जिससे टेलीफोन पहुंचने में दिक्कत या देरी न हो, इसे मैं स्वयं देख रहा हूं।

[अनुवाद]

बाबरी मस्जिद विवाद

*104. **श्री जी०एम० बनातवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अयोध्या, उत्तर प्रदेश में विवादित बाबरी मस्जिद स्थल के संबंध में सरकार की क्या स्थिति है;

(ख) क्या उक्त स्थल सरकार के संरक्षण में है;

(ग) यदि हां, तो न्यायालय के आदेशानुसार पहले कितनी बार यथास्थिति में परिवर्तन किया गया है;

(घ) क्या न्यायालय के अंतिम आदेशानुसार यथास्थिति विधिवत बरकरार है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या बाबरी मस्जिद मामलों का निपटान धीमी गति से हो रहा है; और

(छ) यदि हां, तो क्या इस मुद्दे से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटान हेतु सरकार ने न्यायालय से अनुरोध किया है या किए जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के बारे में डा० एम० इस्माईल फारुकी व अन्य बनाम भारत के संघ व अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा 24.10.1994 को दिए गए निर्णय का अनुपालन करते हुए केन्द्र सरकार, एक कानूनी रिसीवर के रूप में विवादित क्षेत्र में दिनांक 7.1.1993 को मौजूद स्थिति को बनाए रखने के लिए कर्तव्य द्वारा आबद्ध है। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार विधिवत रूप से यथास्थिति बनाए रखी जा रही है और अब तक किसी भी तरह से न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन नहीं हुआ है। विवादित राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद स्थल के बारे में इस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष दावे संबंधी चार मुकदमें लम्बित हैं। इन मुकदमों की सुनवाई चल रही है। इन दावा मुकदमों में से किसी में भी केन्द्र सरकार पार्टी नहीं है।

श्री जी०एम० बनातवाला : उपाध्यक्ष महोदय, आज बाबरी मस्जिद की शहादत की सातवीं वर्षगांठ है, जो एक अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण व दुःखद मामला है, न्याय व धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों की मांग है कि मस्जिद का पुनर्निर्माण उसके मूल स्थल पर किया जाए और उसे मुसलमानों को सौंपा जाए।

महोदय, उस स्थल के हक विलेख मामले विगत पचास वर्षों से अधिक समय से न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं, इसी तरह बाबरी मस्जिद को गिराए जाने में चार केन्द्रीय मंत्रियों सहित आरोपियों के विरुद्ध मामले भी लम्बे समय से लम्बित हैं। बाबरी मस्जिद की सुरक्षा के मामले में उच्चतम न्यायालय की अवमानना के मामले भी पिछले कई सालों से लम्बित पड़े हैं।

बाबरी मस्जिद की शहादत के इस मामले में लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट भी लम्बे समय से लम्बित है। अब मेरा माननीय मंत्री से सीधा प्रश्न है : (क) इस संबंध में न्यायालयों में लम्बे समय से लम्बित मामलों के तेजी से निपटान के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है? क्या सरकार न्यायालय के समक्ष अनुरोध करेगी कि इस मामले में शीघ्र निर्णय दिया जाए ताकि हमें न्यायिक निर्णय मिले? मूल प्रश्न में भी मैंने इस बारे में पूछा है किंतु उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया। अल्पसंख्यकों के संबंध में 15 सूत्रीय कार्यक्रम जो एक सरकारी कार्यक्रम है, में कहा गया है कि संवेदनशील मामलों को लम्बे समय तक लटकाया नहीं जाना चाहिए। इसलिए इस मामले में सरकार का दृष्टिकोण क्या है? क्या शीघ्र न्यायिक निर्णय की प्राप्ति के लिए सरकार न्यायालय से अनुरोध करेगी? मेरे प्रश्न का खंड (ख) इस प्रकार है *(व्यवधान)* महोदय, केन्द्र और उत्तर प्रदेश राज्य दोनों में भाजपा सत्तारूढ़ है। अत: उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति लेकर क्या केन्द्र सरकार *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक नाजुक प्रश्न है, कृपया माननीय सदस्य के बोलने में व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत संवेदनशील मामला है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया व्यवधान पैदा न करें।

(व्यवधान)

श्री जी०एम० बनातवाला : महोदय, यह मामला अनुच्छेद 138(ख) के अन्तर्गत आता है। क्या सरकार पूरे मामले को उच्चतम न्यायालय के अन्तिम निर्णय के लिए उसे भेजेगी? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत नाजुक प्रश्न है। उन्होंने पहले ही प्रश्न पूछ लिया है। माननीय मंत्री यहां उपस्थित हैं। वे उत्तर देने वाले हैं।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, यह प्रश्न अयोध्या में विवादित स्थल और उस विवाद से संबंधित मामलों के संबंध में है। प्रश्नकर्ता ने पूछा कि उस संबंध में सरकार की क्या स्थिति है। वास्तव में सरकार तब तस्वीर में आई जब 1993 में केन्द्र सरकार द्वारा जारी एक अध्यादेश के बाद उच्चतम न्यायालय में एक मामला और उस समय भारत सरकार को विवादित स्थल के रिसीवर के रूप में दायित्व सौंपा गया और उच्चतम न्यायालय ने सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि विवादित क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखी जाए। प्रश्नकर्ता ने यथास्थिति बनाए रखने के बारे में भी पूछा कि क्या किसी समय यह प्रभावित हुई। मुझे सभा को यह बताते प्रसन्नता हो रही है कि 1993 में जब से भारत सरकार इस स्थल की रिसीवर है हम यह सुनिश्चित करने के लिए अतिसावधान हैं कि यथास्थिति किसी भी प्रकार से बदली जाए सिवाय इसके कि आवश्यकत मरम्मत का कार्य किया जाए और वह भी न्यायालय की अनुमति से किया गया। यथास्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है।

जहां तक हम विलेखों से संबंधित विवादों का संबंध है माननीय सदस्य को जानकारी होगी ये विवाद हाल के इस सरकार के सत्ता में आने के बाद से नहीं है अपितु 1950 से है।

जैसा सदस्य ने सही कहा है कि ये विवाद लगभग 50 वर्षों से चले आ रहे हैं। हम विलेखों संबंधी दो विवाद 1950 के हैं; एक 1959 और चौथा 1961 का और पांचवां 1989 का है। यदि इन मामलों का शीघ्रता से निपटान किया जाए तो हमें भी खुशी होगी। किंतु इन मामलों को निपटाना पूर्णत: न्यायालयों की अधिकारिता में है। मैं सभा को सूचित कर सकता हूं कि मेरी जानकारी के अनुसार इन मामलों की सुनवाई की अगली तारीख 30 दिसम्बर, 1999 है।

पूर्वाह्न 11.46 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

श्री जी०एम० बनातवाला : महोदय, मेरे प्रश्न को टाल दिया गया है। मेने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया। मैंने विशेष प्रश्न पूछा था।

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते है।

श्री जी०एम० बनातवाला : महोदय, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं किंतु दूसरा प्रश्न पूछने से पूर्व मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए। ऐसे संवेदनशील मामले में न्यायालय में जाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।

उसके बाद मैंने अनुच्छेद 138(ख) के बारे में सरकार की राय के बारे में भी पूछा था। केन्द्र और उत्तर प्रदेश राज्य दोनों में भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की सहमति ली जा सकती है और अनुच्छेद 138(ख) के अंतर्गत इस मामले को सीधे उच्चतम न्यायालय को भेजा जा सकता है इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है *(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : महोदय, उन्होंने पहला अनुपूरक प्रश्न पूछा है किंतु मंत्री ने ठीक से उत्तर नहीं दिया है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

श्री जी०एम० बनातवाला : सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला वरिष्ठ सदस्य हैं और वे जानते हैं कि अनुपूरक प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, किंतु हम देख रहे हैं कि आप उन्हें संरक्षण नहीं दे रहे हैं *(व्यवधान)*

श्री जी०एम० बनातवाला : मस्जिद के स्थान पर मंदिर के निर्माण के लिए प्रीफैब्रिकेटेड सामग्री का निर्माण तेजी से चल रहा है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यथास्थिति बहाल रहे और साम्प्रदायिक सौहार्द बना रहे क्या सरकार ऐसे कार्यकलापों पर रोक लगाएगी ?

महोदय, मेरे पहले प्रश्न, जिसे सरकार ने नजरअंदाज कर दिया था, का उत्तर भी इस प्रश्न के साथ दे दिया जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : महोदय, यह सही तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय, आप बैठकर नहीं बोल सकते। आपको नियम की जानकारी होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं अपने मुख्य उत्तर में यह पहले ही बता चुका हूं कि भारत सरकार इन हक विलेख के मामलों में पार्टी नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री जी०एम० बनातवाला : वह उत्तर को नजरअंदाज कर रहे हैं। आप प्रश्न को नजर-अंदाज न करें। *(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं उत्तर को नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं। महोदय, फिर भी मैंने कहा है कि भारत सरकार को खुशी होगी अगर मुकदमें की पूरी प्रक्रिया तेज की जा सके। *(व्यवधान)*

श्री जी०एम० बनातवाला : आप प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दे रहे हैं। हम गृह मंत्री से किस उत्तर की आशा कर सकते हैं जब वे स्वयं सेशन न्यायालय के समक्ष एक अपराधी हैं ? गृह मंत्री सेशन न्यायालय के समक्ष अपराधी हैं। हम उनसे अन्य किस उत्तर की आशा कर सकते हैं ?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : महोदय, यह बहुत गलत है। वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : महोदय, नौ किलोमीटर पहले सेना को तैनात किया। मस्जिद को तुड़वाने का काम किया। यह सब कांग्रेस का काम है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी०सी० थामस : कृपया गृह मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए। कृपया उन्हें उत्तर देने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : जब मंत्रीजी उत्तर दे रहे हैं तो आप अनावश्यक रूप से क्यों खड़े हैं ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इस विशेष विवाद का जल्दी समाधान किया जाना चाहिए और न्यायालय और न्यायपालिका ही इस विवाद का उपयुक्त समाधान निकाल सकते हैं। मैं नहीं जानता कि क्या भारत सरकार का इन विवादों के संबंध में कोई दखल देने का अधिकार है या नहीं। परंतु मैं निश्चित रूप से यह देखूंगा कि सरकार इनकी जांच करे और अगर हम तीव्र कार्रवाई करने के लिए न्यायालय में जाते हैं तो यही हो।

श्री संतोष मोहन देव : मेरा बहुत ही विशेष प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि इस मामले में मुख्य अपराधी इस केन्द्रीय मंत्रालय में है। अगर हां तो क्या वह गृह मंत्री जी की इस बारे में क्या धारणा है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या वह भी एक अपराधी हैं। अगर हां तो क्या उनके लिए यह उचित होगा कि शपथ ग्रहण करें *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है ?

श्री संतोष मोहन देव : क्या मेरे पहले प्रश्न को अस्वीकार कर दिया गया है ? मैंने एक अनुपूरक प्रश्न पूछा है। मंत्रीजी ने इसे सुन लिया है। मेरा दूसरा प्रश्न इस बात पर निर्भर करता है कि क्या मेरे पहले प्रश्न को स्वीकार किया गया है या अस्वीकार। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है। श्री प्रभुनाथ सिंह।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है ? आप मुख्य प्रश्न से कैसे हट सकते हैं ? क्या यह मुख्य प्रश्न से संबंधित है ? कृपया इस बात को समझिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न से बिल्कुल संबंधित नहीं है। यह प्रश्न तो उठता ही नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी गई।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थानों पर जाइए। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.54 बजे

इस समय कुंवर अखिलेश सिंह आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

पूर्वाह्न 11.55 बजे

इस समय कुंवर अखिलेश सिंह अपने स्थान पर चले गए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति देने से पहले ही मना कर चुका हूं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस प्रश्न की अनुमति नहीं दी गई है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचंद पाल, कृपया बैठ जाइए। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : महोदय, यह गंभीर सवाल है। *(व्यवधान)* ये सदन और देश को गुमराह कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री रूपचंद पाल : महोदय, उनका अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचंद पाल कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री रूपचंद पाल : महोदय, आज 6 दिसंबर है, बाबरी मस्जिद के ढहाये जाने का दिन। *(व्यवधान)*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : महोदय, उनका अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा पहले ही कह चुका हूं और मैंने इसकी अनुमति नहीं दी थी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : महोदय, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि गृह मंत्री जी इस पर ठीक से जवाब दें। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। समय बहुत कम है।

(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, गृहमंत्री जी स्वयं एक अपराधी हैं। यह प्रश्न पूछा जा चूका है।* कृपया मंत्रीजी से कहें कि उनके प्रश्न का उत्तर दें *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्रीजी, क्या आपको उनके प्रश्न के उत्तर में कुछ कहना है ?

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं वह कह चुका हूं जो मुझे कहना है। *(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह समझ लीजिए कि माननीय मंत्रीजी उत्तर देने वाले हैं। कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : महोदय, ये लोग सही जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। *(व्यवधान)* इस प्रश्न को स्थगित करके इस पर चर्चा कराइए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री कीरीट सोमैया जी, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री रूपचंद पाल : महोदय, आप कृपया मंत्रीजी को उनके प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति दीजिए। (व्यवधान)

मध्याह्न 12.00 बजे

अध्यक्ष महोदय : श्री आदित्यनाथ, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : नहीं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल पूरा हो गया है। अब सभा पटल पर पत्रों को रखा जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल पूरा हो गया है। अब सभा पटल पर पत्रों को रखा जाएगा।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हां, प्रश्नकाल पूरा हो गया है। परंतु मैं कुछ कहना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, कृपया प्रश्नकाल का समय बढ़ाइए। *(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, आपने उस प्रश्न की अनुमति नहीं दी थी। अन्यथा मैं प्रश्न का उत्तर दे देता।

श्री मणि शंकर अय्यर : नहीं। *(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : श्री मणि शंकर अय्यर, उन्होंने उस प्रश्न की अनुमति नहीं दी थी। *(व्यवधान)* आप कृपया मेरी बात सुनिए। मैं कुछ कह रहा हूं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं इस सभा को यह बताना चाहूंगा कि यह सरकार भी इन मामलों में होने वाली धीमी गति के लिए उतनी ही चिंतित है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। जब मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं तो आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। यह सब क्या है ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष जी, ताला खुलवाने वाले तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल पूरा हो गया है। अब सभा पटल पर पत्रों को रखा जाना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखे गए पत्रों के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नेपाल और बंगलादेश के रास्ते आई० एस०आई० गतिविधियां

*102. **श्री शीशराम सिंह रवि :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.एस.आई. नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते देश में आर.डी.एक्स. भेज रही है;

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या भारत ने नेपाल के साथ इस विषय पर बात की है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारत उस देश में आई.एस.आई. की गतिविधियों को रोकने के लिए नेपाल सरकार को समझा पाने में सफल रहा है;

(ङ) क्या इस संबंध में भारत और नेपाल के बीच कोई संयुक्त बैठक आयोजित की गई है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम समझौता कब तक हो जाने की संभावना है; और

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(छ) इस मामले में नेपाल किस सीमा तक भारत की मदद करने को सहमत हुआ है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (छ) भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि आई.एस.आई. भारत नेपाल और भारत-बंगलादेश की सीमा पार से भारत के खिलाफ गति-विधियां चलाने में संलिप्त है। हाल के वर्षों में इन सीमाओं के पार से आर.डी.एक्स. की तस्करी किए जाने के दृष्टान्त भी ध्यान में आए हैं।

इस संबंध में नेपाल और बंगलादेश के साथ सहयोग बढ़ाने के उपाय किए गए हैं। प्रभावकारी सीमा प्रबन्धन हेतु सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों के साथ संयुक्त कार्य ग्रुपों का गठन किया गया है। भारत-नेपाल और भारत-बंगलादेश सीमाओं पर सीमा प्रबन्धन में आ रही समस्याओं पर क्रमश: नेपाली और बंगलादेशी प्राधिकारियों के साथ विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर चर्चा की गई है।

जहां तक भारत-बंगलादेश सीमा का संबंध है, सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आन्तरिक रूप से भी अनेक उपाय किए जा रहे हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनें खड़ी करना, सीमा चौकियों के बीच का अन्तर कम करना, सीमा और नदी तटीय सीमा दोनों पर गश्त तेज करना और सीमा सड़कों के निर्माण और बाड़ लगाने के कार्यक्रम को गति प्रदान करना शामिल है।

जहां तक भारत-नेपाल सीमा का संबंध है, ऐतिहासिक रूप से, यह वीजा मुक्त यात्रा वाली, एक खुली सीमा रही है। भारत-विरोधी गतिविधियों के लिए इस खुली सीमा के दुरुपयोग को ध्यान में रखते हुए महामहिम नेपाल सरकार और भारत सरकार की संबंधित एजेन्सियां सीधे या द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र जैसे सीमा प्रबन्धन पर संयुक्त कार्य ग्रुप और गृह सचिव स्तर की बातचीत के जरिए नियमित रूप से सम्पर्क बनाए रखती है। स्थिति और भारत के विरुद्ध लक्षित गतिविधियों को रोकने के लिए भारत और नेपाल के साथ सटे हुए सीमा जिलों पर निगरानी में बढ़ोत्तरी करने, सहित संयुक्त रूप से समन्वित उपायों की पुनरीक्षा करने के लिए दोनों पक्षों के बीच सावधिक बैठकें भी की जाती हैं।

नेपाली क्षेत्र से आई.एस.आई. की गतिविधियों को नियंत्रित करने और भारत-नेपाल खुली सीमा के प्रबन्धन से संबंधित मुद्दे को, नेपाल नरेश की जनवरी, 1999 में भारत की राजकीय यात्रा के दौरान और सितम्बर, 1999 में हमारे विदेश मंत्री द्वारा की गयी नेपाल यात्रा के दौरान उठाया गया था। दोनों देशों के बीच खुली सीमा के दुरुपयोग को रोकने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने के लिए दोनों तरफ से व्यक्त किए गए दृढ़ निश्चय से इस मामले पर दोनों की चिन्ता प्रकट होती है। अपनी तरफ से नेपाल सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि उनके क्षेत्र का प्रयोग भारत के हितों के खिलाफ की जाने वाली गतिविधियों के लिए नहीं करने दिया जाएगा और इस संबंध में वह भारत सरकार को अपना सहयोग दे रही है।

गंगा कार्य योजना

•105. **श्री के० वेरनायडू** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी उद्योगों के कारण अत्यधिक प्रदूषित होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) गंगा कार्य योजना के अंतर्गत अब तक किये गये सफाई कार्य का क्या परिणाम निकला है; और

(घ) प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क), (ख) और (घ) उद्योगों में वृद्धि होने के साथ-साथ उद्योगों की प्रदूषण संभावना भी बढ़ गई है तथा इसे प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के अंतर्गत विनियमित किया जा रहा है। गंगा कार्य योजना चरण-I के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में 1985 में अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले 68 उद्योगों की पहचान की गई थी। इन उद्योगों को बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने का निर्देश दिया गया था। इन 68 उद्योगों में से फिलहाल 24 इकाइयों को बंद कर दिया गया है, 41 इकाइयों ने अपेक्षित पास बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित कर लिए हैं तथा 3 इकाइयां दोषी हैं जिनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तत्पश्चात, 1997 में इन तीन राज्यों में अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले 119 अतिरिक्त उद्योगों की पहचान की गई थी। इनमें से 50 इकाइयों के पास बहिस्राव शोधन संयंत्र हैं, 8 इकाइयों को बंद कर दिया गया है तथा शेष 61 दोषी इकाइयां, जो कि उत्तर प्रदेश में हैं, के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी इन दोषी इकाइयों को बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने एवं उनके उपयुक्त प्रचालन करने के लिए निर्देश दिए हैं।

(ग) गंगा कार्य योजना, चरण-I 1985 से कार्यान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत श्रेणी-I के 25 नगरों में शुरू की गई नगरीय अपशिष्ट जल के अवरोधन, दिशापरिवर्तन, शवदाहगृह नदी तटाग्र विकास, अल्प लागत स्वच्छता आदि जैसी विभिन्न श्रेणियों की 261 स्वीकृत स्कीमों में से 256 स्कीमें पूरी हो चुकी हैं। इन स्कीमों के पूरा होने से जैव रसायन आक्सीजन मांग (बी.ओ.डी.) तथा घुलित आक्सीजन (डी.ओ.), जो जल गुणवत्ता के मूल्यांकन के दो महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं, दोनों के संदर्भ में गंगा कार्य योजना से पूर्व अवधि की तुलना में गंगा जल गुणवत्ता में सुधार हुआ है। गंगा कार्य योजना, चरण-I के अन्तर्गत प्रतिदिन 873 मिलियन लीटर मलजल का दिशापरिवर्तन और प्रतिदिन 788 मिलियन लीटर मलजल की सफाई के लिए सुविधाएं लगाना संभव हो पाया है। तथापि, गंगा कार्य योजना, चरण-I के अन्तर्गत, नदी के किनारे स्थित नगरों में फिलहाल कुल सृजित मलजल में से लगभग केवल 35 प्रतिशत पर काम शुरू किया गया है।

राजस्थान-गुजरात थाले में तेल की खोज

•106. **श्री राम नायडू दग्गुबाटि** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान-गुजरात थाले में हाल ही में तेल का पता चला है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश के थालों सहित पता लगाए गए तेल के अन्य थालों में इसकी खोज की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) द्वारा सितम्बर, 1999 में अन्वेषणात्मक कूप अखोलजुनी-5, जो गुजरात में कैम्बे क्षेत्र के पश्चिम में स्थित नई संभावना है, में तेल की खोज की गई थी।

अगस्त, 1999 में मैसर्स शैल इंडिया प्रोडक्शन डेवलपमेंट बी.वी. (एस.आई.पी.डी.) द्वारा वेधित अन्वेषणात्मक खोली ब्लाक आर.जे.-ओ.एन.-90/1 में कूप गुंडा-2 में तेल पाया गया है।

(ग) और (घ) गुजरात तथा राजस्थान राज्यों के अलावा देश में ऐसे निर्धारित तेलयुक्त बेसिन निम्न हैं, जहां अन्वेषण प्रगति पर है :

1. कृष्णा-गोदावरी बेसिन जमीनी तथा अपतटीय (कृष्णा-गोदावरी बेसिन जमीनी ज्यादातर आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है)।
2. ऊपरी असम तथा असम अराकान फोल्ड बेल्ट।
3. मुम्बई अपतटीय बेसिन।
4. कावेरी बेसिन, जमीनी व अपतटीय।
5. कच्छ तथा सौराष्ट्र अपतटीय।

ईरान से भारत तक तेल पाइपलाइनों का निर्माण कार्य

•108. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईरान से भारत तक तेल पाइपलाइनों के निर्माण कार्य के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पाइपलाइनों के जरिये प्रतिमाह कितना तेल आयात किये जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए अब तक कितनी धनराशि उपलब्ध की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि, 23 24 फरवरी, 1999 के दौरान नई दिल्ली में हुए संयुक्त आयोग के दसवें सत्र के दौरान भारत सरकार तथा ईरान सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन में यह व्यवस्था है कि दोनों देश लम्बी अवधि के परस्पर लाभों के लिए आपस में सहयोग करेंगे तथा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की संभावना का संयुक्त रूप से व्यवहार्यता अध्ययन करेंगे।

पावरग्रिडों को जोड़ना

•109. **श्री ए० वेंकटेश नायक** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सभी पावरग्रिडों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर अनुमानत: कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है;

(घ) यह धनराशि किन स्रोतों से जुटाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) उक्त योजना को कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने देश के क्षेत्रीय विद्युत ग्रिडों को अंत:सम्बद्ध किए जाने के लिए योजनाएं बनाई हैं। कुछ संयोजन पहले से ही प्रचालनाधीन हैं। अन्य निर्माणाधीन अथवा विचाराधीन हैं। केन्द्र के स्वामित्व वाले अंत:क्षेत्रीय समायोजनों का ब्यौरा निम्नवत है :-

I. विद्यमान एवं प्रचालनात्मक संयोजन :

1. उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला विन्ध्याचल में 500 मे.वा. एचवीडीसी बैक-टू बैक संयोजन।
2. पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र को जोड़ने वाला चन्द्रपुर में 1000 मे.वा. एचवीडीसी बैक-टू-बैक संयोजन।
3. पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों को जोड़ने वाला गजुवाका में 500 मे.वा. एचवीडीसी बैक-टू-बैक संयोजन।
4. पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाली बोंगाईगांव-मालदा 400 के.वी. डी/सी लाईन और बीरपाड़ा सालाकाटी 220 के.वी. डी/सी लाईन।

II. निर्माणाधीन संयोजन :

1. पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों को जोड़ने वाला सासाराम में 500 मे.वा. एचवीडीसी बैक-टू-बैक संयोजन। परियोजना की अनुमानित लागत 672 करोड़ रुपए है। तथा इसे 2002 तक चालू किए जाने की संभावना है। इसके साथ ही, पावरग्रिड द्वारा आयोजित क्षेत्रीय ग्रिडों को एकीकृत किए जाने का पहला चरण पूरा हो जाएगा।

III. पावरग्रिड के विचाराधीन संयोजन :

1. पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों के मध्य 2000 मे.वा. की क्षमता वाला तलचेर-कोलार एचवीडीसी बाईपोल संयोजन परियोजना की अनुमानित लागत 3865 करोड़ रु० है।
2. पूर्वी से पश्चिमी क्षेत्र तक 800 से 1000 मे.वा. की क्षमता वाला 400 के.वी. डी/सी राउरकेला-रायपुर, एचवीएसी संयोजन। परियोजना की अनुमानित लागत 267.79 करोड़ रुपए है।

3. पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों के मध्य 2000 मे.वा. क्षमता का 400 के.वी. डी/सी पूर्णिया-मुजफ्फरपुर-गोरखपुर-लखनऊ एचवीएसी संयोजन। परियोजना की अनुमानित लागत 1260 करोड़ रुपए है।

विद्युत विनियम हेतु उपयोग में लाए जा रहे राज्य स्वामित्व वाले अन्त:क्षेत्रीय संयोजन निम्नानुसार हैं :

क्रम सं.	संयोजन का नाम	क्षेत्र अंत:सम्बद्ध	क्षमता (मेगावाट)
1.	कोरबा बुद्धिपादर 220 केवी डी/सी	पश्चिम तथा पूर्व	300
2.	बालीमेला अपर सीलरू 220 केवी डी/सी	पूर्व तथा पश्चिम	180
3.	कोल्हापुर-बेलगाम 200 केवी डी/सी	पश्चिम तथा दक्षिणी	300
4.	देहरी-मुगलसराय 220 केवी एस/सी	पूर्व तथा उत्तर	200
	करमनासा-वाराणसी 132 के.वी. डी/सी		
6.	औरय्या मालनपुर 220 के.वी. डी/सी	उत्तर तथा पश्चिम	200
7.	कोटा-उज्जैन 220 के.वी. डी/सी	उत्तर तथा पश्चिम	200

(ग) परियोजनाओं को आंशिक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसियों जैसे विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से तथा कुछ अंश तक आपूर्तिकर्त्ताओं के ऋण, घरेलू उधार तथा पावरग्रिड के आंतरिक संसाधनों के प्रयोग द्वारा वित्तपोषित करने का प्रस्ताव है।

(ङ) सासाराम में एचवीडीसी बैक-टू-बैक संयोजन को 2002 तक चालू किए जाने की आशा है। अन्य अंत: क्षेत्रीय संयोजनों को क्रमिक रूप में 4 से 5 वर्षों की अवधि में चालू किए जाने की आयोजना की गई है।

[हिन्दी]

अपर्याप्त डाक और तार सुविधाएं

110. **श्री अशोक प्रधान :**
श्री राजो सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में डाक और तार की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में डाक और तार नेटवर्क के विस्तार और उन्नयन के लिए राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और कितनी उपलब्धियां प्राप्त की गई;

(घ) उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसी ग्राम पंचायतों/खण्ड विकास क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां उक्त सुविधायें अभी तक मुहैया नहीं कराई गई हैं;

(ङ) क्या सरकार का नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में उक्त नेटवर्क के विस्तार और उन्नयन का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : डाक विभाग (क) और (ख) डाकघर मानदण्ड आधारित औचित्य पूरा होने पर खोले जाते हैं। बशर्ते कि पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत क्रमिक वार्षिक योजनाओं में धनराशि उपलब्ध रहे। 31.03.99 की स्थिति के अनुसार, देश में एक डाकघर द्वारा औसतन 21.32 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को तथा 5477 व्यक्तियों को सेवा प्रदान की जाती है।

उत्तर प्रदेश में, एक डाकघर द्वारा औसतन 14.56 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को तथा 6875 व्यक्तियों को सेवा प्रदान की जाती है। बिहार में एक डाकघर औसतन 14.6 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र को तथा 7247 व्यक्तियों को सेवा प्रदान करता है। इस प्रकार, जहां तक प्रत्येक डाकघर द्वारा सेवा प्रदान किए जा रहे औसत क्षेत्र का संबंध है, राष्ट्रीय औसत के मुकाबले उत्तर प्रदेश व बिहार की स्थिति कहीं बेहतर है।

(ग) डाकघर खोलने के लिए लक्ष्य डाक सर्किलवार आवंटित किए जाते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डाकघर खोलने के संबंध में आवंटित लक्ष्यों और उपलब्धि का सर्किलवार ब्यौरा विवरण I में दिया गया है।

(घ) उत्तर प्रदेश और बिहार में अभी तक ग्राम पंचायत वाले जिन गांवों में डाकघर नहीं खोले गये हैं उनका जिलावार ब्यौरा क्रमश: विवरण-II और विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) और (च) जी, हां। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2500 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ईडीबीओ) और 250 विभागीय उप डाकघर (डीसीओ) खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के अधीन अब तक अनुमोदित वार्षिक योजनावार लक्ष्य, तथा देश में और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और बिहार में प्राप्त की गई उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

वार्षिक योजना	राष्ट्रीय				उत्तर प्रदेश				बिहार			
	लक्ष्य		उपलब्धियां		लक्ष्य		उपलब्धियां		लक्ष्य		उपलब्धियां	
	ईडीबीओ	डीएसओ	ईडीबीओ	डीएसओ	ईडीबीओ	डीएसओ	ईडीबीओ	डीएसओ	ईडीबीओ	डीएसओ	ईडीबीओ	डीएसओ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1997-98	500	50	402	52	70	3	57	6	40	5	31	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1998-99	598	50	598	50	82	3	82	3	82	2	72	2
1999-2000	500	50	लक्ष्य मार्च 2000 तक प्राप्त किया जाना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।		50	3	लक्ष्य मार्च 2000 तक प्राप्त किया जाना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।		50	3	लक्ष्य मार्च 2000 तक प्राप्त किया जाना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।	

वार्षिक योजना 1997-98 के दौरान अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि इन डाकघरों को खोलने के लिए पर्याप्त संख्या में अपेक्षित पद वित्त मंत्रालय द्वारा मंजूर नहीं किए गए।

ऊपर उल्लिखित डाकघर खोलने के अलावा, समूचे देश के लिए वार्षिक योजना 1998-99 में 200 पंचायत संचार सेवा केन्द्र (पीएसएसके) और वार्षिक योजना 1999-2000 में 500 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने के लक्ष्य का अनुमोदन किया गया था। जबकि, वार्षिक योजना 1998-99 के लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त किए गए, 1999-2000 के लक्ष्य मार्च, 2000 तक प्राप्त किए जाने हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पंचायत संचार सेवा योजना के संबंध में लक्ष्यों और उपलब्धियों की स्थिति इस प्रकार हैं :-

वार्षिक योजना	राष्ट्रीय		उत्तर प्रदेश		बिहार	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1998-99	200	200	30	30	14	14
1999-2000	500	लक्ष्य मार्च, 2000 तक प्राप्त किया जाना है।	45	लक्ष्य मार्च; 2000 तक प्राप्त किया जाना है।	10	लक्ष्य मार्च, 2000 तक प्राप्त किया जाना है।

दूरसंचार विभाग :

(क) से (च) बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों सहित देश में तार सुविधाएं काफी पर्याप्त हैं। यह सेवा काफी बड़ी संख्या में तारघरों और दूरसंचार केन्द्रों द्वारा प्रदान की जा रही है जो एस.एफ.टी./एस.एफ.एम.एस.एस. टेलीप्रिंटरों, ईकेबीसी/ईकेबी और फैक्स मशीनों जैसे आधुनिक इलेक्ट्रानिक उपकरणों से सज्जित हैं। इस नेटवर्क की मांग को पूरा करने तथा प्रौद्योगिक प्रगति के साथ-साथ चलने के लिए उत्तरोत्तर योजनाओं में विस्तार और आधुनिकीकरण किया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्किलवार उपलब्धि नीचे दर्शाई गई है :

सर्किल	एसएफ एमएस	ईकेबीसी/ ईकेबी	एफटीसी/ एफटी	टीओ
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	1	8/89	4/146	12
असम	1	9/96	—	2
बिहार	2	1/2	0/1	458
गुजरात	2	18/88	4/64	1
हरियाणा	1	8/46	0/12	2
हिमाचल प्रदेश	1	6/48	0/7	300
जम्मू एवं कश्मीर	1	4/25	0/2	—
कर्नाटक	2	14/130	0/32	1015
केरल	3	18/74	0/48	16
मध्य प्रदेश	4	4/8	—	—
महाराष्ट्र	7	43/368	0/114	15
उत्तर-पूर्व	—	3/14	—	—
उड़ीसा	—			2278
पंजाब	2		1/32	4
राजस्थान	2	32/209	2/28	517
तमिलनाडु	6	60/496	4/169	178
यूपीई+यूपीडब्ल्यू	6	—	6/98	2
पश्चिम बंगाल	1	28/233	—	7
एनटीआर-एनडी	1	3/70	1/16	—
कुल :	43	214/1996	23/765	5807

देश में एसटीडी सहित टेलीफोन सुविधा का विस्तार होने के साथ तार परियात और तार सुविधाओं पर निर्भरता में निरंतर कमी आ रही है। इसलिए, ऐसी सुविधा के विस्तार और उसका स्तर बढ़ाने की योजना केवल विशिष्ट जरूरत को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। पंचायत और ब्लॉक विकास क्षेत्र के स्तर पर दूरसंचार सुविधाओं की मांग सामान्यतया टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से पूरी की जाती है। तथापि, जहां डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाए गए हैं, वे फोलोकॉम पर तार सुविधा प्रदान करते हैं।

विवरण–I

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डाकघर खोलने/उनका दर्जा बढ़ाने के लिए आवंटित लक्ष्यों का सर्किलवार ब्यौरा तथा इस अवधि में प्राप्त उपलब्धि

क्रम सं०	सर्किल का नाम	डाकघर खोलने के लिए लक्ष्य		उपलब्धि	
		वि.उ.डा.	अ.वि. शा.डा.	वि.उ.डा.	अ.वि. शा.डा.
1.	आंध्र प्रदेश	25	42	26	29
2.	असम	18	63	12	63
3.	बिहार	49	183	21	180
4.	दिल्ली	41	01	17	—
5.	गुजरात	49	59	33	103
6.	हरियाणा	40	28	20	34
7.	हिमाचल प्रदेश	29	53	09	137
8.	जम्मू एवं कश्मीर	08	12	03	29
9.	कर्नाटक	42	34	44	62
10.	केरल	36	35	31	33
11.	मध्य प्रदेश	37	113	33	163
12.	महाराष्ट्र	51	163	42	237
13.	उत्तर पूर्व	18	82	12	124
14.	उड़ीसा	21	87	13	94
15.	पंजाब	19	27	16	43
16.	राजस्थान	43	105	26	288
17.	तमिलनाडु	24	30	18	57
18.	उत्तर प्रदेश	73	206	40	233
19.	पश्चिम बंगाल	27	117	08	133
	कुल :	650	1440	424	2042

विवरण–II

उत्तर प्रदेश

31.3.99 की स्थिति के अनुसार ग्राम पंचायतों में डाकघरों का जिलावार ब्यौरा

क्र० सं०	जिले का नाम	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	डाकघर वाली ग्राम पंचायतें	बिना डाकघर वाली ग्राम पंचायतें
1	2	3	4	5
	आगरा रीजन			
1.	आगरा	637	251	386
2.	फिरोजाबाद	503	150	353
3.	अलीगढ़	1121	270	851
4.	महामायानगर			
5.	बुलन्दशहर	981	300	681
6.	एटा	892	200	692
7.	इटावा	413	145	268
8.	औरैया	425	131	294
9.	झांसी	443	359	84
10.	ललितपुर	326	150	176
11.	जालौन	539	322	217
12.	मथुरा	576	186	390
13.	मैनपुरी	501	215	286
	इलाहाबाद रीजन			
14.	इलाहाबाद	1217	324	893
15.	कौशाम्बी	629	155	474
16.	प्रतापगढ़	1090	344	746
17.	गाजीपुर	1024	356	668
18.	जौनपुर	1520	402	1118
19.	मिर्जापुर	760	154	606
20.	सोनभद्र	441	116	325
21.	वाराणसी	697	178	519
22.	भदोही	485	106	379
23.	चन्दौली	613	168	445
	बरेली रीजन			
24.	अल्मोड़ा	280	229	51
25.	बागेश्वर	337	214	123
26.	बदायूं	1061	233	828
27.	बरेली	985	155	830
28.	पीलीभीत	557	129	428
29.	हरदोई	1099	264	835

1	2	3	4	5
30.	खीरी	990	348	642
31.	मुरादाबाद	891	202	689
32.	जे.पी. नगर	535	92	443
33.	रामपुर	561	105	456
34.	नैनीताल	300	137	163
35.	ऊधमसिंह नगर	226	91	135
36.	पिथौरागढ़	274	218	56
	चम्पावत	204	49	155
38.	शाहजहांपुर	937	262	675
	देहरादून रीजन			
39.	बिजनौर	937	261	676
40.	चमोली	355	334	21
41.	रुद्रप्रयाग	आंकड़े चमोली के आंकड़ों में शामिल		
42.	देहरादून	248	183	65
43.	गाजियाबाद	374	131	243
44.	जी.बी. नगर	172	42	130
45.	मेरठ	511	213	295
46.	बागपत	189	95	94
47.	मुजफ्फरनगर	687	275	412
48.	पौड़ी	479	416	63
49.	सहारनपुर	773	174	599
50.	हरिद्वार	296	80	216
51.	टेहरी	485	263	222
52.	उत्तरकाशी	200	124	76
	गोरखपुर रीजन			
53.	आजमगढ़	1599	341	1258
54.	मऊ	602	240	362
55.	देवरिया	991	245	746
56.	कुशीनगर	971	235	736
57.	गोरखपुर	1219	332	887
58.	महाराजगंज	770	243	527
59.	बलिया	817	336	481
60.	बहराइच	748	255	493
61.	श्रावस्ती	465	136	329
62.	बस्ती	1612	376	1236
63.	एस.के. नगर	बस्ती के आंकड़ों में शामिल		
64.	सिद्धार्थनगर	1065	231	834
65.	गोंडा	102	345	676
66.	बलरामपुर	667	148	519
	कानपुर रीजन			
67.	कानपुर शहर	158	82	76
68.	कानपुर (देहात)	1005	278	727
69.	उन्नाव	944	248	696
70.	बांदा	443	196	247
71.	शाहू जी महाराज नगर	303	75	228
72.	हमीरपुर	323	132	191
73.	महोबा	226	78	148
74.	फतेहपुर	781	234	577
75.	फर्रूखाबाद	920	252	669
76.	कन्नौज	फर्रूखाबाद के आंकड़ों में शामिल		
	लखनऊ रीजन			
77.	लखनऊ	507	154	353
78.	सुल्तानपुर	1255	463	792
79.	सीतापुर	1321	354	967
80.	बाराबंकी	1131	378	753
81.	रायबरेली	960	420	540
82.	फैजाबाद	590	306	284
83.	अम्बेडकर नगर	791	287	504
	कुल :	54981	17630	37351

विवरण-III

बिहार

31.3.99 की स्थिति के अनुसार ग्राम पंचायतों में डाकघरों का जिलावार ब्यौरा

क्र० सं०	जिले का नाम	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	डाकघर वाली ग्राम पंचायतों की संख्या	बिना डाकघर वाली ग्राम पंचायतों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	पटना	348	246	102
2.	नालन्दा	249	204	45
3.	भोजपुर	247	242	15
4.	बक्सर	147	139	
5.	गया	319	196	123
6.	नवादा	148	112	36
7.	जहानाबाद	165	128	37
8.	भागलपुर	240	178	62
9.	बांका	152	108	44
10.	सारण	329	293	36
11.	वैशाली	258	239	19
12.	औरंगाबाद	251	170	80
13.	रोहतास	266	162	104
14.	भाभा	153	73	88
15.	पलामू	251	231	20
16.	गढ़वा	108	84	24
17.	रांची	376	265	111
18.	गुमला	250	168	82
19.	लोहारडागा	93	61	132
20.	पूर्वी सिंहभूम	152	116	36
21.	पश्चिम सिंहभूम	321	150	171
22.	धनबाद	138	69	69
23.	बोकारो	183	113	70
24.	गिरिडीह	232	154	78
25.	हजारीबाग	233	100	133
26.	छतरा	95	54	41
27.	कोडरमा	61	49	12
28.	दुमका	283	174	109
29.	साहेबगंज	147	48	99
30.	गोड्डा	167	94	73
31.	देवघर	140	68	72
32.	पाकुर	71	47	24
33.	मुंगेर	125	91	34
34.	जामुई	151	109	42
35.	लखीसराय	88	72	16
36.	शेखपुरा	50	41	9
37.	बेगूसराय	240	205	35
38.	खगड़िया	128	114	14
39.	दरभंगा	321	230	95
40.	मधुबनी	366	331	23
41.	पूर्णिया	241	171	70
42.	अररिया	203	155	48
43.	कटिहार	223	172	31
44.	किशनगंज	118	85	33
45.	सहरसा	170	148	22
46.	सुपौल	173	158	23
47.	मधेपुरा	185	161	24
48.	सिवान	308	251	57
49.	गोपालगंज	222	184	38
50.	समस्तीपुर	333	291	42
51.	मुजफ्फरपुर	344	289	55
52.	सीतामढ़ी	278	239	39
53.	शिवहर	25	13	12
54.	पूर्वी चम्पारण	416	310	106
55.	पश्चिमी चम्पारण	307	213	94
	कुल :	11588	8568	3109

[अनुवाद]

पाकिस्तान "हैकर्स" क्लब

•111. **श्री एन०आर०के० रेड्डी :**
डा० मन्दा जगन्नाथ :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान हैकर्स क्लब (पी०एच०सी०) ने कश्मीर मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए दुनियाभर के करीब 40 वेबसाइटों में सेंध लगाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सूचनाओं में हेरा-फेरी करने वाली पाकिस्तानी गतिविधि द्वारा कोई भारतीय वेबसाइट प्रभावित हुआ है; और

(ग) सुरक्षा को मजबूत बनाने हेतु वेबसाइट आपरेटरों को निर्देश देने के लिए कौन से उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) विश्वभर में वैब साईट्स में सेंध लगाने के लिए हैकर्स अनधिकृत तरीकों का प्रयोग करता है। अत:, यह पता लगाना संभव नहीं है कि पाकिस्तान हैकर्स क्लब (पी.एच.सी.) ने कश्मीर मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए भारत समेत पूरे विश्व में अब तक कितनी वैब साईट्स में अनधिकृत रूप से सेंध लगाई है।

कम्प्यूटर की सुरक्षा हेतु सुरक्षापायों के संबंध में व्यापक अनुदेश सभी सरकारी विभागों में पहले ही परिचालित कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कम्प्यूटर का प्रयोग करने और उसको चलाने वालों के लिए "क्या करें और क्या न करें" संबंधी अनुदेश कतिपय विभागों/मंत्रालयों को भी जारी कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

विश्वव्यापी चल वैयक्तिक संचार और उपग्रह सेवाएं

•112. **श्री नवल किशोर राय :**
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने विश्वव्यापी चल वैयक्तिक संचार और उपग्रह सेवाओं के बारे में अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ये सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं;

(घ) यदि हां, तो इन्हें कब तक क्रियान्वित कर दिये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ङ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण टी आर ए आई ने उपग्रह (जी एम पी सी एस सेवा द्वारा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल संचार के लिए लाइसेंस करार के लाइसेंस शुल्क तथा शर्तों के संबंध में अपनी सिफारिशें 12 नवम्बर, 1999 को प्रस्तुत की हैं।

टी आर ए आई की सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :-

1. प्रवेश शुल्क 10 मिलियन रु० होगा।

2. लाइसेंसधारक से अपनी लागू प्रणालियों को चालू करने तथा लाइसेंस करार की प्रभावी तारीख के पहले वर्ष के भीतर जी एम पी सी एस सेवा प्रदान करनी अपेक्षित होगी। सेवा चालू करने में किसी तरह का विलंब होने पर अतिरिक्त प्रवेश शुल्क का निम्न प्रकार भुगतान करना होगा :-

   – एक वर्ष तक विलंब : 0.5 मिलियन रु०

   – एक वर्ष से अधिक परन्तु दो वर्ष से कम विलंब होने पर : 1 मिलियन रु०

   – दो वर्ष से अधिक विलंब होने पर : 1.5 मिलियन रु०

3. राजस्व हिस्सेदारी की प्रतिशतता के रूप में वार्षिक लाइसेंस शुल्क, "समायोजित सकल राजस्व" (एजीआर) के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसकी पुनरीक्षा पांच वर्ष में एक बार की जानी चाहिए (बशर्ते कि अधिकतम सीमा 5% हो)। यह सिफारिश 4:3 के बहुमत पर आधारित है।

4. उपर्युक्त राजस्व हिस्सेदारी की प्रतिशतता, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित अतिरिक्त घाटे अथवा सार्वभौमिक सेवा निधि के प्रति किसी भी अंशदान से अलग हैं, जिसका भुगतान लाइसेंसधारक द्वारा किया जाना अपेक्षित होगा।

5. प्रारंभ में लाइसेंस 20 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा और उसके बाद 10 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए इसे बढ़ाया जा सकेगा।

टी आर ए आई की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा और ब्यौरों की जांच के बाद यथा-शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

बिहार में उग्रवाद

•113. **श्री माधवराव सिंधिया :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में विभिन्न उग्रवादी समूहों द्वारा जनसंहार और प्रतिकार स्वरूप जनसंहार की घटनायें अबाध रूप से जारी हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान आज तक क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में खून-खराबा रोकने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले दो वर्षों के दौरान बिहार से जनसंहार की निम्नलिखित प्रमुख घटनाएं सूचित की गई हैं :-

अवधि	स्थान	मारे गए व्यक्तियों की संख्या
दिसम्बर, 1997	लक्ष्मणपुर बाथे (जिला जहानाबाद)	62
जनवरी, 1998	रामपुर चौराम (जिला अरवाल)	9
नवम्बर, 1998	रामपुर गांव (जिला जहानाबाद)	7
जनवरी, 1999	शंकर बीघा (जिला जहानाबाद)	22
फरवरी, 1999	नारायणपुर (जिला जहानाबाद)	11
मार्च, 1999	सेनारी (जिला अरवाल)	34
अप्रैल, 1999	खागरी बीघा/जमीर बीघा (जिला गया)	12
नवम्बर, 1999	लोतो (जिला पलामू)	12
नवम्बर, 1999	चन्दराहा रुपावालिया (जिला प० चम्पारन)	9

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय होने के कारण लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी मुख्यत: राज्य सरकार की है। तथापि, केन्द्र सरकार, राज्य में पुलिस ढांचे में सुधार लाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। वामपंथी उग्रवादी ग्रुपों सहित असामाजिक तत्वों के खतरे का मुकाबला करने के लिए, केन्द्र सरकार राज्य पुलिस की सहायता के लिए केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल भी उपलब्ध करा रही है।

[हिन्दी]

डाक वितरण

•114. **श्री रामपाल सिंह :**
श्री अजय सिंह चौटाला :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समय से डाक वितरण के मामले में खराब कार्य-निष्पादन के कारण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने डाक विभाग की कड़ी आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभाग के परिचालनात्मक कार्य-निष्पादन के आकलन के उद्देश्य से मई, 1997 से अगस्त 1998 के बीच दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बंगलौर और हैदराबाद में लेखा परीक्षा समीक्षा की गई थी;

(ग) यदि हां, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन में उठायी गई आपत्तियों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा देश में डाक वितरण में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या डाक में वृद्धि के अनुपात में डाकियों की संख्या में वृद्धि न होने से दिल्ली में रहने वाले लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने दिल्ली में सुचारू और समय से डाक वितरण सुनिश्चित करने हेतु कोई व्यवस्था की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (च) वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के लिए दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलूर और हैदराबाद की डाक वितरण प्रणाली की पुनरीक्षा करते हुए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष के लिए डाक विभाग के संबंध में अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में यह टिप्पणी की है कि कुछ महानगरों में डाक के समय पर वितरण सहित प्रचालन कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं रहा है। समय पर वितरण के संबंध में 6 महानगरों में से 3 महानगरों में मेट्रो मेल वितरण कार्य का निष्पादन अच्छा नहीं रहा है। इसका कारण डाकघरों द्वारा डाक की छंटाई न करना और साथ ही छंटाई कार्यालयों में डाक की छंटाई उचित ढंग से न होना है। इस संबंध में कहना यह है कि विभाग ने पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर समय से वितरित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। पारगमन के तथा साथ ही वितरण के मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डाक छंटाई के पैटर्न को ग्रीन चैनल (स्थानीय), मेट्रो चैनल, राजधानी चैनल, बिजनेस चैनल बल्क मेल चैनल तथा पत्रिका चैनल नामक विभिन्न चैनलों में विभाजित किया गया है। डाकघरों में वितरण प्रणाली का पुनर्गठन किया गया है और उसे युक्तिसंगत बनाया गया है ताकि पत्र उसी दिन वितरित हो सकें जिस दिन वे प्राप्त होते हैं। क्षेत्रीय और मुख्यालय दोनों स्तरों पर डाक छंटाई और वितरण प्रणाली की नियमित मानीटरिंग शुरू की गई है। विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा डाक का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एयरलाइन्स के प्राधिकारियों द्वारा डाक को उतार देने की घटनाओं को भी कम किया गया है। यहां यह भी उल्लेख है कि पूरे देश के लिए 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान डाकियों के क्रमश: 980, 980 तथा 600 अतिरिक्त पद मंजूर किए गए हैं। कुछ शहरों में वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए डाकियों को मोपेड दी गई हैं। दिल्ली में डाक प्रणाली को युक्तिसंगत और कारगर बनाया गया है। वितरण कर्मचारियों की आवश्यकता की पूरी तरह जांच की गई है तथा इस सर्किल के लिए डाकियों के 51 अतिरिक्त पद मंजूर किए गए हैं। डाक का निर्बाध और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए वितरण व्यवस्था की सख्त मानीटरिंग की जाती है। साथ ही, विभाग ने वर्ष

1997, 98, 99 के दौरान वितरण व्यवस्था के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए अखिल भारतीय लाइव मेल सर्वेक्षण तथा मेट्रो लाइव मेल सर्वेक्षण शुरू किए हैं। इन कार्रवाइयों के फलस्वरूप, डाक वितरण में सफलता की अखिल भारतीय औसत दर 1997 में 72 प्रतिशत तक, 1998 में 75 प्रतिशत तक तथा वर्ष 1999 के दौरान 78.5 प्रतिशत तक पहुंच गई। जैसा कि 1998 का मेट्रो मेल सर्वेक्षण करने पर पता चला है, महानगर डाक का वितरण कार्य-निष्पादन निम्नानुसार था :

महानगर का नाम	मानदंडों के भीतर वितरित डाक का प्रतिशत
बेंगलूर	99.6 प्रतिशत
चेन्नई	98.1 प्रतिशत
कलकत्ता	100 प्रतिशत
दिल्ली	99.1 प्रतिशत
हैदराबाद	91.3 प्रतिशत
मुम्बई	96.4 प्रतिशत

[अनुवाद]

आई०एस०आई० गतिविधियों पर श्वेत पत्र

•115. **श्री मोहन रावले** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में आई.एस.आई. गतिविधियों पर एक श्वेत पत्र जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसा कब तक करा दिये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। सरकार का पाकिस्तानी आई.एस.आई. की गतिविधियों पर एक "श्वेत पत्र", जैसे ही यह तैयार हो जाता है, पेश करने का विचार है।

पारेषण लाइनों का निजीकरण

•116. **श्री अधीर चौधरी** :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार विद्युत ग्रिड पारेषण लाइनों और राज्य विद्युत बोर्डों जो संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं, के निजीकरण पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) और (ख) विद्युत कानून (संशोधन) अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम संख्या-22) में पारेषण को एक पृथक गतिविधि के रूप में माना गया है तथा किसी भी व्यक्ति को पारेषण लाइसेंस प्रदान किए जाने हेतु प्रावधान हैं। पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटि के रूप में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए पारेषण लाइनों को अभिज्ञात किया है। राज्य क्षेत्र की पारेषण लाइनों के बारे में निर्णय राज्यों की उपयुक्त एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

•117. **श्री रतन लाल कटारिया** :
डा० वी० सरोजा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में 31 मार्च, 1998 से 31 अक्टूबर, 1999 तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर अत्याचार की कितनी घटनाएं हुई;

(ख) कुल घटनाओं में से हत्या और बलात्कार की कितनी घटनाएं हुई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध किए गए अत्याचारों की घटनाओं के बारे में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। अपराधों को दर्ज करने, जांच-पड़ताल, पता लगाने और रोकथाम करने की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है। तथापि, भारत सरकार, राज्य सरकारों को, समय-समय पर, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचारों की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए दाण्डिक न्याय प्रशासन प्रणाली में सुधार लाने की ओर अधिक ध्यान केन्द्रित करने की सलाह देती रही है। सरकार द्वारा दी गई सलाह में, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के क्रियान्वयन के मामले में पुलिस कर्मियों को सुग्राही बनाना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों की पुलिस बल में भर्ती, अपराधों की रोकथाम करने की दृष्टि से अत्याचार बाहुल क्षेत्रों की पहचान करना, कमजोर वर्गों के बीच, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करना इत्यादि-इत्यादि शामिल हैं।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को छोड़कर, सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों ने, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत अपराधों की जांच करने के लिए, प्रत्येक जिले के लिए, सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में, विनिर्दिष्ट किया है। कुछ राज्य सरकारों ने अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना भी की है।

विवरण-I

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचारों के बारे में 6.12.1999 के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 117 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

अप्रैल, 1998 से अक्तूबर, 1998 तक (अन्तिम कालम में दिए गए अनुसार) अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचारों की घटनाओं की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	हत्या	चोट पहुंचाना	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	डकैती	लूटमार	आगजनी	पी.सी. आर. अधिनियम	एस.सी/ एस.टी. (अत्याचार) निवारण अधिनियम 1989	अन्य अपराध	कुल	टिप्पणी (आंकड़े नीचे दिए गए मास तक के हैं)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	37	519	71	8	3	5	7	225	712	599	2216	जून
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	जून
3.	असम	0	4	2	0	0	0	0	1	0	0	7	जुलाई
4.	बिहार	5	206	19	3	3	1	8	8	231	170	654	दिसम्बर '98
5.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	अगस्त
6.	गुजरात	30	430	29	25	8	34	19	15	723	1245	2558	जुलाई
7.	हरियाणा	8	56	27	13	2	13	1	0	25	39	184	जुलाई
8.	हिमाचल प्रदेश	3	4	10	0	0	0	0	4	31	27	79	जुलाई
9.	जम्मू और कश्मीर	0	4	0	0	0	0	0	0	0	12	16	जुलाई
10.	कर्नाटक	13	25	11	1	1	0	31	136	1281	44	1543	जुलाई
11.	केरल	6	296	98	3	0	1	11	3	335	142	895	जून
12.	मध्य प्रदेश	79	896	363	51	2	30	66	22	584	3707	5800	जुलाई
13.	महाराष्ट्र	7	115	62	8	5	7	13	225	215	254	911	जुलाई
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	सितम्बर
15.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	जुलाई
16.	मिजोरम	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	सितम्बर
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	अगस्त
18.	उड़ीसा	9	180	16	7	0	3	5	5	318	360	903	मई
19.	पंजाब	7	10	5	4	0	0	0	1	7	10	44	सितम्बर
20.	राजस्थान	65	255	204	11	0	5	78	2	1371	5579	7570	जुलाई
21.	सिक्किम	0	3	1	0	0	0	0	0	0	2	6	जुलाई
22.	तमिलनाडु	40	672	14	14	0	3	24	170	551	540	2028	सितम्बर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	अगस्त
24.	उत्तर प्रदेश	351	943	327	180	42	73	181	4	3463	2513	8077	जून
25.	प. बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	जून
	कुल (राज्य)	660	4618	1260	328	66	176	444	851	9849	15243	33495	
26.	अं और नि. द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	जुलाई
27.	चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	जून
28.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	अगस्त
29.	दमन और द्वीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	जुलाई
30.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	4	10	7	21	अगस्त
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	अगस्त
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	16	2	0	18	सितम्बर
	कुल (केन्द्र शासित क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	0	20	12	7	39	
	कुल (समस्त भारत)	660	4618	1260	328	66	176	444	871	9861	15250	33534	

स्रोत : मासिक अपराध आंकड़े

टिप्पणी: 1. आंकड़े अनन्तिम हैं।

2. उ.न. का अर्थ है, उपलब्ध नहीं।

विवरण-II

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचारों के बारे में 6.12.1999 के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 117 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

अप्रैल, 1998 से अक्तूबर, 1998 तक (अन्तिम कालम में दिए गए अनुसार) अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचारों की घटनाओं की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	हत्या	चोट पहुंचाना	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	डकैती	लूटमार	आगजनी	पी.सी.आर. अधिनियम	एस.सी/एस.टी. (अत्याचार) निवारण अधिनियम 1989	अन्य अपराध	कुल	टिप्पणी (आंकड़े नीचे दिए गए मास तक के हैं)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	5	187	46	15	3	6	4	13	69	66	414	जून
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	जून
3.	असम	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	जुलाई

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	बिहार	0	18	4	1	0	0	1	0	39	34	97	दिसम्बर'98
5.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	अगस्त
6.	गुजरात	6	68	35	9	2	1	7	0	71	342	541	जुलाई
7.	हरियाणा	0	19	0	2	0	5	0	0	0	1	27	जुलाई
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	जुलाई
9.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	जुलाई
10.	कर्नाटक	3	4	2	0	0	0	0	2	71	22	104	जुलाई
11.	केरल	0	56	21	0	0	1	3	0	23	52	156	जून
12.	मध्य प्रदेश	45	225	299	36	1	5	26	5	118	1346	2106	जुलाई
13.	महाराष्ट्र	3	23	36	8	0	1	2	21	41	112	247	जुलाई
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	सितम्बर
15.	मेघालय	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	जुलाई
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	सितम्बर
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	अगस्त
18.	उड़ीसा	3	125	9	2	0	2	0	6	114	135	396	मई
19.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	सितम्बर
20.	राजस्थान	18	71	44	3	0	1	19	0	283	1098	1537	जुलाई
21.	सिक्किम	2	9	1	2	0	0	2	0	1	13	30	जुलाई
22.	तमिलनाडु	2	74	1	0	0	0	0	13	18	13	121	सितम्बर
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	अगस्त
24.	उत्तर प्रदेश	3	22	1	0	0	0	0	0	26	45	97	जून
25.	प. बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	जून
	कुल (राज्य)	90	901	499	79	6	22	66	60	878	3283	5884	
26.	अं और नि. द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	जुलाई
27.	चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	जून
28.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	अगस्त
29.	दमन और द्वीव	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	जुलाई
30.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	अगस्त
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	अगस्त

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	4	सितम्बर
	कुल (केन्द्र शासित क्षेत्र)	0	0	1	0	0	0	0	3	1	1	6	
	कुल (समस्त भारत)	90	901	500	79	6	22	66	63	879	3284	5890	

स्रोत : मासिक अपराध आंकड़े

टिप्पणी: 1. आंकड़े अनन्तिम हैं।

2. उ.न. का अर्थ है, उपलब्ध नहीं।

3. बिहार के 1999 के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

[अनुवाद]

बहुउद्देशीय पहचान पत्र

•118. **श्री रामशकल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहुउद्देशीय पहचान पत्रों का किस प्रयोजनार्थ प्रयोग किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों से परामर्श किया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रियाएं थी;

(घ) इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है;

(ङ) क्या राज्य सरकारों द्वारा खर्च का कुछ हिस्सा वहन किए जाने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (छ) देश में सभी नागरिकों और जो नागरिक नहीं हैं, उनके अनिवार्य पंजीकरण के आधार पर बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने संबंधी एक प्रस्ताव विचाराधीन है। बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र से, अन्य के अलावा, निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रयोजन पूरे होंगे :-

1. बहुविध सामाजिक-आर्थिक प्रयोजनों जैसे पासपोर्ट जारी करने, ड्राइविंग लाईसेंस, राशनकार्ड स्वास्थ्य-देखभाल, शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश, सार्वजनिक/प्राईवेट क्षेत्र में रोजगार, जीवन और सामान्य बीमा, भूमि रिकार्ड के अनुरक्षण और शहरी सम्पति धृति इत्यादि के लिए विश्वसनीय पहचान प्रणाली।

2. देश में अनधिकृत रूप से रह रहे व्यक्तियों की पहचान के लिए एक विश्वसनीय तंत्र।

3. भविष्य में अवैध आप्रवासन के लिए निवारक।

इस समय, यह योजना संकल्पनात्मक अवस्था में है और सरकार विस्तृत व्यवहारिकता अध्ययन करा रही है जो जनसंख्या का एकीकृत आंकड़ा आधार तैयार करने और नागरिकों को पहचान पत्र जारी करने की व्यवहारिकता की विस्तृत जांच को कवर करेगी। व्यवहारिकता रिपोर्ट की मार्च 2000 तक प्राप्त होने की संभावना है।

व्यवहारिकता रिपोर्ट तैयार करने की अवधि के दौरान, समय-समय पर, बातचीत करने के लिए एक परामर्शदात्री समिति गठित की गयी है, जिसमें गृह मंत्रालय और संबंधित केन्द्रीय एजेन्सियों के वरिष्ठ अधिकारी हैं। विस्तृत व्यवहारिकता रिपोर्ट तैयार करने के एक भाग के रूप में सभी संबंधित विभागों के राज्य और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए देश के विभिन्न जिलों और राज्य की राजधानियों का दौरा किया जाएगा।

व्यवहारिकता रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद निधिकरण और समय-सारणी सहित, स्कीम के ब्यौरों को, अंतिम रूप दिया जाएगा और राज्य सरकारों के साथ औपचारिक परामर्श किया जाएगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की इकाइयों की बिक्री

•119. **श्री जे०एस० बराड़** :
श्री प्रबीण राष्ट्रपाल :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की कुछ इकाइयों को बेचने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी इकाइयों के चयन के लिए कोई मानदण्ड अपनाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) से (घ) वर्तमान में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) के किसी भी संयंत्र को बेचने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विद्युत क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के पुनर्गठन/विनिवेश का मामला भारत सरकार के

विचाराधीन है। एन.टी.पी.सी. नई परियोजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु विभिन्न साधनों की जांच-पड़ताल कर रहा है। एन.टी.पी.सी. ने विद्युत क्षेत्र में निवेश हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाने के विभिन्न विकल्पों की जांच-पड़ताल करने के लिए मै० आई.सी.आई.सी.आई. को एक परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है। उनकी रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

[अनुवाद]

हिरासत में होने वाली मौतें

•120. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :**
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से पुलिस हिरासत में मौतों के लिए दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने और मृत व्यक्तियों के सगे-संबंधियों को पर्याप्त मुआवजा देने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में हिरासत में हुई मौतों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या अब तक आंध्र प्रदेश में हिरासत में हुई मौतों की संख्या सबसे अधिक रही है;

(घ) क्या मानवाधिकार आयोग ने भी केन्द्र सरकार का ध्यान विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में हिरासत में होने वाली मौतों की ओर दिलाया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) भारत सरकार ने मानवाधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए प्रभावकारी उपाय करने की आवश्यकता, विशेषरूप से हिरासत में होने वाले अपराधों की घटनाओं तथा मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध तुरन्त और निवारक कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को लिखा है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, "पुलिस" राज्य का विषय होने के कारण, हिरासत के दौरान हुई मौतों के पीड़ितों के परिवारों को मुआवजे का भुगतान करने के बारे में विचार करना, मुख्य रूप से राज्य सरकारों का कार्य है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार, 31 अक्तूबर, 1999 को समाप्त हुए तीन वर्षों के दौरान देश में पुलिस हिरासत में 535 मौतें हुई। राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) हिरासत में हुई मौतों की ओर सरकार का ध्यान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्टों के माध्यम से आकर्षित किया गया है। सरकार का यह मत है कि हिरासत में होने वाली अस्वभाविक मौतों का कानून द्वारा शासित समाज में कोई स्थान नहीं है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	पुलिस हिरासत
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	56
2.	अरुणाचल प्रदेश	6
3.	असम	38
4.	बिहार	29
5.	गोवा	3
6.	गुजरात	34
7.	हरियाणा	9
8.	जम्मू और कश्मीर	5
9.	हिमाचल प्रदेश	3
10.	कर्नाटक	19
11.	केरल	15
12.	मध्य प्रदेश	50
13.	महाराष्ट्र	61
14.	मणिपुर	5
15.	मेघालय	3
16.	मिजोरम	—
17.	नागालैंड	3
18.	उड़ीसा	13
19.	पंजाब	27
20.	राजस्थान	19
21.	तमिलनाडु	29
22.	सिक्किम	—
23.	त्रिपुरा	4
24.	उत्तर प्रदेश	49
25.	पश्चिम बंगाल	35
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
27.	चण्डीगढ़	—

1	2	3
28.	दादरा और नगर हवेली	—
29.	दमन और दीव	—
30.	दिल्ली	17
31.	लक्षद्वीप	—
32.	पांडिचेरी	2
	कुल	535

गंगा कार्य योजना

963. **श्री महबूब जहेदी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भागीरथी के विनाशकारी कटाव को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल के कटवा और बंग्लादेश के बीच के क्षेत्र को गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत शामिल करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) जी, नहीं। गंगा कार्य योजना का उद्देश्य प्रदूषण उपशमन उपाय करके गंगा तथा कुछ सहायक नदियों की जल गुणवत्ता में सुधार करना है। भूमि कटाव नियंत्रण गंगा कार्य योजना के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।

समर्पण कर चुके आतंकवादियों का पुनर्वास

964. **श्री समर चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्यवार कितने उग्रवादी संगठनों और आंतकवादियों ने विभिन्न राज्यों में सशस्त्र अलगाववाद का परित्याग कर दिया;

(ख) इनमें से प्रत्येक राज्य में समर्पण कर चुके उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाये गये और गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक इस संबंध में कितना खर्च किया गया; और

(ग) पुर्वोत्तर क्षेत्र में उक्त अवधि के दौरान कितने आतंकवादी पकड़े गये ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में खराब पड़े सार्वजनिक टेलीफोन

965. **श्री पुन्नू लाल मोहले** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1999 की स्थिति के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य-वार कितने सार्वजनिक टेलीफोन खराब पड़े थे;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें चालू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) खराब पड़े ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 1. ग्रामीण क्षेत्रों में काफी देर तक व बार-बार बिजली की आपूर्ति ठप होना।

2. विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण खराब मौसम में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों तक नहीं पहुंच पाना।

3. ओवर हैड लाइनों पर कार्यरत टेलीफोनों के तार-लाइनों की बार-बार चोरी एवं ओवर हेड लाइनों का टूट जाना।

4. ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन-धारकों द्वारा बैटरी का दुरुपयोग करना।

5. प्रणाली-निर्माताओं द्वारा खराबियों को ठीक करने में तत्परता का घटिया प्रदर्शन।

6. एमएआरआर-यूनिटों में खराबी होना।

(ग) 1. ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के कार्यकरण का पता लगाने के लिए प्रतिदिन एक्सचेंज से डायल करके इनकी जांच की जाती है। यदि ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन से दो दिनों तक कोई उत्तर नहीं मिलता है तो इसे खराब मान लिया जाता है।

2. 'बेस स्टेशन' से प्रतिदिन 'एमएआरआर-लिंकों' की जांच की जाती है।

3. पखवाड़े में मीटरों की रीडिंग ली जाती है तथा यदि रीडिंग कम होती है तो इसे टेलीफोन-प्रणाली उपयुक्त ढंग से काम न करने का सूचक मान लिया जाता है और तत्पश्चात् इनकी विशेष जांच की जाती है।

4. ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन-धारकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे टेलीफोन की खराबी के बारे में टेलीफोन-एक्सचेंज/प्रभारी कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराएं।

5. प्रत्येक सर्किल में मरम्मत-केन्द्रों की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है।

6. जहां कहीं भी पर्याप्त कलपुर्जों की यूनिटें उपलब्ध नहीं है, उनका प्रापण किया जा रहा है।

7. प्रणाली-आपूर्तिकर्त्ता को वार्षिक अनुरक्षण ठेका दिया जाता है।

8. विभिन्न निरीक्षण कार्यक्रम तैयार किए गए हैं।

9. मासिक/साप्ताहिक कार्य-निष्पादन रिपोर्टों (एनपीसी द्वारा प्रस्तावित) का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

10. शिकायतों के निवारण हेतु, एसएसए-प्रमुख ग्रामीणों के साथ बैठकें करते हैं।

11. दूरसंचार आयोग मुख्यालय/सर्किल-स्तर पर उड़न-दस्तों का गठन किया गया है।

12. खराब यूनिटों की मरम्मत।

विवरण

अक्तूबर'99 की स्थिति के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खराब पड़े सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य का नाम	अक्तूबर'99 की स्थिति के अनुसार, खराब पड़े ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफ्रोनों की संख्या
1.	अंडमान व निकोबार	24
2.	आंध्र प्रदेश	2786
3.	असम	672
4.	बिहार	4746
5.	गुजरात	366
6.	हरियाणा	709
7.	हिमाचल प्रदेश	583
8.	जम्मू-कश्मीर	360
9.	कर्नाटक	554
10.	केरल	शून्य
11.	मध्य प्रदेश	11218
12.	महाराष्ट्र	1120
13.	अरुणाचल प्रदेश	197
14.	मणिपुर	360
15.	मेघालय	276
16.	मिजोरम	163
17.	नागालैंड	114
18.	त्रिपुरा	187
19.	उड़ीसा	12254
20.	पंजाब	286
21.	राजस्थान	2200
22.	तमिलनाडु	801
23.	उत्तर प्रदेश	5757
24.	पश्चिम बंगाल	1814
25.	सिक्किम	30

[अनुवाद]

निदेशक सुरक्षा निधि संबंधी समिति

966. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाजार में बेईमान व्यवसायियों से निवेशकों को बचाने एवं उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए तत्संबंधी उपायों पर नजर रखने हेतु निवेशक सुरक्षा निधि संबंधी समिति गठित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समिति कब से अपना कार्य करना शुरू कर देगी ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) से (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 205ग की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने सचिव, कम्पनी कार्य विभाग की अध्यक्षता में दस अन्य सदस्यों सहित एक समिति का गठन किया है, जो निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि पर निगरानी रखने तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से यथानिर्धारित फार्म में उस निधि के संबंध में अलग लेखे एवं अन्य संबंधित रिकार्ड बनाए रखने का कार्य करेगी। समिति के सदस्य दो वर्षों की अवधि के लिए पदासीन होंगे। निधि का उपयोग निवेशकों में जानकारी बढ़ाने तथा यथानिर्धारित नियमों के अनुसरण में निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। समिति की पहली बैठक 17 दिसम्बर, 1999 को आयोजित की जानी है।

तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना

967. श्री टी० गोविन्दन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल सरकार की मांग पर तटीय विनियमन क्षेत्र (सी.आर.जेड.) अधिसूचना तथा तटीय (सी.आर.जेड.) प्रबंधन योजना में रियायतों संबंधी कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) तटीय विनियमन क्षेत्र (सी.आर.जैड.) अधिसूचना, 1991 के कतिपय उपबंधों के कारण केरल सहित तटीय राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के सम्मुख आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 5 अगस्त, 1999 की का.आ. संख्या 629(ई) के तहत सी.आर.जैड. अधिसूचना में संशोधन करने के लिए एक प्रारूप जारी किया गया है। प्रारूप अधिसूचना में इन मामलों का समाधान किया गया है—(1) ज्वारीय प्रभावित जल निकायों के किनारों पर आवास गृहों के निर्णय के लिए सी.आर.जैड. में 100 से 50 मीटर करने के लिए रियायत हेतु मापदण्ड, (2) विकास क्षेत्र नहीं में स्थानीय निवासियों द्वारा आवास इकाइयों के निर्माण के लिए मापदण्ड, (3) कतिपय पेट्रोलियम उत्पादों को पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से बंदरगाह की सीमाओं से बाहर भंडार करने की सुविधाएं, (4) सी.आर.जैड. क्षेत्र में लिक्विफाइड प्राकृतिक गैस की प्राप्ति, भंडारण तथा पुन: गैसीकरण के लिए सुविधाएं, (5) सी.आर.जैड. III में स्थानीय निवासियों के लिए 200-500 मीटर के बीच आवास

इकाइयों का निर्माण अथवा पुनर्निर्माण, (6) सी.आर.जेड. विकास क्षेत्र नहीं में जन सुविधाओं का निर्माण और (7) अन्तःज्वारीय क्षेत्र में नमक की खेती।

(ग) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार उपयुक्त प्रारूप संशोधन का.आ. 692(इ), दिनांक 5 अगस्त, 1999 की प्रारूप अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 365 दिन के अन्दर अन्तिम रूप दिया जाना है।

हैदराबाद में सार्वजनिक टेलीफोन बूथों (पीसीओ) का काम न करना

968. **श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार हैदराबाद में कितने सार्वजनिक टेलीफोन बूथ काम कर रहे हैं;

(ख) क्या ये बूथ ठीक और संतोषजनक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान हैदराबाद में कितने सार्वजनिक टेलीफोन बूथ बन्द कर दिए गए;

(ङ) इससे कितना घाटा हुआ; और

(च) नगर में विशेषकर चारमीनार क्षेत्र में सार्वजनिक टेलीफोन बूथों के सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) हैदराबाद में 18044 सार्वजनिक टेलीफोन बूथ काम कर रहे हैं।

(ख) जी, नहीं। ये सभी बूथ संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान 548 बूथ बंद कर दिए गए हैं।

(ङ) इन बूथों को बंद करने से कोई हानि नहीं है क्योंकि नए बूथ समय-समय पर आबंटित किए जाते हैं।

(च) सार्वजनिक टेलीफोन बूथों का सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिनमें लगातार सतर्कता जांच, शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करना तथा अधिक बूथ खोलना शामिल है।

[हिन्दी]

रायगढ़, महाराष्ट्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम द्वारा अधिगृहीत भूमि

969. **श्री रामशेठ ठाकुर** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले में तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम इकाई ने कितने किसानों की कितनी भूमि का अधिग्रहण किया है;

(ख) प्रभावित किसानों के पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या नीति अपनाई है;

(ग) अब तक कितने किसानों का पुनर्वास किया जा चुका है और शेष किसानों का कब तक पुनर्वास कर दिये जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने प्रभावित किसानों को तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम में रोजगार देने की योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक कितने किसानों को रोजगार दिया गया और शेष किसानों को कब तक रोजगार दिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : (क) से (ङ) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन ने अपने प्रतिष्ठापन, संस्थान, अस्पताल तथा आवासीय परिसर स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र में रायगढ़ जिलान्तर्गत 188 परिवारों के स्वामित्ववाली कुल लगभग 236 हेक्टेयर भूमि प्राप्त की है। इन विस्थापित लोगों का पुनर्वास 3 फरवरी, 1986 को सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों द्वारा शासित होता है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे लोगों के, जिनकी भूमि का अर्जन किया जाता है, पुनर्वास के लिए योजनाएं आरम्भ करने का मूलभूत उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है। तथापि, इन दिशानिर्देशों के जारी होने से पहले आयल एण्ड नेचरल गैस कारपोरेशन ने 188 ऐसे प्रभावित परिवारों के 301 लोगों को रोजगार उपलब्ध करा दिया था।

[अनुवाद]

चण्डीगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी

970. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ में रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी अपनी कुछेक मांगों को मनवाने के लिए दबाव डाल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) स्वतंत्रता सेनानी एसोसिएशन, चण्डीगढ़, ने पेंशन बढ़ाने तथा बैंकों के माध्यम से पेंशन का भुगतान करने के बारे में एक अभ्यावेदन दिया है, जिस पर चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

दिल्ली में वायु और ध्वनि प्रदूषण

971. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दीपावली के दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण स्तर पर निगरानी रखने के लिए एक विशेष दल का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो इस दल ने क्या निष्कर्ष निकाले और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की; और

(ग) दिल्ली में वायु और ध्वनि प्रदूषण की जांच के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी, हां। मानीटरी के फलस्वरूप यह

पता चला है कि सल्फरडाईआक्साइड, नाइट्रोजन-आक्साइड और निलंबित धूलकणों के स्तरों में कमी आई है। चूंकि पिछले सालों की तुलना में प्रदूषण स्तर में कमी आई थी इसलिए किसी तरह की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी।

(ग) दिल्ली में वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अक्तूबर, 1999 में पटाखों व आतिशबाजियों के संबंध में मानक तैयार करके उन्हें अधिसूचित किया गया है।
- स्कूली बच्चों सहित आम जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए आतिशबाजी विरोधी अभियान चलाया गया था।
- बच्चों से पटाखे व आतिशबाजी न छोड़ने की अपील की गई थी।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खोज

972. **श्री सुरेश चन्देल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में किन-किन स्थानों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस खोज कार्य किया जा रहा है और यह कार्य कब से किया जा रहा है;

(ख) किन स्थानों पर खुदाई कार्य किया गया और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी नगर में प्राकृतिक गैस की खोज तथा खुदाई कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : (क) हाइड्रोकार्बन, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के लिए हिमाचल प्रदेश (एच.पी.) और जम्मू एवं कश्मीर (जे एण्ड के) के क्रमशः 1956 और 1957 से अन्वेषण किया जा रहा है। वर्ष 1998-99 में हाईड्रोकार्बन के अन्वेषण हेतु हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट – लम्बाग्रां क्षेत्र और जम्मू तथा कश्मीर के पुंछ – राजौरी क्षेत्र के भूकम्पीय सर्वेक्षण किए गए थे।

(ख) हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर में खोदे गए अन्वेषणीय कुओं के स्थल निम्न प्रकार हैं :

हिमाचल प्रदेश : ज्वालामुखी - 1,2,3,6, बी, बल्ह-1, रामशहर-1, चैरी-1, नूरपुर-1 और चांगरतलाई-1

इसके अलावा, उपभूतल सूचना एकत्र करने के लिए ज्वालामुखी क्षेत्र में पांच उथले कुएं खोदे गए थे।

जम्मू एवं कश्मीर : सूरीनसर-1 एवं 2, चट्टरगाम-2 तथा नारबल-1

दोनों राज्यों में अभी तक किए गए अन्वेषण प्रयासों से हाइड्रोकार्बन की कोई संचयी व्यावसायिक लब्धि प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) ज्वालामुखी क्षेत्र के साथ जुड़े क्षेत्र से अर्जित किए गए भूकम्पीय आंकड़ों का इस समय मूल्यांकन किया जा रहा है और आगामी कार्रवाई परिणामों पर निर्भर करती है।

कम सल्फर वाले डीजल का प्रयोग

973. **श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और देश के कुछ अन्य महानगरों में कम सल्फर का डीजल शुरू किया गया है;

(ख) क्या राजधानी शहरों और छोटे शहरों में अत्यधिक सल्फर अंश वाले डीजल के प्रयोग से विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदण्ड से अधिक वायु प्रदूषण होता है; और

(ग) यदि हां, तो देशभर में कम सल्फर वाले डीजल की सप्लाई के संबंध में सरकार की क्या योजनायें हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : (क) जी, हां। सभी महानगरों में और ताज ट्रिपेजियम में अप्रैल, 1996 से निम्न गंधक डीजल, जिसमें गंधक की मात्रा, भार अनुसार, 0.5 प्रतिशत है, की आपूर्ति प्रारम्भ कर दी गई थी। बाद में, अतिरिक्त निम्न गंधक डीजल के साथ उन्नत ईंधन, जिसमें गन्धक की मात्रा 0.25 प्रतिशत है, की दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई में 1.4.1998 से आपूर्ति शुरू की गई।

(ख) उच्च गंधक वाले डीजल के इस्तेमाल के कारण सल्फर डाई आक्साइड का स्तर वायु (प्रदूषण से बचाव और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत अधिसूचित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हैं।

(ग) जनवरी, 2000 से संपूर्ण देश में 0.25 प्रतिशत गंधक युक्त डीजल की आपूर्ति करने पर विचार किया गया है।

बीदर का इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज

974. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक के बीदर जिले के हुमनाबाद टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) हुमनाबाद में एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज पहले से ही कार्यरत है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

महानगर टैलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा अर्जित लाभ

975. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) ने गत दो वर्षों के दौरान कितना लाभ अर्जित किया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यों के विभिन्न दूरसंचार सर्किलों द्वारा अर्जित लाभ की राज्यवार धन-राशि कितनी है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान एमटीएनएल का कर पूर्व लाभ क्रमश: 1671.98 करोड़ तथा 1889.86 करोड़ रु० था।

(ख) प्रशासनिक अस्तित्व वाले दूरसंचार सर्किल केवल सिंगल एकीकृत राष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क के एक भाग का प्रचालन करने के लिए जिम्मेदार हैं। उनके अपने प्रचालन तथा प्रचालन परिणाम कंपनी अधिनियम के तहत एमटीएनएल संगठन जैसी कार्पोरेट हस्ती से तुलनीय नहीं हैं।

एक से अधिक चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध

976. **श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील**
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्याशियों द्वारा लोक सभा के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु कोई विधेयक पुर:स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) जी, हां। एक से अधिक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों मे निर्वाचन लड़ने से अभ्यर्थियों को रोकने के प्रस्ताव पर, निर्वाचनों से संबंधित प्रस्तावों पर 22.5.1998 को हुई सर्वदलीय बैठक में विचार-विमर्श किया गया था तथा सर्वसम्मति यथास्थिति को बनाए रखने के पक्ष में थी। भारत निर्वाचन आयोग ने भी इस विचार का समर्थन किया था।

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बेहतर सड़क यातायात

977. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के कुछ हिस्सों पर सड़क यातायात की देख-रेख का कार्य गैर-सरकारी संगठनों को सौंपा जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर तेज चलने वाले वाहनों की बेहतर निगरानी कि कितनी मांग है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस समस्या का समाधान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की अधिक तेज गति पर राज्य के पुलिस विभाग द्वारा निगरानी रखी जाती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विद्युत उपभोग कम करने के लिए कानून का बनाया जाना

978. **श्री बालकृष्ण चौहान** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विद्युत के अत्यधिक उपभोग पर काबू रखने के लिए कोई कानून बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता संबंधी उपायों को अपनाकर ऊर्जा की खपत को कम करने की काफी संभावना है। ऊर्जा दक्षता न केवल नई क्षमता के सृजन की आवश्यकता को कम करती है, जिसके लिए विशाल संसाधन जुटाने होते हैं, बल्कि इसके परिणामस्वरूप पादप-गृह से गैस के नि:सरणों में कमी के रूप में पर्याप्त पर्यावरणीय लाभ होता है। अत: कुछ ऐसे सांविधिक उपायों की आवश्यकता है जो ऊर्जा के संरक्षण को प्रोत्साहित कर सकें और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में इसके दक्ष उपयोग को सुविधाजनक बना सकें। तदनुसार, सरकार ऊर्जा संरक्षण संबंधी एक व्यापक विधेयक तैयार कर रही है। कानूनी ढांचे में उपस्करों और उपकरणों के लिए ऊर्जा खपत के मानदण्ड और मानक निर्धारित करने, उपस्करों और उपकरणों की ऊर्जा लेबलिंग करने तथा ऊर्जा-लेखा परीक्षा हेतु एक शीर्ष स्तर के केन्द्रीय निकाय के गठन की परिकल्पना शामिल है ताकि ऊर्जा/विद्युत के दक्ष समुपयोजन को प्रोत्साहित किया जा सके और इसका संरक्षण किया जाए।

[अनुवाद]

गुड़गांव में टैलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

979. **श्री अशोक ना० मोहोल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हरियाणा के गुड़गांव शहर में प्रतिवर्ष गैर-ओवाईटी श्रेणी में टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में

कितने लोग थे और इन्हें कनेक्शन न मिलने के एक्सचेंज-वार क्या कारण थे; और

(ख) सरकार ने दिसम्बर, 1997 तक की प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को गैर-ओवाईटी श्रेणी के तहत टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) गुड़गांव में नॉन-ओवाईटी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की वर्ष-वार तथा एक्सचेंज-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। जब कभी भी नए टेलीफोन कनेक्शन दिए जाते हैं, टेलीफोनों के लिए नए पंजीकरण हो जाते हैं इसलिए जब तक मांग पर टेलीफोन उपलब्ध नहीं करवाये जाते तब तक प्रतीक्षा सूची बनी रहेगी।

(ख) गुड़गांव में ओ वाई टी तथा नॉन-ओवाईटी विशेष में प्रतीक्षा-सूची अद्यतन है। तथापि नॉन-ओवाईटी सामान्य श्रेणी के लिए क्षेत्रों में केबल बिछाने का कार्य चल रहा है तथा गुड़गांव में नॉन-ओवाईटी सामान्य श्रेणी के अंतर्गत दिसंबर, 1997 की प्रतीक्षा सूची को मार्च, 2000 तक निपटा लिये जाने की संभावना है।

विवरण

क्र. सं.	एक्सचेंज का नाम	निम्नलिखित तिथियों की स्थिति के अनुसार नॉन-ओवाईटी श्रेणी के अंतर्गत प्रतीक्षा-सूची			
		31.3.97	31.3.98	31.3.99	30.11.99
1.	गुड़गांव (मुख्य)	4401	5884	6394	6741
2.	गुड़गांव डीएलएफ	949	647	171	शून्य
3.	सेक्टर-18	823	37	632	220
4.	पालम विहार	409	78	27	406
5.	सेक्टर-37 गुड़गांव	शून्य	शून्य	132	21
6.	साउथ सिटी	37	262	633	शून्य
7.	सुशांत लोक	322	11	337	46
	जोड़ :	6941	6919	8326	7434

[हिन्दी]

दूरसंचार जिले

980. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितने जिले हैं जिन्हें अभी तक दूरसंचार-जिलों के रूप में घोषित किया गया है; और

(ख) देश में वर्ष 1999-2000 तथा आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान कितने जिलों को दूरसंचार-जिले के रूप में घोषित किए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) संलग्न विवरण की सूची के अनुसार दूरसंचार विभाग ने 325 दूरसंचार जिलों का सृजन किया है। विभाग की मौजूदा नीति के अनुसार प्रशासनिक तथा प्रचालनात्मक कारणों से दूरसंचार जिलों को सामान्यत: दो भागों में विभाजित नहीं किया जाता है। दूरसंचार जिले के कार्य-भार के आधार पर मौजूदा दूरसंचार जिलों का दूरसंचार जिला प्रबंधक/महाप्रबंधक/प्रधान महाप्रबंधक (प्रिंसीपल जनरल मैनेजर) के स्तर तक उन्नयन किया जा रहा है।

विवरण

दूरसंचार जिलों की सूची

क्र.सं.	सर्किल	दूरसंचार जिला
1	2	3
1.	अंडमान निकोबार	पोर्टब्लेयर
2.	आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद
3.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर (गुंटकल)
4.	आंध्र प्रदेश	चित्तूर (तिरुपति)
5.	आंध्र प्रदेश	कुड्डापाह
6.	आंध्र प्रदेश	पू० गोदावरी (राजमुंदरी)
7.	आंध्र प्रदेश	गुंटूर
8.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
9.	आंध्र प्रदेश	करीमनगर
10.	आंध्र प्रदेश	खम्माम
11.	आंध्र प्रदेश	कृष्णा (विजयवाड़ा)
12.	आंध्र प्रदेश	कुरनूल
13.	आंध्र प्रदेश	महबूबनगर
14.	आंध्र प्रदेश	मेडक (संगारेड्डी)
15.	आंध्र प्रदेश	नालगोंडा
16.	आंध्र प्रदेश	नेल्लोर
17.	आंध्र प्रदेश	निजामाबाद
18.	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम (ओंगोले)
19.	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम
20.	आंध्र प्रदेश	विजैनगरम्
21.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्नम
22.	आंध्र प्रदेश	प० गोदावरी (इलूर)
23.	आंध्र प्रदेश	वारंगल

1	2	3
24.	असम	डिब्रूगढ़ (लखीमपुर)
25.	असम	गुवाहाटी (कामरूप)
26.	असम	जोरहाट (शिव सागर)
27.	असम	कोकराझार (बोंगाईगांव)
28.	असम	नगांव
29.	असम	सिलचर (काचर)
30.	असम	तेजपुर (सोनीतपुर)
31.	बिहार	आरा
32.	बिहार	भागलपुर
33.	बिहार	छपरा
34.	बिहार	डाल्टनगंज
35.	बिहार	दरभंगा
36.	बिहार	देवघर (दुमका)
37.	बिहार	धनबाद
38.	बिहार	गया
39.	बिहार	हजारीबाग
40.	बिहार	हाजीपुर
41.	बिहार	जमशेदपुर
42.	बिहार	कटिहार
43.	बिहार	मुंगेर
44.	बिहार	मोतीहारी
45.	बिहार	मुजफ्फरपुर
46.	बिहार	पटना
47.	बिहार	रांची
48.	बिहार	सहरसा
49.	बिहार	सासाराम
50.	गुजरात	अहमदाबाद
51.	गुजरात	अमरेली
52.	गुजरात	भड़ुंच
53.	गुजरात	भावनगर
54.	गुजरात	भुज (कच्छ)
55.	गुजरात	गोधरा (पंचमहल)
56.	गुजरात	हिम्मतनगर (सांबरकांठा)
57.	गुजरात	जामनगर
58.	गुजरात	जूनागढ़
59.	गुजरात	मेहसाणा
60.	गुजरात	नडियाड (खेड़ा)
61.	गुजरात	पालनपुर (बनासकांठा)
62.	गुजरात	राजकोट
63.	गुजरात	सूरत
64.	गुजरात	सुरेन्द्रनगर
65.	गुजरात	वडोदरा
66.	गुजरात	वलसाड
67.	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर
68.	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा (धर्मशाला)
69.	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू
70.	हिमाचल प्रदेश	मंडी
71.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
72.	हिमाचल प्रदेश	सोलन
73.	हरियाणा	अम्बाला
74.	हरियाणा	गुड़गांव (फरीदाबाद)
75.	हरियाणा	हिसार
76.	हरियाणा	जींद
77.	हरियाणा	करनाल
78.	हरियाणा	नारनौल (रेवाड़ी)
79.	हरियाणा	रोहतक
80.	हरियाणा	सोनीपत
81.	जम्मू व कश्मीर	जम्मू
82.	जम्मू व कश्मीर	लेह
83.	जम्मू व कश्मीर	राजौरी

1	2	3
84.	जम्मू व कश्मीर	श्रीनगर
85.	जम्मू व कश्मीर	ऊधमपुर
86.	केरल	अल्लेपी
87.	केरल	कन्नानूर
88.	केरल	एर्नाकुलम
89.	केरल	कावरेट्टी (लक्ष्यद्वीप)
90.	केरल	कोट्टायम्
91	केरल	कोझीकोड (कालीकट)
92.	केरल	पालघाट (पालकाडं)
93.	केरल	क्वीलोन
94.	केरल	तिरुवेल्ला (पतन मथिट्टा)
95.	केरल	त्रिचूर
96.	केरल	त्रिवेंद्रम
97	कर्नाटक	बंगलूर
98.	कर्नाटक	बेलगाम
99.	कर्नाटक	बेल्लारी
100.	कर्नाटक	बीदर
101.	कर्नाटक	बीजापुर
102.	कर्नाटक	चिकमंगलूर
103.	कर्नाटक	दावनगेरे
104.	कर्नाटक	गुलबर्गा
105.	कर्नाटक	हासन
106.	कर्नाटक	हुबली (धारवाड़)
107.	कर्नाटक	कारवार (पू. कन्नड)
108.	कर्नाटक	कोलार
109.	कर्नाटक	मांड्या
110.	कर्नाटक	मेंगलोर (दक्षिण-कन्नड)
111.	कर्नाटक	मेरचारा (मडीकेरी-कोडागू)
112.	कर्नाटक	मैसूर
113.	कर्नाटक	रायचूर
114.	कर्नाटक	शिमोंगा
115.	कर्नाटक	तुमकुर
116.	महानगर दूरसंचार-जिला	मुंबई
117.	महानगर दूरसंचार-जिला	कलकत्ता
118.	महानगर दूरसंचार-जिला	दिल्ली
119.	महानगर दूरसंचार-जिला	चेन्नई
120.	महाराष्ट्र	अहमदनगर
*121.	महाराष्ट्र	अकोला
122.	महाराष्ट्र	अमरावती
123.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद
124.	महाराष्ट्र	भंडारा
125.	महाराष्ट्र	भीर (बीड़)
126.	महाराष्ट्र	बुलढाना (खामगांव)
127.	महाराष्ट्र	चन्द्रपुर
128.	महाराष्ट्र	धुलिया (धुले)
129.	महाराष्ट्र	गढ़चिरोली (चन्द्रपुर)
130.	महाराष्ट्र	जलगांव
131.	महाराष्ट्र	जालना
132.	महाराष्ट्र	कल्याण
133.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर
134.	महाराष्ट्र	कुडाल (सिंधदुर्ग)
135.	महाराष्ट्र	लातूर
136.	महाराष्ट्र	नागपुर
137.	महाराष्ट्र	नांदेड़
138.	महाराष्ट्र	नासिक
139.	महाराष्ट्र	उस्मानाबाद
140.	महाराष्ट्र	पणजी (गोवा)
141.	महाराष्ट्र	परभनी
142.	महाराष्ट्र	पुणे
143.	महाराष्ट्र	रायगढ़

1	2	3
144.	महाराष्ट्र	रत्नागिरी
145.	महाराष्ट्र	सांगली
146.	महाराष्ट्र	सतारा
147.	महाराष्ट्र	सोलापुर
148.	महाराष्ट्र	वर्धा
149.	महाराष्ट्र	यवतमाल
150.	मध्य प्रदेश	अंबिकापुर (सरगुजा)
151.	मध्य प्रदेश	बालाघाट (महाकौशल)
152.	मध्य प्रदेश	बैतुल
153.	मध्य प्रदेश	भोपाल
154.	मध्य प्रदेश	बिलासपुर
155.	मध्य प्रदेश	छतरपुर
156.	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा
157.	मध्य प्रदेश	दमोह
158.	मध्य प्रदेश	देवास
159.	मध्य प्रदेश	धार
160.	मध्य प्रदेश	दुर्ग
161.	मध्य प्रदेश	गुना
162.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर
163.	मध्य प्रदेश	इंदौर
164.	मध्य प्रदेश	इटारसी (होशंगाबाद)
165.	मध्य प्रदेश	जबलपुर
166.	मध्य प्रदेश	जगदलपुर (बस्तर)
167.	मध्य प्रदेश	झाबुआ
168.	मध्य प्रदेश	खंडवा
169.	मध्य प्रदेश	खरगौन
170.	मध्य प्रदेश	मंडला (बालाघाट)
171.	मध्य प्रदेश	मंदसौर
172.	मध्य प्रदेश	मुरैना
173.	मध्य प्रदेश	नरसिंगपुर
174.	मध्य प्रदेश	पन्ना (सतना में)
175.	मध्य प्रदेश	रायगढ़
176.	मध्य प्रदेश	रायपुर
177.	मध्य प्रदेश	रायसेन
178.	मध्य प्रदेश	राजगढ़
179.	मध्य प्रदेश	रतलाम
180.	मध्य प्रदेश	रीवा
181.	मध्य प्रदेश	सागर
182.	मध्य प्रदेश	सतना
183.	मध्य प्रदेश	सिवनी
184.	मध्य प्रदेश	शहडोल
185.	मध्य प्रदेश	शाजापुर
186.	मध्य प्रदेश	शिवपुरी
187.	मध्य प्रदेश	सीधी
188.	मध्य प्रदेश	उज्जैन
189.	मध्य प्रदेश	विदिशा (रायसेन)
190.	उत्तर पूर्व	अगरतला (त्रिपुरा)
191.	उत्तर पूर्व	आईजवौल (मिजोरम)
192.	उत्तर पूर्व	इम्फाल (मणिपुर)
193.	उत्तर पूर्व	कोहिमा (दीमापुर)
194.	उत्तर पूर्व	शिलांग (मेघालय)
195.	उत्तर पूर्व	जीरो (ईटानगर)
196.	उड़ीसा	बालासोर
197.	उड़ीसा	बारीपाडा (बालासोर)
198.	उड़ीसा	बरहमपुर
199.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
200.	उड़ीसा	भवानीपटना
201.	उड़ीसा	कोरानगीर
202.	उड़ीसा	कटक
203.	उड़ीसा	धेनकनाल

1	2	3
204.	उड़ीसा	कोरापुट
205.	उड़ीसा	फुलबनी (मयूरभंज)
206.	उड़ीसा	राउरकेला
207.	उड़ीसा	संबलपुर
208.	पंजाब	अमृतसर
209.	पंजाब	भटिंडा
210.	पंजाब	चंडीगढ़
211.	पंजाब	फिरोजपुर
212.	पंजाब	होशियारपुर
213.	पंजाब	जालंधर
214.	पंजाब	लुधियाना
215.	पंजाब	पठानकोट
216.	पंजाब	पटियाला
217.	पंजाब	रोपड़
218.	पंजाब	संगरूर
219.	राजस्थान	अजमेर
220.	राजस्थान	अलवर
221.	राजस्थान	बांसवाड़ा
222.	राजस्थान	बाड़मेर
223.	राजस्थान	भरतपुर
224.	राजस्थान	भीलवाड़ा
225.	राजस्थान	बीकानेर
226.	राजस्थान	बूंदी
227.	राजस्थान	चित्तौड़गढ़
228.	राजस्थान	चुरू
229.	राजस्थान	जयपुर
230.	राजस्थान	जैसलमेर
231.	राजस्थान	झालावाड़
232.	राजस्थान	झुनझुनू
233.	राजस्थान	जोधपुर
234.	राजस्थान	कोटा
235.	राजस्थान	नागौर
236.	राजस्थान	पाली
237.	राजस्थान	सवाई माधोपुर
238.	राजस्थान	सीकर
239.	राजस्थान	सीरोही (आबूरोड़)
240.	राजस्थान	श्रीगंगानगर
241.	राजस्थान	टोंक
242.	राजस्थान	उदयपुर
243.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर
244.	तमिलनाडु	कुड्डालोरे
245.	तमिलनाडु	धर्मपुरी
246.	तमिलनाडु	इरोड
247.	तमिलनाडु	कांचीपुरम (चिंगलपेट)
248.	तमिलनाडु	करायकुडी
249.	तमिलनाडु	कुम्बकोनम्
250.	तमिलनाडु	मदुरै
251.	तमिलनाडु	नागरकोईल
252.	तमिलनाडु	ऊटी (नीलागिरी-कुनूर)
253.	तमिलनाडु	पांडिचेरी
254.	तमिलनाडु	सलेम
255.	तमिलनाडु	तंजावूर
256.	तमिलनाडु	तिरुनलवेली
257.	तमिलनाडु	त्रिची
258.	तमिलनाडु	टूटीकोरिन
259.	तमिलनाडु	वेल्लोर
260.	तमिलनाडु	विरुद्धनगर
261.	उत्तर प्रदेश पू०	इलाहाबाद
262.	उ०प्र०पू०	आजमगढ़
263.	उ०प्र०पू०	बहराइच

1	2	3
264.	उ०प्र०पू०	बलिया
265.	उ०प्र०पू०	बांदा
266.	उ०प्र०पू०	बाराबंकी
267.	उ०प्र०पू०	बस्ती
268.	उ०प्र०पू०	देवरिया (मऊ)
269.	उ०प्र०पू०	इटावा
270.	उ०प्र०पू०	फैजाबाद
271.	उ०प्र०पू०	फरूखाबाद
272.	उ०प्र०पू०	फतेहपुर
273.	उ०प्र०पू०	गाजीपुर
274.	उ०प्र०पू०	गोंडा
275.	उ०प्र०पू०	गोरखपुर
276.	उ०प्र०पू०	हमीरपुर
277.	उ०प्र०पू०	हरदोई
278.	उ०प्र०पू०	जौनपुर
279.	उ०प्र०पू०	झांसी
280.	उ०प्र०पू०	कानपुर
281.	उ०प्र०पू०	लखीमपुर
282.	उ०प्र०पू०	लखनऊ
283.	उ०प्र०पू०	मैनपुरी
284.	उ०प्र०पू०	मिर्जापुर
285.	उ०प्र०पू०	उरई
286.	उ०प्र०पू०	प्रतापगढ़
287.	उ०प्र०पू०	रायबरेली
288.	उ०प्र०पू०	शाहजहांपुर
289.	उ०प्र०पू०	सीतापुर
290.	उ०प्र०पू०	सुल्तानपुर
291.	उ०प्र०पू०	उन्नाव
292.	उ०प्र०पू०	वाराणसी
293.	उ०प्र० पश्चिम	आगरा
294.	उ०प्र०प०	अलीगढ़
295.	उ०प्र०प०	अल्मोड़ा
296.	उ०प्र०प०	बदायूं (रामपुर)
297.	उ०प्र०प०	बरेली
298.	उ०प्र०प०	बिजनौर
299.	उ०प्र०प०	चमोली (कोटद्वार)
300.	उ०प्र०प०	देहरादून
301.	उ०प्र०प०	एटा
302.	उ०प्र०प०	गाजियाबाद
303.	उ०प्र०प०	मथुरा
304.	उ०प्र०प०	मेरठ
305.	उ०प्र०प०	मुरादाबाद
306.	उ०प्र०प०	मुजफ्फरनगर
307.	उ०प्र०प०	नैनीताल
308.	उ०प्र०प०	पीलीभीत
309.	उ०प्र०प०	रामपुर
310.	उ०प्र०प०	सहारनपुर
311.	उ०प्र०प०	उत्तरकाशी (श्रीनगर)
312.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल
313.	पश्चिम बंगाल	बाकुंरा
314.	पश्चिम बंगाल	बहरामपुर
315.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता (हावड़ा)
316.	पश्चिम बंगाल	कूचबिहार
317.	पश्चिम बंगाल	गंगटोक
318.	पश्चिम बंगाल	जलपाइगुड़ी
319.	पश्चिम बंगाल	खड़गपुर
320.	पश्चिम बंगाल	कृष्णागढ़
321.	पश्चिम बंगाल	मालदा
322.	पश्चिम बंगाल	पुरूलिया
323.	पश्चिम बंगाल	रायगंज
324.	पश्चिम बंगाल	सिलीगुड़ी
325.	पश्चिम बंगाल	सुरी (वीरभूम)

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर रेलवे क्रासिंग पर ऊपरिपुल

981. **श्री बी०वी०एन० रेड्डी** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर रेलवे क्रासिंगों पर दो सड़क ऊपरिपुलों को मंजूरी दिए जाने का अनुरोध सरकार के पास लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को कब तक मंजूरी मिल जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 के इस खंड को स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग होने के कारण 4 लेन का बनाने का प्रस्ताव है। इसमें विद्यमान दो रेलवे लेविल क्रासिंग के स्थान पर आर ओ बी का निर्माण भी शामिल है।

राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यकरण की समीक्षा

982. **श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य विद्युत बोर्ड की उपलब्धि की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य विद्युत बोर्ड के बेहतर कार्यकरण हेतु उन्हें फिर से गठित करने के लिए अपनाई गई/प्रस्तावित महत्वपूर्ण नीति का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कार्ययोजना के गठन की समयावधि तथा इस संबंध में बनायी गई कार्य योजना का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के लिए रा०वि० बोर्डों का समीक्षित कार्य-निष्पादन विवरण के रूप में संलग्न हैं। वर्ष 1998-99 के कार्य-निष्पादन की अभी तक समीक्षा नहीं की गई है। क्योंकि उक्त वर्ष के लेखे प्राप्त नहीं हुये हैं।

(ग) और (घ) 18 दिसम्बर, 1998 को आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में एक कार्य योजना अर्थात् "विद्युत सुधार संबंधी पहल" को क्रियान्वयन हेतु स्वीकार किया गया था। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ विनियामक आयोग की स्थापना किया जाना, रा.वि. बोर्डों का निगमीकरण उसके कार्यों का विकेन्द्रीय करना, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के रा.वि. बोर्ड संबंधी ऋणों का उपयुक्त प्रत्याभूतिकरण को सुविधाजनक बनाना तथा वितरण का निजीकरण करना आदि शामिल है। सुधार संबंधी पहल के रूप में केन्द्रीय सरकार ने विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 का अधिनियमन कर दिया है, जिससे केन्द्र और राज्यों में विनियामक आयोग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। केन्द्र सरकार पहले ही केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना कर चुका है।

राज्य विद्युत विनियामक आयोगों की स्थापना करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक ने राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना कर ली है/उनकी स्थापना को अधिसूचित कर दिया है।

उड़ीसा, हरियाणा तथा आंध्र प्रदेश ने राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यों का विकेन्द्रीकरण किया है और उनका निगमीकरण कर लिया है। उड़ीसा ही ऐसा प्रथम राज्य है जिसने समस्त वितरण नेटवर्क का निजीकरण किया है।

विवरण

1996-97 के दौरान राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय कार्य-निष्पादन

(रु० करोड़ में)

क्र. सं.	रा.वि. बोर्ड	पूंजीगत आधार अर्थात् वर्ष 1996-97 के आरंभ में कार्यशील स्थाई परिसम्पतियों का मूल्य	आर्थिक सहायता समेत अधिशेष/ कमी	लेखा में दर्ज आर्थिक सहायता	बिना आर्थिक सहायता के अधिशेष/कमी	आर्थिक सहायता समेत आरओआर (%)	आर्थिक सहायता बिना आरओआर (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	एपीएसईबी (ए)	4306.49	129.19	850.45	-721.26	3.00	-16.75
2.	एएसईबी (ए)	823.22	-358.72	52.33	-411.05	-43.58	-49.93
3.	बीएसईबी (ए)	1523.97	-327.40	491.80	-819.20	-21.48	-53.75
4.	जीईबी (ए)	3662.00	109.90	1179.58	-1069.68	3.00	-29.21

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	एचएसईबी (ए)	1591.83	47.75	841.73	-593.98	3.00	-37.31
6.	एसपीएसईबी (ए)	447.20	24.80	0.00	24.80	5.55	5.55
7.	केईबी (ए)	1802.21	54.07	705.92	-651.85	3.00	-36.17
8.	केएसईबी (ए)	799.78	23.99	278.02	-254.03	3.00	-31.76
9.	एमपीईबी (ए)	4220.60	126.62	596.35	-469.73	3.00	-11.13
10.	एमएसईबी (ए)	7701.78	346.58	258.71	87.87	4.50	1.14
11.	एमईएसईबी (ए)	196.42	-23.52	8.50	-42.02	-17.07	-21.39
12.	पीएसईबी (ए)	2733.20	107.87	403.78	-295.91	3.95	-10.83
13.	आरएसईबी (ए)	2107.34	63.22	-63.14	-499.92	3.00	-23.72
14.	टीएनईबी (ए)	4413.70	329.63	586.71	-256.88	7.47	-5.82
15.	यूपीएसईबी (ए)	9657.90	170.00	1556.77	-1385.97	1.77	-14.35
16.	डब्ल्यूबीएसईबी (ए)	608.29	18.25	245.52	-227.27	3.00	-37.36
	सभी एसईबी	46637.00	833.03	8419.11	-7586.06	1.79	-16.27

ए-लेखा परीक्षित यू-गैर लेखा परीक्षित

1997-98 के दौरान राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय कार्य-निष्पादन

(रु० करोड़ में)

क्र. सं.	रा.वि. बोर्ड	पूंजीगत आधार अर्थात् वर्ष 1996-97 के आरंभ में कार्यशील स्थाई परिसम्पतियों का मूल्य	आर्थिक सहायता समेत अधिशेष/ कमी	लेखा में दर्ज आर्थिक सहायता	बिना आर्थिक सहायता के अधिशेष/कमी	आर्थिक सहायता समेत आरओआर (%)	आर्थिक सहायता बिना आरओआर (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	एपीएसईबी (ए)	4051.78	121.55	1256.01	-1134.46	3.00	-28.00
2.	एएसईबी (यू)	965.59	387.25	52.33	439.58	-40.11	-45.52
3.	बीएसईबी (यू)	1437.92	326.88	352.30	225.42	22.73	15.68
4.	जीईबी (यू)	3976.00	119.48	1393.00	-1273.52	3.01	-32.03
5.	एचएसईबी (ए)	1545.79	19.66	732.45	-712.79	1.27	-16.11
6.	एचपीएसईबी (ए)	554.70	29.45	0.00	29.45	5.31	5.31
7.	केईबी (ए)	1949.13	58.47	380.24	-321.77	3.00	-16.51
8.	केएसईबी (ए)	820.56	24.61	321.31	-296.70	3.00	-36.16
9.	एमपीईबी (ए)	4083.46	122.50	875.51	-753.01	3.00	-18.44
10.	एमएसईबी (ए)	7606.07	342.27	305.66	36.61	4.50	0.48

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	एमईएसईबी (ए)	187.27	-43.00	9.00	-52.00	-22.96	-27.77
12.	पीएसईबी (ए)	2511.61	49.40	604.67	-555.27	1.97	-22.11
13.	आरएसईबी (ए)	2178.33	65.35	704.88	-639.53	3.00	-29.36
14.	टीएनईबी (ए)	5665.14	-67.70	250.05	-317.75		
15.	यूपीएसईबी (ए)	9990.18	291.64	1839.61	-1547.97		
16.	डब्ल्यूबीएसईबी (ए)	670.19	20.11	184.29	-184.18		
	सभी एसईबीएस	48193.72	1093.42	9461.31	-8367.89		

ए-लेखा परीक्षित

इन कमिंग मोबाइल कॉल

983. **श्री राजैया मल्याला :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1999 से "इन कमिंग मोबाइल काल" निशुल्क नहीं हुई हैं, जैसी कि घोषणा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नये "टैरिफ" के कब तक लागू हो जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) टी आर ए आई द्वारा 17.9.1999 को जारी दूरसंचार टैरिफ (पांचवां संशोधन) आदेश 1999 तथा दूरसंचार इंटरकनेक्शन (प्रभार और राजस्व हिस्सेदारी पहला संशोधन) विनियम 1999 के अनुसार "कॉलिंग पार्टी पेज व्यवस्था" (सी पी पी) 1 नवम्बर 1999 से क्रियान्वित की जानी थी। "वाचडॉग" नामक स्वतंत्र संगठन द्वारा "कॉलिंग पार्टी पेज व्यवस्था (सी पी पी)" के विरुद्ध एक याचिका दायर की गई तथा विनियम में यथा निहित राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था के विरुद्ध एम टी एन एल ने याचिका दायर की। दूरसंचार सेवा विभाग ने भी एम टी एन एल की याचिका में अपना पक्ष रखा क्योंकि प्रस्तावित विनियम के अनुसार सी पी सी व्यवस्था के कार्यान्वयन से डी टी एस को भी राजस्व में भारी घाटा होने की संभावना है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सी पी पी व्यवस्था के कार्यान्वयन पर स्थगन आदेश जारी कर दिए हैं। मामला अभी निर्णयाधीन है।

आंध्र प्रदेश में हिरमा विद्युत परियोजना

984. **श्री जी० गंगा रेड्डी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में हिरमा विद्युत परियोजना के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस परियोजना में सरकार की कितनी भागीदारी है; और

(ग) बांटे जाने वाले विद्युत उत्पादन का ब्यौरा क्या है ?

यू-गैर लेखा परीक्षित

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश राज्य में प्रारंभ किये जाने वाली इस नाम की कोई परियोजना नहीं है, तथापि 6 × 660 मेगावाट की अनन्तिम क्षमता के साथ इस नाम की एक ताप विद्युत परियोजना को नवम्बर, 1998 में सरकार द्वारा घोषित संशोधित मेगा विद्युत परियोजना नीति के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य में विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना का निर्माण आरंभ नहीं हुआ है।

(ख) शून्य।

(ग) इस परियोजना से विद्युत की खरीद के प्रस्ताव कुछ राज्यों से प्राप्त हुए हैं, तथापि इन राज्यों को उत्पादित विद्युत का अन्तिम आबंटन विभिन्न घटकों, विशेषत: उनके द्वारा स्वीकृति पर, नीति के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों और परियोजना की क्षमता को अन्तिम रूप से सुनिश्चित करने पर निर्भर करेगी।

उच्च न्यायालयों में लंबित मामले

985. **श्री मोहम्मद हसन :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और न्यायिक सेवा के सदस्यों की ओर से पेंशन, सेवानिवृत्ति लाभ, उपदान, प्रोन्नति आदि के मामलों को लेकर अनेक मुकदमे देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में निर्णय हेतु लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो समूचे देश के उच्च न्यायालयों में निर्णय हेतु लंबित पड़े ऐसे मुकदमों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) ऐसे मुकदमों की संख्या कितनी है जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश/न्यायाधीशों ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है अभी उन्हें सुनाया नहीं है;

(घ) क्या निर्णय की घोषणा में होने वाला असाधारण विलंब उस आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है जिस पर उच्च न्यायालयों के सभी 500 न्यायाधीशों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो आचार संहिता को लागू करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

ईसाई समुदाय पर अत्याचार

986. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पोप की भारत यात्रा के बाद ईसाई समुदाय पर हुए अत्याचारों की घटनाओं की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कौन सा संगठन जिम्मेवार है; और

(ग) सरकार ने ऐसे हमलों से अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में पोप की यात्रा के उपरान्त ईसाइयों पर अत्याचारों की कोई गंभीर घटनाएं नहीं हुई हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है। यद्यपि, भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं, केन्द्र सरकार देश में साम्प्रदायिक सौहार्द तथा शांति बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही हैं :

1. राज्य सरकारों के साथ आसूचना का आदान-प्रदान करने के अतिरिक्त, उनकी पुलिस व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए उन्हें मदद उपलब्ध करा रही है।

2. साम्प्रदायिक स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारों की मदद करने हेतु इसने त्वरित कार्य बल नामक एक विशेष बल का गठन भी किया है। विभिन्न समुदाय के सदस्यों के बीच नफरत, घृणा और वैमनस्यता फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता पर राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित करते हुए, समय-समय पर, दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

3. कुछ संवेदनशील राज्यों के मुख्य सचिवों को हाल ही में सलाह दी गई है कि वे जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाले प्राधिकारियों को इस आशय के समुचित अनुदेश जारी करें कि वे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार/उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों पर शीघ्रता से कार्रवाई करें और दोषी व्यक्तियों को पहचान करने और उन्हें सजा देने के लिए शीघ्र प्रभावकारी कार्रवाई करें।

सरकार का यह दृढ़ विचार है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के कृत्यों, चाहे वे कहीं भी और किसी भी रूप में किए गए हों, के साथ कड़ाई से निपटा जाए तथा ऐसा करने वालों को अनुकरणीय सजा दी जाए।

एम.ए.आर.आर. प्रणाली के अन्तर्गत सार्वजनिक टैलीफोन

987. श्री अनादि साहू : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के गंजम जिले में एम.ए.आर.आर. प्रणाली के अन्तर्गत शुरू की गयी वी.पी.टी. टेलीफोन-प्रणाली को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त जिले के दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में संचार प्रणाली स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उड़ीसा की ठीक से न काम कर रही/अप्रयुक्त वी.पी.टी. प्रणाली के स्थान पर वैकल्पिक संचार प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ङ) जी, नहीं। मौजूदा एमएआरआर उपस्कर जिनमें कहीं खराबी होती है तो उनकी मरम्मत की जा रही है। तथापि, भावी ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन कार्यक्रम के लिए, वैकल्पिक प्रौद्योगिकियां अर्थात् वायरलेस इन लोकल लूप तथा सी-डॉट टीडीएमए/पीएमपी की शुरुआत की जा रही है। निकट के एक्सचेंजों से भूमिगत लाइनों पर वीपीटी प्रदान किया जाना भी जारी रहेगा।

पूर्वोत्तर राज्य परिषद का पुनर्गठन

988. श्री सानजुम खंगुर वैसीमुथियारी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों के तीव्र सामाजिक तथा आर्थिक विकास हेतु पूर्वोत्तर राज्य परिषद के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अपेक्षित एवं भेद-भाव के शिकार क्षेत्रों में रह रहे लोगों, विशेषकर बोडोलैंड क्षेत्र आदि के लोगों को उचित न्याय सुनिश्चित कराने हेतु समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र के निर्वाचित सांसदों को पूर्वोत्तर राज्य परिषद (एन.ई.सी.) में नामांकित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) पूर्वोत्तर परिषद (संशोधन) विधेयक, 1998 को 8 दिसम्बर, 1998 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था। पुनर्गठन की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :-

1. सिक्किम को परिषद में शामिल किया जाएगा।

2. राज्यपाल, जो संवैधानिक प्रमुख हैं, परिषद के सदस्य नहीं रहेंगे।

3. पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य मंत्रियों के अलावा, परिषद में, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित तीन सदस्य होंगे।

4. परिषद, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करेगी। केवल एक परामर्शी निकाय न होकर, परिषद के पास वे शक्तियां होंगी जो इसे केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त की जाएगी।

5. क्षेत्रीय योजनाएं बनाते समय, सिक्किम को छोड़कर, जिसकी परिषद के अन्य सदस्य राज्यों के साथ संयुक्त भू-सीमा नहीं है, यह परिषद दो या अधिक राज्यों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं या परियोजनाओं को प्राथमिकता देगी। यह परिषद, सिक्किम के लिए राज्य विशिष्ट परियोजनाएं तैयार और कार्यान्वित करेगी।

6. किसी भी स्कीम को तब तक परिषद के समक्ष नहीं रखा जाएगा, जब तक जांच समिति, जिसमें अध्यक्ष के रूप में परिषद के सचिव और सदस्यों के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के योजना सचिव होते हैं, द्वारा इसकी सिफारिश नहीं की गई हों। यह व्यवस्था इसलिए की गयी है कि परिषद द्वारा चुनी गई स्कीमें क्षेत्रीय स्वरूप की हो और परिषद के सदस्य राज्यों द्वारा महसूस की गयी आवश्यकताओं को प्रतिबिम्बित करती हो।

(ग) पूर्वोत्तर परिषद में संसद सदस्यों को नामित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के सम्मुख नहीं है।

तटीय द्रुत राजमार्ग

989. श्री चिंतामन वनगा : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा से गुजरने वाली तटीय द्रुत राजमार्ग के निर्माण का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कार्य कब तक शुरू किए जाने की एवं पूरा किए जाने की संभावना है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

एन.टी.पी.सी. के साथ संयुक्त उद्यम विद्युत परियोजना स्थापित करना

990. श्री जी०एस० बसवराज : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए.बी.बी. एल्सटोम पावर भारत के विद्युत केन्द्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय विद्युत ताप निगम के साथ एक संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई करार/समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी ने ए. बी.बी. एल्स्टाम पावर नामत: "एन.टी.पी.सी.-ए बी बी एल्स्टाम पावर सर्विसेज प्राइवेट लि०" के साथ संयुक्त उपक्रम कम्पनी की स्थापना की है ताकि भारत तथा सार्क देशों में विद्युत संयंत्रों का नवीकरण तथा आधुनिकीकरण किया जा सके।

(ग) और (घ) ए बी बी के साथ समझौता ज्ञापन पर 10 अक्टूबर, 1998 को हस्ताक्षर हुए तथा प्रमोटर्स करार पर 24 अगस्त, 1999 को हस्ताक्षर हुए एनटीपीसी तथा एबीबी एल्स्टाम की संयुक्त उपक्रम कम्पनी में इक्विटी ढांचा प्रत्येक कम्पनी के लिए इक्विटी का 50% है।

[हिन्दी]

इंडिया का नाम पुन: भारत रखा जाना

991. श्री चन्देश पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडिया का नाम पुन: भारत रखे जाने के संबंध में देश के विभिन्न भागों से सुझाव और ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ङ) इस संबंध में विभिन्न क्षेत्रों से अनुरोध मिलते रहते हैं। सरकार ने देश का नाम फिर से रखने पर कोई निर्णय नहीं लिया है। हमारे देश का नाम "इंडिया, अर्थात् भारत" व्यापक विचार-विमर्श के बाद संविधान सभा द्वारा रखा गया था।

धर्म का दुरुपयोग

992. श्री रामदास आठवले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनैतिक लाभ के लिए धर्म के प्रयोग से देश में तनाव, हिंसा, और असुरक्षा का माहौल व्याप्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो राजनैतिक लाभ के लिये धर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

लद्दाख में कथित जनांकिकी परिवर्तन

993. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 नवम्बर, 1999 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "एन सी चेंजिंग लद्दाख डेमोग्राफी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ग) जैसा कि जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा सूचित किया गया है, 9 नवम्बर, 1999 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार तथ्यों पर आधारित नहीं है। मामले को अधिक तूल दिया गया है। लेह के बौद्ध यह मांग कर रहे हैं कि बौद्ध लड़कियों का इस्लाम में तथाकथित धर्मान्तरण रोका जाय। यह मामला वास्तव में, हाल ही में, दो अवसरों पर, बौद्ध लड़कियों द्वारा मुस्लिम लड़कों के साथ विवाह करने की घटनाओं से उपजा है। कोई बल प्रयोग नहीं किया गया और पार्टियों ने अपनी स्वेच्छा से विवाह किया। एक मामले में, लड़की को वापस उसके माता-पिता को सौंप दिया गया है। सामूहिक धर्मांनान्तरण का मामला तथ्यों पर आधारित नहीं है। स्थानीय प्रशासन, मामले से अवगत हैं और स्थिति पर निकट से नजर रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

पूजा एक्सप्रेस में बम विस्फोट

994. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनीराम शांडिल्य : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 नवम्बर, 1999 को पूजा एक्सप्रेस में बम विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विस्फोट में कितने लोग मारे गए/घायल हुए और इस विस्फोट में कितने मूल्य की सरकारी सम्पत्ति का नुकसान हुआ;

(घ) पीड़ितों और घायलों के परिवारों को कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ङ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(छ) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) जम्मू से दिल्ली आ रही पूजा एक्सप्रेस के सामान्य दर्जे के एक डिब्बे में दिनांक 11.11.1999 को करीब 20.10 बजे उस समय एक शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ जब वह दमताल (हिमाचल प्रदेश) के निकट थी। इस विस्फोट में 14 व्यक्ति मारे गए तथा 47 व्यक्ति घायल हुए। लगभग 11 लाख रुपये मूल्य की रेलवे की संपत्ति क्षतिग्रस्त हुई।

(घ) मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को रेल मंत्रालय द्वारा 15000/- रु० गंभीर रूप से घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को 5000/- रु० तथा मामूली रूप से घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को 500/- रु० की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 25,000/- रु० तथा गंभीर रूप से घायल हुए नौ व्यक्तियों में 45,000/- रु० की राशि भी वितरित की है।

(ङ) और (च) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 302/307 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4/5 के अधीन, थाना इंदौरा, जिला कांगड़ा, में एक मामला दर्ज किया गया है। कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल भी गठित किया गया है।

(छ) केन्द्र सरकार, युक्तिपूर्ण आसूचना संग्रहण करके, सुभेद्य क्षेत्रों की कड़ी निगरानी करके, संवेदनशील क्षेत्रों और प्रतिष्ठानों की नियमित गश्त करके तथा तोड़फोड़-विरोधी जांच इत्यादि करके समुचित निवारात्मक उपाय करने के बारे में राज्य सरकारों को नियमित रूप से सुग्राही बनाती रही है। समय-समय पर मिलने वाली विशिष्ट आसूचना को राज्य सरकारों के साथ बांटा जाता है।

[अनुवाद]

बांग्लादेशी लोगों का निर्वासन

995. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल :
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्रीमती कान्ति सिंह :
श्री रामसागर रावत :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस समय बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में बांग्लादेशी लोगों की मौजूदगी का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में उनके अवैध रूप से रहने के क्या कारण हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक देश में अपराध करने के लिए कितने बांग्लादेशी पकड़े गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा निर्वासन के लिए क्या उपाय किए गये हैं अथवा किये जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में बांग्लादेशी लोगों की मौजूदगी का केन्द्र सरकार, द्वारा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी लोगों का पता लगाने और

उनको देश से निकालने हेतु राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर, निदेश दिए गए हैं।

(ग) अधिकांश बांग्लादेशी आर्थिक कारणों से भारत में घुसपैठ करते हैं।

(घ) अपराध करने के लिए पकड़े गए बांग्लादेशियों की संख्या केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती है।

(ङ) भारत में पता लगे उन अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को देश से निकालने हेतु सीमा सुरक्षा बल और बंगलादेश राइफल्स के बीच जमीनी प्रबन्ध हैं।

जैव-विविधता बोर्ड

996. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मानव और वन्य जीव के व्यापक प्रबंधन हेतु जैव-विविधता बोर्ड स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जैव विविधता पर कानून बना रहा है। इस प्रस्तावित कानून के मुख्य उद्देश्य– संरक्षण और जैवविविधता का सतत् प्रयोग और जैवीय संसाधनों के प्रयोग से होने वाले लाभों में समान भागीदारी है। साथ ही साथ इस कानून में राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण की स्थापना की भी व्यवस्था है।

सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग में राष्ट्रीय जैव संसाधन विकास बोर्ड की स्थापना का अनुमोदन कर दिया है। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य – अनुसंधान और विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी एवं संबंधित वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के प्रभावी अनुप्रयोग हेतु विस्तृत नीति तैयार करना तथा जैव संसाधनों विशेषतया नए उत्पादों और प्रक्रियाओं के विकास के लिए सतत् उपयोग के बारे में निर्णय लेना है।

एक पृथक पत्तन न्यास की स्थापना

997. डा० नीतिश सेनगुप्ता : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया पत्तन न्यास को कलकत्ता पत्तन न्यास के एक भाग के रूप में रखने और बम्बई पत्तन न्यास के पृथक कार्पोरेट के रूप में रखने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का कलकत्ता पत्तन न्यास से हल्दिया को पृथक करने और मिदनापुर क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार अवसर उत्पन्न करने के दृष्टिकोण से पृथक पत्तन न्यास स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) हुगली नदी में डुबाव में निरंतर कमी के कारण अपेक्षाकृत अधिक डुबाव वाले विशाल जलयान लदान/उतराई के लिए कलकत्ता की विद्यमान दो गोदी प्रणालियों अर्थात् किड्डरपुर गोदी और नेताजी सुभाष गोदी में नहीं आ सकते थे इसलिए पूरक गोदी प्रणाली के रूप में हल्दिया में हल्दिया गोदी परिसर नाम से कलकत्ता पत्तन की तीसरी गहन जल गोदी प्रणाली की स्थापना की गई थी। तथापि मुंबई की स्थिति बिल्कुल भिन्न थी और इसकी तुलना कलकत्ता पत्तन से नहीं की जा सकती।

(ख) और (ग) कार्यकुशलता में सुधार और प्रचालनों में स्वायत्तता प्रदान करने के लिए हल्दिया गोदी परिसर के निगमीकरण की साध्यता की जांच करने का निर्णय लिया गया है।

सीमा सुरक्षा बल के हाथों उत्पीड़न

998. श्री नेपाल चन्द्र दास : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को करीमगंज, असम क्षेत्र में भारत-बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के हाथों उत्पीड़न झेल रहे निर्दोष व्यक्तियों एवं व्यापारियों से कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम कमी आ रही है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) सीमा सुरक्षा बल कर्मियों द्वारा जब्त की गई कम आवश्यकता की वस्तुओं की रिलीज के बारे में फकीरा बाजार, करीमगंज जिले के 6 खुदरा व्यापारियों से सीमा सुरक्षा बल को एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

डॉल्फीनेरियम और मैरीन काम्प्लेक्स

999. डा० एस० वेणुगोपाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम में संयुक्त उद्यम परियोजना के अंतर्गत 'डॉल्फीनेरियम और मैरीन काम्प्लेक्स' बनाये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसमें भारत के प्राणी उद्यानों के प्राधिकारियों द्वारा दिये जाने वाले योगदान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना के पूरा होने की लक्षित तिथि क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) इस परियोजना में 360 लाख रुपए की पूंजीगत लागत से डॉल्फिन के लिए समुद्री जल तालाब, कछुओं और समुद्री पक्षियों के लिए बाड़े तथा अन्य समुद्री प्राणिजात (फाउना) के लिए जल जीवशाला (एक्वेरियम) के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस राशि में से 300 लाख रु० विशाखापत्तनम शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा ऋण के माध्यम से दिए जाने का प्रस्ताव था तथा शेष राशि राज्य सरकार और केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा दी जानी है।

(ग) राज्य सरकार ने 50:50 की स्कीम के तहत डॉल्फिन तालाबों को चालू करने के लिए समुद्रीजल ग्रहण प्रणाली (सी-वाटर इनटेक सिस्टम) के लिए 1996 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा 52.00 लाख रु० की स्कीम को अनुमोदित किया गया था तथा केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के हिस्से के 26 लाख रु०, राज्य सरकार को जारी किए गए थे। चूंकि राज्य सरकार, न तो केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा जारी की गई धनराशि का उपयोग कर सकी है और न ही विशाखापत्तनम शहरी विकास प्राधिकरण से ऋण प्राप्त करने और इसे लौटाने संबंधी विधियां तैयार कर सकी है। इसलिए परियोजना के पूरा होने की कोई तारीख नियत करना संभव नहीं है।

उड़ीसा में राष्ट्रपति शासन लगाना

1000. श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य प्रशासन तंत्र की पूर्ण असफलता को देखते हुए उड़ीसा में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों को लागू करके उड़ीसा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।

साम्प्रदायिक दंगे

1001. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से आज तक देश में राज्यवार कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर राज्यवार कितने हमले हुए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान महिलाओं पर राज्यवार कितने हमले हुए; और

(घ) इन अत्याचारों और हमलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) हालांकि भारत के संविधान के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं और अपराधों की रोकथाम की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को उनकी पुलिस संरचना में सुधार करने और राज्यों के साथ आसूचना का आदान-प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान करती है। इसने साम्प्रदायिक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता के लिए त्वरित कार्य बल नाम एक विशेष बल का गठन भी किया है। केन्द्र सरकार उपद्रवों के दौरान राज्य सरकारों को सलाह भी भेजती रही है और विभिन्न समुदायों के बीच साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिए समय-समय पर मार्गदर्शी निदेश भी जारी करती है।

केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वह जिला प्राधिकारियों को अल्पसंख्यकों की शिकायतों पर तुरन्त कार्रवाई करने के लिए निदेश जारी करे और यह कि उनके क्षेत्राधिकार में साम्प्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

सरकार का यह दृढ़ मत है कि अल्पसंख्यक समुदायों और समाज के कमजोर वर्गों के प्रति हिंसा से जब कभी हो और जिस रूप में हो, सख्ती से निपटा जाना चाहिए और अपराधियों को कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए।

विवरण

राज्य(राज्यों) का नाम	साम्प्रदायिक दंगों की संख्या	अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर हमलों की संख्या
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1	36
अरुणाचल प्रदेश	–	–
असम	–	–
बिहार	2	134
गोवा	–	–
गुजरात	2	29
हरियाणा	–	7
हिमाचल प्रदेश	–	2
जम्मू एवं कश्मीर	–	–
कर्नाटक	3	58
केरल	–	1
मध्य प्रदेश	–	33
महाराष्ट्र	–	86
मणिपुर	–	–

1	2	3
मेघालय	—	—
मिजोरम	—	—
नागालैंड	—	—
उड़ीसा	—	42
पंजाब	—	5
राजस्थान	—	96
सिक्किम	—	—
तमिलनाडु	—	745
त्रिपुरा	4	—
उत्तर प्रदेश	—	271
प. बंगाल	3	—
कुल	15	1545

संघ शासित क्षेत्र (क्षेत्रों) का नाम	साम्प्रदायिक दंगों की संख्या	अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर हमलों की संख्या
अंडमान और निकोबार	—	—
चण्डीगढ़	—	—
दादरा और नगर हवेली	—	—
दमन और द्वीव	—	—
दिल्ली	—	1
लक्षद्वीप	—	—
पांडिचेरी	—	—
कुल	—	1

राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति अपराधों की घटनाएं

राज्य (राज्यों) का नाम	1996	1997	1998
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	9607	10757	8793 (अगस्त तक)
अरूणाचल प्रदेश	106	104	43 (जुलाई तक)
असम	2793	3407	1246 (जुलाई तक)
बिहार	5349	5888	उपलब्ध नहीं

1	2	3	4
गोवा	82	187	89 (सितम्बर तक)
गुजरात	5139	5809	3939 (अगस्त तक)
हरियाणा	2335	2314	2095 (सितम्बर तक)
हिमाचल प्रदेश	803	801	628 (सितम्बर तक)
जम्मू और कश्मीर	1210	1523	672 (जून तक)
कर्नाटक	5379	5879	4151 (सितम्बर तक)
केरल	2916	4134	2899 (अगस्त तक)
मध्य प्रदेश	14959	16170	11192 (सितम्बर तक)
महाराष्ट्र	16567	16270	10332 (सितम्बर तक)
मणिपुर	94	85	52 (सितम्बर तक)
मेघालय	72	87	31 (अगस्त तक)
मिजोरम	104	110	91 (सितम्बर तक)
नागालैंड	43	44	13 (सितम्बर तक)
उड़ीसा	4163	4453	2290 (जून तक)
पंजाब	910	951	906 (सितम्बर तक)
राजस्थान	10575	11221	8593 (अगस्त तक)
सिक्किम	65	50	30 (सितम्बर तक)
तमिलनाडु	9232	9044	4422 (जून तक)
त्रिपुरा	313	375	231 (सितम्बर तक)
उत्तर प्रदेश	13614	11849	9179 (जुलाई तक)
प. बंगाल	6453	7023	4294 (अगस्त तक)
कुल	112883	118535	76211

संघ शासित क्षेत्र (क्षेत्रों) का नाम	1996	1997	1998
अंडमान और निकोबार	25	27	14 (सितम्बर तक)
चण्डीगढ़	70	83	85 (जुलाई तक)
दादरा और नगर हवेली	21	15	12 (सितम्बर तक)
दमन और द्वीव	3	1	1 (सितम्बर तक)
दिल्ली	2673	2725	1660 (अगस्त तक)
लक्षद्वीप	—	—	1 (अक्तूबर तक)
पांडिचेरी	48	79	47 (सितम्बर तक)
कुल	2840	2930	1820

भाषाई सर्वेक्षण

1002. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कोई भाषाई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देशी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या घट रही है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में वस्तुस्थिति क्या है और 1971 और 1991 में देशी भाषा बोलने वालों की भाषा-वार कितनी संख्या है; और

(ङ) देशी भाषा बोलने वालों की गिरती संख्या को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1971 और 1991 की जनगणना के भाषा संबंधी आंकड़ों की तुलना करने पर छः देशी भाषाओं को छोड़कर अन्य देशी भाषाओं के बीच सामान्यतः कोई गिरावट आने का पता नहीं चलता है।

(घ) देशी भाषाओं के संबंध में वर्ष 1971 और 1991 की जनगणनाओं के भाषा-वार आंकड़ों के अनुसार जिन भाषाओं को बोलने वालों की संख्या में कमी आई है वे नीचे दी गई हैं :

क्र. सं.	भाषा का नाम	बोलने वालों की संख्या	
		1971 की जनगणना	1991 की जनगणना
1.	भूमिज	51,651	43,302
2.	डोगरी	1,299,143	89,681•
3.	जटापू	36,450	25,730
4.	कोंडा	33,720	17,864
5.	लहंडा	41,935	27,386•
6.	पर्जी	73,912	44,001

•डोगरी और लहंदा बोलने वालों की संख्या में 1991 की जनगणना में कमी आने का कारण यह है कि इसमें जम्मू और कश्मीर की इन दो भाषाओं को बोलने वालों की संख्या शामिल नहीं की गई है क्योंकि इस राज्य में 1991 की जनगणना नहीं की गई थी।

(ङ) चूंकि जनगणना आंकड़ों से किसी भी गिरावट का पता नहीं चलता है, अतः इस संबंध में कोई सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है।

अवैध प्रवास

1003. श्री राम सागर रावत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाली दस्तावेजों के जरिए लोग दूसरे देशों में प्रवास कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला है;

(ग) क्या इस संबंध में कुछ वरिष्ठ दिल्ली पुलिस अधिकारियों को हिरासत में लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो अवैध प्रवास को रोकने के लिए इस प्रणाली में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गंगा नदी पर सड़क पुल का निर्माण

1004. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंगेर में राष्ट्रीय राजमार्ग-31 और राष्ट्रीय राजमार्ग-80 के बीच बहने वाली गंगा नदी पर सड़क पुल बनाने की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पुल के निर्माण पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(ग) क्या रेल-सह-सड़कपुल के लिए भी कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विकास परियोजनाओं का लागू न होना

1005. श्री नरेश पुगलिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों, जहां की भूमि का एक बड़ा भाग सघन वनों से आच्छादित है, में विकास-परियोजनाओं की संस्वीकृति तथा कार्यपालन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विकास-परियोजनाओं के कार्यपालित न होने की वजह से इन क्षेत्रों में नक्सलवादियों की गतिविधियां बढ़ी हैं और वे इन वनों में शरण ले रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में समुचित संशोधन करने का विचार है जिससे कि इन राज्यों द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई विकास-परियोजनाओं को तुरन्त संस्वीकृत किया जाए;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 नियामक स्वरूप का होने के कारण इसका उद्देश्य केवल ऐसी विकासात्मक परियोजनाओं को मंजूर करना है जो पारिस्थितिकीय रुप से सतत हैं। यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत मंजूरी के लिए पिछले तीन वर्षों (1996, 1997 तथा 1998) के दौरान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा से प्राप्त कुल 672 परियोजनाओं में से 465 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत ऊपर उल्लिखित राज्यों से पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की राज्यवार स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (च) राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई विकास परियोजनाओं पर अधिनियम के उपबंधों, नियमों तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है तथा यथासंभव न्यूनतम समय में निर्णय लिया जाता है। परियोजना को लागू करने का दायित्व संबंधित राज्य सरकार का है।

इस प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में दिए गए कारणों के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की सं०	मंजूर	गुण-दोष के आधार पर नामंजूर	सूचना के अभाव में नामंजूर	राज्य सरकार द्वारा वापस लिए गए	मंत्रालय के विचाराधीन	सूचना के अभाव में राज्य सरकारों के पास लंबित
1.	आंध्र प्रदेश	82	47	22	8	2	1	2
2.	बिहार	72	43	2	4	2	1	20
3.	उड़ीसा	110	87	10	4	1	3	5
4.	मध्य प्रदेश	158	114	12	16	1	9	6
5.	महाराष्ट्र	250	174	16	36	1	5	18
	कुल :	672	465	62	68	7	19	51

[हिन्दी]

विद्युत की मांग और आपूर्ति

1006. **श्री राधा मोहन सिंह :**
श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान राज्यवार विद्युत की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में विद्युत की मांग के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच की खाई को भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने वाले हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती मेहता) : (क) अक्तूबर, 1999 और अप्रैल-अक्तूबर, 1999 के दौरान विद्युत आपूर्ति की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। भारत सरकार ने राज्यवार आधार पर वर्ष 2001-02 तक नौवीं योजना अवधि के दौरान विद्युत की मांग प्रक्षेपित करने तथा वर्ष 2011-12 तक भावी मांग प्रक्षेपित करने के लिए मार्च, 1994 में 15वें विद्युत सर्वेक्षण समिति का गठन किया था। समिति की रिपोर्ट जुलाई 1995 में प्रकाशित की गई थी। वर्ष 1999-2000, 2000-01 तथा 2001-02 के लिए ऊर्जा की आवश्यकता और व्यस्ततमकालीन भार, जैसा कि समिति ने अनुमान लगाया है, क्रमशः संलग्न विवरण-II और III में दिया गया है।

(घ) देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :-

1. क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम का तीव्र गति से क्रियान्वयन।
2. मांग पक्ष प्रबन्धन के लिए उपायों को बढ़ावा देना जैसे औद्योगिक उपभोक्ताओं के साप्ताहिक अवकाश दिवसों को कम करके भार वक्र को कम करना और सामूहिक प्रतिबंधों के माध्यमों से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति का नियंत्रण करना।

3. विद्यमान विद्युत उत्पादन स्टेशनों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण।

4. त्वरित विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत ताप विद्युत स्टेशनों के प्रचालन और अनुरक्षण में सुधार लाने के लिए विद्युत वित्त निगम द्वारा ऋणों का संवितरण किया जाना।

5. अर्न्तराज्यीय और अन्तर क्षेत्रीय विद्युत अन्तरण को प्रोत्साहन देना।

6. क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली में जल विद्युत ताप विद्युत, न्यूक्लीय तथा गैस टरबाइन स्टेशनों का समन्वित प्रचालन।

7. विद्युत प्रणाली में पारेषण और रूपान्तरण की क्षमता में अभिवृद्धि तथा बोल्टेज में सुधार के लिए कैपेसिटरी की अधिष्ठापना।

8. पारेषण और वितरण हानियों में कमी।

विवरण-I

विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति

(सभी आकड़े मि.यू. में)

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	अक्तूबर, 99				अप्रैल, 99–अक्तूबर, 99			
	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	%	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तरी क्षेत्र								
चंडीगढ़	85	85	0	0.0	659	659	0	0.0
दिल्ली	1415	1370	45	3.2	10935	10668	267	2.4
हरियाणा	1355	1277	78	5.8	9590	9350	240	2.5
हिमाचल प्रदेश	270	269	1	0.4	1751	1745	6	0.3
जम्मू एवं कश्मीर	440	368	72	16.4	3255	2847	408	12.5
पंजाब	2165	2152	13	0.6	17435	17344	91	0.5
राजस्थान	1980	1872	108	5.5	13820	13397	423	3.1
उत्तर प्रदेश	3685	3281	404	11.0	25720	22839	2881	11.2
उ०क्षे०	11395	10674	721	6.3	83165	78849	4316	5.2
पश्चिम क्षेत्र								
गुजरात	4003	3781	222	5.5	28664	26862	1802	6.3
मध्य प्रदेश	2620	2602	18	0.7	18676	17990	686	3.7
महाराष्ट्र	5522	5350	172	3.1	40587	38889	1698	4.2
गोवा	148	116	32	21.6	1026	793	233	22.7
पं०क्षे०	12293	11849	444	3.6	88953	84534	4419	5.0
दक्षिण क्षेत्र								
आन्ध्र प्रदेश	3669	3484	184	5.0	25476	24125	1351	5.3
कर्नाटक	1804	1683	121	6.7	15083	13921	1162	7.7
केरल	1056	985	71	6.7	7168	6655	513	7.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
तमिलनाडु	2885	2671	214	7.4	22314	20717	1597	7.2
द०क्षे०	9414	8823	591	6.3	70041	65418	4623	6.6
पूर्वी क्षेत्र								
बिहार	736	676	60	8.2	5063	4680	383	7.6
डीवीसी	763	780	-17	-2.2	4840	4973	-133	-2.7
उड़ीसा	844	869	-25	-3.0	6271	6487	-216	-3.4
पश्चिम बंगाल	1463	1493	-30	-2.1	10706	10957	-251	-2.3
पू०क्षे०	3806	3818	-12	-0.3	26880	27097	-217	-0.8
उत्तर पूर्वी क्षेत्र								
अरुणाचल प्रदेश	9.7	10.2	-0.5	-5.2	67.2	67.5	-0.3	-0.4
असम	248.8	263.0	-14.2	-5.7	1666.3	1706.0	-39.7	-2.4
मणिपुर	35.6	38.3	-2.7	-7.6	246.4	219.6	26.8	10.9
मेघालय	41.1	44.5	-3.4	-8.3	267.3	284.0	-16.7	-2.4
मिजोरम	18.0	19.2	-1.2	-6.7	117.6	118.1	-0.5	-0.4
नागालैंड	17.3	18.6	-1.3	-7.5	111.8	111.7	0.1	0.1
त्रिपुरा	48.5	52.2	-3.7	-7.6	335.4	338.1	-2.7	-0.8
उ०पू०क्षे०	419.0	446.0	-27	-6.4	2812.0	2845.0	-33.0	-1.2
अखिल भारतीय	37327	35610	1717	4.6	271851	258743	13108	4.8

विवरण-II

विद्युत स्टेशन बसबार में अखिल भारतीय आवश्यकता सार्वजनिक यूटीलिटियां

(मिलियन कि.वा.घं. में)

क्षेत्र/राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1999-00	2000-01 अनुमानित	2001-02
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
दिल्ली	18039	19352	20735
हरियाणा	21112	22644	24182
हिमाचल प्रदेश	3240	3517	3826
जम्मू एवं कश्मीर	5912	6463	7074
पंजाब	28551	30233	31997
राजस्थान	17543	29655	31881
उत्तर प्रदेश	52410	56440	61066
चंडीगढ़	810	850	888
कुल	157617	169154	181649
पश्चिम क्षेत्र			
गोवा	1290	1373	1461
गुजरात	43467	46049	48777
मध्य प्रदेश	37856	39931	42028
महाराष्ट्र	73349	78586	82921
दादरा एवं नगर हवेली	817	876	946

1	2	3	4
दमन एवं द्वीव	521	560	599
कुल	157300	167375	176732
दक्षिणी क्षेत्र			
आंध्र प्रदेश	40689	42710	45226
कर्नाटक	27879	29543	31208
केरल	13617	14632	15758
तमिलनाडु	36526	38447	40458
पांडिचेरी	1784	1908	2025
कुल	120495	127240	134671
पूर्वी क्षेत्र			
बिहार	18605	19894	21184
उड़ीसा	16041	17859	18836
सिक्किम	116	124	133
पश्चिम बंगाल	24876	26481	28090
कुल	59638	64358	68243
उत्तर पूर्वी क्षेत्र			
अरुणाचल प्रदेश	273	307	346
असम	4427	4710	4976
मणिपुर	563	629	703
मेघालय	561	600	638
मिजोरम	396	449	505
नागालैंड	235	251	288
त्रिपुरा	579	642	712
कुल	7034	7588	8148
द्वीप समूह			
अंडमान एवं निकोबार	147	163	180
लक्षद्वीप	23.2	25.3	27.4
कुल अखिल भारत	502254	535903	569650

विवरण-III

विद्युत स्टेशन बसबार में अखिल भारतीय व्यस्ततमकालीन भार सार्वजनिक यूटीलिटियां

क्षेत्र/राज्य/केन्द्र शासित केन्द्र	1999-00	2000-01 अनुमानित	2001-02
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
दिल्ली	3037	3253	3481
हरियाणा	3977	4259	4540
हिमाचल प्रदेश	698	750	809
जम्मू एवं कश्मीर	1350	1476	1615
पंजाब	5228	5515	5814
राजस्थान	4850	5218	5606
उत्तर प्रदेश	9712	10442	11280
चंडीगढ़	162	170	177
क्षेत्र	27632	29603	31735
पश्चिम क्षेत्र			
गोवा	262	278	296
गुजरात	7191	7618	8070
मध्य प्रदेश	6263	6606	6953
महाराष्ट	11629	12460	13147
दादरा एवं नगर हवेली	130	139	150
दमन एवं द्वीव	86	92	98
क्षेत्र	25308	26924	28430
दक्षिणी क्षेत्र			
आंध्र प्रदेश	6732	7064	7483
कर्नाटक	4859	5141	5422
केरल	2763	2983	3228
तमिलनाडु	5957	6270	6598
पांडिचेरी	304	325	35
क्षेत्र	19633	20748	21975
पूर्वी क्षेत्र			
बिहार	3490	3739	3988

1	2	3	4
उड़ीसा	2616	2912	3072
सिक्किम	40	43	46
पश्चिम बंगाल	4829	5030	5333
क्षेत्र	10357	11168	11846
उत्तर पूर्वी क्षेत्र			
अरुणाचल प्रदेश	74	84	94
असम	884	937	986
मणिपुर	156	174	193
मेघालय	124	132	140
मिजोरम	119	130	141
नागालैंड	60	64	58
त्रिपुरा	153	169	186
क्षेत्र	1495	1610	1722
द्वीप समूह			
अंडमान एवं निकोबार	34	37	41
लक्षद्वीप	6.5	7.1	7.7
कुल अखिल भारत	84466	90093	85757

टिप्पणी : 1. उपर इंगित क्षेत्रीय व्यस्ततमकालीन भार समकालीन है।

2. अखिल भारतीय व्यस्ततमकालीन भार क्षेत्रीय व्यस्ततमकालीन भार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्य द्वीप का योग है।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट

1007. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में मिलावट और कदाचार में लिप्त पाये गये पेट्रोल/डीजल विक्रय केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जैसलमेर जिले में कुछ पेट्रोल पम्पों को कई बार कदाचार में लिप्त पाया गया एवं उनके विक्रय केन्द्रों को बन्द कर दिया गया;

(ग) यदि हां, तो उनको हरेक बार पेट्रोल पम्प दोबारा खोलने की अनुमति देने के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार ने भविष्य में मिलावट और ऐसे कदाचार को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की है; और

(ङ) यदि हां, तो निकट भविष्य में मिलावट तथा ऐसे कुकृत्यों को रोकने के लिए खामियों को दूर करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : (क)

वर्ष		मामलों की संख्या
1996-97	—	79
1997-98	—	94
1998-99	—	64
1999-00 (सितम्बर, 1999 तक)	—	43

(ख) से (ङ) जैसलमेर जिले में, कदाचार में लिप्त खुदरा बिक्री केन्द्रों के दो मामले मिले थे। एक मामले में, संबंधित तेल कंपनी ने खुदरा बिक्री केन्द्र की 30 दिनों के लिए बिक्री तथा आपूर्ति रोक दी थी तथा 5000/- रुपए का दण्ड लगाया था। दूसरे मामले में, संबंधित तेल कंपनी ने 10,000/- रुपए का दण्ड लगाया था। तेल विपणन कंपनियां विभिन्न कदाचारों और मिलावट को रोकने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों की नियमित/अचानक जांच करती हैं। इसके अलावा, कदाचार रोकने के लिए स्वयं और साथ ही सरकार के निदेशानुसार विशेष अभियान चलाती हैं। मिलावट को रोकने के लिए, मिट्टी तेल (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) में नीला रंग मिलाने, फरफुरल डोपिंग, फिल्टर पेपर जांच, भण्डार मिलान, चल-प्रयोगशालाओं द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों की जांच आदि जैसे कई उपाय तेल कंपनियों द्वारा समय-समय पर किए जाते हैं।

महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची

1008. **श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची में अभी तक जिलेवार कितने आवेदक लंबित पड़े हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों से अभी तक इस राज्य में जिलावार कितने टेलीफोन कनेक्शन आवंटित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में टेलीफोन-कनेक्शनों के त्वरित आवंटन के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये टेलीफोन कनेक्शन कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने मार्च, 2002 के अंत तक मांग पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। 1999-2000 के दौरान एमटीएनएल, मुंबई सहित महाराष्ट्र राज्य में 6.31 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना है।

विवरण

क्र. सं.	दूरसंचार जिले का नाम	राजस्व जिले का नाम	31.10.99 की स्थिति के दौरान प्रतीक्षा-सूची	96-97 के दौरान प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शन	97-98 के दौरान प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शन	98-99 के दौरान प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शन	1999-2000 के दौरान (31.10.99 तक) प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अहमदनगर	अहमदनगर	20915	10101	9509	10060	4510
2.	अकोला	अकोला एंड वाशिम	4207	5231	5749	8043	1074
3.	अमरावती	अमरावती	5940	5909	5192	6455	408
4.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	10737	10288	9473	7257	2210
5.	बीड	बीड	4845	2678	1972	2800	842
6.	भांद्रा	भांद्रा, गोंडिया	2962	2555	2844	3400	925
7.	बुल्दाना	बुल्दाना	2530	1685	2331	4810	2302
8.	चंद्रपुर	चंद्रपुर	2871	2095	5494	6450	1079
9.	धुले	धुले और नंदूरबार	6855	2500	9005	7011	1832
10.	गढ़चिरौली	गढ़चिरौली	624	358	606	1201	88
11.	जलगांव	जलगांव	14758	7450	10040	13000	3372
12.	जालना	जालना	1379	1504	1763	2251	1005
13.	कल्याण	कल्याण	24736	24014	40200	50515	10271
14.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	11659	14015	12721	15001	1878
15.	लातूर	लातूर	4562	4991	2084	4800	2374
16.	नागपुर	नागपुर	8435	17526	16107	18200	2563
17.	नंदेड़	नंदेड़	3636	4416	4578	7018	1335
18.	नासिक	नासिक	15086	19120	19129	25125	11485
19.	उस्मानाबाद	उस्मानाबाद	2022	1501	4293	2310	478
20.	परभनी	परभनी, हिंगोली	2791	2037	2616	4000	565
21.	पुणे	पुणे	54200	50113	55684	65400	14814
22.	रायगढ़	रायगढ़	2516	12010	13704	9210	1333
23.	रत्नागिरी	रत्नागिरी	3446	2716	6418	7587	1445
24.	सांगली	सांगली	8518	10584	13509	16002	3105
25.	सतारा	सतारा	7087	5285	7257	10051	3819
26.	सिंधुदुर्ग	सिंधुदुर्ग	2100	2407	3061	3604	245
27.	शोलापुर	शोलापुर	14419	11015	5841	6813	2245

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	वारधा	वारधा	2726	2719	1631	3320	610
29.	येतमाल	येतमाल	3657	2648	2861	5030	688
30.	एमटीएनएल मुम्बई	मुम्बई, थाणे तथा रायगढ़ का भाग	शून्य	201369	213475	156781	57373

[हिन्दी]

अप्रवासी भारतीयों के लिए निवेश के अवसर

1009. डा० अशोक पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में निवेश के नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए अप्रवासी भारतीयों को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) नई दूरसंचार नीति 99 की घोषणा से, दूरसंचार सेवा सेक्टर, क्षेत्र मार्गनिर्देशों के भीतर निवेशकों को अत्यधिक निवेश अवसर प्रदान करता है जिसमें एन आर आई भी शामिल है, इसमें एन आर आई इक्विटी सहित 49 प्रतिशत की विदेशी इक्विटी की अनुमति है। दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण में 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी की अनुमति दी गई है। तथापि, दूरसंचार क्षेत्र में निवेश करने हेतु एन आर आई के लिए कोई विशेष नीति नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-52 का रख-रखाव

1010. श्री एम०के० सुब्बा : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग-52, विशेषरूप से असम के दारंग, सोनितपुर, लखीमपुर, धामाजी जिलों से होकर गुजरने वाले हिस्से के घटिया रख-रखाव के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तरी असम के काम आने के अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार भी है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस राष्ट्रीय राजमार्ग के उचित रख-रखाव के लिए वर्षवार कितनी धनराशि अलग से नियत की गई है और वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ङ) इस राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत, रख-रखाव और उन्नयन कार्य में धीमी गति के क्या कारण हैं; और

(च) इस कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) असम में राष्ट्रीय राजमार्ग-52 की खराब स्थिति के बारे में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) मंत्रालय राज्यवार निधियां आबंटित करता है। असम के लोक निर्माण विभाग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान रा०रा०-52 के रख-रखाव के लिए अलग रखी गई और खर्च की गई धनराशियां इस प्रकार हैं :-

वर्ष	सुधार (लाख रु०)	रख-रखाव और मरम्मत (लाख रु०)
1996-97	133.00	207.00
1997-98	151.00	241.00
1998-99	312.00	434.00

(ङ) मरम्मत की धीमी गति के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :-

1. क्षेत्र में लम्बे समय तक भारी वर्षा (अर्थात् मई से सितम्बर तक) होना।
2. बार-बार बाढ़ आना जिसके परिणामस्वरूप सड़क टूटना, नदी की धाराओं में परिवर्तन होना।
3. लोक-निर्माण विभाग को बिटुमन की अपर्याप्त आपूर्ति।

(च) रख-रखाव और मरम्मत एक सतत् प्रक्रिया है और राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों के भीतर (यथासंभव) यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है।

सिक्किम में दूरभाष केन्द्रों की क्षमता का विस्तार

1011. श्री भीम दाहाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से वर्ष 1999-2000 के दौरान उक्त राज्य में दूरभाष केन्द्रों की मौजूदा क्षमता का विस्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1999-2000 (31.10.99 तक) के दौरान की गई क्षमता विस्तार का एक्सचेंज-वार ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	लाइनों में बढ़ायी गई क्षमता
1.	रेंगपो	152
2.	रेनॉक	152
3.	सिंगतम	400
4.	टेडांग बाजार	488
5.	सम्बाना	152
6.	डेन्टम	152
7.	चुंगथुम	32
8.	मंगन	152
9.	टेमी बाजार	152

(ग) 1,66,43,382.00 रु०।

निःशुल्क कानूनी सेवाएं एवं लोक अदालतें

1012. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :**
श्री चंद्रेश पटेल :
श्री ब्रजमोहन राम :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में लोगों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो निःशुल्क कानूनी सहायता हेतु कौन-कौन व्यक्ति पात्र हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में कितने व्यक्तियों ने निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त की;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में आज तक देश के विभिन्न राज्यों में राज्य-वार कितनी लोक अदालतों का आयोजन किया गया;

(घ) उक्त अवधि के दौरान लोक अदालतों द्वारा कितने मामलों का निपटान किया गया तथा कितने व्यक्ति राज्य-वार लाभान्वित हुए; और

(ङ) 1 दिसम्बर, 1999 से 31 दिसम्बर, 2001 तक की अवधि के दौरान ऐसी अदालतों के आयोजन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) देश के सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में, पात्र व्यक्तियों को, यथासंशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अनुसार निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

(ख) विधिक सेवाएं देने के लिए मानदंड, उक्त अधिनियम की धारा 12 में अंतर्विष्ट हैं। यथासंशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 का पाठ, संलग्न विवरण में अंतर्विष्ट है। कर्नाटक में उन लोगों की संख्या, जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त की है, के संबंध में जानकारी, कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) जानकारी संपूर्ण देश के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों से एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) कोई विनिर्दिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। फिर भी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों से यह कहा जा रहा है कि वे जितनी संभव हों, उतनी लोक अदालतें आयोजित करें।

विवरण

यथासंशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 का पाठ

धारा 12, विधिक सेवा देने के लिए मानदण्ड - प्रत्येक व्यक्ति, जिसे कोई मामला फाइल करना है या उसमें प्रतिरक्षा करनी है, इस अधिनियम के अधीन विधिक सेवा का हकदार होगा, यदि ऐसा व्यक्ति,-

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है;

(ख) संविधान के अनुच्छेद 23 में यथानिर्दिष्ट मानव के दुर्व्यापार या बेगार का शिकार है;

(ग) स्त्री या बालक है;

(घ) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (न) में परिभाषित निःशक्त व्यक्ति है;

(ङ) अनर्ह अभाव की दशाओं के अधीन व्यक्ति है, जैसे, बहुविनाश जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक संकट का शिकार है; या

(च) औद्योगिक कर्मकार है; या

(छ) अभिरक्षा में है, जिसके अन्तर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का 104) की धारा 2 के खण्ड (छ) के अर्थ में किसी संरक्षण गृह में, या किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (1986 का 53) की धारा 2 के खण्ड (ब) के अर्थ में किसी किशोर गृह में, या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 2 के खण्ड (छ) के अर्थ में किसी मनश्चिकित्सीय अस्पताल या मनश्चिकित्सीय परिचर्या गृह में की अभिरक्षा भी है; या

(ज) यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष है तो नौ हजार रुपए से गा ऐसी अन्य उच्चतर रकम से, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए; कम और यदि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है तो बारह हजार रुपए से या ऐसी अन्य उच्चतर रकम से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, कम वार्षिक आय के रूप में प्राप्त कर रहा है।

सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों का निजी क्षेत्र की कंपनियों से सहयोग

1013. **श्री टी०एम० सेल्वागनपति : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कंपनी और भारत पेट्रोलियम लिमिटेड जैसी सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों ने निजी क्षेत्र की तेल कम्पनियों के उत्पादों के विपणन के लिए निजी क्षेत्र की तेल कम्पनियों से कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समझौते में निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा उत्पादित डीजल का विपणन भी शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : (क) से (घ) संक्रांति काल के दौरान घरेलू इस्तेमाल के लिए नियंत्रित उत्पादों [मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, उच्च गुणवत्ता वाला मिट्टी तेल, (सा०वि०प्र०) विमानन टर्बाइन ईंधन और घरेलू उपयोग के लिए तरल पेट्रोलियम गैस] के विपणन के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (आर.पी.एल.) के साथ एक विपणन करार किया है। इंडियन आयल कारपोरेशन ने आर.पी.एल. के साथ संक्रांति काल के बाद भी नियंत्रित उत्पादों के विपणन के लिए विपणन करार किया है। करार में अन्य बातों के साथ-साथ करार की वैध अवधि, इसमें शामिल उत्पादों का विवरण, मात्रा, मूल्य और अन्य मुद्दे भी शामिल हैं।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने मासिक आपूर्ति योजना पर आधारित संक्रांति काल अर्थात् मार्च, 2002 तक, के दौरान हाई स्पीड डीजल, घरेलू उपयोग हेतु तरल पेट्रोलियम गैस, मोटर स्पिरिट, कैरोसीन (पी.डी.एस.) और विमानन टर्बाइन ईंधन नामक उत्पादों के लिए लागू प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था से निष्क्रमण हेतु आर.पी.एल. के साथ "प्रचालन प्रक्रिया मैनुअल" पर हस्ताक्षर किए हैं।

ओ.एन.जी.सी. के अधिकारियों के विदेशी दौरे

1014. **श्री मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में ओ.एन.जी.सी. के अधिकारियों और सदस्यों ने विदेशी दौरे किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान ओ.एन.जी.सी. के चेयरमैन, सदस्यों और अधिकारियों द्वारा वर्षवार कितनी बार विदेशी दौरे किये गए हैं और उनके दौरे के उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इस प्रकार के दौरों पर वर्षवार कुल कितना खर्चा आया ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कलकत्ता टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट का घटिया कार्यनिष्पादन

1015. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वित्त वर्ष 1997-98 की दूरसंचार क्षेत्र की अद्यतन रिपोर्ट से यह बात सामने आई है कि कलकत्ता टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट का कार्य-निष्पादन देश के अन्य भागों की तुलना में महानगरों में परिचालनात्मक लागत, ग्राहक सेवा, ट्रंक और स्थानीय टेलीफोन कार्यक्षमता के संबंध में सबसे घटिया रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) मार्च 1998 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को 29.10.99 को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इसके अध्याय 4 के पैरा 13 में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने कलकत्ता टेलीफोन जिला के कार्यनिष्पादन पैरामीटरों के बारे में कतिपय टिप्पणियां की हैं। रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्य और आंकड़ों को कलकत्ता टेलीफोन जिला से सत्यापित किया जा रहा है और उनकी टिप्पणी मांगी गई है, ताकि आवश्यकता होने पर उपचारी उपाय किए जा सकें।

तमिलनाडु में ट्रंक-डायलिंग टेलीफोन कनेक्शन

1016. **श्री पी०डी० एलानगोवन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के कुछ गांवों में ट्रंक-डायलिंग टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध नहीं है; और

(ख) सरकार ने इन गांवों में टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध करा के उन्हें शहरी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) कुल 17991 गांवों में से, 17839 गांवों में ट्रंक बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है।

(ख) शेष 152 गांवों में से 61 गांवों को सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए उपस्करों इत्यादि के प्रापण की कार्रवाई प्रारम्भ की जा चुकी है। शेष 91 गांवों को इस समय सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव नहीं हैं, क्योंकि इनकी जनसंख्या शून्य हैं।

सरकारिया आयोग की रिपोर्ट

1017. **श्री एन०एन० कृष्णदास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पर कार्यवाही शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इन्द्रजीत गुप्त समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की क्या स्थिति है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) केन्द्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में 427 सिफारिशें हैं। इनमें से, अन्तर-राज्यीय परिषद ने, पहले ही 125 सिफारिशों के संबंध में निर्णय ले लिए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

आगरा-मुम्बई के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 पर पुलों का निर्माण

1018. **श्री थावरचंद गेहलोत** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चार या छः लेनों में परिवर्तन के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम क्या हैं;

(ख) आगरा-मुम्बई के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 पर निर्माणाधीन पुलों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) मध्य प्रदेश में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलों के निर्माण कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में इस राजमार्ग की जर्जर हालत को सुधारने के कार्य पर कितना खर्च हुआ; और

(ङ) मध्य प्रदेश में शाजापुर, देवास और इन्दौर के बीच उक्त राजमार्ग के जीर्ण-शीर्ण हिस्से को सुधारने हेतु तैयार की गयी कार्य-योजना, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) चार महानगरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज (गोल्डन क्वाड्रिलेटरल), क्रमशः श्रीनगर से कन्याकुमारी और सिलचर से पोरबंदर को जोड़ने वाले उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम राजमार्गों के संरेखण पर आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और रा०रा०-47 के सलेम-कोचीन खंड को चौड़ा करके 4/6 लेन बनाने की योजना है।

(ख) आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 3 पर 25 पुलों का निर्माण किया जा रहा है।

(ग) मध्य प्रदेश में रा.रा. सं० 3 पर निर्माणाधीन पुलों को जून, 2001 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव संबंधी खर्च के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान 1419.3 करोड़ रु० का आबंटन किया गया था। चालू वर्ष के लिए 703 करोड़ रु० का आबंटन किया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

कच्चे तेल का उत्पादन

1019. **श्री चन्द्रकांत खैरे** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष (1999-2000) के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन में कमी आने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : (क) और (ख) 1998-99 के दौरान 18.92 एमएमटी के उत्पादन स्तर की तुलना में अप्रैल-अक्तूबर, 1999 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन 19.08 मिलियन मीटरी टन (एम.एम.टी.) था और इस सकारात्मक प्रवृत्ति के निरन्तर चलने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

प्रदूषण रोकने संबंधी कदम

1020. **डा० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय और भारतीय उच्चतम न्यायालय ने प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए क्या निदेश जारी किए हैं; और

(ग) इन निदेशों को किस सीमा तक लागू किया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम और उसके नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

1. वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए बहि:स्राव और उत्सर्जन मानक पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किए गए हैं।

2. उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक उपकरण लगाने के निर्देश दिए गए हैं और दोषी इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

3. लघु स्तर की औद्योगिक इकाइयों के समूहों में साझा बहि:स्राव शोधन संयंत्र (सी ई टी पी) लगाने के लिए विश्व बैंक

के अन्तर्गत एक स्कीम देश के विभिन्न भागों में कार्यान्वित की गई है।

4. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 लागू कर दी गई है जिसके अनुसार विकासात्मक परियोजनाओं की 29 विशिष्ट श्रेणियों का पर्यावरणीय मूल्यांकन शामिल किया जाता है।

5. उद्योगों के लिए स्थान निर्धारित करने हेतु पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

6. देश की प्रमुख नदियों में जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.) शुरू की गई है।

7. मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहनों के लिए बहिःस्राव मानक अधिसूचित किए गए हैं। वाहन ईंधन की गुणवत्ता को भी अपग्रेड किया गया है।

8. औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय क्षेत्रों और शांत घोषित जोन के संबंध में परिवेशी ध्वनि संबंधी मानक पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किए गए हैं।

9. दिल्ली में सभी हाट मिक्स संयंत्र बन्द कर दिए गए हैं।

10. दिल्ली में कुछ परिसंकटमय और हानिकारक औद्योगिक इकाइयों को बन्द कर दिया गया है।

11. दिल्ली में सभी ईंट भट्टे बन्द कर दिए गए हैं।

12. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिल्ली में प्रदूषण पर तैयार की गई कार्य-योजना, जैसा कि 3 दिसम्बर, 1997 को जारी किए गए 'कार्य-योजना सहित प्रदूषण संबंधी श्वेत पत्र' में उल्लेख था, कि प्रगति को मॉनीटर करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु एक पर्यावरण प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण स्थापित किया गया है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कांडला और खाड़ी के बीच चार लेन वाले बाई-पास का निर्माण

1021. श्री पी०एस० गढ़वी : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला पत्तन न्यास, कांडला और खाड़ी के बीच चार लेन वाले बाई-पास सड़क के निर्माण के प्रस्ताव पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो योजना की विशेषता क्या है; और

(ग) परियोजना के कब तक आरंभ होने की संभावना है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां। कांडला पत्तन न्यास कांडला और खरीरोहर के बीच चार लेन वाले बाईपास के निर्माण संबंधी प्रस्ताव पर सहमत है।

(ख) इस स्कीम के तहत गांधीधाम में रा.रा.-8ए के जंक्शन से कांडला में तेल जैट्टियों वाले क्षेत्र तक कांडला-खरीरोहर सड़क को चौड़ा करके चार लेन का बनाना, नकटी क्रीक पर पुल का निर्माण और उक्त सड़क पर 12 कि.मी. लम्बे एक रेल-ओवर-ब्रिज (आर ओ बी) का निर्माण कार्य शामिल है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 40.00 करोड़ रु० होगी।

(ग) यह परियोजना जनवरी, 2000 तक शुरू होने की संभावना है।

[हिन्दी]

उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों की स्थापना

1022. श्री मानसिंह पटेल : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों से अलग-अलग उच्च न्यायालयों की न्यायपीठ स्थापित करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन न्यायपीठों की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान किन प्रस्तावों पर विचार किया गया लेकिन अभी तक न्यायपीठों की स्थापना नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) से (घ) किसी राज्य सरकार से, प्रधान न्यायपीठ से दूर उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठ की स्थापना के लिए, जसवंत सिंह आयोग द्वारा सिफारिश किए गए व्यापक सिद्धांतों और मानदंड के अनुरूप, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, कोई विनिर्दिष्ट पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, पश्चिमी बंगाल सरकार ने, उत्तरी बंगाल के जलपाईगुडी में, उच्च न्यायालय की सर्किट न्यायपीठ स्थापित करने के लिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से एक प्रस्ताव भेजा है। वह समय बता पाना संभव नहीं है जब तक इस संबंध में कोई विनिश्चय किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

नागरिकों को मताधिकार से वंचित करना

1023. श्री पी०सी० थामस : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागरिकों को मताधिकार से वंचित करने के लिए जिम्मेदार सरकारी अधिकारी दंड के भागी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक व्यक्ति जिनके नाम मत सूची में थे तथा जिन्हें विधिवत पहचान-पत्र जारी किए गए थे, मतदाता सूची से नाम हटा दिए जाने के कारण हाल ही में संपन्न चुनावों में मतदान नहीं कर पाए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है, तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या हाल ही में संपन्न संसदीय चुनाव के दौरान केरल से धांधली, मत केन्द्रों पर कब्जा तथा व्यापक स्तर पर फर्जी मतदान की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में की गई/प्रस्तावित कार्रवाई क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

प्राकृतिक गैस का आयात

1024. **श्री श्रीपाद येसो नाईक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक गैस का आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो देश-वार, कितनी मात्रा में प्राकृतिक गैस का आयात किया जाना है;

(ग) क्या इस आयातित गैस के एक भाग को प्रत्येक राज्य को प्रदान किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मात्रा क्या होगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : (क) और (ख) सरकार ने ओमान तथा ईरान से पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस का आयात करने की संभावना की तलाश की है। तथापि, तकनीकी-आर्थिक व भू-राजनीतिक कारणों की वजह से अब तक इन पहलों को कोई सफलता नहीं मिली है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राजस्थान में टेलीफोन डायरेक्टरी जारी करना

1025. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान राजस्थान में टेलीफोन डायरेक्टरियां जारी नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं और उन शहरों के नाम क्या हैं जिनके लिए डायरेक्टरियां जारी नहीं की गई हैं; और

(ग) सरकार ने समय पर टेलीफोन डायरेक्टरियां जारी करना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये हैं और उनके शुद्धिपत्र क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) पिछले दो वर्षों में, राजस्थान के 24 गौण स्विचन क्षेत्रों (दूरसंचार जिला) में से 19 क्षेत्रों में डायरेक्ट्री जारी की गई है।

(ख) ऐसे स्थान जहां पिछले दो वर्षों के दौरान डायरेक्ट्री जारी नहीं की गई है, वे बाड़मेर, चूरू, श्रीगंगानगर, जैसलमेर तथा झालावाड़ हैं। निविदा को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण यह विलंब हुआ।

(ग) डायरेक्ट्री का समय पर मुद्रण करवाने के लिए डायरेक्ट्री मुद्रण नीति में हाल ही में संशोधन किया गया है। संशोधित विशिष्टताओं में, विक्रेताओं के लिए पूर्व-अर्हता, कठोर अर्थ दंड क्लॉज, निष्पादन बैंक गारंटी चरणबद्ध बोली, मुख्य महाप्रबंधकों को नकारात्मक रॉयल्टी आधार पर भी टेलीफोन डायरेक्ट्री का मुद्रण करवाने संबंधी निर्णय लेने का अधिकार प्रत्यायोजित करना तथा बड़े महानगरों में इंटरनेट तथा सी डी रॉम में भी डायरेक्ट्री उपलब्ध करवाना आदि शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

सड़क क्षेत्र में अनुसंधान और विकास योजनाएं

1026. **श्री बाबूभन रियान** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान और विकास से संबंधित कितनी योजनाएं पूरी की गई; और

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान इस संबंध में शुरू की जाने वाली प्रस्तावित योजनाएं कौन-कौन सी हैं ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान पूरी की गई अनुसंधान स्कीमों की सूची :

क्र.सं.	स्कीम सं०	विवरण
1	2	3
क : सड़क		
1.	आर-16	विभिन्न यातायात और जलवायु परिस्थितियों में नम्य पेवमेंट का अध्ययन।
2.	आर-18	समतल घर्षण कारकों, चालकों की अवधारणा और ब्रेक प्रतिक्रिया समय तथा-दूर दृष्टि अपेक्षाओं पर ज्यामितिय डिजाइन अध्ययन।
3.	आर-57	राजमार्ग परियोजनाओं का पर्यावरणीय प्रभाव और उसका नियंत्रण संबंधी मामला अध्ययन।

1	2	3
4.	आर-60	फील्ड सी बी आर के मापन हेतु पोर्टेबल इलैक्ट्रानिक यंत्र का विकास।
5.	आर-65	उच्च तटबंधों के लिए कम्प्यूटर आधारित प्रणाली में सुधार।
6.	आर-66	बेंकलेमैन बीम का स्वचलन।
ख : पुल		
1.	बी-14 विस्तार :	राजमार्गीय पुलों के लिए कम्प्यूटर आधारित मानक डिजाइन और ड्राइंग्ज का विकास।
2.	बी-19	राजमार्गीय पुलों के लिए भूंकपरोध डिजाइन का अध्ययन।
3.	बी-21	जल के अन्दर जांच हेतु अद्यतन विकसित तकनीक रिपोर्ट तैयार करना।
4.	बी-22	पुल बेयरिंग के विकास पर अद्यतन विकसित तकनीक रिपोर्ट तैयार करना।
ग : यातायात एवं परिवहन		
1.	आर-40	रंगलेप और सड़क चिन्हांकन सामग्री का विकास।
2.	आर-47	शहरी और अर्द्धशहरी लघु परिवहन भाड़ा यातायात का आकलन।
3.	आर-62	राष्ट्रीय राजमार्गों पर बहु-धुरीय वाहनों के भाड़ा यातायात प्रचालन हेतु बुनियादी सुविधाओं से संबंधित दिशानिर्देश तैयार करना।
4.	आर-64	राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना बहुल स्थानों के चिन्हांकन और उपयुक्त सुरक्षा प्रणाली में सुधार हेतु निवारक प्रणाली की स्थापना तथा उनका निजीकरण।
5.	आर-79	सड़क दुर्घटना लागत का मूल्यांकन।

(ख) 1999-2000 के दौरान संस्वीकृति हेतु प्रस्तावित नई आर एंड डी स्कीमें :

विवरण

क. सड़क

1. प्राथमिक मझली और शहरी सड़कों के अनुरक्षण प्रबंधन हेतु मार्ग-निर्देश तैयार करना।
2. हिमालय क्षेत्र में जोखिम रहित सड़क नेटवर्क की स्थापना हेतु भू-इंजीनियरिंग में भू-स्खलन संबंधी कठिनाइयों के मूल्यांकन का अध्ययन तथा पहाड़ी सड़कों का इन कठिनाइयों के न्यूनीकरण हेतु मानचित्रीकरण।
3. नम्य पेवमेंटों के कार्य-निष्पादन पर ह्वील-शोल्डर्ज के प्रभाव का अध्ययन।

ख. पुल

1. राजमार्गीय पुलों के लिए प्रचल-भार का यौक्तिकीकरण।
2. गोलाश्म नदियों में कटाव गहराई का निर्धारण।
3. उपलब्ध देशी सामग्री से पेवमेंट और पुलों में प्रयोग हेतु उच्च कार्य-निष्पादन वाली कंक्रीट बनाने के लिए विशेष मापदंडों का मसौदा तैयार करना।
4. पहाड़ी सड़कों के लिए सिफारिश किए गए पुल।

ग. यातायात और परिवहन

1. होर्डिंग के बारे में नीति का विकास।
2. भारतीय परिस्थितियों में शांत यातायात विधियों के लिए मार्गनिदेश विकसित करना।
3. सुरक्षा आडिट हेतु मार्गनिदेश तैयार करना।
4. भारतीय परिस्थितियों के लिए कुशल परिवहन प्रणाली का विकास।
5. भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए राजमार्ग प्रबंधन प्रणाली विकसित करना।

उत्तर प्रदेश में विद्युत की कमी

1027. **श्री नारायण दत्त तिवारी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्ष से अधिक वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में बिजली की भारी कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और द पावर ग्रिड कार्पोरेशन आदि निगमों ने राज्य सरकार के सहयोग से इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों अर्थात् 1996-97 से 1998-99 के दौरान उत्तर प्रदेश ने 10 से 14 प्रतिशत तक की ऊर्जा कमी का अनुभव कर रहा है। चालू वर्ष में यह 11 प्रतिशत रही है। राज्य में समग्र विद्युत उपलब्धता को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सेक्टर उत्पादन केन्द्रों के अनाबंटित कोटा से आबंटन किया जाता है। पूर्वी क्षेत्र में एन.टी.पी.सी. केन्द्रों से 60 मेगावाट विद्युत आबंटन के जरिये राज्य को पड़ोसी पूर्वी क्षेत्र से सहायता भी प्रदान की गई है। बहरहाल, विद्युत गिरावट से निबटने के लिए अतिरिक्त विद्युत हेतु यू.पी.एस.ई.बी. की वित्तीय स्थिति में सुधार करने की जरूरत है।

राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, एन.टी.पी.सी. और पावर ग्रिड कारपोरेशन के जरिये उत्तर प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए विगत तीन वर्षों में निम्नांकित उपाय किये गये हैं।

एन.एच.पी.सी.

1. धौलीगंगा एच.ई. परियोजना (चरण-I) 280 मेगावाट का निर्माण।

एन.टी.पी.सी.

1. फरवरी, 92 में एन.टी.पी.सी. द्वारा हाथ में लेने के पश्चात् ऊंचाहार टी.पी.एस. के निष्पादन में सुधार। संयंत्र ने वर्ष 1998-99 के दौरान 82.2 प्रतिशत का पी.एल.एफ. प्राप्त किया, जबकि फरवरी, 92 में यह उपलब्धि 20.77 प्रतिशत थी।

2. वर्ष 1999 के दौरान ऊंचाहार में प्रत्येक टी.पी.एस. में 210 मेगावाट की दो यूनिटों के अलावा उत्तर प्रदेश का हिस्सा 144 मेगावाट है।

3. एन.टी.पी.सी. दसवीं योजना में बिहार में कोयला आधारित तीन मेगा परियोजनाएं अर्थात् उत्तरी करनपुरा एस.टी.पी.पी. (4x500 मेगावाट), कहलगांव चरण-II (3x500 मेगावाट) तथा बाढ़ एस. टी.पी.पी. (4x 500 मेगावाट) यू.पी.सी.ई.बी. ने नार्थ करनपुरा, कहलगांव-II तथा बाढ़ से क्रमशः 180 मेगावाट, 140 मेगावाट तथा 180 मेगावाट आवंटन के लिए कहा है।

पावर ग्रिड

1. उत्खनन प्रणाली का निर्माण टेहरी हाइड्रो परियोजना समेत विभिन्न केन्द्रीय सेक्टर उत्पादन परियोजनाओं से सम्बद्ध है।

2. 500 मेगावाट एच.वी.डी.सी. बैक टू बैक लिंक पूर्वी क्षेत्र में सासाराम (बिहार) तथा उत्तरी क्षेत्र में इलाहाबाद (उ०प्र०) के बीच में अपनी सहबद्ध ए.सी. पारेषण प्रणाली के साथ प्रगति पर है। इससे उत्तर क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र से 500 मेगावाट सरप्लस विद्युत का आयात कर सकेगा।

कैल्सियम कार्बाइड

1028. **श्री जी० पुट्टास्वामी गोड़ा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैल्सियम कार्बाइड को पेट्रोलियम उत्पाद या विस्फोटक पदार्थ के रूप में घोषित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक में कैल्सियम कार्बाइड की बिक्री के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : (क) से (ग) कैल्शियम कार्बाइड, ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952, जिसके लिए पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 को लागू किया गया है, के तहत, खतरनाक रूप से ज्वलनशील पदार्थ घोषित है। पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के तहत तैयार की गई कैल्शियम कार्बाइड नियमावली, 1987 कैल्शियम कार्बाइड के आयात, भंडारण, परिवहन इत्यादि को विनियमित करती है। कैल्शियम कार्बाइड का आयात तथा भण्डारण करने का लाइसेंस विस्फोटक विभाग से प्राप्त करना होता है, तथापि इसकी ऐसी मात्रा, जो 500 किलोग्राम से अधिक न हो, हेतु लाइसेंस देने के लिए जिला प्राधिकारी शक्तिप्रदत्त है। इस नियमावली के तहत अनुबद्ध कुछ एक शर्तों के होते इसकी ऐसी मात्रा, जो 200 किलो ग्राम से अधिक न हो, संग्रह करने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। यह नियमावली कर्नाटक समेत देशभर में लागू है।

[हिन्दी]

दूरसंचार कालोनी की खाली जमीन पर निर्माण कार्य

1029. **डा० बलिराम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्कालीन संचार मंत्री ने अप्रैल, 1999 के दौरान दूरसंचार कालोनी, उद्यान मार्ग, गोल मार्किट का शिलान्यास किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या माननीय मंत्री ने यह घोषणा की थी कि इस कालोनी में एक सेन्ट्रल पार्क, कम्युनिटी सेन्टर, डाकखाना, बैंक और प्राइमरी स्कूल भी होगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा खाली पड़ी जमीन पर अब तक निर्माण कार्य को शुरू न करने का क्या कारण है; और

(च) इन सभी भवनों का निर्माण कार्य कब तक शुरू और पूरा करने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) उद्यान मार्ग पर दूरसंचार विभाग के स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए दिनांक 14.4.99 को तत्कालीन संचार मंत्री श्री जगमोहन द्वारा आधारशिला रखी गई थी।

(ग) और (घ) आधारशिला रखने संबंधी समारोह के अवसर पर तत्कालीन माननीय संचार मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि योजनागत नये क्वार्टर निर्माण के साथ-साथ, पार्क सामुदायिक भवन आदि अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सेंट्रल पार्क का कार्य प्रगति पर है और सामुदायिक हाल की योजना तैयार की जा रही है।

(ङ) और (च) एन.डी.एम.सी. द्वारा योजना के अनुमोदन/पुनः वैधीकरण तथा प्राक्कलन आदि की स्वीकृति के लिए कार्रवाई प्रगति पर है। एन.डी.एम.सी. द्वारा योजना का अनुमोदन तथा प्राक्कलन की स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य के लिए 36 माह की अवधि तय की गई है।

[अनुवाद]

ग्राम सुरक्षा समितियों को प्रशिक्षण

1030. **डा० जयंत रंगपी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम सुरक्षा समितियों के सदस्यों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने और आधुनिक हथियार उपलब्ध कराने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार ऐसी समितियों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा पूरे देश में इस योजना के विस्तार का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (घ) "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं तथा ग्राम सुरक्षा समितियों जैसी स्कीमें, राज्य सरकारों द्वारा अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बनाई जाती है। भारत सरकार द्वारा इस बारे में अखिल भारतीय आधार पर कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, जहां तक जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार का प्रश्न है, जम्मू व कश्मीर में उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार की ग्राम सुरक्षा समिति जैसी एक स्कीम है तथा उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य में 1700 ग्राम सुरक्षा समितियां मौजूद हैं। ग्राम सुरक्षा समितियों के सदस्य स्वयंसेवक होते हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण और शस्त्र व गोला बारूद की आपूर्ति की जाती है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, नागालैण्ड के दो जिलों में "विलेज गार्ड्स" के रूप में दो ऐसे ही संस्थान मौजूद हैं।

अपने-अपने राज्य में किसी ग्राम सुरक्षा समिति स्कीम को शुरू करने संबंधी निर्णय लेने का काम संबंधित राज्य सरकारों का है।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण में विलंब

1031. **श्री राजीव प्रताप रूडी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग ने अपने मापदंडों के अनुसार डाकघर को एक से तीन दिनों के भीतर वितरित होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में 60 प्रतिशत डाक वितरण विलंब से हो रहा है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण में सबसे अधिक विलंब होता है; और

(घ) यदि हां, तो देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर डाक वितरण हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) विभाग ने विभिन्न श्रेणियों की डाक के लिए दूरी, परिवहन संपर्क तथा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के अनुसार डाक में डाले जाने वाले दिन से 1 से 5 दिनों के भीतर उसके वितरण के लिए विभिन्न मानदंड निर्धारित किए हैं।

(ख) जी, नहीं। अखिल भारतीय लाइव मेल सर्वेक्षण, 1998 के परिणामों के अनुसार 75 प्रतिशत डाक मानदंडों के भीतर वितरित की जाती है।

(ग) जी, नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण सामान्यत: संतोषजनक है। अखिल भारतीय लाइव मेल सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण की स्थिति निम्नानुसार है :

गृह जिला	:	79.7 प्रतिशत
गृह राज्य	:	71.9 प्रतिशत
पड़ोसी राज्य	:	64.6 प्रतिशत
दूरस्थ राज्य	:	59.0 प्रतिशत

(घ) समूचे देश में तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में डाक वितरण की क्षेत्रीय तथा निदेशालय, दोनों ही स्तरों पर नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है तथा जहां कहीं भी विलंब ध्यान में आता है, वहां आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

टेंडर माफिया

1032. **श्री चन्द्रनाथ सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 अक्टूबर, 1999 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "टेंडर माफिया कंट्रोल्स कंस्ट्रक्शन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) इस आशय की शिकायतें मिली थी कि दिल्ली नगर निगम में एक "टेंडर माफिया" सक्रिय है जिसने उन असली ठेकेदारों को यह धमकी दी है कि यदि उन्होंने निगम द्वारा विज्ञापित विभिन्न कार्यों के लिए टेंडर भरे तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल की और इस कदाचार से संबंधित कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। यह भी ठीक है कि 13 अक्टूबर, 1999 को मारे गए एक छापे के दौरान दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में गीता कालोनी क्षेत्र से चलाए जा रहे नकली सीमेंट बनाने के एक कारखाने का पता लगाया है। चार साथियों समेत कारखाने के स्वामी को गिरफ्तार किया गया है।

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि बेईमान तत्वों द्वारा निविदा भरने की प्रक्रिया दूषित न की जाए, दिल्ली नगर निगम द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

1. क्षेत्रीय/डिवीजनल अधिकारियों द्वारा जारी एन.आई.टी. के बारे में सूचना देते हुए पुस्तिकाओं का नियमित रूप से प्रकाशन करना;
2. मुख्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और डिवीजनल कार्यालयों से एक साथ निविदा प्रपत्रों को जारी करना;
3. डिवीजनल कार्यालयों के स्थान पर क्षेत्रीय कार्यालयों में निविदा बक्सों को खोलना; तथा
4. क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर अधिमानत: नियत्रंण कक्ष में स्थाई निविदा बक्सों का निर्माण करना।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों का खोला जाना

1033. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के विदिशा, सीहोर और रायसेन जिलों में कितने टेलीफोन एक्सचेंज खोले जा रहे हैं;

(ख) 30 सितंबर, 1999 की स्थिति के अनुसार कितने टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं तथा इन जिलों में कितने गांवों को इन टेलीफोन एक्सचेंजों के जरिए टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का इन जिलों के सभी गांवों में टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन गांवों में टेलीफोन सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) विदिशा के 627, सिहोर के 215 तथा रायसेन के 465 शेष ग्रामों में मध्य प्रदेश दूरसंचार सर्किल के बुनियादी सेवा प्रदाता मै० भारती टेलीनेट लि० द्वारा टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने हैं।

(ङ) मै० भारती टेलीनेट लि० ने कहा है कि विदिशा, सिहोर और रायसेन जिलों में सेवाओं की शुरुआत अगले वर्ष से करने की योजना बनाई गई है।

विवरण

मध्य प्रदेश में खोले जा रहे/कार्यरत एक्सचेंज तथा विदिशा, सिहोर और रायसेन जिलों में टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त गांवों की संख्या

	विदिशा	सिहोर	रायसेन
खोले जा रहे टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	03	शून्य	03
30 सितम्बर, 1999 की स्थिति के अनुसार कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	49	51	58
इन एक्सचेंजों के माध्यम से टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त ग्रामों की संख्या	937	813	964

बरौनी तेलशोधक कारखाने में पेट्रो-रसायन इकाई की स्थापना

1034. **श्री रामजीवन सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के बरौनी तेलशोधक कारखाने में पेट्रो-रसायन इकाई की स्थापना के लिये कोई कदम उठाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बरौनी तेलशोधक कारखाने के आधुनिकीकरण और विस्तार का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बरौनी रिफाइनरी विस्तार परियोजना को फरवरी 2002 तक पूरा कर लेने का कार्यक्रम है।

[अनुवाद]

बंगलौर में नए टेलीफोन कनेक्शन

1035. **श्री एच०जी० रामुलू** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर दूरसंचार जिले में घटाए गए पंजीकरण शुल्क पर कितने लोगों ने नए टेलीफोन के लिए पंजीकरण कराया है;

(ख) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए घटाए गए पंजीकरण शुल्क का ब्यौरा क्या है;

(ग) नए और पुराने पंजीकरण शुल्क में क्या अंतर है; और

(घ) इन आवेदकों को कब तक नए कनेक्शन दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) बंगलौर दूरसंचार जिले में नए टैलीफोनों के लिए कम पंजीकरण शुल्क पर 1,13,986 व्यक्तियों ने पंजीकरण करवाया है।

(ख) 1.11.1999 से 5.11.1999 तक की अवधि के लिए लागू कम पंजीकरण शुल्क का ब्यौरा इस प्रकार है :-

1. शहरी क्षेत्र — 1000/- रु०
2. ग्रामीण क्षेत्र — 500/- रु०

(ग) नए (कम किए गए) तथा पुराने पंजीकरण शुल्क के बीच अंतर इस प्रकार है :-

10,000 लाइनों अथवा अधिक लाइनों वाली एक्सचेंज प्रणाली

	शहरी	ग्रामीण
पुरानी दर	3,000	3,000
नई दर	1,000	500

10,000 लाइनों से कम लाइनों वाली एक्सचेंज प्रणाली

	शहरी	ग्रामीण
पुरानी दर	2,000	1,000
नई दर	1,000	500

(घ) इन आवेदकों में से 90% आवेदकों को 31.12.2000 तक टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

फुलोखाड़ी तेलशोधक कारखाने का निर्माण

1036. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के भंटिडा जिले में फुलोखाड़ी तेलशोधक कारखाने के निर्माण में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : (क) परियोजना के लिए लगभग 2000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। गुजरात में भटिंडा तक प्रस्तावित कच्चा तेल पाइपलाइन के लिए विस्तृत पाइपलाइन मार्ग सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। कच्चा तेल टर्मिनल, पाइपलाइन तथा सिंगल प्वाइंट मूरिंग के लिए पर्यावरणीय अनुमोदन के अलावा परियोजना हेतु पर्यावरणीय अनुमोदन भी प्राप्त किए जा चुके हैं।

(ख) परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम भागीदारी के निर्धारण के बाद 48 महीनों के भीतर परियोजना के पूरा हो जाने का अनुमान है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के बेतूल जिले में रसोई गैस कनेक्शन

1037. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन स्थानों पर जहां नगर पंचायत/ नगरपालिकाएं हैं वहां रसोई गैस एजेंसियां स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश के बेतूल जिले में रसोई गैस एजेंसियां स्थापित की जाएंगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : (क) विद्यमान नीति के अनुसार ऐसे स्थानों, जहां ग्राम पंचायतें/नगरपालिकाएं हैं, समेत देश के विभिन्न भागों में आर्थिक रूप से व्यवहार्य एल.पी.जी. डिस्ट्रिब्यूटरशिपें स्थापित करने के लिए निम्नांकित मानदंड अपनाये जाते हैं :

1. 15 किलो मीटर के अर्द्धव्यास के अंतर्गत अवस्थित समीपवर्ती गांवों की संभाव्यता को शामिल करते हुए 10,000 और उससे अधिक आबादी वाले सभी शहरी स्थान।

2. 15 किलो मीटर अर्द्धव्यास के अंतर्गत अवस्थित समीपवर्ती गांवों की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए 5,000 और इससे अधिक आबादी वाले शहरी स्थान।

3. ऐसे मुख्य गांवों, जिनकी आबादी 10,000 और इससे अधिक है, के 15 किलो मीटर अर्द्धव्यास के अंतर्गत आने वाले गांवों का समूह।

4. ऐसे कस्बों, जिनकी आबादी 1 लाख और इससे अधिक है, के चारों ओर 15 किलो मीटर अर्द्धव्यास के अंतर्गत अवस्थित गांव।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश के बेतूल जिलान्तर्गत तीन स्थान, अर्थात् मुल्ताई, भैंसदेही तथा बेतूल बाजार, वर्तमान एल पी जी विपणन योजना 1996-98 में शामिल किए गए हैं।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन-सुविधा

1038. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गांवों में टेलीफोन उपलब्ध कराने के लिए सही प्रौद्योगिकी के चयन हेतु समिति का गठन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है;

(घ) महाराष्ट्र में जालणा जिले के कितने गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है;

(ङ) जिले के शेष गांवों में टेलीफोन-सुविधा कब तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है;

(च) क्या महाराष्ट्र में बहुत सारे टेलीफोन ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) इस संबंध में और 45,000 गांवों, विशेषतः महाराष्ट्र के परभनी जिले के गांवों को टेलीफोन-सुविधा से जोड़ने संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) जी, हां। ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार के विकास तथा प्रचालन से संबंधित समस्याओं का जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इसमें विशेषतौर पर ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन, प्रौद्योगिकी के विकल्प तथा सामग्री की जरूरतों और अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सरकार के लिए कार्यनीति का सुझाव देगी। संचार राज्य मंत्री इस समिति के अध्यक्ष हैं, सचिव (दूरसंचार सेवा विभाग) तथा दूरसंचार आयोग के सभी सदस्य और कुछ अन्य संबंधित अधिकारी इस समिति के सदस्य हैं। आशा है कि यह समिति एक माह के अंदर अपनी रिपोर्ट दे देगी।

(घ) और (ङ) जालना जिले में कुछ 966 गांव हैं। दिनांक 31.10.1999 तक 855 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए जा चुके हैं तथा शेष गांवों में यह सुविधा मार्च, 2002 तक प्रदान कर दिए जाने का प्रस्ताव है।

(च) से (ज) जी, नहीं। कुल ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन के 5% से भी कम टेलीफोन खराब हैं। खराब टेलीफोनों को, जरूरत के अनुसार विभागीय आधार पर तथा आपूर्तिकर्त्ताओं की मदद से ठीक करा लिया जाता है। चालू वर्ष के दौरान 45,000 वी पी टी के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भण्डार में उपलब्ध उपस्कर व भूमिगत केबल का प्रयोग किया जाएगा। महाराष्ट्र के परभनी जिले के शेष 350 गांवों में 2002 तक यह सुविधा प्रदान कर दिए जाने की आशा है।

पेट्रोलियम उत्पादों के लिए राजसहायता

1039. **श्री माणिकराव होडल्या गावित** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में पेट्रोलियम उत्पादों के लिए और अधिक राजसहायता प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नवम्बर, 1997 में सरकार ने निर्णय ले लिया था कि एल पी जी (घरेलू) और एस के ओ (सार्व. वि. प्र.) पर देय राजसहायता के वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 तक आयात समता मूल्य के क्रमश: 15 प्रतिशत एवं 33.33 प्रतिशत के स्तर पर पहुंचने के लिए इसे चरणों में कम किया जाएगा। इस निर्णय के अनुसार वर्ष 2002 से आगे राजसहायता, राजकोषीय बजट को अन्तरित की जाएगी।

निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकना

1040. **श्री ए०सी० जोस** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने केन्द्र सरकार से सिफारिश की है कि निर्दलीय उम्मीदवारों के लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जानी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव के ब्यौरे, विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में, जो 27.10.1999 को लोक सभा के पटल पर रख दी गई है, उपलब्ध हैं। सरकार ने, अभी तक, इस विषय में कोई विचार नहीं बनाया है।

[हिन्दी]

स्वीकृति हेतु लंबित सिंचाई परियोजनाएं

1041. **श्री अमीर आलम** :
श्री ब्रजमोहन राम :
श्री राजो सिंह :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितनी विकासोन्मुखी सिंचाई परियोजनाएं पर्यावरणीय और वन खण्ड स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी हैं और इनके नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक परियोजना को कितनी वन भूमि की आवश्यकता पड़ेगी; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) हर प्रकार से पूर्ण सिंचाई परियोजनाएं और वे परियोजनाएं, जिन पर मंत्रालय क्रमश: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पर्यावरणीय और वानिकी स्वीकृति के लिए सक्रिय रूप से विचार कर रहा है, का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क. *पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लम्बित*

1. उड़ीसा की पीपलपंका बांध परियोजना

ख. *वानिकी स्वीकृति हेतु लम्बित*

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षेत्र (हैक्टेयर)
1	2	3	4
1.	गुमला जिले में धानसिंह टोली सिंचाई परियोजना।	बिहार	53.62
2.	गुंडाला आर.एफ, खम्माम जिले में निम्मावागू परियोजना का निर्माण।	आंध्र प्रदेश	19.82
3.	खम्माम जिले में पलेमवागू के पार जलाशय का निर्माण	आंध्र प्रदेश	273.04
4.	डांग डोडीपाड़ा सिंचाई परियोजना	गुजरात	92.28
5.	वलसाड में सिदूमबार जलाशय	गुजरात	427.13
6.	चौक्या सिंचाई परियोजना, डांग	गुजरात	122.50
7.	पुणे जिले में आंध्र घाटी मध्यम सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	131.40

1	2	3	4
8.	खैरकुट्टी का कोल्हापुर टाइप स्टोरेज	महाराष्ट्र	0.94
9.	संगवी का कोल्हापुर टाइप स्टोरेज	महाराष्ट्र	0.97
10.	सतारा जिले में उरमोदी सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	28.62
11.	घोसी खुर्द राइट बैंक नहर का निर्माण कि.मी. 11-25	महाराष्ट्र	121.37
12.	वर्धा में मदन टैंक का निर्माण	महाराष्ट्र	13.90
13.	सेंगुलाम संवर्धन स्कीम	केरल	9.78
14.	तिरुवनामाला जिले में शेनबेगाभोप गांव में कमांदलर नदी के पार जलाशय	तमिलनाडु	99.62
15.	तिरूवनामलाई जिले में कुपनाथम के नजदीक चेय्यार नदी के पार जलाशय का निर्माण	तमिलनाडु	13.35
16.	भोगपुर नहर, हरिद्वार	उत्तर प्रदेश	15.63
17.	नालाकुलाघई लघु सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	7.91

[अनुवाद]

सेलुलर टेलीफोन सर्विस

1042. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश के प्रत्येक भाग को सेटेलाइट से जोड़ने हेतु सेटेलाइट लिंकेज स्थापित करने तथा विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के कोंकण क्षेत्र जैसे आंतरिक भागों में रहने वाले लोगों को सेलुलर टेलीफोन देने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह कार्य किसी विशेषज्ञ एजेंसी को दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) देश में सेटेलाइट लिंकेज सेल्यूलर टेलीफोन सेवा शुरू करने की सरकार कोई योजना नहीं है। तथापि, सरकार ने इरीडियम इण्डिया टेलीकॉम लिमिटेड नामक एक निजी प्रचालक को महाराष्ट्र सहित संपूर्ण देश में सेटेलाइट द्वारा ग्लोबल मोबाइल कम्यूनिकेशन सेवा (जीएमपीसीएस) प्रदान करने का लाइसेंस दिया है। इस सेवा की शुरूआत पहले ही हो चुकी है।

भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों की बैठक

1043. श्री रामचन्द्र बैंदा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनाव शांत करने और सीमा पार से गोलीबारी और निषिद्ध माल की तस्करी की घटनाएं रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और समस्तरीय अधिकारियों की लाहौर में नवम्बर 1999 में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या इस बैठक के बाद सीमा पर स्थिति में कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या भविष्य में ऐसी और बैठकें किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) इस बैठक के दौरान, दोनों पक्ष सीमा के साथ-साथ शान्ति स्थापना और अमन-चैन बनाए रखने और अकारण गोलीबारी न करने पर सहमत हुए। यह भी निर्णय किया गया कि निषिद्ध माल की तस्करी के बारे में आसूचना का आदान-प्रदान किया जाए ताकि इसे रोका जा सके।

(ग) यह बैठक हाल ही में हुई थी। स्थिति मे किसी प्रकार का बदलाव अभी नोटिस में नहीं आया है।

(घ) और (ङ) ऐसी बैठकें सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और पाकिस्तान रेन्जर्स के बीच वर्ष में दो बार नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं और ये जारी रहेंगी। ऐसी आगामी बैठक छः मास बाद जालन्धर में आयोजित की जाएगी।

स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन हेतु मानदण्ड

1044. श्रीमती कान्ति सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना" के अंतर्गत "स्वतंत्रता सेनानियों" को पेंशन देने के क्या मानदण्ड हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य में इस समय कितने स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ग) सरकार के पास प्रत्येक राज्य के पेंशन दिये जाने के संबंध में कितने आवेदन लंबित हैं; और

(घ) इन आवेदनों को, विशेषकर बिहार के आवेदनों को सरकार कब तक स्वीकृति प्रदान कर देगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) "स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980" के अधीन पेंशन प्रदान करने के लिए स्वतंत्रता सेनानी व्यक्ति का अर्थ है :

1. स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, मुख्य भूमि की जेल: में कम से कम छः माह की कैद भोगी हो। पेंशन प्राप्ति के लिए भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कार्मिक भी पात्र हैं यदि

उन्होंने भारत के बाहर छह महीने या अधिक की कैद/निरुद्धि की सजा भोगी है। महिला और अनुसूचित जाति/जनजाति के स्वतंत्रता सेनानियों के मामलों में, पेंशन की पात्रता के लिए कैद में रहने की वास्तविक अवधि तीन माह है।

2. वह व्यक्ति जो छह माह या उससे अधिक तक भूमिगत रहा हो, बशर्ते कि :-

   क. वह घोषित अपराधी रहा हो;

   ख. जिसकी गिरफ्तारी/मार दिए जाने पर कोई इनाम घोषित किया गया हो; अथवा

   ग. जिसके निरुद्धि आदेश जारी तो हो गए हों परन्तु तामील न हुए हों; अथवा

3. ऐसा व्यक्ति जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा छह माह अथवा अधिक की अवधि की अवधि के लिए नजरबंद रखा गया हो अथवा जिले से निष्कासित किया गया हो।

4. ऐसा व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति, राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने के कारण जब्त अथवा कुर्क की गई हो और नीलाम कर दी गई हो।

5. ऐसा व्यक्ति जो गोली-बारी अथवा लाठी चार्ज के कारण स्थाई रूप से विकलांग हो गया हो।

6. ऐसा व्यक्ति जिसकी सरकारी नौकरी (स्थानीय निकायों में रोजगार समेत) राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने की वजह से चली गई हो।

7. ऐसा व्यक्ति जिसे 10 बैंत/कोड़ों/चाबुक मारने की सजा सुनवाई गई हो।

(ख) से (घ) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन के लिए पात्र, कोई भी मामला जो सभी प्रकार से पूर्ण हो, लम्बित नहीं है। तथापि, विगत में एक या उससे अधिक बार अस्वीकृत मामलों के बारे में विभिन्न राज्यों से मिले 3152 पुनरीक्षा आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं। राज्य-वार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :-

आंध्र प्रदेश	86
असम	88
बिहार	706
गुजरात	24
हरियाणा	10
हिमाचल प्रदेश	6
जम्मू एवं कश्मीर	22
कर्नाटक	122
केरल	119
मध्य प्रदेश	147
महाराष्ट्र	140
उड़ीसा	55
पंजाब	284
राजस्थान	13
तमिलनाडु	31
उत्तर प्रदेश	207
पश्चिम बंगाल	1077
दिल्ली	15

पुनरीक्षा आवेदनों को तेजी से निपटाने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाते हैं।

पर्यटकों को वीजा

1045. **श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछेक देशों में पर्यटकों के आगमन पर उन्हें वीजा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये देश कौन-कौन से हैं;

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(घ) इससे देश में पर्यटकों के आगमन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

केरल में राष्ट्रीय पार्क का विकास

1046. **श्री टी० गोविन्दन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राष्ट्रीय पार्क और वन सम्पदा के विकास और रखरखाव के लिए कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) केरल सरकार ने "राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य विकास" के अंतर्गत 277.41 लाख रुपए "हाथी परियोजना" के अंतर्गत 7231.87 लाख रुपए, बाघ परियोजना के अंतर्गत 106.3 लाख रुपए तथा भारत-पारिविकास परियोजना के तहत 769.27 लाख रु० की सहायता की मांग करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। निधियां उपलब्ध होने पर निम्नलिखित राशियां मंजूर की गई हैं :

क्र. सं.	स्कीम परियोजना का नाम	अनुमोदित राशि (लाख रु० में)
1.	राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों का विकास	73.37
2.	हाथी परियोजना	65.20
3.	बाघ परियोजना	42.12
4.	भारत पारि-विकास परियोजना	769.27

वनीकरण संबंधी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत केरल सरकार को जारी की गई राशियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	परियोजना/स्कीम का नाम	जारी की गई राशि (लाख रु० में)
1.	एकीकृत वनीकरण और पारिविकास परियोजना स्कीम	245.56
2.	क्षेत्रोन्मुखी ईंधन लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम	39.77
3.	औषधीय पौधों सहित गैर इमारती वनोत्पाद	3.55

जवानों की विधवाओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

1047. **श्री मोहन रावले :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल (बी०एस०एफ०) ने जम्मू और कश्मीर में जान न्योछावर करने वाले जवानों की विधवाओं के पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) सीमा सुरक्षा बल ने जवानों की विधवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर में एक पुनर्वास और पुन:स्थापना केन्द्र की स्थापना की है। इस समय यह केन्द्र कपड़े सीने, नर्सिंग, घरेलू उत्पाद बनाने, मशरूम उगाने, कम्प्यूटर उपयोग और कार्यालय प्रक्रिया में प्रशिक्षण दे रहा है।

[हिन्दी]

बिहार में प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन

1048. **श्री राजो सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के पटना, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई जिलों में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्राथमिकता के आधार पर बनी प्रतीक्षा सूची में शामिल आवेदकों की संख्या क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त जिलों में प्राथमिकता के आधार पर कितने टेलीफोन कनेक्शन आबंटित किए गए; और

(ग) प्रतीक्षा सूची में शामिल आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन मुहैया कराने और टेलीफोन सेवा की गुणवत्ता को भी बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) बिहार के पटना, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा तथा जमुई जिलों में टेलीफोन कनेक्शन की प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत प्रतीक्षा-सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या इस प्रकार है :-

पटना	शून्य
बेगूसराय	30
लखीसराय	शून्य
शेखपुरा	शून्य
जमुई	शून्य

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त जिलों में प्राथमिकता आधार पर आवंटित टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार है :-

जिले	1996-97	97-98	98-99
पटना	1317	1860	1651
बेगूसराय	178	189	260
लखीसराय	10	12	24
शेखपुरा	5	7	10
जमुई	7	10	13

(ग) प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा किए गए उपाय इस प्रकार हैं :-

1. नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलना
2. एक्सचेंजों की क्षमता को बढ़ाना
3. भूमिगत केबल बिछाकर संयंत्र का विस्तार करना।

[अनुवाद]

विद्युत की स्थिति में सुधार के लिये योजना

1049. **श्री जी०एम० बनातवाला :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत की दशा में सुधार के लिए कोई कार्य योजना बनी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किस तिथि को यह योजना बनी थी; और

(घ) योजना को लागू करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) नौवीं योजना में आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में विद्युत उत्पादन 394.5 बिलियन यूनिट से बढ़कर नौवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् मार्च 2002 तक 606 बिलियन यूनिट करने के लक्ष्य के साथ 40245 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता की परिकल्पना की गई है।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा फरवरी, 99 में अनुमोदित की गई।

(घ) 31.10.99 तक 9427 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता जोड़ी गई है जिससे ऊर्जा की कमी और ऊर्जा की व्यस्ततमकालीन कमी नौवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ में क्रमश: 11.5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत से घटकर 1999 के दौरान क्रमश: 4.8 प्रतिशत और 13 प्रतिशत हो गई है।

महाराष्ट्र में रसोई गैस एजेन्सियां

1050. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में रसोई गैस एजेन्सियों हेतु किन-किन स्थानों का चयन किया गया है और पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी एजेन्सियां स्थापित की गई हैं; और

(ख) राज्य में कहां-कहां रसोई गैस एजेन्सियां स्थापित करने की घोषणा की गई परंतु उक्त अवधि के दौरान उपभोक्ता सेवाएं शुरू नहीं की जा सकीं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए विभिन्न अनुमोदित विपणन योजनाओं से 324 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें लम्बित हैं। तेल कम्पनियों ने 213 स्थानों के संबंध में विज्ञापन दिया है। स्थानों के लिए विज्ञापन देना तथा डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन सतत् प्रक्रिया है।

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1996-97, 1997-98 व 1998-99 के दौरान तेल कम्पनियों ने महाराष्ट में 61 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित की हैं।

महानगर टेलीफोन निगम लि० द्वारा विनिवेश

1051. श्री पवन कुमार बंसल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लि० (एमटीएनएल) ने विनिवेश करने और विदेशी बाजार में अपने शेयरों की बिक्री करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) सरकार का प्रस्ताव, जी डी आर बाजार में एम टी एन एल स्टॉक के 19 मिलियन शेयरों की विनिवेश (डिसइंवेस्ट) करने का है। उपयुक्त बाजार स्थितियों के आधार पर इस शेयर को जारी करने के लिए क्रियान्वित किए जाने की संभावना है।

गंगावरम में छोटे पत्तन का विकास

1052. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार से विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट के साथ मिलकर संयुक्त उपक्रम के रूप में गंगावरम में एक छोटे पत्तन के विकास पर विचार करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो वह इस प्रस्ताव को लागू करने पर किसी सीमा तक सहमत है; और

(घ) इस संबंध में किन कदमों पर विचार किया जा रहा है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) गंगावरम में पत्तन सुविधाओं के एकीकृत विकास संबंधी प्रस्ताव, जो विशाखपट्टनम पत्तन न्यास द्वारा तैयार किया गया है, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।

वरली-बांद्रा को समुद्र से जोड़ने की परियोजना

1053. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरली-बांद्रा को समुद्र से जोड़ने की परियोजना की परिकल्पना पहली बार वर्ष 1992 में की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या एम.एम.आर.डी.ए. ने वर्ष 1992 में परियोजना के लिए प्रौद्योगिकीय आर्थिक व्यवहारिकता संबंधी अध्ययन कराया है और क्या अक्तूबर, 1993 में पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के लिए रिपोर्ट को पर्यावरण और वन मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के न मिलने के कारण परियोजना लंबित पड़ी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसे कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) वर्तमान एलाइनमेंट सहित वरली-बांद्रा को समुद से जोड़ने की परियोजना की संकल्पना प्रारंभ में 1985-86 में की गई थी।

(ख) एम.एम.आर.डी.ए. ने 1992 में परियोजना के लिए तकनीकी

आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन किया था तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को पर्यावरणीय मंजूरी के लिए रिपोर्ट जून, 1993 में प्रस्तुत की गई थी।

(ग) जी, नहीं। इस परियोजना को जनवरी, 1999 में पर्यावरणीय मंजूरी दी गई थी।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

तेलशोधक कारखाना संबंधी परियोजनाओं में विदेशी कम्पनियों का सहयोग

1054. **श्री सुरेश चन्देल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों ने कुछ विदेशी कम्पनियों के सहयोग से तेलशोधक कारखाना संबंधी परियोजनाओं से संबंधित कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) योजना के अंतर्गत विदेशी कम्पनियों, सरकार और अन्य पार्टियों के पृथकत: कितने इक्विटी शेयर हैं; और

(ङ) उक्त परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : (क) और (ख) विदेशी तेल कम्पनियों के सहयोग से निम्न दो रिफाइनरी परियोजनाएं स्थापित की जानी हैं :

1. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा ओमान आयल कम्पनी (ओ ओ सी) के बीच भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम कम्पनी के माध्यम से बीना (मध्य प्रदेश) में मध्य भारत रिफाइनरी परियोजना (सी आई आर पी)।

2. पारादीप में पूर्वी भारत रिफाइनरी (ई आई आर) – इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड तथा कुवैत पेट्रोलियम कारपोरेशन (के पी सी) के बीच एक संयुक्त उद्यम कम्पनी।

(ग) बीना में रिफाइनरी के लिए भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है। रिफाइनरी की लाइसेंससुदा इकाइयों के लिए प्रक्रिया पैकेज प्राप्त किए जा चुके हैं तथा फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन पूरा किया जा चुका है। पारादीप (ई आई आर पी) में रिफाइनरी के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता और लाइसेंससुदा संसाधन इकाइयों के लिए विभिन्न लाइसेंस धारकों की पहले ही नियुक्ति की जा चुकी है।

(घ) सी आई आर पी तथा ई आई आर पी में प्रस्तावित इक्विटी प्रतिभागिता निम्नानुसार होगी :

सी आई आर पी

बी पी सी एल	26 प्रतिशत
ओ ओ सी	26 प्रतिशत
जनता तथा अन्य	48 प्रतिशत

ई आई आर पी

आई ओ सी एल	26 प्रतिशत
के पी सी	26 प्रतिशत
तीसरे पक्षकारों सहित जनता	48 प्रतिशत

(ङ) सी आई आर पी की अनुमानित पूर्णता सभी अनुमोदनों की प्राप्ति के बाद 48 महीने है। ई आई आर पी के जून, 2002 तक पूरा होने का अनुमान है।

पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में संचार प्रणाली का विकास

1055. **श्री पुन्नू लाल मोहले :**
श्री अमर राय प्रधान :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में संचार प्रणाली का विकास करने के लिए अलग-अलग कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) क्या दूरसंचार व्यवस्था इन राज्यों में विशेषकर मध्य प्रदेश के रायपुर जिले के बेसिन क्षेत्र में समुचित रूप से कार्य नहीं कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) बेसिन क्षेत्र में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति वर्ष थे; और

(च) उन्हें कब तक टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क)

(करोड़ रु० में)

राज्य	96-97	97-98	98-99
पश्चिम बंगाल	168.08	227.54	306.58
मध्य प्रदेश	307.87	329.84	390.55

(ख) जी, नहीं। रायपुर एसएसए के बेसिन क्षेत्र सहित इन राज्यों में दूरसंचार प्रणाली संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

(ग) उपर्युक्त भाग "ख" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दूरसंचार सेवाओं में और सुधार लाने के लिए पारेषण माध्यम का उन्नयन किया जा रहा है।

(ङ) रायपुर एसएसए के बेसिन क्षेत्र में प्रतीक्षा सूची में 299 व्यक्ति दर्ज हैं।

(च) मार्च, 2000 तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन लोक अदालत

1056. श्री अमर राय प्रधान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल टेलीकाम सर्किल में कोई लोक अदालत आयोजित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिले-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन अदालतों में कितने मामले निपटाये गए ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल में टेलीफोन अदालतें आयोजित की गई हैं। निपटाए गए मामलों के जिला-वार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1997-99 के दौरान आयोजित टेलीफोन अदालतों के ब्यौरे

क्र. सं.	जिले का नाम	1997-98			1998-99			1999-नव.'99		
		आयोजित टेलीफोन अदालतों की संख्या	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले	आयोजित टेलीफोन अदालतों की संख्या	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले	आयोजित टेलीफोन अदालतों की संख्या	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	24 परगना (उ०)	1	5	5	1	11	2	1	3	—
2.	24 परगना (द०)	1	6	5	1	12	2	1	—	—
3.	बांकुरा	1	10	7	1	8	7	1	7	5
4.	बीरभूमि	—	—	—	1	—	—	1	12	10
5.	बर्दवान	1	13	13	1	18	18	1	19	9
6.	कूच बिहार	—	—	—	—	—	—	1	2	2
7.	दार्जिलिंग	—	—	—	2	—	—	—	—	—
8.	दीनाजपुर (उ०)	2	10	10	—	—	—	—	—	—
9.	दीनाजपुर (द०)	2	8	8	—	—	—	—	—	—
10.	हुगली	1	4	4	1	10	1	1	—	—
11.	हावड़ा	1	5	5	1	11	2	1	—	—
12.	जलपाईगुड़ी	1	—	—	1	30	15	1	15	13
13.	मालदा	1	1	1	1	5	5	—	—	—
14.	मिदनापुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	मुर्शीदाबाद	—	—	—	2	18	18	1	3	3
16.	नाडिया	1	4	4	1	3	3	1	3	3
17.	पुरुलिया	—	—	—	—	—	—	—	—	—

कथित दोषी यातायात पुलिसकर्मी

1057. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 नवम्बर, 1999 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में "ड्रंक ऑन ड्यूटी, ट्रैफिक कॉप इन् जिप्सी टेरेराइजेज कार ड्राइवर ऑन रिंग रोड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) दिल्ली पुलिस ने बताया है कि 10 नवम्बर, 1999 को श्री विनीत अरोड़ा का चालान बगैर (1) ड्राइविंग लाइसेंस; (2) प्रदूषण नियंत्रणाधीन प्रमाण पत्र; तथा (3) बीमा कराए गए वाहन को चलाने और खतरनाक ढंग से वाहन चलाने तथा कानूनी निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए किया गया था। इस बात का खण्डन किया गया है कि जिस अधिकारी ने उनका चालान किया था वह या तो नशे में था अथवा उसकी श्री अरोड़ा की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने की कोई मंशा थी।

नि:शुल्क टेलीफोन-सुविधा

1058. श्री अशोक ना० मोहोल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने विभाग के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को नि:शुल्क टेलीफोन-सुविधा उपलब्ध करायी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस आधार पर सेवारत कर्मचारियों को भी ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) किसी भी कर्मचारी द्वारा दूरसंचार विभाग में की गई लंबी सेवा के सम्मान तथा संगठन के प्रति संतुष्टि एवं अपनेपन की भावना के रूप में उसे रियायती टेलीफोन-सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें टेलीफोन के किराए की पूरी छूट के साथ ही एक सीमित संख्या के नि:शुल्क कॉल भी दिए जाते हैं।

(ग) से (ङ) सक्षम अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाने पर दूरसंचार विभाग के सेवारत कर्मचारियों को उनके कार्य के आधार पर सेवाहित में सर्विस-टेलीफोन दिया जाता है।

[हिन्दी]

प्राइवेट ऑपरेटरों द्वारा दी जाने वाली संचार सुविधा

1059. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन प्राइवेट ऑपरेटरों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का है, जो सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार नियत समय पर संचार-सुविधा प्रदान करने में विफल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) बुनियादी टेलीफोन-सेवाओं के निजी प्रचालकों के लाइसेंस-करार में यह व्यवस्था है कि यदि ये प्रचालक अपनी सेवा देर से शुरू करते हैं या अपनी वचनबद्धता से कम टेलीफोन लाइनें या ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करते हैं, तो उन पर परिनिर्धारित नुकसानी लगाई जाएगी। लाइसेंस-धारकों पर इसी आधार पर परिनिर्धारित नुकसानी लगाई भी जा चुकी है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

निजी बुनियादी-सेवा-प्रचालकों पर लगाई गई परिनिर्धारित नुकसानी का ब्यौरा

सर्किल का नाम	लाइसेंसधारक का नाम	देर से सेवा शुरू करने के लिए परिनिर्धारित नुकसानी	सीधी एक्सचेंज लाइनें व ग्रामीण सार्वजनिक टेली-फोन न प्रदान करने के लिए परि-निर्धारित नुकसानी
मध्य प्रदेश	भारतीय टेलीनेट लि०	शून्य	4.00
महाराष्ट्र	ह्यूजेस इस्पात लि०	1.25	6.50
आंध्र प्रदेश	टाटा टेली सर्विसेज लि०	6.50	6.50
पंजाब	एस्सार कॉमविजन लि०	4.00	4.00
गुजरात	रिलायंस टेलीकॉम लि०	6.50	6.50
राजस्थान	श्याम टेलीलिंक लि०	3.30	4.00

[अनुवाद]

काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क

1060. श्री के० येरननायडू : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में कर्मचारियों के वेतन के अतिरिक्त गैंडों के संरक्षण तथा रक्षा पर वर्षभर में कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) क्या प्रतिवर्ष बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने वाले पार्क के रख-रखाव हेतु यह राशि पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो पार्क के बेहतर तथा प्रभावी प्रबंध हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 1998-99 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों और अन्य वन्यजीव प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 136.25 लाख रुपए का कुल खर्च हुआ था। यह राशि वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपर्याप्त बताई गई है।

(ग) गैंडे को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में रखा गया है, इस तरह, गैंडे का शिकार करने और वाणिज्यिक लाभ प्राप्ति के लिए उसे मारने से रोकने के लिए गैंडे को सर्वाधिक सुरक्षा मिली हुई है। अवैध शिकार के विरुद्ध निवारक उपाय किए जाते हैं जिनके अंतर्गत वन-अधिकारियों द्वारा नियमित और लगातार गश्त लगाने की व्यवस्था की जाती है। बाढ़ों के दौरान असहाय छोड़े गए प्राणियों के आश्रय के लिए ऊंचे भू-स्थलों का निर्माण किया जाता है।

विशाखापत्तनम-विजयवाड़ा तेल पाइपलाइन

1061. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच पी सी एल की विशाखापत्तनम-विजयवाड़ा तेल पाइपलाइन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी कुल लागत कितनी है;

(ग) इस पाइपलाइन द्वारा प्रवाहित की जा रही तेल की मात्रा क्या है;

(घ) क्या तेल का परिवहन अपेक्षानुरूप है; और

(ङ) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश में इस एच पी सी एल पाइपलाइन के प्रचालन की अर्थव्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : (क) विशाख-विजयवाड़ा तेल पाइपलाइन 11.5.1998 को चालू की गई थी।

(ख) इस पाइपलाइन पर आज की तारीख तक कुल व्यय 451.02 करोड़ रुपए है।

(ग) 31.10.1999 तक इस पाइपलाइन के माध्यम से परिवहन किए गए तेल की मात्रा 2.767 मिलियन टन है।

(घ) जी, हां।

(ङ) परियोजना अनुमोदित समय तथा लागत में पूरी की जा चुकी है। परियोजना की आर्थिक प्रतिलाभ दर 20.6 प्रतिशत बैठती है।

औरंगाबाद में रसोई गैस की मांग और आपूर्ति

1062. **श्रीमती श्यामा सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के औरंगाबाद जिले में इस समय कार्यरत विभिन्न तेल कम्पनियों के रसोई गैस एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से प्रत्येक के पास कितने रसोई गैस कनेक्शन हैं;

(ग) क्या वहां और अधिक रसोई गैस एजेंसी स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) औरंगाबाद में इस समय रसोई गैस की अनुमानित मासिक आवश्यकता कितनी है और तत्संबंधी स्थिति क्या है;

(छ) सरकार द्वारा जिले में रसोई गैस की कुल आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ज) क्या जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में गैस की आपूर्ति की उपेक्षा की जाती है;

(झ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : (क) और (ख) 1 अक्तूबर, 1999 को औरंगाबाद में एक एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी और इसकी ग्राहक धार्यता 5923 थी।

(ग) से (झ) ग्रामीण क्षेत्रों सहित उपर्युक्त जिले की एल पी जी की बर्द्धित मांग को पूरा करने के लिए जिला औरंगाबाद में एल. पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने हेतु विभिन्न विपणन योजनाओं में 6 स्थान अर्थात् दाऊदनगर, जम्हाउर, उमगा, रफीगंज, औरंगाबाद तथा नवीनगर सम्मिलित हैं। उपर्युक्त में से दाऊदनगर शहरी क्षेत्र में है तथा शेष पांच स्थान ग्रामीण एवं शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव

1063. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार की हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-भिट्टामोड़ सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया है और राज्य सरकार इस सड़क के रखरखाव हेतु कोई उपाय नहीं कर रही है जिसके कारण उक्त सड़क बदहाल है और यातायात की आवाजाही में काफी कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार इस सड़क के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का है;

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी सड़क नव घोषित रा. रा. 77 का हिस्सा है और रा.रा. पक्ष, बिहार सड़क निर्माण विभाग ने नवम्बर, 99 में इसे अपने अधिकार में ले लिया है। सीतामढ़ी-बीथामोड़ खंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं है। हाल की बाढ़ के पश्चात् कुछ खंड क्षतिग्रस्त हो गए हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को यातायात योग्य स्थिति में रखने के लिए मरम्मत शुरू की गई है।

(ख) से (घ) आवश्यक सर्वेक्षण, जांच और परियोजना तैयारी के पश्चात् पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन इस राष्ट्रीय राजमार्ग के नियोजित विकास पर विचार किया जाएगा। तथापि, अंतरिम उपाय के तौर पर विशेष गहन मरम्मत कार्यक्रम के अंतर्गत 319.11 लाख रु० की अनुमानित लागत से 20 कि.मी. में सड़क गुणता के सुधार के अतिरिक्त इस खंड में 209.42 लाख रु० की अनुमानित लागत से विशेष मरम्मत प्राक्कलन (3) स्वीकृत किए गए हैं। ये विशेष मरम्मत कार्य 31 मार्च, 2000 तक पूरे करने का लक्ष्य है।

अनिवासी भारतीयों के लिए वीसा की प्रक्रिया को समाप्त करना

1064. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनिवासी भारतीयों को वीसा जारी किए जाने की प्रक्रिया को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ग) विदेशों में रह रहे अनिवासी भारतीय, भारत के नागरिक हैं। उन्हें भारत में आने के लिए वीसा की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

कमजोर वर्ग की महिलाओं का बलात्कार

1065. **श्री रामदास आठवले** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कमजोर वर्ग की महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) संगत अवधि के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के साथ बलात्कार के मामलों से संबंधित उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं, अत: अपराध को दर्ज करना, उसकी जांच-पड़ताल करना तथा उसका पता लगाना मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

विवरण

वर्ष 1996 से 1998 के दौरान अ.जा./अ.ज.जा. की महिलाओं के साथ हुए बलात्कार के संबंध में सूचित की गई घटनाएं

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वर्ष 1996	1997	1998
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	30	31	30
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0
5.	गोवा	0	0	0
6.	गुजरात	20	25	25
7.	हरियाणा	4	7	11
8.	हिमाचल प्रदेश	6	3	6
9.	जम्मू और कश्मीर	0	4	0
10.	कर्नाटक	7	3	6
11.	केरल	19	49	46
12.	मध्य प्रदेश	228	286	292
13.	महाराष्ट्र	55	26	24
14.	मणिपुर	0	0	0
15.	मेघालय	0	0	0
16.	मिजोरम	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0
18.	उड़ीसा	5	11	12
19.	पंजाब	4	2	4
20.	राजस्थान	104	107	97

1	2	3	4	5
21.	सिक्किम	1	2	1
22.	तमिलनाडु	3	8	4
23.	त्रिपुरा	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	166	179	124
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0
	कुल (राज्य)	652	743	682
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	1	0
27.	चण्डीगढ़	0	0	0
28.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
29.	दमन और द्वीव	0	0	0
30.	दिल्ली	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0
	कुल (संघ शासित)	0	1	0
	कुल (अखिल भारत)	652	744	682

स्रोत : मासिक अपराध आंकड़े

नोट : आंकड़े अनन्तिम हैं।

स्रोत : भारत के अपराध

नोट: 1. 1997 के लिए उड़ीसा के आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण 1998 में दोहराए गए हैं।

2. 1998 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

[अनुवाद]

कर्नाटक में रसोई गैस कनेक्शन

1067. श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के सभी गांवों में रसोई गैस कनेक्शन दे दिये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो अब तक कितने गांवों में यह सुविधा प्रदान की गई है;

(ग) राज्य में कितने गांवों को रसोई गैस प्रदान नहीं की गई है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन गांवों को कब तक यह सुविधा प्रदान कर दिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : *(क) जी, नहीं।*

(ख) 1996-98 की विपणन योजना के अनुसार तेल उद्योग एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए कर्नाटक राज्य में 155 शहरी/ग्रामीण स्थान शामिल करेगा।

(ग) और (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में एल पी जी की मात्रा बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों का निम्न को शामिल करने का प्रस्ताव है :

1. 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले समीपवर्ती गांवों की संभाव्यता को शामिल करके 10,000 तथा इससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहरी स्थान।

2. डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना के लिए 5,000 तथा इससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरी स्थान और व्यवहार्यता 15 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले समीपवर्ती गांवों की संभाव्यता ध्यान में रखकर सुनिश्चित की जाएगी।

3. 10,000 (दस हजार) तथा इससे अधिक की जनसंख्या वाले केन्द्रीय गांवों के 15 किलोमीटर के दायरे के भीतर के गांवों के समूह का ग्रामीण डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा तथा व्यवहार्यता के आधार पर योजना में शामिल किया जाएगा।

4. 1 लाख व इससे अधिक की जनसंख्या वाले कस्बों के आसपास 15 किलोमीटर के दायरे के भीतर पड़ने वाले गांवों का ग्रामीण डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा।

भविष्य में अधिक एल पी जी कनेक्शन जारी किए जाने की योजना है तथा यह अनुमान है कि वर्ष 2001-2002 तक पूरे देश की सारी प्रतीक्षा सूची निपटा दी जाएगी।

[हिन्दी]

पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

1068. श्री अशोक प्रधान :
श्री राजनारायण पासी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार तथा दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को 1.1.99 से 20.11.99 के दौरान दिल्ली के विभिन्न पुलिस स्टेशनों, विशेषकर पश्चिम जिले के एस.एच.ओ./ए.एस.एच.ओ. के विरुद्ध जन प्रतिनिधियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर पश्चिम जिले की पुलिस के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई/प्रस्तावित है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। प्रश्नाधीन अवधि के दौरान, दो ऐसी

शिकायतें, एक पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन (पश्चिम जिला) के ए. एस.एच.ओ. और दूसरी सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन (उत्तर-पश्चिम जिला) के एस.एच.ओ. के विरुद्ध प्राप्त हुई थी। जबकि पहली शिकायत में यह आरोप था कि एक विशेष व्यक्ति को ए.एस.एच.ओ. द्वारा उत्पीड़ित किया जा रहा है, दूसरे मामले में शिकायतकर्ता ने, इस आधार पर एस.एच.ओ. सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के तबादले की मांग की थी कि उस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। दिल्ली पुलिस द्वारा दोनों शिकायतों की जांच की गई और मामलों को बंद कर दिया गया क्योंकि दोनों अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोप साबित नहीं हो सके।

[अनुवाद]

हल्दिया पत्तन का विस्तार

1069. श्री एन०आर०के० रेड्डी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ''कंटेनर हैंडलिंग'' बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए हल्दिया पत्तन का विस्तार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में इसकी निवेश योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना के पूरा होने की लक्षित तारीख क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राज्यों का पुनर्गठन

1070. श्री नवल किशोर राव :
श्री अजित सिंह :
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी :
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सिद्धांत रूप में मौजूदा राज्यों को पुनर्गठित करना स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस उद्देश्य हेतु पहले ही कुछ राज्यों की पहचान कर ली है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे राज्य कौन-कौन से हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) सरकार का राज्यों के व्यापक पुनर्गठन का विचार नहीं है। तथापि, सरकार का वर्तमान राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है ताकि नए राज्यों वनांचल, छत्तीसगढ़ और उत्तराचंल का सृजन हो सके।

[अनुवाद]

रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड

1071. श्री माधवराव सिंधिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के जामनगर स्थित तेल शोधक कारखाने में उत्पादन की घोषणा के साथ ही, भारत डीजल की अपनी आवश्यकता के संदर्भ में आत्मनिर्भरता की दहलीज पर पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो इसे संयंत्र की डीजल, मिट्टी के तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पादन क्षमता क्या है; और

(ग) इस अतिरिक्त उत्पादन के साथ देश उपर्युक्त उत्पादों के मामले में कहां तक आत्मनिर्भर हो जाएगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : (क) रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड की जामनगर रिफाइनरी में उत्पादन की शुरुआत के साथ हाई स्पीड डीजल (एच एस डी) की मांग और उत्पादन के बीच कमी में भारी न्यूनता आई है।

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान इस रिफाइनरी के नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों के अनुमानित उत्पादन निम्नवत् हैं :-

पेट्रोलियम उत्पाद	हजार मीट्रिक टन
तरलीकृत पेट्रोलियम गैस	951
मोटर स्पिरिट	1258
एविएशन टर्बाइन फ्यूल	265
सुपीरियर केरोसीन आयल	1030
हाई स्पीड डीजल	5418

(ग) यदि सभी रिफाइनरी क्षमता वृद्धियां वर्तमान अनुमान के अनुसार होती हैं तो उस स्थिति में पेट्रोलियम उत्पादों का स्वदेशी उत्पादन, 9वीं पंचवर्षीय योजना के समापन वर्ष तक समग्र आधार पर कुल मांग को कमोवेश रूप से पूरा करेगा।

[हिन्दी]

आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना

1072. श्री रामपाल सिंह :
डा० अशोक पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विध्वंसकारी गतिविधियां रोकने के लिए आसूचना तंत्र सुदृढ़ करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ग) गृह मंत्रालय उनके आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु केन्द्र और राज्य पुलिस तथा आसूचना संगठनों के साथ समन्वय करती रही है, जो कि आवश्यक रूप से एक सतत् प्रक्रिया होनी चाहिए।

[अनुवाद]

दिल्ली में हिरासत में मौतें

1073. श्री अधीर चौधरी :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हिरासत में मौतों की संख्या में दिनों-दिन वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार दिल्ली के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में हिरासत में कितनी मौतें हुई हैं;

(ग) क्या दिल्ली पुलिस ने हिरासत में हुई ऐसी मौतों को प्राकृतिक बता कर मामले को समाप्त करने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार पुलिस हिरासत में मारे गए व्यक्तियों की संख्या, इस प्रकार थी :-

वर्ष	संख्या
1997	07
1998	02
1999 (30.11.1999 तक)	02

इनमें आत्महत्या के चार मामले शामिल हैं और एक मामला ऐसा है जिसमें संबंधित सब-डिवीजन मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) हिरासत में मौतों की घटनाओं की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम में, हिरासत में रखे हुए व्यक्ति को अपने मित्रों, संबंधियों अथवा अन्य जानकार व्यक्तियों को सूचित करने का एक मौका दिया जाना, मानवाधिकारों के उल्लघंन और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार को चैक करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा अचानक निरीक्षण करना, अवैध नजरबंदी, अवैध हथकड़ी लगाने आदि के मामलों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के एक केन्द्रीय जांच दल द्वारा पुलिस स्टेशनों और अन्य पुलिस स्थापनाओं का आवधिक रूप से निरीक्षण, और हिरासत में रखे गए व्यक्तियों के साथ तीसरे दर्जे के तरीके इस्तेमाल करते हुए पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करना शामिल है।

इसके अलावा, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के अंतर्गत एस.डी.एम. द्वारा हिरासत में मौत संबंधी मामलों की कानूनी जांच-पड़ताल और डाक्टरों के पैनल द्वारा शव-परीक्षा भी की जाती है। हिरासत में मौत की उन घटनाओं, जिनमें पुलिस अधिकारी शामिल पाए जाते हैं, को तुरंत दर्ज किया जाता है और जांच के लिए एक स्वतंत्र एजेन्सी को सौंपा जाता है।

हरियाणा में ताप विद्युत परियोजना

1074. श्री रतन लाल कटारिया : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री पी०वी० नरसिंहराव ने यमुनानगर, हरियाणा में ताप विद्युत संयंत्र की आधारशिला रखी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त संयंत्र का निर्माण कार्य शुरू हो गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का उक्त परियोजना को तेजी से पूरा करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री पी०वी० नरसिम्हाराव ने फरीदाबाद से रिमोट कन्ट्रोल द्वारा दिनांक 28.3.93 को इस परियोजना की आधारशिला रखी थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड (एच एस ई बी) द्वारा यमुना नगर में 2 × 210 मे.वा. क्षमता के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी आर्थिकी स्वीकृति प्रदान कर दी। तथापि एच एस ई बी द्वारा सामना की जा रही वित्तीय कमियों के कारण परियोजना नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को हस्तातंरित कर दी गई थी। बाद में परियोजना को निजी क्षेत्र में क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया था और यमुनापार ही में 2 × 350 मे.वा. क्षमता के कोयला आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु 5.4.94 को हरियाणा सरकार और ऐजनवर्ग ग्रुप ऑफ कम्पनीज के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे। तथा अनुबंधित तिथि तक वित्तीय समापन प्राप्त करने में कम्पनी की असफलता के कारण हरियाणा सरकार ने नवम्बर, 1996 में समझौते को समाप्त कर दिया और यह निर्णय लिया कि नये प्रवर्तक का चयन अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया माध्यम से किया जायेगा। हरियाणा राज्य सरकार वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से परियोजना विकासकर्त्ता का चयन कर रही है। किसी भी परियोजना का निर्माण सामान्यत: विकासकर्त्ता का अन्तिम रूप से चयन कर लेने,

सभी आवश्यक स्वीकृतियां/निवेशी को सुनिश्चित करने तथा वित्तीय समापन प्राप्त करने के पश्चात् आरम्भ किया जाता है।

(घ) और (ङ) परियोजना का शीघ्र विकास करने के लिए कार्य अन्तिम रूप से चयनित बोलीदाताओं द्वारा करना होता है जहां तक केन्द्र सरकार की स्वीकृतियों, यदि कोई हो का संबंध है सम्भाव्य सीमा तक स्वीकृतियां शीघ्रतापूर्वक प्राप्त करने के प्रयास किये जायेंगे।

हल्दिया के निकट जेटी पत्तन का निर्माण

1075. **श्री जी० गंगा रेड्डी :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया के निकट छः जेटी पत्तन बनाये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हल्दिया डॉक कम्प्लेक्स की आय बढ़ाने हेतु इसे कब तक स्वायत्तता दिए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हल्दिया गोदी परिसर को स्थापना और वित्तीय मामलों में कार्यात्मक स्वायत्तता प्राप्त है।

[हिन्दी]

जल एवं ताप विद्युत उत्पादन की लागत

1076. **श्री जे०एस० बराड़ :**
डॉ० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय जल विद्युत उत्पादन क्षमता का किस सीमा तक उपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या जल विद्युत उत्पादन की लागत ताप विद्युत उत्पादन की लागत से कम है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है और देश में ताप और जल विद्युत उत्पादन पर अलग-अलग कितनी अनुमानित औसतन लागत आई ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) 1.11.99 की स्थितिनुसार 23025 मे.वा. कुल अधिष्ठापित जल विद्युत क्षमता में से 91.39% का समुपयोजन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) वर्ष 1997-98 में 10 राज्य विद्युत बोर्डों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अधिकतर मामलों में जल विद्युत उत्पादन की औसत लागत वर्ष 1997-98 में ताप विद्युत उत्पादन से कम है जैसा कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है।

क्र. सं.	राज्य विद्युत बोर्ड का नाम	विद्युत उत्पादन की लागत	
		औसत ताप विद्युत पैसे/कि.वा.घं.	औसत जल विद्युत पैसे/कि.वा.घं.
1.	एपीएसईबी	117.71	19.92
2.	एमएसईबी	124.10••	31.95
3.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम	212.56	28.34
4.	जीईबी	162.02	22.69
5.	एमपीईबी	122.59	75.64
6.	टीएनईबी	175.60	22.84
7.	यूपीएसईबी	160.14	36.89
8.	डब्ल्यूबीएसईबी	135.10	151.23
9.	पीएसईबी	164.11	32.30
10.	आरएसईबी	169.60	27.73

••ताप विद्युत और गैस की औसतन लागत।

उपरोक्त 10 रा.वि. बोर्ड के संबंध में वर्ष 1997-98 हेतु जल विद्युत और ताप विद्युत उत्पादन के लिए एक साथ निकाली गई अनुमानित औसतन लागत क्रमशः लगभग 44 पैसे/कि.वा.घं. और 154 पैसे/कि.वा.घं. है।

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर में उग्रवादी तथा आतंकवादी गतिविधियां

1077. **श्री सुशील कुमार शिंदे :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में सैनिक शासन आने के बाद जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी उग्रवादियों और भाड़े के सैनिकों की उग्रवादी तथा आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त देश में सैनिक शासन से पहले और बाद की आतंकवादी गतिविधियों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) हिंसा को बढ़ाने की दृष्टि से सीमा पार से जम्मू कश्मीर में और अधिक भाड़े के सैनिकों का प्रवेश कराने के लिए पाक आई.एस.आई. और पाक समर्थित उग्रवादी गुटों की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

आतंकवादी संबंधी हिसंक घटनाओं, मारे गए सुरक्षा बल कार्मिकों, मारे गए आतंकवादियों और मारे गए सिविलियनों के मई, 1999 से माहवार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :-

ब्यौरे	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	वर्ष 1999 नवम्बर (15 तक)
घटनाओं की संख्या	220	244	292	323	438	258	110
मारे गए सुरक्षाबल कार्मिकों की संख्या	24	26	22	70	28	18	31
मारे गए आतंकवादियों की संख्या	94	58	68	114	145	127	56
मारे गए सिविलियनों की संख्या	73	81	102	86	80	57	20

दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई

1078. **श्री रामसागर रावत :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों ने अपने घोषित स्रोतों की तुलना में काफी धन जमा किया हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(घ) इस संबंध में दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (घ) कुछ ऐसे इक्का-दुक्का मामले हुए हैं जिनमें पुलिस अधिकारियों ने अपनी-अपनी आय के घोषित स्रोतों की तुलना में काफी अधिक धन जमा किया हुआ है। इन मामलों पर विचारण हो रहा है या ये जांच की विभिन्न अवस्थाओं में है। दोषी पाए गए अधिकारियों पर कानून के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार कार्यक्रम

1079. **श्री राधा मोहन सिंह :**
श्री बाजू बन रियान :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों में प्राथमिकता के आधार पर सुधार करने हेतु कोई व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मंत्रालय ने केन्द्रीय सड़क निधि के लिए धनराशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास भेजा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय राजमार्ग की 1/5 लम्बाई की सतह पुन: बनाने के लिए एक विशेष मरम्मत कार्यक्रम शुरू किया गया है। दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कलकत्ता चारों महानगरों और श्रीनगर से कन्याकुमारी तथा सिल्चर से सौराष्ट्र तक क्रमश: उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम कारिडोर को जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के संरेखण पर पड़ने वाले रा.रा. और सलेम-कोचीन राजमार्ग को भी अपग्रेड करके 4/6 लेन का बनाया जाएगा बशर्ते पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) पेट्रोल पर एक रुपया प्रति लीटर उपकर तथा डीजल पर एक रुपया प्रति लीटर उपकर में से आधी राशि इस निधि में जमा होगी। वित्त मंत्रालय इस बारे में सिद्धांत रूप से सहमत है।

[अनुवाद]

सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया निर्माण कार्य

1080. **कर्नल (सेवानिवृत) सोना राम चौधरी :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों द्वारा सीमा सड़क संगठन को निर्माण कार्य की पेशकश की गई है/सौंपे गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए निर्माण कार्य का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इनके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा सीमा सड़क संगठन को पेशकश किए गए/सौंपे गए सड़क कार्यों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि जल-भूतल परिवहन मंत्रालय मुख्यतया केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जिम्मेदार है।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब के कारण लागत वृद्धि

1081. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :**
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब के कारण लागत में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी परियोजनाएं पांच वर्ष से भी अधिक समय से निर्माणाधीन है;

(ग) इनकी प्रारम्भिक निर्माण लागत में अब तक कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) उक्त परियोजनाओं के निर्माण में और अधिक विलम्ब को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) परियोजना का नाम क्षमता, मूल लागत, अद्यतन वास्तविक लागत प्रतिशत लागत अभिवृद्धि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। उन परियोजनाओं के निर्माण में और विलम्ब को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :-

1. बाधाओं का पता लगाने और उपचारात्मक उपाय करने के लिए परियोजना प्राधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

2. निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं में विद्युत मंत्रालय और के.वि.प्रा. के अधिकारियों द्वारा दौरे किये जाते हैं और परियोजना प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके विभिन्न बाधाओं को अभिज्ञात किया जाता है तथा उनके समाधान के निर्णय लिये जाते हैं।

3. बड़ी परियोजनाओं के संबंध में राज्य प्राधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

4. परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब पैदा करने वाली बड़ी बाधाओं का समाधान करने के लिए बांध, हेड रेस टनल, विद्युत गृहों आदि बड़े कार्य का निष्पादन करने वाले बड़े ठेकेदारों तथा बड़े उपस्करों के आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं।

5. परियोजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन के समय विलम्ब को कम करने के लिए परियोजना का क्रियान्वयन आरंभ करने से पहले विस्तृत जांच कार्य किये जा रहे हैं।

6. परियोजना का क्रियान्वयन आरंभ होने से पहले आवश्यक निधियों का आवंटन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं, ताकि निर्माण के दौरान परियोजना क्रियान्वयन में कोई विलम्ब न हो।

7. परियोजना क्रियान्वयन में विलम्ब को रोकने के लिए संविदात्मक समस्याओं को कम करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

अलग से निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्रतापूर्वक पूरा किये जाने को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1997-98 में त्वरित विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम नामक एक स्कीम आरंभ की है। इस स्कीम के तहत मार्च, 2004 तक पूरा हो सकने वाली जल विद्युत परियोजनाओं और मार्च, 2002 तक पूरी हो सकने वाली निर्माणाधीन ताप विद्युत उत्पादन स्कीमों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त ब्याज दरों पर विद्युत यूटीलिटियों को निधियां प्रदान की जाती हैं।

विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	मूल लागत (करोड़ रु. में)	अद्यतन वास्तविक लागत (करोड़ रु. में)	लागत अभिवृद्धि (%)
1	2	3	4	5
ताप विद्युत				
1.	कापसखेड़ा विस्तार चरण-II यू-3 व 4 (2×210 मे.वा.) एमएसईबी	454.42	1545.00	239.99
2.	संजय गांधी विस्तार यू-3 व 4 (2× 210 मे.वा.) एमपीईबी	493.00	980.00	98.78
3.	सूरतगढ़ यू-1 व 2 (2 × 500 मे.वा.) आरएसईबी	1253.31	2282.49	82.12
4.	पानीपत चरण-IV यू-6 (210 मे.वा.) एचपीजी कारपोरेशन लि०	238.27	854.30	258.54
5.	बकरेश्वर यू-1, 2 व 3 (3×210 मे.वा.) डब्ल्यूबीपीडीसीएल	1921.22	2694.14	40.23

1	2	3	4	5
6.	तलचेर चरण-II यू-1 से 4 (4×500 मे.वा.) एनटीपीसी	6532.61	6665.22	2.03
7.	अगूरी सीसीजीटी जीटी 1 से 8 एसटी 1 से 4 (12×30 मे.वा.) एएसईबी	408.25	1200.00	193.94
जल विद्युत				
8.	रंगीत एचई परियोजना (3×20 मे.वा.) एनएचपीसी	163.49	361.86	121.33
8ए.	दलहस्ती एचईपी (3×130 मे.वा.) एचएचपीसी	1262.97	3559.77	181.86
9.	धोलीगंगा एचईपी (4×7 मे.वा.) एनएचपीसी	601.98	1881.49	212.55
10.	कोयल कारो एचईपी (710 मे.वा.) एनएचपीसी	1286.22	2917.05	126.79
11.	नाथपा झाकड़ी एचईपी (6×250 मे.वा.) एनजेपीसी	1678.02	7666.31	356.87
12.	रंगानदी एचईपी (3×135 मे.वा.) नीपको	312.78	1479.63	373.06
13.	दोयांग एचईपी (3×25 मे.वा.) नीपको	166.66	758.70	355.24
14.	कोपीली चरण-II (1×25 मे.वा.) नीपको	76.09	76.09	0.00
15.	टिहरी एचईपी (4×250 मे.वा.) टीएचडीसी	3391.40	5678.09	67.43
16.	घानवी (2×11.25 मे.वा.) एचपीएसईबी	28.32	94.64	234.18
17.	लारजी (3×42 मे.वा.) एचपीएसईबी	168.85	689.06	308.09
18.	उहल III (2×50 मे.वा.)	713.00	713.00	0.00
19.(ए)	अपर सिंध-II (2×35 मे.वा.) जे एंड के पीडीसी	76.46	302.00	294.98
19.(बी)	अपर सिंध एक्सटेन. (1×35 मे.वा.) जे एंड के पीडीसी	20.69	42.27	104.30
20.	सेवा चरण-III (3×3 मे.वा.) जे एंड के पीडीसी	16.92	60.00	254.61
21.	चेन्नई-III (3×2.5 मे.वा.) जे एंड के पीडीसी	20.92	46.23	120.98
22.	रंजीत सागर (4×150 मे.वा.) पीआईबी/पीएसईबी	760.00	3032.00	298.95
23.	शाहपुरकंडी (168 मे.वा.) पीआईडब्ल्यू/पीएसईबी	895.08	1310.00	46.36
24.	लखवार व्यासी (420 मे.वा.) यूपीएसईबी/यूपीआईडी	140.97	1446.00	925.75
25.	मनेरी भाली-II (4×78 मे.वा.) यूपीएसईबी/यूपीआईडी	82.63 (3×52 मे.वा.)	824.00	897.22
26.	श्रीनगर (5×66 मे.वा.)	372.32	1270.63	241.27
27.	काटापाथेर	27.58	27.58	0.00
28.	जाखम (2×2.5 मे.वा.) आरएसईबी	12.93	43.00	232.56
29.	सरदार सरोवर एचईपी (1450 मे.वा.) एसएसएनएनएल	1551.86	3248.77	109.35
30.	बानसागर टोनस पीएच. II एंड III एमपीईबी	301.17	895.44	197.32

1	2	3	4	5
31.	बानसागर टोनस पीएच-4 (20 मे.वा.) एमपीईबी	41.88	80.93	93.24
32.	इन्दिरा सागर (1000 मे.वा.) .एनवीडीए	1163.12	2325.70	99.95
33.	कोयना चरण = (4×250 मे.वा.) महाराष्ट्र सरकार	378.76	1140.86	201.21
34.	घाटघाट पीएसएस (250 मे.वा.) आईडी/महाराष्ट्र सरकार	485.96	830.00	70.80
35.	भीवपुरी पीएसएस (90 मे.वा.) टाटा इले. निगम	89.10	89.10	0.00
36.	श्रीसैलम एलबी एचईपी (6×150 मे.वा.) एपीजीईएनसीओ	418.00	2324.55	456.11
37.	सिंगूर एचई स्कीम (15 मे.वा.) एपीजीईएनसीओ	24.45	40.58	65.97
38.	वृन्दावन एचईपी (12 मे.वा.) कर्नाटक पीसीएल	15.23	51.24	236.44
39.	श्रावस्ती टी आर (4×60 मे.वा.) कर्नाटक पीसीएल	160.59	408.57	154.42
40.	मलंकारा एचईपी (3×3.5 मे.वा.) केरल एसईबी	7.80	41.57	432.95
41.	कुट्टीयडी एक्सटेन. एचईपी (1×50 मे.वा.) केरल एसईबी	33.33	113.71	241.16
42.	कुट्टीयडी टीआर (3×1.25 मे.वा.) केरल एसईबी	3.97	13.38	237.03
43.	पारसन वेली (30 मे.वा.) टीएनईबी	13.73	98.12	614.64
44.	पयकारा अल्टीमेट (3×50 मे.वा.) टीएनईबी	70.16	373.06	431.73
45.	चांदिल (2×4 मे.वा.) बिहार एचपीसी	12.95	32.49	150.89
46.	नॉर्थ कोयल (2×12 मे.वा.) बिहार एचपीसी	21.94	47.34	115.77
47.	अपर इन्दिरावती (4×150 मे.वा.) उड़ीसा एचपीसी	130.49	875.42	570.87
48.	पोटरू (6 मे.वा.) उड़ीसा एचपीसी	5.46	18.83	244.87
49.	बालीमेला एक्सटेन. (2×75 मे.वा.) उड़ीसा एचपीसी	130.49	875.42	570.87
50.	बालीमेला डैम टोई (2×30 मे.वा.) उड़ीसा पीसीएल	17.17	69.30	303.61
51.	रमंम चरण-I (36 मे.वा.) डब्ल्यूबीएसईबी	77.00	176.59	129.34
52.	पुरूलिया पीएसएस (4×225 मे.वा.) डब्ल्यूबीएसईबी	1456.56	3188.90	118.93
53.	करबी लंगपी (2×50 मे.वा.) असम एसईबी	36.36	288.37	693.10
54.	धानसिरी (5×3×1.33) असम एसईबी	10.53	71.89	582.72
55.	लिकिम-रो (24 मे.वा.)	33.84	186.59	451.39
56.	बास्पा-II (300 मे.वा.) (प्राईवेट) मै० जेएचपीएल	949.23	949.23	0.00
57.	बुथथानकेटू (16 मे.वा.) केरल (प्राईवेट)	32.83	35.65	8.59

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन एवं वितरण का निजीकरण

1082. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
डा० वी० सरोजा :
श्री दिन्शा पटेल :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत उत्पादन एवं वितरण के कार्य को राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा निजी क्षेत्र को दिए जाने के संबंध में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य विद्युत बोर्डों को भारी नुकसान हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने निजी क्षेत्र ऐनेटिटी के हित में उड़ीसा पावर जनरेशन कारपोरेशन में 49 प्रतिशत तक अपना दावा वापस ले लिया। इसके अलावा कुछ राज्य सरकारें, यथा-आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल अपने-अपने राज्यों में निजी क्षेत्र को नई विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की अनुमति प्रदान कर रहे हैं। वितरण के मामले में उड़ीसा ही एक ऐसा राज्य है जिसने समूची वितरण प्रणाली का निजीकरण कर दिया है। उत्तर प्रदेश ने ग्रेटर नोएडा में वितरण प्रणाली का निजीकरण कर दिया है। आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्य अपनी वितरण प्रणाली का निजीकरण करने का विचार कर रहे हैं।

(ग) जी, हां। अधिकांश राज्यों को भारी घाटा हो रहा है।

(घ) वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान राज्य विद्युत बोर्डों का राज्यवार आधिक्य/कमी संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है। अधिकांश राज्य विद्युत बोर्डों से वर्ष 1998-99 के लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं।

विवरण-I

आर्थिक सहायता वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान राज्य विद्युत बोर्डों की अधिशेष/कमी, जैसा कि वर्षों के लेखों में दर्ज है, इंगित करने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य विद्युत बोर्ड	सहायता सहित (करोड़ रु० में) 1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	एपीएसईबी	131	129	122
2.	एएसईबी	-116	-359	-387•
3.	बीएसईबी	-28	-327	-327•
4.	जीईबी	108	110	119•
5.	एचपीएसईबी	36	25	29
6.	एचएसईबी	78	48	20
7.	केईबी	51	54	58
8.	केएसईबी	23	24	25
9.	एमईएसईबी	-13	-34	43
10.	एमपीईबी	134	127	123
11.	एमएसईबी	350	347	342
12.	ओएसईबी	-27	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
13.	पीएसईबी	143	108	49
14.	आरएसईबी	81	63	65
15.	टीएनईबी	339	330	-68
16.	यूपीएसईबी	22	171	292
17.	डब्ल्यूबीएसईबी	17	18	20

•गैर-लेखा परीक्षित

विवरण-II

बिना आर्थिक सहायता के वर्ष 1995-96, 1996-97 ओर 1997-98 के दौरान राज्य विद्युत बोर्डों की अधिशेष कमी, जैसा कि वर्षों के लेखों में दर्ज है, इंगित करने वाला विवरण*

क्र. सं.	राज्य विद्युत बोर्ड	सहायता सहित (करोड़ रु० में) 1995-96	1996-97	1997-98
1.	एपीएसईबी	-1129	-721	-1134
2.	एएसईबी	-261	-411	-440*
3.	बीएसईबी	28	-819	-225*
4.	जीईबी	-1003	-1070	-1274*
5.	एचपीएसईबी	36	25	29
6.	एचएसईबी	-537	-594	-713
7.	केईबी	-499	-652	-322
8.	केएसईबी	-30	-254	-297
9.	एमईएसईबी	-22	-42	-52
10.	एमपीईबी	-458	-470	-753
11.	एमएसईबी	-280	88	37
12.	ओएसईबी**	-231	-231	उपलब्ध नहीं
13.	पीएसईबी	-326	-296	-555
14.	आरएसईबी	-344	-500	-640
15.	टीएनईबी	-76	-257	-318
16.	यूपीएसईबी	-1495	-1386	-1548
17.	डब्ल्यूएसईबी	-64	-227	-164

*लेखा परीक्षित
**अनंतिम

महानगरों के कानून और व्यवस्था की स्थिति

1083. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर दिल्ली और अन्य महानगरों में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है और अपराध बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीने के दौरान प्रतिमाह का तत्संबंधी राज्य-वार और अपराधवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संविधान के अंतर्गत केन्द्र का दायित्व आंतरिक विद्रोह और कानून-व्यवस्था की अत्यंत खराब स्थिति में राज्यों की सुरक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो क्या अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए सरकार का विचार सम्पूर्ण देश में वास्तविक स्थिति पर लगातार निगरानी रखने/सतर्क रहने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) चिन्ता के कुछ मामलों के बावजूद, देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। जम्मू और कश्मीर में पाक द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, पूर्वोत्तर में एक दूसरे से जुड़ी और बाहर से समर्थित उग्रवादी ग्रुपों की विघटनकारी गतिविधियों और वामपंथी उग्रवादी ग्रुपों द्वारा की जा रही हिंसा, चिन्ता के मुख्य कारण हैं।

दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति सामान्य रही। अपराध स्थिति भी नियंत्राधीन रही और चालू वर्ष के दौरान इसमें कमी की प्रवृत्ति दिखायी दी 1.1.1999 से 31.10.1999 तक की अवधि के दौरान कुल 49,137 भा.द.सं. के मामले दर्ज किए गए, जबकि 1998 की इसी अवधि के दौरान 52516 मामले दर्ज किए गए थे, जिससे कुल मिला कर 6.43% की कमी दिखाई देती है।

(ख) चूंकि, ''लोक व्यवस्था'' और ''पुलिस'' राज्य के विषय हैं और कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है, अतः अपराध का रिकार्ड/आंकड़े इत्यादि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) जी हां श्रीमान। केन्द्र सरकार देश की आन्तरिक सुरक्षा स्थिति संबंधी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखती है ताकि जहां-कहीं आवश्यक हो उपयुक्त निवारात्मक उपाय किए जा सकें।

चौकीघाट में नाले एवं पुल का निर्माण

1084. श्री एम०के० सुब्बा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धेकियाजूली शहर से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर नाले के निर्माण तथा चौकीघाट पर एक पुल का निर्माण करके इस राष्ट्रीय राजमार्ग को बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा तथा लागत क्या है; और

(ग) इसे क्रियान्वित करने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देबेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) धेकियाजूली शहर से गुजरते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर नाले का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, चौकीघाट में जीयाभराली नदी पर लगभग 2298 मी. लम्बे पुल का निर्माण करने का प्रस्ताव है जिसके दोनों ओर गाइड बांध और पहुंच मार्ग होंगे तथा रा.रा. 52 का रा.रा. 37क से चौकीघाट होते हुए जामूगुड़ी तक का पुनः संरेखण शामिल है। लागत का अनुमान नहीं लगाया गया है क्योंकि नदी की धारा में परिवर्तन हो गया है।

सिक्किम में रंजीत जल विद्युत परियोजना

1085. श्री भीम दाहल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में रंजीत जल विद्युत परियोजना चालू हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस तारीख को चालू किया गया और इस पर कुल कितना व्यय हुआ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक चालू कर दिया जाएगा ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) सिक्किम में रंगीत जल-विद्युत परियोजना (3×20 मे.वा.) केन्द्रीय क्षेत्र में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) द्वारा क्रियान्वयनाधीन है। अक्टूबर, 1999 तक परियोजना पर किया गया कुल व्यय 419.85 करोड़ रुपए है। इस परियोजना को अब 1999-2000 के दौरान चालू किए जाने की आशा है। यह परियोजना अभूतपूर्व बाढ़, संविदात्मक समस्याओं के कारण कार्य की धीमी प्रगति, गोरखा लिबरेशन फ्रंट के बंद, खराब भौगोलिक स्तर तथा परियोजना के कार्य-स्थल को जाने वाली सिक्किम राज्य पीडब्ल्यूडी सड़क पर ऋषि खोला पुल के गिर जाने के कारण विलंबित हुई है।

तटीय विनियमन जोन (सी.आर.जेड.) अधिसूचना की समीक्षा

1086. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव तटीय विनियमन जोन (सी.आर.जेड.) अधिसूचना की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या तटीय क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी गई है; और

(घ) तटीय क्षेत्रों में उचित और बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) तटीय विनियमन क्षेत्र आसूचना, 1991 के कतिपय उपबंधों के कार्यान्वयन के बारे में तटीय राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के सम्मुख आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 5

अगस्त, 1999 की का.आ. संख्या 629(ई) के तहत तटीय विनियमन क्षेत्र (सी.आर.जेड.) अधिसूचना में संशोधन करने के लिए एक प्रारूप जारी किया गया है।

(ग) कुछ चयनित तटीय भागों के लिए समन्वित तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाएं तैयार करने के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी गई है।

(घ) पर्यावरणीय क्षति, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण जान और माल की क्षति को न्यूनतम करने के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

1. कच्छ वनस्पतियों, तटीय शेल्टर पट्टी की बहाली द्वारा तटीय क्षेत्रों में पौधरोपण, निजी एवं खाली भूमि पर पौधरोपण।

2. एवेन्यू एवं शहरों में पौधरोपण।

3. वन क्षेत्रों की रिस्टॉकिंग।

शहरों और नगरों में रसोई गैस का विपणन

1087. **श्री टी०एम० सेल्वागनमति :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने देश के ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर शहरों और नगरों में ही अब तक रसोई गैस का विपणन कार्य केन्द्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस के विपणन के लिए नीति तैयार करने के संबंध में तेल कंपनियों को निर्देश देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी की मात्रा में वृद्धि करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कंपनियों को निम्न को शामिल करने हेतु नई एल पी जी विपणन योजनाएं तैयार करने का परामर्श दिया गया है :

1. 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले समीपवर्ती गांवों की संभाव्यता को शामिल करके 10,000 तथा इससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहरी स्थान।

2. डिस्ट्रिब्यूटरशिप की स्थापना के लिए 5,000 तथा इससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरी स्थान और व्यवहार्यता 15 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले समीपवर्ती गांवों की संभाव्यता ध्यान में रखकर सुनिश्चित की जाएगी।

3. 10,000 (दस हजार) तथा इससे अधिक की जनसंख्या वाले केन्द्रीय गांवों के 15 किलोमीटर के दायरे के भीतर के गांवों के समूह का ग्रामीण डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा तथा व्यवहार्यता के आधार पर योजना में शामिल किया जाएगा।

4. 1 लाख व इससे अधिक की जनसंख्या वाले कस्बों के आसपास 15 किलोमीटर के दायरे के भीतर पड़ने वाले गांवों का ग्रामीण डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा।

चौक्या सिंचाई योजना

1088. **श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के डांग जिला में चौक्या सिंचाई योजना को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) इस योजना को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (घ) जी, नहीं। गुजरात राज्य सरकार से पर्यावरणीय मंजूरी के लिए चौक्या सिंचाई स्कीम का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

तथापि, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गुजरात राज्य सरकार से गुजरात के डांग जिले में चौक्या सिंचाई स्कीम के लिए 122.50 हैक्टेयर वन भूमि को उपयोग में लाने का प्रस्ताव 29.11.1999 को प्राप्त हुआ था। यह प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है।

अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 में संशोधन

1089. **डा० वी० सरोजा :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कई वर्ष पूर्व नियत किए गए गुजारा भत्ता में वृद्धि करने के उद्देश्य से अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कब तक संशोधन कर दिये जाने की संभावना है; और

(ग) इस मामले में विलंब के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) धन के मूल्य के अवक्षयण को देखते हुए, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 का, इस प्रकार संशोधन किए जाने के लिए प्रस्ताव किया गया है कि भरण-पोषण भत्ते के संदाय के लिए अधिकतम सीमा प्रतिमास पांच सौ रुपए से बढ़ाकर पंद्रह सौ रुपए प्रतिमास कर दी जाए। यह प्रस्ताव दंड प्रक्रिया

संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 के खंड 17 द्वारा किया गया था जिसे राज्य सभा में 9 मई, 1994 को पुरःस्थापित कर दिया गया था और इस समय विचार करने और पारित किए जाने के लिए लंबित है।

एल.पी.जी. पर राजसहायता

1090. श्री पी०डी० एलानगोवन :
श्री माणिकराव होडल्या गावित :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राहकों को एल.पी.जी. और दूसरे पेट्रोलियम उत्पादों पर दी जा रही राजसहायता को निकट भविष्य में वापस लेने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राजसहायता वापस लेने की संभावना है; और

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों पर राजसहायता को वापस लेने से गरीब लोगों पर इसका कितना प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : (क) से (ग) सरकार ने नवम्बर, 1997 में यह फैसला किया था कि एल पी जी (घरेलू) तथा एस के ओ (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) पर राजसहायता चरणों में कम की जाएगी ताकि 2000-01 तथा 2001-02 तक यह क्रमशः आयात समता मूल्य के 15 प्रतिशत तथा 33 प्रतिशत तक पहुंच जाए। राजसहायता वर्ष 2002 के बाद से राजकोषीय बजट को अंतरित की जाएगी।

निजी-बुनियादी दूरसंचार आपरेटर्स के द्वारा टेलीफोन कनेक्शन

1091. श्री एन०एन० कृष्णदास : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निजी-बुनियादी दूरसंचार आपरेटर्स के द्वारा कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए;

(ख) इसी अवधि के दौरान दूरसंचार विभाग या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा कितने टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए; और

(ग) देश में मांग पर टेलीफोन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्याशित समयावधि क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) बुनियादी दूरसंचार के निजी प्रचालकों द्वारा तीन दूरसंचार सर्किलों अर्थात् मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में सेवा शुरू की गई है। ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) प्रत्याशा है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में बुनियादी दूरसंचार के निजी प्रचालकों और दूरसंचार विभाग/एमटीएनएल द्वारा दिए गए टेलीफोन कनेक्शनों की राज्यवार संख्या

राज्य का नाम	निजी दूरसंचार प्रचालकों द्वारा दिए गए टेलीफोन कनेक्शन	दूरसंचार विभाग/एमटीएनएल द्वारा दिए गए टेलीफोन कनेक्शन (1996-97 से 1998-99)
मध्य प्रदेश	42260 (4.6.98 से 31.10.99 तक	318585
महाराष्ट्र	15929 (30.10.98 से 31.10.99 तक)	1461830
आन्ध्र प्रदेश	8525 (31.3.99 से 31.10.99 तक)	975073

दिल्ली पुलिस का आधुनिकीकरण

1092. श्री पी०एस० गढ़वी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है; और

(घ) इस कार्य को कब तक दिए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (घ) दिल्ली में पुलिस बल का आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, दिल्ली पुलिस को मजबूत करने और उसका आधुनिकीकरण करने के लिए हाल के महीनों में अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

1. केन्द्रीय पुलिस नियंत्रण कक्ष और पीसीआर वाहनों के बीच मौजूदा वी एच एफ आधारित संचार तंत्र को बदलने के लिए लगभग 14.21 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली पुलिस के लिए स्टेट-आफ-दी-आर्ट यू एच एफ डिजिटल ट्रंक्ड रेडियो सिस्टम खरीदा गया है।

2. चुनिंदा 47 ट्रैफिक प्वाइंटों पर स्थापित करने के लिए लगभग 3.69 करोड़ रुपए की लागत से "एरिया ट्रेफिक कंट्रोल सिस्टम" प्राप्त करने के लिए आदेश दिया गया है। इस सिस्टम के लगने से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और यातायात के प्रवाह में सुधार होगा; और

3. झडोदा कलां स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल का स्तर बढ़ाकर पुलिस ट्रेनिंग कालेज, करने के परिणामस्वरूप दिल्ली पुलिस ने 58.48 लाख रुपये की लागत से एक फायरिंग सिमुलेटर,

81.81 लाख रुपए अनुमानित लागत से एक मल्टीमिडिया प्रोजेक्टर तथा 22 लाख रुपए की लागत पर एक कम्प्यूटर प्रयोगशाला स्थापित की है जो प्रशिक्षार्थियों के लाभार्थ आधुनिक प्रशिक्षण सहायक उपकरणों के रूप में कार्य करेंगे।

इसके अलावा, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो को, अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली पुलिस के पास उपकरणों की पर्याप्तता और उपलब्ध मूलभूत ढ़ांचे का आंकलन करना तथा इसके उन्नयन, बदलने और इसमें संशोधन इत्यादि करने के बारे में सिफारिशें करना शामिल है।

अपराधों का पता लगाने की दर

1093. श्री पी०सी० थामस : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्रों समेत देश के कई भागों में अपराध का पता लगाने की दर कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में कौन से सुधारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) इस संबंध में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण I और II में दी गई है।

(ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं, इसलिए अपराध को दर्ज करना, उसकी जांच करना, पता लगाना और रोकथाम करने की जिम्मेवारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है।

विवरण-I

अपराधों का पता लगने की दर के संबंध में 6.12.99 को उत्तर के लिए लोक सभा अतांराकित प्रश्न संख्या 1093 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

1998 के दौरान पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता मामलों का निपटान (राज्यवार और केन्द्र शासित क्षेत्र वार)

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	लंबित मामलों सहित जांच पड़ताल के लिए मामलों की कुल संख्या	कुल मामलों की संख्या जिसमें जांच पूरी कर ली गई					जांच के लिए लंबित मामलों की संख्या	लंबित मामलों की प्रतिशतता	लंबित मामलों के अखिल भारत जोड़ की प्रतिशतता	आरोप पत्रों की दर [(कालम 7)/(कालम 6+7) × 100]
			जांच इनकार कर दी गई	आरोप झूठा पाया गया/ तथ्य या कानून इत्यादि की भूल	यथातथ्य अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई	आरोप-पत्र प्रस्तुत किए गए	कुल [(5)+(6)+(7)]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
राज्य											
1.	आंध्र प्रदेश	167641	407	15280	14782	95714	125776	41458	24.7	7.6	86.4
2.	अरुणाचल प्रदेश	2461	0	1	632	1122	1755	706	28.7	.1	64.0
3.	असम	75267	49	3379	12945	15965	32289	42929	57.0	7.9	55.2
4.	बिहार	179749	11	5347	29789	83051	118187	61551	34.2	11.3	73.6
5.	गोवा	4083	95	4	1680	1698	3382	696	17.0	.1	50.3
6.	गुजरात	144261	245	3582	26175	98893	128650	15366	10.7	2.8	79.1
7.	हरियाणा	45172	58	1722	7672	26210	35604	9510	21.1	1.8	77.4
8.	हिमाचल प्रदेश	13552	0	1116	1403	7977	10496	3056	22.6	.6	85.0
9.	जम्मू और कश्मीर	23309	0	2243	4323	10848	17414	5895	25.3	1.1	71.5
10.	कर्नाटक	143769	3971	5753	23204	74900	103857	35941	25.0	6.6	76.3
11.	केरल	116619	952	6858	8046	77816	92720	22947	19.7	4.2	90.6
12.	मध्य प्रदेश	211435	693	1051	39215	158955	199221	11521	5.4	2.1	80.2
13.	महाराष्ट्र	228517	63	1757	52868	122239	176864	51590	22.6	9.5	69.8
14.	मणिपुर	6790	76	0	2255	79	2334	4380	64.5	.8	3.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	मेघालय	3501	0	18	657	759	1434	2067	59.0	.4	53.6
16.	मिजोरम	6070	0	0	319	1914	2233	3837	63.2	.7	85.7
17.	नागालैंड	2697	1	0	537	605	1142	1554	57.6	.3	53.0
18.	उड़ीसा	65528	116	2322	7194	43701	53217	12195	18.6	2.2	85.9
19.	पंजाब	23489	83	833	2542	11950	15325	8081	34.4	1.5	82.5
20.	राजस्थान	174610	84	36002	25941	106442	168385	6141	3.5	1.1	80.4
21.	सिक्किम	734	0	1	173	204	378	356	48.5	.1	54.1
22.	तमिलनाडु	195624	2135	14913	13154	123661	151728	41761	21.3	7.7	90.4
23.	त्रिपुरा	5269	50	13	1853	1804	3670	1549	29.4	.3	49.3
24.	उत्तर प्रदेश	211175	10	15061	51381	119448	185890	25275	12.0	4.7	69.9
25.	प. बंगाल	99838	3	762	26073	32849	59684	40151	40.2	7.4	55.7
	कुल (राज्य)	2151160	9012	118018	354813	1218804	1691635	450513	20.9	83.1	77.5
संघ शासित क्षेत्र											
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	812	0	0	143	286	429	383	47.2	.1	66.7
27.	चण्डीगढ़	2726	0	60	878	802	1740	986	36.2	.2	47.7
28.	दा. और न. हवेली	604	0	5	119	273	397	207	34.3	.0	69.6
29.	दमण और दीव	420	0	0	142	201	343	77	18.3	.0	58.6
30.	दिल्ली	145925	0	731	6711	48502	55944	89981	61.7	16.6	87.8
31.	लक्षद्वीप	95	0	0	25	9	34	61	64.2	.0	26.5
32.	पांडिचेरी	2736	0	33	321	2245	2599	137	5.0	.0	87.5
	कुल (स.शा. क्षेत्र)	153318	0	829	8339	52318	61486	91832	59.9	16.9	86.3
	कुल (अखिल भारत)	2304478	9012	118847	363152	1271122	1753121	542345	23.5	100.0	77.8

विवरण-II

अपराधों का पता लगने की दर के संबंध में 6.12.99 को उत्तर के लिए लोक सभा अतांराकित प्रश्न संख्या 1093 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

1998 के दौरान पुलिस द्वारा एस.एल.एल. मामलों का निपटान (राज्यवार और केन्द्र शासित क्षेत्र वार)

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	लंबित मामलों सहित जांच पड़ताल के लिए मामलों की कुल संख्या	कुल मामलों की संख्या जिसमें				जांच के लिए लंबित मामलों की संख्या	लंबित मामलों की प्रतिशतता	लंबित मामलों के अखिल भारत जोड़ की प्रतिशतता	आरोप पत्रों की दर
			जांच इनकार कर दी गई	जांच पूरी कर ली गई						
				आरोप झूठा पाया गया/ तथ्य या कानून इत्यादि की भूल	यथातथ्य अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई	आरोप-पत्र प्रस्तुत किए गए	कुल [(5)+(6)+(7)]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
राज्य											
1.	आंध्र प्रदेश	310221	73	644	14389	283334	298367	11781	3.8	1.8	95.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	अरुणाचल प्रदेश	90	0	0	21	41	62	28	31.1	.0	66.1
3.	असम	8659	0	145	1034	1932	3111	5548	64.1	.9	65.1
4.	बिहार	14872	31	471	859	8563	9893	4948	33.3	.8	90.9
5.	गोवा	843	0	0	57	730	787	56	6.6	.0	92.8
6.	गुजरात	162836	51	172	568	137386	138126	24659	15.1	3.9	99.6
7.	हरियाणा	48718	27	287	1287	40933	42507	6184	12.7	1.0	97.0
8.	हिमाचल प्रदेश	5424	0	68	80	3920	4068	1356	25.0	.2	98.0
9.	जम्मू और कश्मीर	6512	0	68	1205	2379	3652	2860	43.9	.4	66.4
10.	कर्नाटक	1852996	2238	843	5611	1421964	1428418	422340	22.8	66.3	99.6
11.	केरल	20096	192	367	664	13607	14638	5266	26.2	.8	95.3
12.	मध्य प्रदेश	246367	7	35	374	231411	231820	14540	5.9	2.3	99.8
13.	महाराष्ट्र	364445	2063	151	6217	334014	340382	22000	6.0	3.5	98.2
14.	मणिपुर	1725	34	0	401	147	548	1143	66.3	.2	26.8
15.	मेघालय	343	0	0	14	125	139	204	59.5	.0	89.9
16.	मिजोरम	1528	0	0	2	1247	1249	279	18.3	.0	99.8
17.	नागालैंड	1001	0	0	74	495	569	432	43.2	.1	87.0
18.	उड़ीसा	4910	0	81	149	4038	4268	642	13.1	.1	96.4
19.	पंजाब	27865	2	59	255	20452	20766	7097	25.5	1.1	98.8
20.	राजस्थान	22424	25	3122	343	18001	21466	933	4.2	.1	98.1
21.	सिक्किम	827	0	0	0	820	820	7	.8	.0	100.0
22.	तमिलनाडु	740951	24356	46781	31979	566095	644855	71740	9.7	11.3	94.7
23.	त्रिपुरा	3512	0	0	8	3423	3431	81	2.3	.0	98.8
24.	उत्तर प्रदेश	417282	16	865	4726	403075	408666	8600	2.1	1.3	98.8
25.	प. बंगाल	783537	.0	0	1583	768492	770075	13462	1.7	2.1	99.8
	कुल (राज्य)	5047984	29115	54159	71900	4266624	4392683	626186	12.4	98.2	98.3
संघ शासित क्षेत्र											
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	2750	0	0	2	2627	2629	121	4.4	.0	99.9
27.	चण्डीगढ़	953	0	6	1	227	234	119	33.7	.0	99.6
28.	दा. और न. हवेली	19	0	0	1	12	13	6	31.6	.0	92.3
29.	दमण और दीव	17	0	0	0	5	5	12	70.6	.0	100.0
30.	दिल्ली	21601	0	19	22	10723	10764	10837	50.2	1.7	99.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	लक्षद्वीप	4	0	0	1	2	3	1	25.0	.0	66.7
32.	पांडिचेरी	2865	0	3	11	2788	2802	63	2.2	.0	99.6
	कुल (स.शा. क्षेत्र)	27609	0	28	38	16384	16450	11159	40.4	1.8	99.8
	कुल (अखिल भारत)	5075593	29115	54187	71938	4283008	4409133	637345	12.6	100.0	98.3

नोट : 0.05 से कम प्रतिशतता को भी 0.0 के रूप में दर्शाया गया है।

प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित राष्ट्रीय राजमार्ग

1094. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या जल-भूतल परिवहन **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति अत्यंत दयनीय है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन राजमार्गों की मरम्मत पर कुल कितना व्यय किया गया है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को वर्ष 1999-2000 के दौरान इस उद्देश्य हेतु कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) तीनों राज्यों में सभी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त हुए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

राज्य	करोड़ रु०
पश्चिम बंगाल	34.49
उड़ीसा	12.25
आंध्र प्रदेश	19.04
जोड़	65.78

(घ) राज्य	करोड़ रु०
पश्चिम बंगाल	16.0000
उड़ीसा	10.0000
आंध्र प्रदेश	4.9826
जोड़	30.9826

(ङ) निरन्तर रख-रखाव और मरम्मत करके राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है।

स्वचालित डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज

1095. श्री श्रीपाद येसो नाईक :
श्री राजो सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र-वार और विशेषकर बिहार में कितने स्वचालित डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं; और

(ख) कितने गांवों को टेलीफोन से जोड़े जाने का प्रस्ताव है और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे कितने एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) पूरे देश में तथा बिहार राज्य में कार्य कर रहे डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या क्रमश: 25161 तथा 901 है। इस संबंध में राज्यवार तथा संघ शासित प्रदेशवार सूचना क्रमश: विवरण I और II में दी गई है।

(ख) (i) नवीं योजना अवधि के दौरान 339659 गांवों को टेलीफोन सुविधा प्रदान की जानी है।

(ii) 2000-2001 तथा 2001-2002 के लिए ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने संबंधी योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। शेष वर्षों के लिए उपलब्धियां निम्नानुसार है :-

1997-98 = 415

1998-99 = 928

1999-2000 = 296 (30.9.99 की स्थिति के अनुसार)

(1999-2000 = 2000 के लिए लक्ष्य)

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वचालित डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2123
2.	अरुणाचल प्रदेश	81

1	2	3
3.	असम	359
4.	बिहार	901
5.	दिल्ली	166
6.	गोवा	70
7.	गुजरात	1580
8.	हरियाणा	852
9.	हिमाचल प्रदेश	651
10.	जम्मू और कश्मीर	265
11.	कर्नाटक	2258
12.	केरल	846
13.	मध्य प्रदेश	2791
14.	महाराष्ट्र	3150
15.	मणिपुर	33
16.	मेघालय	54
17.	मिजोरम	46
18.	नागालैंड	37
19.	उड़ीसा	802
20.	पंजाब	1106
21.	राजस्थान	1806
22.	सिक्किम	36
23.	तमिलनाडु	1617
24.	त्रिपुरा	55
25.	उत्तर प्रदेश	2402
26.	पश्चिम बंगाल	991
	जोड़	25078

विवरण-II

क्र. सं.	संघ शासित प्रदेशों का नाम	स्वचालित डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार	31
2.	चण्डीगढ़	11
3.	दादरा और नगर हवेली	6
4.	दमन और दीव	3
5.	लक्षद्वीप	10
6.	पांडिचेरी	22
	जोड़	83

[हिन्दी]

टेलीफोन सेवाओं में कमी

1096. प्रो० रासासिंह रावत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन सेवाओं और विभाग के कर्मचारियों के व्यवहार में लगातार गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा टेलीफोन सेवाओं में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) टेलीफोन नेटवर्क के विस्तार की तुलना में टेलीफोन सेवाओं के रख-रखाव हेतु स्टाफ की आवश्यकता और संसाधन जुटाने के संबंध में योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के बनने के बाद टेलीफोन सेवाओं में अपेक्षित सुधार नहीं होने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। तथापि, निम्नांकित उपायों के माध्यम से सेवाओं में और आगे सुधार के लिए प्रयास किये जा रहे हैं :-

1. इलेक्ट्रो मैकेनिकल एक्सचेंजों को इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।
2. ओवर हेड लाइनों द्वारा जुड़े एक्सचेंजों को चरणबद्ध तरीके से विश्वसनीय पारेषण माध्यम प्रदान किये जा रहे हैं।
3. दोष सुधार सेवाओं को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है।
4. एक्सचेंजों के सेवा क्षेत्र को कम करने तथा इसके फलस्वरूप केबल बिछाने को कम करने के लिए अधिक से अधिक आर एल यू/आर एस यू स्थापित करना।
5. बाह्य संयंत्र का उन्नयन।
6. प्रचालकों तथा लाइन स्टाफ को उपभोक्ता इंटरफेस प्रशिक्षण प्रदान करना।

(ग) हाल ही में टी टी ए तभी चालक कैडर में सीमित भर्ती की अनुमति प्रदान की गई है। पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश (पश्चिम)

सर्किलों में जहां स्टाफ की कमी अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है तथा स्टाफ टेलीफोन अनुपात अखिल भारतीय औसत से कम है, में स्टाफ की कमी के मुद्दे की जांच करने के लिए पहले ही एक समिति का गठन कर दिया गया है।

(घ) प्रत्येक वर्ष दूरसंचार सेवाओं में सतत् गति से सुधार हो रहा है। निष्पादन में और आगे सुधार के लिए सभी स्तरों पर इस संबंध में पूरी तत्परता से मानिटरिंग तथा निष्पादन की समीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

जंगलों में आग

1097. श्री नारायण दत्त तिवारी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान देश के जंगलों में लगी आग से हुई क्षति का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषत: पर्वतीय क्षेत्रों के जंगलों में आग से बचने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो पर्वतीय क्षेत्र में वनस्पति और जीव-जन्तुओं को जंगलों की विनाशक आग से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि वनों में लगने वाली आग से हर वर्ष देश का लगभग 3.73 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित होता है और वनों में लगने वाली आग के कारण हर वर्ष कम-से-कम 440 करोड़ रुपये का नुकसान होने का आकलन किया गया है।

(ख) वनों में लगने वाली आग के निवारण एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तीन पहाड़ी राज्य, जहां आग से भारी नुकसान होने की सूचना मिली थी, उनमें आग से क्षतिग्रस्त हुए क्षेत्रों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) से (ङ) देश के 11 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में एक योजना 'दावानल की आधुनिक प्रविधियां' कार्यान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत अग्नि निवारण एवं नियंत्रण कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना आयोग द्वारा इस योजना के अंतर्गत नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 15 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में दावानल निवारण एवं नियंत्रण हेतु राज्य सरकारों द्वारा उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम और हरियाणा राज्यों के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार किए गए थे और योजना आयोग ने वर्ष 1999-2000 की अवधि में इन राज्यों को 15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मंजूर की है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन राज्यों में आग से भारी नुकसान हुआ उनमें दावानल से प्रभावित हुए क्षेत्र

(हेक्टेयर में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	वर्ष		
		1996-97	1997-98	1998-99
1.	हिमाचल प्रदेश	2621	558	5491
2.	उत्तर प्रदेश	5865	29964	3392
3.	सिक्किम	2300	2550	—

दूरसंचार विभाग द्वारा सेल्यूलर टेलीफोन सुविधा शुरू किया जाना

1098. श्री राजैया मल्याला : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में दूरसंचार-विभाग द्वारा सेल्यूलर टेलीफोन सुविधा शुरू किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित शुल्क ढांचे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश के निम्नलिखित बड़े शहरों में पॉयलट परियोजना के रूप में सेल्यूलर टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

1. हैदराबाद
2. विजयवाड़ा
3. तिरुपति
4. गुंटूर
5. विशाखापटनम
6. वारंगल

प्राप्त किए गए अनुभव तथा आर्थिक पैरामीटरों के निर्धारण तथा लागत के ब्यौरे इत्यादि के आधार पर, सेल्यूलर सेवा की व्यापक शुरूआत करने के मामले पर विचार किया जाएगा।

प्रस्तावित सेवा के लिए टैरिफ के ढांचे पर विचार किया जा रहा है। अगले वित्त वर्ष के दौरान प्रस्तावित सेवा शुरू कर दिए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

रिक्त पद

1099. डा० बलिराम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 नवम्बर, 1999 की स्थिति के अनुसार देश के सभी सर्किलों तथा दिल्ली और मुम्बई के महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में टी०टी०ए० के कितने पद रिक्त हैं और ये कब से रिक्त हैं;

(ख) क्या विभाग ने टी.टी.ए. के पद की भर्ती के लिए नियम बनाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त नियमानुसार विभाग द्वारा इन पदों को भरने की कार्रवाई न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का विभिन्न सर्किलों और दिल्ली और मुम्बई के महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में टी.टी.ए. के रिक्त पदों को कब तक भरे जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) फील्ड यूनिटों से सूचना मंगाई गई है तथा सूचना प्राप्त होने में समय लगेगा। फील्ड यूनिटों से सूचना प्राप्त होते ही जानकारी दे दी जाएगी।

(ख) जी, हां।

(ग) दूरसंचार तकनीकी सहायकों के लिए दि. 31.7.1991 को तैयार तथा समय-समय पर संशोधित मुख्य भर्ती नियम को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। इसमें अंतिम संशोधन 26.10.1999 को किया गया था।

(घ) भर्ती नियमों के अनुसार नियमित रूप से दूरसंचार तकनीकी सहायकों की भर्ती की जा रही है। विभिन्न सर्किलों/गौण स्विचन क्षेत्रों में तकनीकी सहायकों के पदों को भरने के लिए पिछली परीक्षा 1.1.1999 से 15.1.1999 तक आयोजित की गई थी।

(ङ) भर्ती एक सतत् प्रक्रिया है तथा दूरसंचार तकनीकी सहायक एक गौण स्विचन क्षेत्र कैडर है। दूरसंचार तकनीकी सहायकों के रिक्त पदों के भरने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

पेजर उद्योग

1100. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व शुरू किए गए पेजर उद्योग को भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इस उद्योग को पुनः चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) पेजिंग सेवा उद्योग ने परियोजनाओं को खराब वित्तीय व्यवहार्यता के बारे में बताया है।

(ग) सरकार द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदम इस प्रकार हैं :-

1. निजी दूरसंचार परियोजनाओं को वित्तपोषण के लिए लाइसेंसों को अभ्यर्पणीय/हस्तांतरणीय बनाया गया है।
2. पेजिंग उद्योग के लिए बुनियादी जरूरतों से संबंधित उपस्करों हेतु रियायती सीमा-शुल्क पर आयात कर लिया जाता है।
3. दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा दिया गया लाइसेंस शुल्क कर के उद्देश्य से परिशोधन योग्य है।
4. दूरसंचार सेवाओं से जुड़ी कम्पनियों को अपने व्यवसाय के प्रारंभिक 15 वर्षों के दौरान प्रथम पांच वर्षों में कर भुगतान करने की शत-प्रतिशत छूट तथा उसके बाद के पांच वर्षों में 30% की छूट होती है।
5. पेजिंग सेवाओं के किरायों में 1.4.99 से वृद्धि कर दी गई है।

मनीआर्डरों का भुगतान न होना

1101. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मनीआर्डरों के भुगतान न होने और उनके खो जाने के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो 1998-99 के दौरान और आज तक ऐसे कितने मामले प्रकाश में आये हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं, और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) वर्ष 1998-99 के दौरान, 30.9.99 को समाप्त तिमाही तक मनीआर्डरों का वितरण न होने, उनके खोने से संबंधित प्राप्त शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है :

अवधि	मनीआर्डरों का वितरण न होने तथा उनके खोने के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या
1.4.98 से 31.3.99	77,373
1.4.99 से 30.9.99	25,973

विभाग द्वारा जन शिकायतों के मामलों में कमी लाने के लिए किए गए उपायों के परिणामस्वरूप प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या में कमी दिखाई देती है। ये उपाय हैं :

1. मनीआर्डरों के प्रेषण में तेजी लाने के लिए मनीआर्डरों का वी-सैट के जरिये प्रेषण शुरू किया गया है। मनीआर्डरों का त्वरित व दोष रहित प्रेषण करने के लिए एक उन्नयित साफ्टवेयर वर्जन 3.0 स्थापित किया गया है।
2. मनीआर्डरों के खोने/उनका भुगतान न होने के बारे में सूचना प्राप्त होने पर एक जांच-नोट तत्काल जारी किया जाता

है। यदि जांच नोट जारी किए जाने के 10 दिन के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो एक डुप्लीकेट मनीआर्डर जारी कर दिया जाता है।

3. शिकायतों को यथासंभव प्राथमिकता देने व उनकी ओर तत्काल ध्यान देकर उन पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं। 400 रु. से अधिक के सभी मनीआर्डरों को बीजकों में चढ़ाकर ही प्रेषित किया जाता है। फील्ड स्टाफ द्वारा भुगतान किए गए मनीआर्डरों के निर्धारित प्रतिशत की जांच की जाती है।

4. शिकायतों के निपटान के लिए समय मानक निर्धारित किए गए हैं।

5. जन शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए आवधिक अभियान भी चलाये जाते हैं।

6. मनीआर्डरों के खोने/उनका वितरण न होने के लिए जिम्मेवार पाए जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

मतदाता सूचियों में संशोधन

1102. **श्री राम चन्द्र वीरप्पा : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने हाल ही में देश के विभिन्न राज्यों में नई मतदाता सूचियां तैयार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्य को सभी राज्यों में किया जाना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस कार्य के पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) से (ग) जी, हां। निर्वाचन आयोग ने, जम्मू-कश्मीर और उड़ीसा राज्यों के सिवाय, इन सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की बाबत, अर्हता तारीख के रूप में 01.01.2000 के प्रतिनिर्देश से, निर्वाचक नामावलियों का समरी पुनरीक्षण करने के लिए आदेश दिया है। जम्मू-कश्मीर में, इस समय, शीतकालीन मौसम होने के कारण इस कार्य को आरंभ नहीं किया जा सकता और उड़ीसा राज्य को, महाचक्रवात द्वारा हुए सर्वनाश के कारण, समरी पुनरीक्षण के वर्तमान दौर से छूट दे दी गई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) निर्वाचक नामावलियां, अंतिम रूप से, 7 जनवरी, 2000 को प्रकाशित की जाएंगी।

[अनुवाद]

निजी निवेशकों द्वारा नए टेलीफोन केन्द्रों के लिए भवन

1103. **श्री उत्तमराव ढिकले : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में नए टेलीफोन केन्द्रों के लिए भवनों का निर्माण करने का कार्य निजी निवेशकों को सुपुर्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं।

[हिन्दी]

भारतीय भाषाओं के लिये आयोग

1104. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भाषाओं के लिए एक आयोग की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त आयोग के कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है;

(ग) क्या उक्त आयोग भारतीय भाषाओं के साथ-साथ जनजातीय भाषाओं के संरक्षण पर विचार करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्रस्ताव पर विचार हो रहा है।

[अनुवाद]

विदेशी मूल के भारतीय नागरिकों को उच्च पदों हेतु चुनाव लड़ने से रोका जाना

1105. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील :**
श्री अजय सिंह चौटाला :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी मूल के भारतीय नागरिकों को भारत में उच्च पदों हेतु चुनाव लड़ने से रोकने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित विधान के कब तक लाए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है। अत:, इसके ब्यौरों का प्रश्न ही नहीं उठता। राजनीतिक दलों के कुछ प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा इसकी चर्चा आरंभ की गई है और इस विषय पर सार्वजनिक रूप से वाद-विवाद हो रहा है। इस पर निश्चित विचार बन जाने और कुछ सहमति हो जाने पर सरकार इस बात पर विचार करेगी कि इसे किस तरह कार्यान्वित किया जाए।

एक्जिट पोल पर प्रतिबंध

1106. **श्री ए०सी० जोस** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास एक्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

अनिवासी भारतीयों के लिए दोहरी नागरिकता

1107. **डा० नीतिश सेनगुप्ता** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पासपोर्ट फीस और सेवा शुल्क आदि के माध्यम से विदेशी नागरिकता प्राप्त अनिवासी भारतीयों से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाने की उम्मीद है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[हिन्दी]

सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में मुआवजा

1108. **श्री अमीर आलम** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को मुआवजा देने में अत्यधिक विलंब होता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज की तिथि के अनुसार देश में सड़क दुर्घटनाओं के कितने मामले लंबित पड़े हैं; और

(घ) सरकार इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठा रही है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (घ) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 165 के उपबंध के अधीन राज्य सरकारों को एक अथवा एक से अधिक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण गठित करने की शक्ति प्राप्त है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को प्रतिपूर्ति के दावों पर मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 168 और 169 के प्रावधानों और विभिन्न राज्य सरकारों के संबंधित नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। दावे समस्त देश के विभिन्न न्यायालयों में दायर किए जाते हैं और इस प्रकार के आंकड़ों का संकलन नहीं किया जाता।

दावों का शीघ्र निपटान करने की दृष्टि से सरकार ऐसे दावों का शीघ्रता से निपटान करने के लिए उचित प्रबंध करने हेतु राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध करती रहती है।

[अनुवाद]

रसोई गैस का मूल्य

1109. **श्री रामचन्द्र बैंदा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बाजार में रसोई गैस का वर्तमान मूल्य क्या है और मालभाड़ा प्रभार आदि जोड़ने के बाद भारत में इसकी कीमत क्या बैठती है;

(ख) सरकार देश में उपभोक्ताओं को इसकी किस मूल्य पर आपूर्ति कर रही है;

(ग) विश्व बाजार और भारत में रसोई गैस के मूल्य में अंतर को किस प्रकार दूर किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का इस अंतर को दूर करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : (क) और (ख) 1 अप्रैल, 1998 से भारत में तेल शोधन कंपनियों को एलपीजी (घरेलू) समेत नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों के लिए आयात समता मूल्य भुगतान किया जाता है। नवंबर, 1999 माह के लिए आयात समता मूल्य 12846.98 रुपए प्रति एम टी था। भराई प्रभारों, विपणन लाभों, सिलेंडर अवमूल्यन एवं वापसी, सिलेंडर मरम्मत एवं रखरखाव, वहनशुल्क की अल्प-वसूलियों एवं अन्य लागतों को जोड़ने के पश्चात् अनुमानित लागत लगभग 18787.55 रुपए प्रति एम टी (इसमें शुल्क इत्यादि शामिल नहीं है) आकलित होती है। इसके प्रति उपभोक्ता के लिए वर्तमान भंडार बिन्दुगत मूल्य (शुल्क इत्यादि को छोड़कर) 8732.87 रुपए प्रति एम टी है।

(ग) से (ङ) नवंबर, 1997 में सरकार ने निर्णय ले लिया था कि एल पी जी पर देय राजसहायता को वर्ष 2000-01 तक आयात समता मूल्य के 15 प्रतिशत के स्तर पर पहुंचने के लिए इसे चरणों में कम किया जाएगा। वर्ष 2002 से आगे राजसहायता, राजकोषीय बजट को अंतरित की जाएगी।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण

1110. **श्री अजय सिंह चौटाला :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में देश के ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण कार्यक्रम संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) देश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए वित्तीय परिव्यय तथा वास्तविक कार्यक्रम के संबंध में राज्यवार निर्णय योजना आयोग द्वारा आर्थिक आधार पर वित्तीय संसाधनों और उच्च निवेशों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। योजना आयोग ने चालू तथा अगले तीन वर्षों के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप प्रदान नहीं किया है। तथापि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने वर्ष 1999-2000 के दौरान निधि आबंटन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा पम्पसेट ऊर्जाकरण के लिए कार्यक्रम तैयार किया है। राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1999-2000 के लिए आरईसी कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रस्तावित राज्यवार निधि आवंटन और वास्तविक लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय आबंटन			वास्तविक लक्ष्य (सं.)		
		निधि आबंटन (ऋण)	कुटीर ज्योति (अनुदान)	कुल	गांवों का विद्युतीकरण (सं०)	पम्पसेट ऊर्जीकरण (सं०)	कुटीर ज्योति (सं०)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	16070	280	16350	0	50000	28000
2.	अरुणाचल प्रदेश	2030	190	2220	80	0	19000
3.	असम	975	170	1145	40	0	17000
4.	बिहार	2320	[illegible]	2840	0	0	52000
5.	गोवा	420	130	550	0	0	13000
6.	गुजरात	7680	175	7855	0	13000	17500
7.	हरियाणा	1960	115	2075	0	1000	11500
8.	हिमाचल प्रदेश	1140	100	1240	32	150	10000
9.	जम्मू एवं कश्मीर	2800	105	2905	15	250	10500
10.	कर्नाटक	14220	210	14430	15	20000	21000
11.	केरल	7770	160	7930	0	20000	16000
12.	मध्य प्रदेश	14600	350	14950	300	25000	35000

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	महाराष्ट्र	14000	300	14300	0	50000	30000
14.	मणिपुर	1575	105	1680	75	0	10500
15.	मेघालय	975	210	1185	0	0	21000
16.	मिजोरम	710	115	825	3	0	11500
17.	नागालैंड	675	125	800	0	0	12500
18.	उड़ीसा	7450	250	7700	580	2000	25000
19.	पंजाब	3900	110	4010	0	3000	11000
20.	राजस्थान	16300	220	16520	450	18100	22000
21.	सिक्किम	0	105	105	0	0	10500
22.	तमिलनाडु	10600	270	10870	0	35000	27000
23.	त्रिपुरा	725	105	830	10	0	10500
24.	उत्तर प्रदेश	8700	640	9340	400	12500	64000
25.	पश्चिम बंगाल	1705	340	2045	0	0	34000
	कुल (राज्य)	139300	5400	144700	2000	250000	540000

आईई सहकारिता समेत विशेष परियोजना विकेन्द्रीयकृत विद्युत उत्पादन स्कीमें। 10600

कुल : 155300

नए दूरभाष केन्द्र खोला जाना

1111. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री चिंतामन वनगा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के ठाणे जिले और पांसकुड़ा क्षेत्र में नए दूरभाष केन्द्र खोलने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और यह कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) 1. महाराष्ट्र के थाणे जिले के जिन आठ स्थानों पर नए टेलीफोन एक्सचेंज प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है, वे निम्नानुसार हैं :

राये, अबीटघर, डभोड, महरोली, तलवाडे, नैगांव, सरवाल तथा बसाई।

2. पंसकुरा क्षेत्र में रतूलिया बाजार तथा पुरुषोत्तमपुर में नए एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) इन एक्सचेंजों को 31.3.2000 तक चालू कर लिये जाने की योजना है।

(घ) उपर्युक्त उत्तर के भाग (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बलात्कार के मामले

1112. **श्री जी०एस० बसवराज :**
श्री अन्ना साहेब एम०के० पाटील :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों में बलात्कार के मामलों विशेषकर बच्चियों के बलात्कार की घटनाओं के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में किसी अन्य महानगर की तुलना में बलात्कार की सर्वाधिक घटनाएं दिल्ली में होती है;

(ग) यदि हां, तो राजधानी में पिछले तीन वर्षों के दौरान और पिछले छह माह के दौरान बलात्कार के कितने मामले दर्ज किए गए; और

(घ) इस समस्या को रोकने के लिए क्या उपाए किए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नई विपणन योजनाओं में शामिल महाराष्ट्र के कस्बे

1113. **श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र विशेषत: मराठवाड़ा क्षेत्र के कितने छोटे नगरों को और रसोई गैस कनेक्शन देने के लिए नई विपणन योजनाओं में शामिल किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : एल पी जी की बर्द्धित मांग को पूरा करने के लिए वर्तमान विपणन योजना 1996-98 में महाराष्ट्र, जिसमें मराठवाड़ा क्षेत्र शामिल है, के लिए 124 नई एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें शामिल की गई हैं। उपर्युक्त में से 39 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें ग्रामीण क्षेत्रों में, 82 शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 3 शहरी क्षेत्रों में हैं।

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति

1114. **श्री टी० गोविन्दन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार केरल में दूरसंचार/डाक सर्किलों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के कितने मामले लंबित पड़े हैं; और

(ख) इन मामलों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) **दूरसंचार सेवा विभाग** :

वर्ष	संख्या
1997	2
1998	5
1999	27
जोड़	34

डाक विभाग

1. वर्ष 1997, 1998 तथा 1999 के लिए योजना के अंतर्गत अनुमत्य अनुकंपा आधार पर नियुक्तियां पहले ही की जा चुकी हैं तथा इस संबंध में कोई मामला लम्बित नहीं है।
2. 62 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन पर यथा-समय विचार किया जाएगा।

(ख) जनवरी 2000 के अंत तक मामलों को निपटा दिये जाने की संभावना है।

केरल में विद्युत उत्पादन

1115. **श्री जी०एम० बनातवाला** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में मौजूदा विद्युत संयंत्रों द्वारा कितना विद्युत उत्पादन होता है;

(ख) राज्य में विशेषकर विद्युत सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार विद्युत की कुल आवश्यकता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में विद्युत की संभावित मांग को पूरा करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) अप्रैल-नवम्बर, 99 के दौरान, केरल में ऊर्जा उत्पादन 5757 मिलियन यूनिट था।

(ख) और (ग) 15वीं विद्युत सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट ने प्रक्षेपित किया है कि 2001-2002 के दौरान केरल में ऊर्जा की आवश्यकता 15756 मिलियन यूनिट होगी। 1997-98 के दौरान केरल में ऊर्जा की कमी 19% थी जो 1998-99 के दौरान घटकर 9.7% हो गई और 1999-2000 (अक्तूबर, 1999 तक) के दौरान यह और भी घटकर 7.2% हो गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों में बढ़ाकर चौड़ा करना

1116. **श्री रामशेठ ठाकुर** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चालू वर्ष और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के मरम्मत, उन्हें चौड़ा करने और उन्हें चार लेनों में बदलने हेतु राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के मरम्मत के लिए राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कब तक निर्णय ले लिए जाने और मरम्मत तथा परिवर्तन का कार्य शुरू कर दिए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय विकास द्वारा यथा-अनुमोदित नौवीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित प्रावधान हैं :-

1. चौड़ा करके दो लेन बनाना — 1194 कि.मी.

2.	चौड़ा करके चार लेन बनाना	—	202 कि.मी.
3.	कमजोर 2 लेन का सुदृढ़ीकरण	—	443 कि.मी.
4.	बाइपास	—	20
5.	बड़े पुल	—	40
6.	छोटे पुल	—	226

(ग) जी, हां।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत हेतु गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को आबंटित राशि दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) यह एक सतत प्रक्रिया है और कार्य प्रगति पर है।

विवरण

रख-रखाव और मरम्मत हेतु विभिन्न राज्यों को आबंटित राशि दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु०)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	3545.34	3898.00	4568.40
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
3.	असम	1006.87	1162.55	2815.51
4.	बिहार	2193.95	3410.77	3336.97
5.	चंडीगढ़	45.00	71.00	48.04
6.	दिल्ली	207.00	330.20	210.00
7.	गोवा	325.36	450.39	617.08
8.	गुजरात	2731.50	3758.96	3296.94
9.	हरियाणा	885.24	772.34	1239.42
10.	हिमाचल प्रदेश	1516.80	2034.32	2256.01
11.	जम्मू एवं कश्मीर	103.37	87.40	129.65
12.	कर्नाटक	2457.80	3002.90	3111.75
13.	केरल	1073.27	2268.11	2090.63
14.	मध्य प्रदेश	3176.72	3313.78	3945.04
15.	महाराष्ट्र	3277.04	5157.68	4957.67
16.	मणिपुर	276.00	277.03	365.59
17.	मेघालय	553.70	384.54	625.80
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	14.00	37.11	382.90
20.	उड़ीसा	1981.73	2522.00	2761.15
21.	पांडिचेरी	35.88	29.96	64.18
22.	पंजाब	1182.13	1357.75	1538.81
23.	राजस्थान	2669.08	3841.71	3718.19
24.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	2413.14	2981.37	3740.00
26.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	3373.40	4949.19	6128.44
28.	पश्चिम बंगाल	2081.68	3264.94	2757.83
29.	जोगीघोपा पुल	0.00	0.00	0.00
30.	मंत्रालय	0.00	0.00	0.00
31.	बी आर डी बी	0.00	0.00	0.00
32.	एन एच ए आई	70.00	375.00	274.00
33.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00
34.	अन्य संस्थाएं	—	13.00	—
	कुल	37200.00	49750.00	54980.00

[अनुवाद]

सुरक्षा प्रदान किया जाना

1117. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ प्रशासन ने सरकारी पद पर रह चुके अथवा सरकारी पदों पर कार्य करने वाले कितने अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों तथा आम जनता के लोगों को विभिन्न श्रेणियों की सुरक्षा प्रदान करायी है;

(ख) इस पर कुल कितना वार्षिक व्यय हुआ है; और

(ग) इस तरह की सुरक्षा को बढ़ाने तथा वापिस लेने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) इस समय, 102 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें चण्डीगढ़ प्रशासन

द्वारा सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। इनमें 81 अधिकारी और 21 आम जनता के लोग हैं।

(ख) इन 102 संरक्षित व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने पर किया गया खर्च 13 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है।

(ग) इन प्रयोजनार्थ गठित संरक्षण पुनरीक्षण ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है।

[हिन्दी]

तेल चयन बोर्ड

1118. **श्री सुरेश चन्देल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पुराने तेल चयन बोर्ड को भंग कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी राज्यों में नए तेल चयन बोर्डों का गठन कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन बोर्डों का गठन कब तक कर लिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बंग्लादेश के लोगों को पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षण

1119. **श्री शीशराम सिंह रवि** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान पूर्वोत्तर क्षेत्र को शेष भारत से अलग करने हेतु वहां बंग्लादेश के लोगों को प्रशिक्षण दे रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) ऐसे कोई साक्ष्य नहीं हैं जिनसे यह संकेत मिलता हो कि हमारे सुरक्षा हितों के विरुद्ध गतिविधियां चलाने के लिए पाकिस्तान, पूर्वोत्तर में बंग्लादेशियों को प्रशिक्षण दे रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

भर्ती-नियमों में ढील

1120. **श्री अशोक ना० मोहोल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ समय पूर्व 16.66% विभागीय कोटे के तहत भर्ती-नियमों में ढील देकर काफी संख्या में ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-I विद्युत कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर पदोन्नत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इसी प्रकार ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-I (सिविल) को भी पदोन्नत करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां। 1997 में, 10 ड्राफ्टमैन ग्रेड-I (विद्युत) को कनिष्ठ इंजीनियर (विद्युत) के रूप में पदोन्नत कर दिया गया था।

(ख) निम्न कारणों से नियमों में ढील दी गई थी :-

(i) ड्राफ्टमैन ग्रेड-I सहित समूह "ग" कर्मचारियों से कनिष्ठ इंजीनियर की पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा के माध्यम से 16.66% का कोटा था। समूह "ग" कर्मचारियों द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण करके पदोन्नति प्राप्त न करने के कारण 16.66% कोटे में कनिष्ठ इंजीनियर (विद्युत) के कई पद रिक्त पड़े थे।

(ii) ड्राफ्टमैन ग्रेड-I (विद्युत) के ग्रेड में गतिरोध को समाप्त करने के विचार से, 15 वर्ष से अधिक समय की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को, उनके द्वारा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता में ढील देते हुए, एक बार पदोन्नति के रूप में पदोन्नत कर दिया गया था।

(iii) यूनियन से ड्राफ्टमैन ग्रेड-I के पक्ष में एक बार की शिथिलता की अनुमति देने के लिए अनुरोध किए थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ड्राफ्टमैन (सिविल) तथा ड्राफ्टमैन (विद्युत) के संवर्ग पदोन्नति संबंधी विभिन्न प्रत्याशाओं वाले दो विभिन्न संवर्ग हैं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए, असमानता का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा पर व्यय

1121. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में "जेड" प्लस सुरक्षा पाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या और इस पर कुल वार्षिक व्यय कितना है;

(ख) क्या उनकी समय-समय पर सुरक्षा आवश्यकता की समीक्षा की जाती है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी समीक्षा के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) चूंकि, भारत के संविधान के अन्तर्गत "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं अत: उनके क्षेत्राधिकार में रह रहे व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने और उस पर हुए खर्च की जिम्मेवारी संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की है।

(ख) से (घ) सुरक्षा स्कीम के अनुसार, प्रत्येक मामले में, नवीनतम सुरक्षा खतरे की संभावना के आधार पर सुरक्षा की आवश्यकता और सुरक्षा प्रबन्धों के स्तर पर सावधिक पुनरीक्षा की जानी अपेक्षित है और सुरक्षा में, जैसी भी स्थिति की मांग हो, आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री की सड़क योजना के वित्त पोषण के लिए

1122. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के वित्त पोषण हेतु, जिसमें प्रधान मंत्री की उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम गलियारों और चारों महानगरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भी शामिल है, एक समर्पित सड़क निधि का सृजन करने के लिए उपस्कर अधिनियम ला रही है;

(ख) क्या मंत्रालय ने प्रारूप उपकर अधिनियम तैयार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या विधि मंत्रालय ने प्रारूप अधिनियम पर विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मुम्बई में कानून और व्यवस्था की स्थिति

1123. **श्री रामदास आठवले** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में अपराध में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से इस संबंध में कोई रिपोर्ट देने को कहा है;

(ग) क्या मुम्बई में हो रहे आपराधिक कारनामों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अपराधी लिप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार अपराध पर काबू पाने हेतु राज्य को सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय गुप्तचर एजेंसियां तैनात करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार विदेशों में निवास कर रहे माफिया गिरोहों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

असम/करीमगंज सीमा पर बाड़ लगाना

1124. **श्री के० येरननायडू :**
श्री चाडा सुरेश रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम/करीमगंज सीमा पर बाड़ लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) करीमगंज जिले में 71.72 कि.मी. समेत, असम-बंगलादेश सीमा पर 152.3 कि.मी. में बाड़ लगाने का कार्य मंजूर किया गया है। 31.10.1999 को करीब 140 कि.मी. में बाड़ लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है।

करीमगंज जिले में 35 कि.मी. में बाड़ लगाने सहित असम-बंगलादेश सीमा पर अतिरिक्त 7.15 कि.मी. में, दूसरे चरण में बाड़ लगाई जानी है।

औद्योगिक उपक्रमों को रसोई गैस की आपूर्ति

1126. **श्री ए० वेंकटेश नायक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न औद्योगिक उपक्रमों और विद्युत संयंत्रों के लिए रसोई गैस उपलब्ध कराए जाने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान इन पर राज्य-वार क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्राथमिक क्षेत्र की परियोजनाओं विशेषतया विद्युत संयंत्रों के लिए गैर-मिलावटी और सस्ते ईंधन का प्रावधान करने के लिए रसोई गैस के विशाल नेटवर्क की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल एन जी) का आयात मुक्त सामान्य लाइसेंस पर है तथा विभिन्न तटवर्ती स्थानों पर एल एन जी आयात टर्मिनल कायम करने के लिए निजी क्षेत्र से अनेक पहलें हैं। पेट्रोनेट एल एन जी लिमिटेड सरकार के अनुमोदन से तैयार की गई है तथा इसमें 50 प्रतिशत इक्विटी भागीदारी तेल क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा की जा रही है तथा शेष इक्विटी कार्यनीतिक साझेदारों, वित्तीय संस्थाओं, इत्यादि को प्रस्तावित होनी है। पेट्रोनेट एल एन जी लिमिटेड का लगभग 3200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर दहेज (गुजरात) में तथा 2000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर कोचीन (केरल) में एल एन जी टर्मिनल स्थापित करने का प्रस्ताव है। एल एन जी का आयात वर्ष 2003 के दौरान आरंभ होने की आशा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में बी पी सी एल, आई ओ सी और एच पी सी एल के डिपो

1127. **श्री अशोक प्रधान** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन आयल कार्पोरेशन लि० और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के डिपो कहां-कहां हैं;

(ख) इस समय उनमें से प्रत्येक डिपो की भंडारण क्षमता क्या है;

(ग) क्या उक्त उपक्रमों से स्थानीय लोग लाभान्वित हो रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) स्थानीय लोगों को पेट्रोलियम उत्पादों की समय पर आपूर्ति तथा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के माध्यम से लाभ हुआ है। इन सुविधाओं के विकास के फलस्वरूप इन क्षेत्रों के आसपास समग्र विकास हुआ है।

विवरण

डिपो/टर्मिनल का स्थान	क्षमता किलोमीटर में		
	आई.ओ.सी.	बी.पी.सी.एल.	एच.पी.सी.एल.
1	2	3	4
अमौसी	—	—	23,152
आगरा	32,835	13,615	—
आंवला	23,788	10,054	—
बस्ती	3,900	—	—
बरेली	7,060	—	9,003
बैतालपुर	14,065	9,714	—
बंथरा	—	9,238	—
गोरखपुर	7,528	5,175	—
गोंडा	11,888	6,202	5,114
झांसी	12,201	—	2,950
करारी	—	9,038	4,910
काठगोदाम	1,842	591	—
लखनऊ	590	—	—
मेरठ	2,035	7,917	5,410
मथुरा	16,899	53,061	41,000
मुगलसराय	37,269	39,011	—
मुरादाबाद	5,870	—	—
नजीबाबाद	33,616	11,280	3,114
परतापुर	12,550	—	—
सहारनपुर	5,462	5,401	—
शाहजहांपुर	28,079	—	—
इलाहाबाद	34,417	—	—
कानपुर	1,46,696	—	—

[अनुवाद]

स्नातकों का ठगा जाना

1128. **श्री एन०आर०के० रेड्डी :**
श्री चाडा सुरेश रेड्डी :
श्री के० येरननायडू :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "एशियन एज" में 3 नवम्बर, 1999 को "कम्पनी चीट्स 2500 ग्रेजुएट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, कंपनी के विरुद्ध धोखाधड़ी के लिए दिल्ली या चेन्नै, दोनों में कोई मामला दाखिल नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन

1129. **श्री नवल किशोर राय :**
श्री अजित सिंह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विद्युत उत्पादन की क्या वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप था; और

(घ) यदि नहीं, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक विद्युत उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर क्या रही और शेष वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन की कितनी वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त कर ली जाएगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) नौवीं योजना में 40245 मेगावाट की बढ़ती क्षमता अभिवृद्धि का अनुमान लगाते हुए आठवीं योजना के अन्त में 394.5 बिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन की तुलना में अन्तिम वर्ष 2001-02 के अन्त तक यूटीलिटियों में विद्युत उत्पादन का 606.70 बिलियन यूनिट का लक्ष्य की परिकल्पना की गई थी। यूटीलिटियों के साथ परामर्श करके वर्ष प्रारंभ होने से पहले वर्ष के लिए विद्युत उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के लिए कार्यक्रम, वास्तविक तथा पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत अभिवृद्धि नीचे दी गई है।

वर्ष	कार्यक्रम (बि.यू.)	वास्तविक (बि.यू.)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत अभिवृद्धि
1997-98	429.00	420.62	6.6%
1998-99	450.00	448.41	6.6%
1999-2000	469.00	275.76	7.8%
(अप्रैल-अक्टूबर,99)		(अक्टूबर, 1999 तक)	

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद

1130. **श्री रामपाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का सामना करने के लिए कोई नई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के कब तक कार्यान्वित हो जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ग) जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा प्रबंधन सुदृढ़ करना, उग्रवादियों के खिलाफ भीतरी प्रदेश में प्रतिकारी कार्रवाई करके उनकी योजनाओं को निष्क्रिय करना, आसूचना तन्त्र को सक्रिय बनाना, विभिन्न स्तरों पर एकीकृत मुख्यालय और आप्रेशन ग्रुपों के माध्यम से व्यापक कार्यात्मक एकीकरण, विकास कार्यक्रमों को गति प्रदान करना तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना, इत्यादि शामिल हैं। कारगर स्वरूप के इस दृष्टिकोण की लगातार समीक्षा की जाती है ताकि आतंकवादियों की बदलती हुई रणनीति का मुकाबला किया जा सके।

[अनुवाद]

ओ एन जी सी और आई ओ सी के बीच गठबंधन

1131. **श्री मोहन रावले** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओ एन जी सी और आई ओ सी ने अति अनुकूल ग्राहक क्रेता व्यवहार पर दो तेल कंपनियों के बीच रणनीतिक गठबंधन के रूप में पारस्परिक आधार पर अनुदान देने सहित पांच दूरुह मुद्दों पर विस्तृत समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : (क) और (ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओ एन जी सी) तथा इंडियन आयल कार्पोरेशन (आई ओ सी) के बीच दिनांक 7 सितंबर, 1999 को कार्यनीतिक गठबंधन का विस्तृत ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ था। विचार-विमर्श के बाद पारस्परिक आधार पर सबसे अधिक पसंदीदा ग्राहक खरीददार उपचार की मंजूरी के मुद्दे सहित अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।

नगरपालिका की भूमि पर कब्जा

1132. **श्री अधीर चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस नगर पालिका की भूमि पर कब्जा कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ग) अन्य वैकल्पिक व्यवस्था होने तक, खाली पड़ी सरकारी भूमि पर स्थापित किए गए अस्थाई ढांचों से कुछ पुलिस चौकियों और पुलिस सहायता बूथों को व्यापक जनहित में चलाया जा रहा है।

[हिन्दी]

ताप और जल विद्युत उत्पादन

1133. श्री जे०एस० बराड़ :
डॉ० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ताप और जल विद्युत उत्पादन की वर्तमान औसत क्रमशः 76 प्रतिशत और 24 प्रतिशत है;

(ख) क्या सचिव समिति ने सरकार से इस औसत में परिवर्तन लाने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार की कार्य योजना का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) वर्तमान में देश में कुल अधिष्ठापित क्षमता लगभग 95275 मे.वा. है जिसमें ताप-विद्युत स्टेशनों में लगभग 68985 मे.वा. (72.4%) क्षमता जल विद्युत स्टेशनों में लगभग 23025 मे.वा. क्षमता (24%) और न्यूक्लीय तथा पवन विद्युत स्टेशनों में लगभग 3065 मे. वा. (3.2%) क्षमता शामिल है।

(ख) से (घ) जल विद्युत विकास की गति में तेजी लाने के लिये अगस्त, 1998 में सरकार द्वारा जल विद्युत विकास पर एक नीति तैयार की गई है। नीति का मुख्य उद्देश्य देश में समग्र विद्युत उत्पादन में जल विद्युत की गिरती हुई भागीदारी को रोकने के लिए उपाय करना है।

नीति के अनुसार निम्नलिखित पर ध्यान दिया जाएगा :-

1. केन्द्रीय/राज्य सरकार के बजट में पर्याप्त निधियां प्रदान करना और जल विद्युत के विकास हेतु पावर फाईनेंस कारपोरेशन के माध्यम से अनुपूरक वित्त पोषक की व्यवस्था करना।
2. केन्द्रीय क्षेत्र के जल विद्युत सार्वजनिक क्षेत्र निगमों को बेसिन वार विकास कार्य सौंपना।
3. सर्वेक्षण एवं जांच कार्य के लिये वित्तपोषण सहायता।
4. विद्युत पर उपकर वसूल करके एक विद्युत विकास निधि की स्थापना करना।
5. जिन विद्युत परियोजनाओं में लागत प्रभावी तरीके से व्यस्ततम-कालीन विद्युत की आपूर्ति करने की क्षमता है उनमें अधिकाधिक निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यस्ततमकालीन विद्युत हेतु विशिष्ट कीमत निर्धारण का प्रावधान करना।
6. भू-वैज्ञानिकी जोखिमों से निपटने के लिए एक संस्थानिक तंत्र प्रदान करना।
7. जल विद्युत परियोजनाओं के लिए संयंत्र उद्यम कार्य ढांचे को उपयोग में लाना।
8. राज्य सरकार से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को तथा राज्य सरकार से निजी क्षेत्र को स्वीकृतियों का हस्तांरण करने से संबंधित पद्धतियों को सरल बनाना।
9. एम ओ यू प्रक्रिया वाली प्रवर्तित परियोजनाओं के संबंध में के.वि.प्रा. द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु अन्तिम सीमा में विस्तार करना।
10. 25 मे.वा. क्षमता तक की लघु परियोजनाओं के विकास से संबंधित कार्य को विद्युत मंत्रालय से अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में स्थानान्तरित करना और एक उपयुक्त प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करना।

[अनुवाद]

विशेष सुरक्षा शाखा का पुनर्गठन

1134. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कैबिनेट सचिवालय के अन्तर्गत एक विशेष इकाई विशेष सुरक्षा शाखा जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर गुप्तचर कार्यवाही के लिए जवाबदेह है, के पुनर्गठन पर प्रवर समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या इसकी रिपोर्ट कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा दो वर्ष पहले तैयार की गई थी;

(घ) यदि हां, तो क्या कुछ राज्यों ने इस रिपोर्ट को लागू करने का विरोध किया था;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस रिपोर्ट को पूरी तरह लागू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (च) स्पेशल सर्विस ब्यूरो की भूमिका की समीक्षा करने के लिए गठित विशेष समीक्षा/मूल्यांकन समिति ने फरवरी, 1999 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। सरकार ने उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम, मणिपुर और पश्चिम बंगाल के जन प्रतिनिधियों

और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मणिपुर की राज्य सरकारों से प्राप्त अभ्यावेदन के कारण उक्त समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया है।

गुन्टूर, आंध्र प्रदेश में ओ एन जी सी द्वारा ड्रिलिंग

1135. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम आंध्र प्रदेश के गुन्टूर जिले में रीपाल्ली कस्बे के निकट गैस की ड्रिलिंग (खुदाई) कर रहा है;

(ख) अभी तक वहां पर तेल की खोज के लिए कितने कुओं की खुदाई की गई है;

(ग) इस संबंध में मिली सफलता अथवा असफलता का ब्यौरा क्या है;

(घ) निकट भविष्य में गैस का प्रत्याशित उत्पादन कितना हो सकता है; और

(ङ) रीपाल्ली गवेषण कार्य पर तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा कितना निवेश किया जा चुका है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : (क) से (घ) आंध्र प्रदेश में गुन्टूर जिले में रीपाल्ली कस्बा अन्वेषण बोली ब्लाक केजी-ओएन/1 के अंतर्गत पड़ता है जिसे हाइड्रोकार्बनों अर्थात कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के लिए जुलाई, 1998 में निजी तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एक परिसंघ को प्रदान किए जाने से पहले आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) ने रीपाल्ली व गुन्टूर जिले के निकटवर्ती क्षेत्र में 3 अन्वेषणात्मक कूपों का वेधन किया था। इन कूपों में हाइड्रोकार्बन नहीं मिले हैं।

(ङ) रीपाल्ली क्षेत्र में अन्वेषणात्मक वेधन पर आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन द्वारा 17.41 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई थी।

न्यायाधीशों के रिक्त पद

1136. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री पी०डी० एलानगोवन :
श्री मोईनुल हसन :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1999 की स्थिति अनुसार और आज तक प्रत्येक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों को कब तक भर दिया जाएगा ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में, क्रमशः 3.9.1999 और 1.12.1999 को न्यायाधीशों के रिक्त पदों के संबंध में स्थिति उपदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया में, अनेक सांविधानिक प्राधिकारियों से विचार-विमर्श अंतर्ग्रस्त है। विचार-विमर्श की प्रक्रिया चल रही है।

विवरण

भारत के उच्चतम न्यायालय में 30.0699 तथा 01.12.99 को न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या क्रमशः 1 और 3 थी। उच्च न्यायालयों के संबंध में स्थिति नीचे उपदर्शित की गई है

क्रम सं.	उच्च न्यायालय का नाम	निम्नलिखित तारीखों को रिक्त पदों की संख्या	
		30.6.1999	01.12.1999
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद	8	9
2.	आन्ध्र प्रदेश	3	8
3.	बम्बई	21	16
4.	कलकत्ता	13	18
5.	दिल्ली	7	4
6.	गौहाटी	2	2
7.	गुजरात	7	3
8.	हिमाचल प्रदेश	2	2
9.	जम्मू-कश्मीर	3	3
10.	कर्नाटक	6	6
11.	केरल	7	7
12.	मध्य प्रदेश	5	5
13.	मद्रास	10	12
14.	उड़ीसा	2	2
15.	पटना	3	6

1	2	3	4
16.	पंजाब और हरियाणा	8	10
17.	राजस्थान	12	12
18.	सिक्किम	1	1
	योग :	120	126

[हिन्दी]

संचार सुविधा का निजीकरण

1137. **श्री राधा मोहन सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा संचार-सुविधा का चरणबद्ध तरीके से निजीकरण करने का निर्णय किया गया है या करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राजस्थान में मतदान केन्द्रों में वृद्धि

1138. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुख्य चुनाव आयुक्त के सहयोग से राजस्थान के मरूभूमि वाले क्षेत्रों विशेषकर पश्चिमी राजस्थान की थार मरूभूमि में जहां मतदान केन्द्रों की संख्या कम होने के कारण लोगों को अपना मतदान करने के लिए 8 से 10 किलोमीटर से भी अधिक चलना पड़ता है, में मतदान केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या मतदाताओं को उनके निवास स्थान से मतदान केन्द्र तक ले जाने के लिए उम्मीदवारों के वाहनों के प्रयोग पर चुनाव आयोग द्वारा लगाये गये प्रतिबंध को वापस लिये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, निर्वाचन आयोग ने बताया है कि पश्चिम राजस्थान के थार मरूस्थल में कुछ खेड़े (हेमलेट) ऐसे हैं जहां के मतदाताओं को विहित मानदंड की दूरी से आगे चलकर आना पड़ता है। ऐसा इस तथ्य के कारण है कि वहां जनसंख्या, मरूस्थल के विशाल क्षेत्रों में विरल रूप से फैली हुई है। आयोग ने यह भी कहा है कि जहां कहीं संभव होता है, मतदाताओं के लिए दूरी और घटाने के लिए सदैव प्रयास किए जाते हैं। जब और जैसे ही संबद्ध जिला निर्वाचन आफिसरों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, आयोग द्वारा उन पर गुणागुण के आधार पर विचार किया जाता है।

(घ) से (च) जी, नहीं। मतदाताओं को उनके निवास स्थान से मतदान केन्द्रों तक लाने के लिए अभ्यर्थियों के परिवहन का उपयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 की उपधारा (5) के उपबंध के अधीन भ्रष्ट आचरण है।

[हिन्दी]

राज्यों में विद्युत शुल्क

1139. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल**
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उपभोक्ताओं के लिए विद्युत शुल्क अलग अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं हेतु राज्यवार विद्युत शुल्क की दरें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में विद्युत शुल्क की दरों में अन्तर होने के कारणों का पता लगा लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा प्रत्येक राज्य में विद्युत उत्पादन की औसत लागत कीमत कितनी है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। 30.11.99 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में लागू श्रेणी-वार औसत दरों को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) औसत विद्युत टैरिफ इसके आपूर्ति की लागत (उत्पादन की लागत जमा पारेषण एवं वितरण की लागत) विद्युत कीमत निर्धारण कानून तथा विनियमन पर निर्भर करता है। आपूर्ति की लागत कई घटकों पर निर्भर करती है जैसे कि प्रौद्योगिकी निधिकरण पद्धतियां, ब्याज की दर, जल-विद्युत ताप विद्युत सम्मिश्रण, ईंधन की कीमत एवं स्त्रोत, सम्पूर्ण लागत, भौगोलिक क्षेत्र, भार का घनत्व, कर एवं शुल्क इत्यादि। अत: हर राज्य में टैरिफ भिन्न-भिन्न होता है।

वर्ष 1997-98 के दौरान विद्युत उत्पादन की औसत लागत को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

विद्युत की अनुमानित औसत दरों को दर्शाने वाला विवरण (30.11.99 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	यूटिलिटी का नाम	टैरिफ के प्रभावी होने की तिथि	घरेलू 2 कि.वा. (100 कि. वा. प्रति घंटा/माह	घरेलू 5 कि.वा. (400 कि. वा. प्रति घंटा/माह	कृषि 5 हार्सपावर 15% एलएफ (408 कि. वा. घंटा/माह	लघु उद्योग 10 हार्सपावर 25% एलएफ (1361 कि. वा. घंटा/माह	मध्यम उद्योग 50 कि.वा. 40% एलएफ (14600 कि. वां. घंटा/माह	बड़े उद्योग 1000 कि.वा 65% एलएफ (474500 कि. वा. घंटा/माह
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.1.99	136.00	298.50	27.97	348.36	370.22	401.45
2.	असम	1.9.98	183.00	235.92	99.50	239.26 (यू)	276.60	307.79
3.	बिहार	1.7.93	139.00 (यू) 46.00 (आर)	150.75	40.15	157.09	140.54	211.99
4.	गुजरात	20.10.96	254.25 (यू) 238.69 (आर)	375.72	51.06	307.30	335.87	424.71
5.	हरियाणा	15.6.98	270.00	304.50	55.15	402.00	402.00	402.00
6.	हिमाचल प्रदेश	1.9.98	69.75	93.81	65.00	165.00	215.00	245.00
7.	जम्मू एवं कश्मीर	1.4.99	292.80	244.00	40.26	164.70	164.70	164.70
8.	कर्नाटक	1.11.98	197.50	261.25	30.64	271.16	335.45	424.55
9.	केरल	1.2.98	110.00	286.00	66.43	177.57	171.64	182.97
10.	मध्य प्रदेश	1.3.98	92.20	194.73	0.00	227.60	371.57	409.96
11.	महाराष्ट्र	1.9.98	176.70	393.72	51.06	295.29	438.45	429.36
12.	मेघालय	1.9.96	85.00	103.75	56.00	149.49	168.43	156.07
13.	उड़ीसा (ग्रिडको)	1.12.98	115.00	190.00	85.00	245.00	290.00	325.02
14.	पंजाब	29.7.98	169.80	211.95	0.00	237.00	255.00	287.00
15.	राजस्थान	1.6.97	132.50	158.80	47.61	276.00	316.00	337.00
16.	चेन्नई (मेट्रो क्षेत्र) (नॉन मेट्रो क्षेत्र)						385.84 375.36	385.55 375.05
17.	उत्तर प्रदेश	25.1.99	229.00 (यू) 60.00 (आर)	214.00	52.70	379.57		
	गैर सतत उद्योग						407.36	409.99
	चल रहे उद्योग						416.95	436.19
18.	पश्चिम बंगाल	26.1.99	173.25 (यू) 160.81	331.44 311.33	54.66	328.56 (यू) 305.57 (आर)	399.46	369.48

(यू—शहरी)

विवरण-II

वर्ष 1997-98 के दौरान विभिन्न रा.वि. बोर्डों द्वारा विद्युत उत्पादन की औसत लागत

क्रम सं.	रा.वि. बोर्डों का नाम	उत्पादन की औसत लागत (प्रति/कि.वा.घं.)
1.	एपीएसईबी	90.65
2.	एमएसईबी	115.40
3.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि०	121.35
4.	जीईबी	153.75
5.	एमपीईबी	116.46
6.	टीएनईबी	140.39
7.	यूपीएसईबी	129.71
8.	डब्ल्यूबीएसईबी	140.15
9.	पीएसईबी	109.50
10.	आरएसईबी	119.27
11.	एचपीएसईबी	31.19
12.	मेघालय एसईबी	88.72
13.	कर्नाटक एसईबी	165.02
14.	बीएसईबी	232.61

[अनुवाद]

बांग्लादेश से विद्युत की खरीद

1140. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत की खरीद हेतु बांग्लादेश के साथ कोई समझौता करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस देश से कितनी मात्रा में विद्युत का आयात किए जाने की संभावना है;

(घ) वार्ता कब तक पूरी हो जाने की संभावना है;

(ङ) क्या पड़ौसी देशों से विद्युत आयात करके विद्युत की समस्या को सुलझाया जा सकता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) बांग्लादेश के साथ अन्तः सम्पर्क स्थापन हेतु आरंभिक विचार-विमर्श वाणिज्यिक स्तर पर किया गया है। 150 मेगावाट तक के आरंभिक विद्युत विनिमय पर विचार-विमर्श किया गया।

(ङ) और (च) पड़ोसी देशों से विद्युत आयात के जरिये कुछ सीमा तक विद्युत कमी को पूरा किया जा सकता है। नेपाल तथा भूटान से पहले ही विद्युत विनिमय हो रहा है।

[हिन्दी]

बिहार में टेलीफोन सुविधाओं में सुधार

1141. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अर्न्तगत साहिबगंज, देवरिया और सरैया में टेलीफोन लाइनें ठीक कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ये लाइन कब तक चालू हालत में हो जायेंगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत साहिबगंज, देवरिया और सरैया में टेलीफोन लाइनें संतोषजनक ढंग से काम कर रही हैं। तथापि, एसटीडी सुविधा के कार्यचालन के लिए इन एक्सचेंजों को ओवर हैड लाइनों से जोड़ा गया है, जो अधिक विश्वसनीय नहीं है और इनकी क्षमता कम है।

(ग) इन एक्सचेंजों को वर्ष 2000-2001 के दौरान ऑप्टिकल फाइबर केबल पर प्रौद्योगिक रूप से विश्वसनीय पारेषण माध्यम उपलब्ध कराने की योजना है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों की विद्युत आपूर्ति

1142. श्री भीम दाहल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को उनकी मांग के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन राज्यों में विद्युत की मांग को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) गैर व्यस्ततमकालीन घंटों के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों को उनकी मांग के अनुरूप विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। तथापि, व्यस्ततमकालीन घंटों के दौरान कभी होती है। अक्तूबर, 1999 के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति नीचे दी गई है :-

राज्य/क्षेत्र	अक्तूबर, 99 (आंकड़े मि.यू. में)			
	आवश्यकता	उपलब्धता	अधिशेष	%
उत्तर पूर्वी क्षेत्र				
अरुणाचल प्रदेश	9.7	10.2	0.5	5.2
असम	248.8	263.0	14.2	5.7
मणिपुर	35.6	38.3	2.7	7.6
मेघालय	41.1	44.5	3.4	8.3
मिजोरम	18.0	19.2	1.2	6.7
नागालैंड	17.3	18.6	1.3	7.5
त्रिपुरा	48.5	52.2	3.7	7.6
उ.पू.क्षे.	419.0	446.0	27	6.4

सिक्किम को विद्युत की आपूर्ति पूर्वी क्षेत्र से 66 के.वी. कालिंपोंग-मेल्ली एस/सी लाइन और 66 के.वी. रंगीत-मैल्ली एस/सी लाइन के द्वारा की जाती है। पारेषण संबंधी कठिनाइयों के कारण सिक्किम को विद्युत की आपूर्ति उसमें केन्द्रीय क्षेत्र के हिस्से के अनुरूप नहीं की जा रही है।

(ग) इन कमियों को समाप्त करने के लिए, असम को पड़ौसी पूर्वी क्षेत्र में स्थित एनटीपीसी के केन्द्रों के अनावंटित उत्पाद से उनकी आहरण की क्षमता को ध्यान में रखते हुए 65 मे.वा. हिस्से का आवंटन किया गया है। अप्रैल-अक्टूबर, 99 की अवधि के दौरान, असम ने 277.4 मि.यू. की अपनी हकदारी की तुलना में पूर्वी क्षेत्र से 251 मि.यू. का आहरण किया है।

निम्नलिखित उत्पादन केन्द्र निर्माणाधीन हैं/चालू किए जा रहे हैं :-

केन्द्र

1. दोयांग एचईपी (3x25 मे.वा.) नागालैंड – नीपको।
2. रंगानदी एचईपी 3x135 मे.वा.) अरुणाचल प्रदेश – नीपको।
3. तिरवई एचईपी (2x30 मे.वा.) मिजोरम – नीपको।
4. रंगीत एचईपी (3x20 मे.वा.) सिक्किम – एनएचपीसी।

उपरोक्त के अलावा 34.45 मे.वा. की छोटी एवं लघु जल विद्युत स्कीमों को भी सिक्किम राज्य में क्रियान्वयन हेतु अनुमोदित किया गया है।

सिक्किम को केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत का पारेषण करने के लिए निम्नलिखित पारेषण स्कीमों/उप-केन्द्रों का प्रस्ताव रखा गया है :-

1. सिलीगुड़ी-मेल्ली 132 के.वी. डी/सी लाइन-पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा केन्द्रीय पारेषण स्कीम के अन्तर्गत।
2. पीजीसीआईएल द्वारा मेल्ली में एक नए 132/66 के.वी. केन्द्र का निर्माण।
3. सिक्किम सरकार द्वारा मेल्ली-गंगटोक 132 के.वी. डी/सी लाइन।

रसोई गैस की मांग

1143. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्यों में विशेषकर दक्षिणी राज्यों में रसोई गैस की मांग में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन राज्यों में रसोई गैस की उपलब्धता में वृद्धि करने का है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक और अन्य राज्यों को कितनी रसोई गैस आवंटित की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : (क) दक्षिणी राज्यों समेत देश के प्रत्येक राज्य में एल पी जी की मांग में हर वर्ष वृद्धि होती रही है।

(ख) दक्षिणी राज्यों समेत सभी राज्यों में एल पी जी की मांग को पूरा करने तथा इसकी सहज आपूर्ति जारी रखने के लिए तेल उद्योग मांग तथा स्वदेशी उपलब्धता के बीच अंतराल को पूरा करने के लिए एल पी जी का आयात करता है।

(ग) एल पी जी का आवंटन राज्यवार आधार पर नहीं किया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान दक्षिणी राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के द्वारा जारी किए गए नए एल पी जी कनेक्शनों की संख्या तथा इनके द्वारा की गई एल पी जी बिक्री निम्नवत् है :

राज्य	1996-97		1997-98		1998-99	
	नए कनेक्शन (लाख में)	बिक्री (टीएमटी)	नए कनेक्शन (लाख में)	बिक्री (टीएमटी)	नए कनेक्शन (लाख में)	बिक्री (टीएमटी)
आंध्र प्रदेश	1.36	308.05	2.72	331.89	2.95	362.45
कर्नाटक	1.40	208.99	1.79	222.66	2.23	247.74
केरल	1.35	141.62	1.60	173.64	1.54	188.85
तमिलनाडु	2.32	345.13	3.06	376.41	3.55	429.47

वाहनों में एल पी जी का उपयोग

1144. श्री टी०एम० सेल्वागनपति : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वाहनों के ईंधन के रूप में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के उपयोग को विनियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को, वाहन-ईंधन के रूप में एल पी जी के उपयोग की संभाव्यता पर एक विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : (क) से (ग) एल पी जी को एक पर्यावरण अनुकूल परिवहन ईंधन के रूप में मान्यता दी जाती है तथा इस पहलू एवं अन्य संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा गठित समितियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। देश में आटोमोटिव ईंधन के रूप में एक सुरक्षित तरीके से एल पी जी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक विनियम अपेक्षित हैं। ज्यों ही मोटर वाहन अधिनियम इत्यादि में संशोधन कर दिए जाते हैं, एल पी जी का आटोमोटिव ईंधन के रूप में प्रयोग आरंभ हो जाएगा।

सूचना की स्वतंत्रता

1145. डा० वी० सरोजा :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व "सूचना के अधिकार और खुली तथा पारदर्शी सरकार" संबंधी एक कार्यदल का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट मई, 1997 में ही प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर ध्यान दिया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन सिफारिशों पर कब तक अमल किए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (च) सरकार और सार्वजनिक निकायों के कार्यकरण में अधिक पारदर्शिता और खुलापन अपनाने की दृष्टि से सरकार ने "सूचना" के अधिकार और खुली एवं पारदर्शी सरकार के संवर्धन "पर श्री एच०डी० शौरी की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया था। इस कार्य दल ने 21 मई, 1997 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसने, सरकार के विचारार्थ "सूचना की स्वतंत्रता संबंधी एक विधेयक" का मसौदा तैयार किया है। इसकी अन्य मुख्य सिफारिशें हैं :- शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 की धारा 5, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 तथा 124 में संशोधन तथा साथ ही सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 के नियम-II तथा सूचना के वर्गीकरण से संबंधित विभागीय सुरक्षा अनुदेशों के मैनुअल में परिणामी संशोधन है।

"सूचना का स्वतंत्रता विधेयक" के विधायन के लिए और शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 की धारा 5 में पृथक रूप से संशोधन करने और केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम में संशोधन के लिए कार्य दल द्वारा की गयी सिफारिशें, विचारण की अन्तिम अवस्था में है। अधिनियम और प्रावधानों को शासित करने वाले मंत्रालयों/विभागों जिनसे अन्य सिफारिशें संबंधित हैं, से अलग से अनुरोध किया गया है कि इन सिफारिशों के सम्बन्ध में कार्रवाई शुरू करें।

तमिलनाडु में प्राकृतिक गैस की खोज

1146. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में प्राकृतिक गैस की खोज करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कोई तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : (क) से (ग) 9वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान कावेरी बेसिन में छत्तीस अन्वेषी कूपों तथा छः विकास कूपों का वेधन किया गया था। इन अन्वेषी प्रयासों से चार गैस खोजों अर्थात पेरियापट्टिनम, नेवेली, रामनवलासाई तथा काली की खोज हुई थी। 9वीं योजना के शेष तीन वर्षों में 850 जी एल के द्विआयामी आंकड़ों, 4400 जी एल के त्रिआयामी आंकड़ों के अर्जन तथा 52 अन्वेषी कूपों के वेधन की योजना बनाई गई है।

राजस्व भागीदारी प्रस्ताव का क्रियान्वयन

1147. श्री एन०एन० कृष्णदास :
श्री सुशील कुमार शिन्दे :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी दूरसंचार आपरेटरों की प्रतिबद्धताओं से उन्हें उबारने तथा उनकी देनदारियों के स्थान पर राजस्व भागदारी संबंधी पैकेज पर कोई अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें पेशकश की गई पैकेज का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस पैकेज में फोन करनेवाली पार्टी द्वारा भुगतान किए जाने की व्यवस्था शामिल है;

(घ) सरकार को इस योजना के कारण कितना वित्तीय लाभ अथवा हानि हुई है;

(ङ) क्या इस प्रकार की योजना के वित्तीय प्रभाव को समझने हेतु कोई अध्ययन कराया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) मार्च, 1999 में सरकार ने नई दूरसंचार नीति, 1999 (एनटीपी, 99) को अनुमोदित किया जो 1.4.1999 से प्रभावी हुई। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, मौजूदा प्रचालकों के सामने आने वाली समस्याओं को संविदात्मक बाध्यताओं में रहते हुए तथा कानूनी रूप से व्यवहार्य तरीके से संतोषजनक ढंग से सुलझाने की सरकार की इच्छा का पता चलता है। तदनुसार, सरकार द्वारा 6.7.1999 को एक माइग्रेशन नीति अनुमोदित की गई, तो एनटीपी-99 व्यवस्था के अंतर्गत मौजूदा लाइसेंसधारकों को एकीकृत करने की वैधता/तौर-तरीकों के बारे में सक्षम कानूनी सलाह पर आधारित है। दिनांक 27.7.1999 को बुनियादी और सेल्यूलर सेवाओं के मौजूदा लाइसेंसधारकों को माइग्रेशन पैकेज की पेशकश की गई। रेडियो पेजिंग सेवा प्रचालकों को भी 2 सितंबर, 1999 को पैकेज की पेशकश की गई।

(ख) माइग्रेशन पैकेज के महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं :-

- बुनियादी और सेल्यूलर सेवाओं के मौजूदा लाइसेंसधारक किसी भावी निर्धारित तारीख से एनटीपी 99 के अंतर्गत परिकल्पित राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था में अंतरित हो जाएंगे। यह तिथि 1.8.99 को निर्धारित की गई।

- मौजूदा लाइसेंसधारकों को अपने दोहरे आधिपत्य (ड्यूओपोली) के अधिकार छोड़ने पड़ेंगे, ताकि बहु-आधिपत्य (मल्टिपोली) व्यवस्था में अतिरिक्त प्रचालकों के शामिल होने का मार्ग खुले।

- निर्धारित तारीख तक प्रोदभूत लाइसेंस शुल्क माफ नहीं किया जाएगा। 31.7.1999 को देय ब्याज सहित बकाया राशि का 35% तथा परिसमाप्त नुकसानी प्रभारों का पूर्ण भुगतान माइग्रेशन पैकेज के अनुसार प्रचालकों (जिन्होंने माइग्रेशन पैकेज स्वीकार किया) ने 16.8.1999 को कर दिया, शेष 65% राशि का भुगतान 31.1.2000 तक किया जाना है। जिन सर्किल पेजिंग ऑपरेटरों ने पैकेज के अनुसार बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है, उनके मामले में अब तक माइग्रेशन पैकेज के संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है।

- प्रचालकों को माइग्रेशन की पेशकश को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। इसके साथ ही, लाइसेंसधारकों और उनके सहयोगियों द्वारा दूरसंचार विभाग अथवा यू ओ आई के खिलाफ अदालतों, न्यायाधिकरण, प्राधिकरण अथवा माध्यस्थम में सभी कानूनी कार्यवाहियां वापस लेनी होंगी। इसके अतिरिक्त, 31.7.99 तक की अवधि के लिए लाइसेंस करार के संबंध में कोई भी विवाद किसी भावी तारीख में नहीं उठाया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) टी आर ए आई (भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण) के निर्धारित विनियमों के अनुसार "कॉलिंग पार्टी पेज" (सीपीपी) स्कीम से दूरसंचार सेवा विभाग/महानगर टेलीफोन निगम लि० (एमटीएनएल) को परियात के वर्तमान स्तर पर लगभग 200 करोड़ रुपए का घाटा होने की संभावना है।

टी आर ए आई द्वारा 17.9.1999 को जारी दूरसंचार टैरिफ (पांचवां संशोधन) आदेश 1999 तथा दूरसंचार इंटरकनेक्शन (प्रभार और राजस्व हिस्सेदारी–पहला संशोधन) विनियम 1999 के अनुसार "कॉलिंग पार्टी पेज व्यवस्था" (सी पी पी) 1 नवम्बर 1999 से क्रियान्वित की जानी थी। "वाचडॉग" नामक स्वतंत्र संगठन द्वारा "कॉलिंग पार्टी पेज व्यवस्था (सी पी पी)" के विरुद्ध एक याचिका दायर की गई तथा विनियम में यथा निहित राजस्व-हिस्सेदारी व्यवस्था के विरुद्ध एम.टी.एन.एल. ने याचिका दायर की। दूरसंचार सेवा विभाग ने भी एम.टी.एन.एल. की याचिका में अपना पक्ष रखा क्योंकि प्रस्तावित विनियम के अनुसार सी पी पी व्यवस्था के कार्यान्वयन से डी टी एस को भी राजस्व में भारी घाटा होने की संभावना है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सी पी पी व्यवस्था के कार्यान्वयन पर स्थगन आदेश जारी कर दिए हैं। मामला अभी निर्णयाधीन है।

दूरभाष सेवा में सुधार

1148. **श्री पी०एस० गड़वी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुसार खराब टेलीफोन शिकायत मिलने के दो दिनों के भीतर ठीक कर दिए जाएंगे और यदि यह खराबी एक सप्ताह में दूर नहीं होती है। तो इस अवधि का किराया उपभोक्ता से नहीं लिया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो गुजरात राज्य के कच्छ जिले में ऐसे टेलीफोनों का ब्यौरा क्या है जहां दिसंबर 1998 से अक्तूबर 1999 की अवधि के दौरान एक सप्ताह से अधिक समय से खराबी दूर नहीं की जा सकी; और

(ग) सरकार द्वारा इस सेवा को और प्रभावी बनाने के लिए क्या अन्य उपाय किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) दोषयुक्त टेलीफोनों को 48 घंटों के भीतर ठीक करने के लिए मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं तथा अनुदेशों के अनुसार विभागीय कारणों से सात दिन अथवा उससे अधिक समय तक टेलीफोन खराब रहने पर किराया प्रभारों में छूट दी जा रही है।

(ख) आठ टेलीफोन मामलों में कुल 8920/- रुपए की छूट दी गई थी। ऐसे मामलों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

1. ट्यून्ना टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन नं० 82237, 82266 तथा 82269;
2. कोटड़ा में टेलीफोन नं० 89236; और
3. दरसाड़ी एक्सचेंज में टेलीफोन नं० 76653, 76636, 76685 तथा 76627।

(ग) बाह्य संयंत्र को पुनर्बहाल किया जा रहा है। 5 पेयर केबल का उपयोग करके ड्रॉप-वायर स्पैन को कम किया जा रहा है। पुराने पेपर कोर केबल के स्थान पर जैली-फिल्ड केबल लगाए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं के स्थलों और बहुमंजिली इमारतों में ब्लॉक वायरिंग की जा रही है।

आंध्र प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं

1149. **श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास आंध्र प्रदेश सरकार की कितनी विद्युत परियोजनाएं मंजूरी के लिए विचाराधीन हैं;

(ख) क्या सरकार का इस संबंध में राज्य सरकार के साथ संयुक्त बैठक करने का विचार है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा जमा की गई परियोजनाओं से विद्युत के कितने उत्पादन की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) 1996-97 से आज तक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) में 3702 मेगावाट की 9 स्कीमें तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति (टी.ई.सी.) हेतु प्राप्त हुई हैं उनमें से 2382 मेगावाट क्षमता की पांच स्कीमों को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दे दी गई है ओर 1320 मेगावाट क्षमता की शेष चार स्कीमें निवेशों के अभाव में परियोजना प्राधिकारियों को लौटा दी गई। इस समय के.वि.प्रा. के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और इसीलिए राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से बैठक आयोजित करने का सवाल ही नहीं उठता। तथापि, भारत सरकार लगातार आन्ध प्रदेश सरकार से सम्पर्क बनाये हुए है ताकि विभिन्न परियोजनाओं के लिए शेष निवेशों में तेजी लाई जा सके।

[हिन्दी]

बड़े शहरों में प्रदूषण

1150. **प्रो० रासा सिंह रावत** :
श्री दिनशा पटेल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े शहरों में प्रदूषण स्तर खतरनाक सीमा तक पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में राज्य सरकारों के परामर्श से कोई कार्य योजना तैयार करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा बड़े शहरों में प्रदूषण को आगे बढ़ने से रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन और शिविरों के माध्यम से जनता को प्रदूषण-रोधी उपायों के बारे में शिक्षित करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी, हां। बड़े शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इसका कारण जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ औद्योगिक और परिवहन सहित आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होना है।

(ग) से (छ) सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित भी शामिल हैं :

1. विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक राष्ट्रीय पर्यावरण कार्य योजना तैयार की गई है।

2. दिल्ली और मुम्बई में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्य योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

3. प्रमुख शहरों से आर्थिक गतिविधियों को विकेन्द्रित करने तथा ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए शहरी मामले एवं रोजगार मंत्रालय ने अनेक ऐसी स्कीमें तैयार की हैं जिनसे बड़े शहरों में तेजी से हो रहे शहरीकरण की समस्या से निपटने में सहायता मिल सकेगी।

4. 24 अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों की पहचान की गई है। इन क्षेत्रों में पर्यावरणीय गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं।

5. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में पर्यावरणीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

6. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एजेंसियों द्वारा कुछ वृत्तचित्र और फिल्मों का निर्माण किया गया है जिनकी सहायता से आम जनता को पर्यावरण की सुरक्षा करने और प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों की जानकारी दी जाती है। ये वृत्तचित्र/फिल्में दूरदर्शन और अन्य चैनलों पर दिखाई जाती हैं।

उत्तर प्रदेश में मंत्रालय के अंतर्गत भूमि

1151. **श्री बलिराम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मऊ, देवरिया जिलों में मंत्रालय की अतिक्रमित या खाली पड़ी भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा सरकारी भूमि के सही उपयोग हेतु और वहां से अनधिकृत लोगों को हटाने के संबंध में क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) **डाक विभाग** :

आजमगढ़ जिले में कोई भी खाली भू-खण्ड नहीं है। मऊ जिले में दोहरीघाट में एक भू-खण्ड है तथा एक अन्य खाली भू-खण्ड देवरिया जिले में रविन्द्रनगर में है। इनमें से किसी भी भू-खण्ड पर अतिक्रमण नहीं किया गया है।

दूरसंचार विभाग :

इन जिलों में किसी भी खाली भू-खण्ड पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। खाली भू-खण्डों का ब्यौरा संलगन विवरण में दिया गया है।

(ख) डाक विभाग :

इन सरकारी भू-खण्डों पर एक चरणबद्ध रूप में तथा योजना परिव्यय के अनुसार निर्माण-कार्य प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। यदि इन भू-खण्डों पर ऐसा कोई अतिक्रमण किया गया, तो अतिक्रमण करने वालों को हटाने के लिए भी पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी।

दूरसंचार विभाग :

खाली भू-खण्डों के प्रस्तावित उपयोग का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आजमगढ़, मऊ तथा देवरिया जिलों में खाली भू-खंडों का विवरण

क्र.सं.	स्थान का नाम	एसडीसीसी*	स्थिति	प्रस्तावित उपयोग
		आजमगढ़ जिला		
1.	अंजना साहिद	सागरी	कोई अतिक्रमण नहीं	तहसील मुख्यालय टाइप एक मंजिला भवन की योजना बनाई गई है।
2.	कोइल्सा	बुरानपुर	कोई अतिक्रमण नहीं	तहसील मुख्यालय टाइप भवन की योजना बनाई गई है।
3.	निजामाबाद	आजमगढ़	कोई अतिक्रमण नहीं	-वही-
4.	संजेरपुर	-वही-	कोई अतिक्रमण नहीं	तहसील जिला मुख्यालय टाइप एक मंजिला भवन की योजना बनाई गई है।
5.	लालघाट	सागरी	कोई अतिक्रमण नहीं	-वही-
6.	चांद पट्टी	सागरी	कोई अतिक्रमण नहीं	-वही-
7.	बिंदवाल	सागरी	कोई अतिक्रमण नहीं	-वही-
8.	बेरदिहा	सागरी	कोई अतिक्रमण नहीं	-वही-
9.	मेहनगर	लालगंज	कोई अतिक्रमण नहीं	-वही-
10.	हरैया	सागरी	कोई अतिक्रमण नहीं	-वही-
11.	नानीजेर	बुरानपुर	कोई अतिक्रमण नहीं	-वही-
12.	देदारगंज	फूलपुर	कोई अतिक्रमण नहीं	-वही-
13.	महुल	फूलपुर	कोई अतिक्रमण नहीं	-वही-
14.	कतार (बिलार मऊ)	फूलपुर	कोई अतिक्रमण नहीं	-वही-
15.	अमुवारी	सागरी	कोई अतिक्रमण नहीं	-वही-
16.	मादरपुर	लालगंज	कोई अतिक्रमण नहीं	-वही-
17.	सिंहपुर	लालगंज	कोई अतिक्रमण नहीं	-वही-
18.	करिहनी	लालगंज	कोई अतिक्रमण नहीं	-वही-
19.	पल्हना	लालगंज	कोई अतिक्रमण नहीं	-वही-
		मऊ जिला		
	शून्य			
		देवरिया जिला		
	शून्य			

*एसडीसीसी-शार्ट डिस्टैंस चार्जिंग सैंटर।

[अनुवाद]

कांडला पत्तन न्यास में अनियमितताएं

1152. **श्री राजीव प्रताप रूडी :** क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला पत्तन न्यास में गंभीर अनियमितताओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन अनियमितताओं को रोकने और स्थिति में सुधार लाने के लिए उपाय किए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (घ) समय-समय पर कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उनमें से कुछ में जांच पड़ताल के लिए सामग्री होती है और अन्य निराधार होती हैं। ऐसी शिकायतें निरन्तर प्राप्त होती रहती हैं। ऐसी सभी शिकायतों की जांच पड़ताल की जाती है और जहां निश्चित और परिस्थितिजन्य साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, सुधारात्मक उपाय और चूककर्ता अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही भी की जाती है।

वीजा स्वीकृति

1153. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस के अधिकारी सेवा नियमों का उल्लंघन करते हुए विदेशी दूतावासों और उच्चायोगों को वीजा स्वीकृति के लिए नामों की सीधे अनुशंसा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले सरकार की जानकारी में आये हैं;

(ग) दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) इस प्रकार नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस के ध्यान में इस प्रकार के दो मामले आए हैं। उन्हें, इन मामलों के ब्यौरे सरकार को प्रस्तुत करने की सलाह दी गयी है ताकि समुचित कार्रवाई की जा सके।

(घ) दिल्ली पुलिस ने अपने अधिकारियों को औपचारिक अनुदेश जारी किए हैं कि वे विदेशी मिशनों को इस प्रकार की सिफारिशें न करें।

उड़ीसा से नंदनकानन प्राणि-उद्यान

1154. **श्री उत्तमराव ढिकले :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आए चक्रवात के बाद नंदनकानन प्राणि-उद्यान पूर्णत: अव्यवस्थित हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चक्रवात से मरने वाले पशुओं और पक्षियों की कुल संख्या कितनी है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) 29 और 30 अक्तूबर, 1999 को अभी हाल में आए घोर चक्रवाती तूफान में चिड़ियाघर में जीवजन्तुओं के बाड़े, बिजली की लाइनें, जल आपूर्ति प्रणाली क्षतिग्रस्त हुई है। चक्रवात में उखड़े वृक्षों से सड़कें भी अवरुद्ध हो गई थी।

(ग) तूफान के कारण चिड़ियाघर में 35 जानवरों की मृत्यु हुई जिनमें एक शेर, 6 चितकबरे हिरन, 5 घनेश (हार्नबिल) तथा 1 नीलगाय शामिल थी। इसके अतिरिक्त 139 जानवर समीपस्थ वन क्षेत्र में भाग निकले। इनमें 40 चितकबरे हिरन, 9 सांभर, 1 लोमड़ी, 25 कछुए, 5 सांप और 2 मॉनीटर छिपकलियां शामिल हैं।

[हिन्दी]

बिहार में मांग पर टेलीफोन

1155. **श्री राजो सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के शहरों और जिलों में 2000 तक मांग पर टेलीफोन देने का लक्ष्य तय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या नियत लक्ष्य के सन् 2000 तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) राज्य की राजधानी में मार्च 2000 तक तथा अन्य स्थानों पर क्रमिक रूप से 1.4.2002 तक, मांग पर टेलीफोन उपलब्ध करवाए जाने की योजना है। 1999-2000 के दौरान मौजूदा एक्सचेंजों की क्षमता में विस्तार करने/इनको ज्यादा क्षमता वाले एक्सचेंजों से बदले जाने की भी योजना बनाई गई है। नई प्रौद्योगिकी के स्विचों की भी संस्थापना की जा रही है। तथा केबल बिछाये जाने का कार्य भी प्रगति पर है।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं का उन्नयन

1156. **श्री अजय सिंह चौटाला :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार पानीपत और सावली स्थित विद्युत परियोजनाओं के उन्नयन का है जैसाकि 20 अक्टूबर, 1999 के– संडे ऑब्जर्वर समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इन संयंत्रों से उत्पादित विद्युत का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों को इसकी आपूर्ति की जाएगी तथा ऐसा किस लागत पर किया जाएगा; और

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) इण्डियन आयल पानीपत, हरियाणा तथा सावली, गुजरात में रिपायनरी अवशेष आधारित विद्युत परियोजनाओं के स्थापना संबंधी सम्भावनाओं का पता लगा रही है।

(ख) पानीपत तथा सावली की प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

	पानीपत	सावली
आरंभिक क्षमता	300 मेगावाट के आसपास	500 मेगावाट
उच्चीकृत क्षमता	अभी भी सुनिश्चित नहीं हुआ	1000 मेगावाट (अनंतिम)

(ग) विद्युत बिक्री	आरंभिक क्षमता से	उच्चीकृत क्षमता से
पानीपत परियोजना	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम हरियाणा राज्य	अभी सुनिश्चित नहीं हुआ है
सावली परियोजना	गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड	गुजरात विद्युत बोर्ड 500 मेगावाट राजस्थान वि. बोर्ड 500 मेगावाट

विद्युत आपूर्ति की लागत डी.पी.आर., जो तैयार किया जा रहा है, के दौरान निश्चित की जायेगी।

(घ) पूरा होने को संभावित समय

	आरंभिक क्षमता	उच्चीकृत क्षमता
पानीपत परियोजना	चौथा क्वार्टर-2003-04	अभी भी सुनिश्चित नहीं किया गया
सावली परियोजना	दूसरा क्वार्टर-2003-04	अभी भी सुनिश्चित नहीं किया गया

जनहित-याचिकाएं

1157. श्री टी० गोविन्दन : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में दाखिल जनहित याचिकाओं की न्यायालय-वार संख्या कितनी है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में अब तक उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित जनहित याचिकाओं की संख्या कितनी है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मुंबई-पुणे राष्ट्रीय राजमार्गों पर डीजल/पेट्रोल पंप

1158. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंबई और पुणे के बीच निर्माणाधीन नए राष्ट्रीय राजमार्ग पर सरकार ने पेट्रोल/डीजल पंप उपलब्ध कराए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस राजमार्ग पर ये पंप लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त राजमार्ग पर यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : (क) और (ख) मुम्बई-पुणे एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाने वाले मुम्बई और पुणे के बीच निर्माणाधीन नए मार्ग पर कोई खुदरा बिक्री केन्द्र उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(ग) और (घ) मुम्बई-पुणे एक्सप्रेसवे पर खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप की स्थापना के लिए फिलहाल कोई पुख्ता प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

बी.एस.एफ. अधिकारी की पीट-पीट कर मौत

1159. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 नवम्बर, 1999 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में "फॉरमर बी.एस.एफ. आफिसियल लिंच्ड टू डैथ बाई ऐट इन सी.पी." शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। 15 नवम्बर, 1999 को सीमा सुरक्षा

बल के एक पूर्व कर्मचारी श्री मुख्तयार सिंह और उनका पुत्र श्री संजय पाधा के मैसर्स ट्रिप ट्रेवल्स पर 2.17 लाख रुपये और पासपोर्ट वापिस लेने हेतु गए जो उक्त एजेन्सी ने श्री मुख्तियार सिंह के दूसरे पुत्र को इग्लैंड भेजने के प्रबंध करने हेतु पहले से रखे थे। श्री संजय पाधा ने अपने तीन सहयोगियों के साथ श्री मुख्तियार सिंह और उनके पुत्र पर कथित रूप से हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप श्री मुख्तियार सिंह घटनास्थल पर ही मर गए। कनाट प्लेस पुलिस स्टेशन में उसी दिन एक मामला दर्ज किया गया जिसमें अभियुक्त व्यक्तियों में से, संजय पाधा और आशीष महाजन नामक, दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय से गैर-जमानती वारंट भी प्राप्त कर लिए गए हैं।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में नए राष्ट्रीय राजमार्ग

1160. **श्री सुरेश चन्देल :**
श्री महेश्वर सिंह :

क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के लिए चार नए राष्ट्रीय राजमार्गों की स्वीकृति मिली है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं;

(ग) इनके निर्माण के लिए निर्धारित समय क्या है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान इनके निर्माण के लिए कितना परिव्यय प्रदान किया गया है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी, हां। नव घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित हैं :-

1. पिन्जौर-नालगढ़-स्वरघाट (रा.रा.-21क)
2. जालंधर-अम्बाला-हमीरपुर-आवा देवी मंडी (रा.रा.-70)
3. अम्बाला-नारायणगढ़-पोन्टा साहिब-हरिद्वार (रा.रा.-72)
4. शिमला-बिलासपुर-हमीरपुर-नादौन-रानीताल-कांगड़ा और भवन (रा.रा.-88)।

(ग) रा.रा. का विकास एक सतत् प्रक्रिया है। अपेक्षित सुधार कार्य समग्र प्राथमिकता और नीधियों की उपलब्धता के अध्यधीन चरणों में किए जाते हैं।

(घ) चालू वर्ष के दौरान इन नए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अलग से किसी परिव्यय का प्रावधान नहीं किया गया है।

घुसपैठ

1161. **श्री रामदास आठवले :**
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री मोहन रावले :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में घुसपैठिए देश में घुस आए हैं;

(ख) यदि हां, तो वे किन-किन स्थानों से घुसपैठ कर रहे हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए;

(घ) क्या असम सरकार ने पूर्वोत्तर में बंगलादेशी घुसपैठियों के आने जाने के संबंध में केन्द्र सरकार को कोई रिपोर्ट पेश की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने इस मुद्दे को पड़ोसी देशों के साथ उठाया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) ऐसी घुसपैठ को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(झ) सरकार द्वारा, 1990-91 में हस्ताक्षरित अवैध-अप्रवासियों संबंधी भारत-बंगलादेश समझौते को कड़ाई से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) घुसपैठ मुख्यत: भारत-बंगलादेश और भारत पाकिस्तान सीमाओं/नियंत्रण रेखा से होती है।

(ग) सीमा सुरक्षा बल द्वारा पकड़े गए घुसपैठियों के वर्ष-वार आंकड़े निम्नप्रकार से हैं :-

1997	—	15166
1998	—	6659
1999 (20 नवम्बर तक)	—	5880

(घ) और (ङ) असम के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजी अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि "हालांकि, बंगलादेश के अवैध प्रवासी भारत के कई राज्यों में आ गए हैं और असम की तुलना में पश्चिम बंगाल में इनकी संख्या अधिक है, किसी अन्य राज्य की अपेक्षा असम में इनसे कहीं अधिक खतरा है। यदि इन्हें प्रभावी रूप से रोका नहीं गया तो वे असामी लोगों को अपने में समा लेंगे और पूर्वोत्तर भूमि शेष भारत से पृथक कर सकते हैं। इसके विनाशक सामरिक और आर्थिक परिणाम हो सकते हैं।" राज्यपाल की सिफारिशों को असम सरकार से संबंधित मुद्दों पर उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए असम राज्य सरकार को भेजा गया है। भारत सरकार, असम में सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। करीमगंज जिले में 71.72 किलोमीटर सहित असम-बंगलादेश सीमा पर 152.3 किलोमीटर में बाड़ लगाने के कार्य को स्वीकृत किया गया है। इसमें से 31.10.99 की स्थिति के अनुसार लगभग 140 किलोमीटर

सीमा पर बाड़ लगा दी गयी है। करीमगंज में 35 किलोमीटर सहित, असम-बंगलादेश सीमा के अतिरिक्त 71.5 किलोमीटर में, द्वितीय चरण में बाड़ लगाने की योजना है।

(च) और (छ) बंगलादेश और पाकिस्तान सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर मामला उठाया गया है।

(ज) बंगलादेशी राष्ट्रिकों को भारत में घुसपैठ करने की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में, सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनें खड़ी करना, सीमा चौकियों की बीच की दूरी को कम करना, भूमि और नदी तटीय सीमा पर गश्त गहन करना, सीमा सड़कों के निर्माण और बाड़ लगाने के कार्यक्रम को तेज करना, सीमा बुर्जों की संख्या में बढ़ोत्तरी करना निगरानी उपकरणों की व्यवस्था करना इत्यादि शामिल है। यह मामला अनेक अवसरों पर बंगलादेश सरकार के साथ भी उठाया गया है। इन उपायों की प्रगति की समीक्षा अनेक स्तरों पर लगातार की जाती है।

(झ) बंगलादेश सरकार को विभिन्न स्तरों पर यह दोहराया गया है कि वह सीमा सुरक्षा बल द्वारा समय-समय पर बंगलादेश राईफल के सुपुर्द किए गए अवैध बंगलादेश राष्ट्रिकों को स्वीकार करने के लिए सीमा सुरक्षा बल और बंगलादेश राईफल के बीच हुए प्रबन्धों का पालन करें।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में विश्व बैंक ऋण

1163. **श्री ए० वेंकटेश नायक** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक और महाराष्ट्र में विद्युत क्षेत्र में सुधार और विकास के लिए विश्व बैंक से कुल कितना ऋण प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या प्राप्त ऋण का पूरी तरह उपयोग किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को क्या निदेश जारी किए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में विद्युत क्षेत्र के विकास और सुधार हेतु विश्व बैंक से प्राप्त ऋण और समुयोजित ऋण का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्रम सं०	परियोजना का नाम	ऋण सं०	स्वीकृत ऋण की राशि (अमेरिकी मिलियन डालर में)	निकाले गये ऋण की धनराशि (अमेरिकी मिलियन डालर में
कर्नाटक				
1.	कर्नाटक विद्युत परियोजना	2827-आईएन	334.00	69.60
2.	द्वितीय कर्नाटक विद्युत परियोजना	2938-आईएन	260.00	24.00
3.	कादरा पीएच एवं कोडासली डैम पुन: निर्माण परियोजना।		197.2	197.2
महाराष्ट्र				
4.	चन्द्रपुर ताप विद्युत परियोजना	2544-आईएन	300.00	191.40
5.	महाराष्ट्र विद्युत परियोजना	3096-आईएन	337.30	337.30
6.	द्वितीय महाराष्ट्र विद्युत परियोजना	3498-आईएन	350.00	112.25
7.	ट्राम्बे ताप विद्युत परियोजना	2452-आईएन	134.40	134.40
8.	धानु ताप विद्युत परियोजना	3334-आईएन	200.00	194.98
9.	ट्राम्बे संयुक्त साईकिल विद्युत परियोजना	3239-आईएन	98.00	98.00

(ख) और (ग) विभिन्न कारणों जैसे :- ऋण प्रसंविदाओं को पूरा न किया जाना, परियोजना के विलम्ब की वजह से सहमत कार्य को क्रियान्वित न करना आदि के कारण कुछ परियोजनाओं के मामले में ऋणों का पूर्णत: समुपयोजना नहीं किया गया है।

(घ) ऋण का पूर्ण समुपयोजन सुनिश्चित करने के लिए सभी ऋण प्रसंविदाओं का पालन करने हेतु केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से कहती रही है, जैसा कि विश्व बैंक केन्द्र सरकार से कहता रहा है।

[हिन्दी]

फिंगर प्रिन्ट क्रिमिनल ट्रेकिंग सिस्टम की स्थापना

1164. **श्री रामपाल सिंह :**
डा० अशोक पटेल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विभिन्न पुलिस मुख्यालयों में "फिंगर प्रिन्ट क्रिमिनल ट्रेसिंग सिस्टम" स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रणाली के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस पर अनुमानित कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) मैसर्स सी.एम.सी. लिमिटेड, एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा विकसित अंगुल छाप विश्लेषण और अपराधी खोज प्रणाली, की खरीद दिल्ली पुलिस और कुछ अन्य राज्य सरकारों द्वारा की गयी है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा मैसर्स सी.एम.सी. लिमिटेड से कहा गया है कि वह इस सिस्टम की 3 माडलों में रि-कनफिगरेशन करें ताकि यह राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए, अपराधों की मात्रा के आधार पर, उपयुक्त बन सके। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को यह सिस्टम लेने की सलाह देने के लिए अगली कार्रवाई पर, मैसर्स सी.एम.सी. लिमिटेड द्वारा रि-कनफिगरेशन पूरा करने के बाद और राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा सिस्टम की जांच कर लेने के बाद, विचार किया जाएगा। इस अवस्था में, व्यय की सही-सही राशि बताना सम्भव नहीं है।

टेलीफोन कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची

1165. **श्री जे०एस० बराड़ :**
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1999 में टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए देश में कितने लोग प्रतीक्षा सूची में थे;

(ख) क्या इस संबंध में ग्रामीण और शहरी लोगों का अलग-अलग वर्गीकरण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो प्रतीक्षा सूची में शहरी और ग्रामीण लोगों को पृथकत: और राज्यवार संख्या क्या है; और

(घ) इन लोगों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक उपलब्ध करा दिये जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) देश में अप्रैल, 1999 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या 1983028 थीं।

(ख) और (ग) जी, हां। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) उक्त प्रतीक्षा-सूची के निपटान हेतु, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान क्रमश: 45.50 लाख व 53.30 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन देने की योजना है। इसके बाद अधिकाधिक टेलीफोन-कनेक्शन देने हेतु और अधिक प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि एक अप्रैल, 2002 तक मांग पर टेलीफोन कनेक्शन दिए जा सकें।

विवरण

1.4.99 की स्थिति के अनुसार, प्रतीक्षा सूची में दर्ज देश में शहरी व ग्रामीण आवेदकों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य	1.4.99 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची		
		शहरी	ग्रामीण	जोड़
1.	आंध्र प्रदेश	33733	49838	83571
2.	असम	13406	4512	17918
3.	बिहार	32916	21633	54549
4.	गुजरात (दादर, द्वीव, दमन और नगर हवेली सहित)	78078	92529	170607
5.	हरियाणा	42640	32804	75444
6.	हिमाचल प्रदेश	9800	22463	32263
7.	जम्मू व कश्मीर	25607	7993	33600
8.	कर्नाटक	39729	55599	95328
9.	केरल (लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र सहित)	143875	434068	577943
10.	मध्य प्रदेश	16840	5403	22243
11.	महाराष्ट्र (गोवा और मुम्बई सहित)	88616	74838	163454
12.	उत्तर पूर्व (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सहित)	2929	2418	5347
13.	उड़ीसा	9396	5594	14990
14.	पंजाब (चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र सहित)	66125	87581	153706
15.	राजस्थान	54399	46355	100754
16.	तमिलनाडु (चेन्नई और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र सहित)	157754	56962	214716
17.	उत्तर प्रदेश	52908	18456	71364
18.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह और कलकत्ता सहित)	61001	34230	95231
19.	दिल्ली	0	0	0
	जोड़	**929752**	**1053276**	**1983028**

[अनुवाद]

जहाज-निर्माण के लिए प्रत्यक्ष राज सहायता

1166. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के रूग्ण जहाज निर्माण उद्योग का पुनरूद्धार करने के प्रयास में सरकार ने जहाज निर्माण यार्ड को दी जाने वाली प्रत्यक्ष राज सहायता की पुनरीक्षा करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान 30 प्रतिशत प्रत्यक्ष राज सहायता एक भी नया क्रयादेश आकर्षित करने में असफल रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में विचार किए जा रहे अन्य विकल्पों का ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) सरकार ने जहाज निर्माण उद्योग के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए अगस्त, 1997 में 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू की गई सब्सिडी स्कीम की समीक्षा का भी अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। तथापि, जहाज निर्माण उद्योग पर उक्त स्कीम के प्रभाव के आकलन के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शिपयार्डों का मूल्य और डिलीवरी समय के अनुपालन के संदर्भ में गैर-प्रतियोगी होना अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने और नए जहाज निर्माण आर्डर प्राप्त करने में आने वाली प्रमुख समस्या है। पिछले कुछ वर्षों में सामान्यत: नौवहन उद्योग में मंदी से नए जहाज निर्माण की मांग कम हुई है तथा मूल्य भी गिरे हैं। तथापि, शिपयार्ड प्रबंध संबंधी तकनीक के जरिए निर्माण लागत कम करने और उत्पादकता में सुधार के प्रयास करते रहे हैं। शिपयार्डों को यात्री पोतों, निकर्षकों और टगों आदि सहित विभिन्न किस्म के जलयानों के लिए घरेलू बाजार से नए जहाज निर्माण आर्डर-प्राप्त होते रहे हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पाइपलाइन द्वारा गुंटूर, आंध्र प्रदेश में रसोई गैस

1167. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश के गुंटूर, तेनाली और बापटला आदि कस्बों में पाइपलाइन के जरिये रसोई गैस की आपूर्ति करने के लिए कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड अथवा अन्य एजेंसी द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित निवेश का ब्यौरा क्या है और इससे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या कितनी है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

[हिन्दी]

पेट्रोल और डीजल पर उपकर

1168. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :**
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए उपकर के माध्यम से इकट्ठी की गई धनराशि को देश में सड़कों के विकास पर खर्च करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो तीन वर्षों के दौरान ऐसे जमा की गई उपकर की कुल धन-राशि क्या है;

(ग) पृथकत: पेट्रोल और डीजल पर लगाए उपकर की धनराशि क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने पेट्रोलियम क्षेत्र के विकास के लिए इस उपकर के अलावा कोई दूसरा कर लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : (क) से (ग) सड़कों के विकास के लिए और भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के निकाय को बढ़ाने के लिए एक वर्ष में 790 करोड़ रुपए की राशि उपार्जित करने के लिए केन्द्रीय बजट में वर्ष 1998-99 के लिए पेट्रोल पर 1 रुपया प्रति लीटर की दर से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया था। केन्द्रीय बजट 1999-2000 में, आयातित और घरेलू एच.एस.डी. पर 1 रुपए प्रतिलीटर की दर से अतिरिक्त उत्पाद/सीमा शुल्क लगाया गया है। शुल्क का आधा हिस्सा ग्रामीण विकास और सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। इस शुल्क का 50 पैसे का अन्य हिस्सा और 2.6.1998 से लगाया गया 1 रुपया प्रतिलीटर शुल्क को सांविधिक उपकर में बदल दिया जाएगा और केन्द्रीय सड़क निधि को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। राज्य की सड़कों के विकास और रखरखाव हेतु 30 प्रतिशत निधि राज्य सरकारों को हस्तांतरित की जाएगी। शेष राशि राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के विकास तथा रखरखाव और रेलवे मंत्रालय द्वारा रेलवे ओवर-ब्रिज क्रासिंगों के निर्माण तथा बिना किसी व्यक्ति वाले क्रासिंगों पर

रेलवे सुरक्षा कार्यों हेतु प्रयोग किया जाएगा। 30.9.99 की स्थिति के अनुसार यह अनुमान है कि अप्रैल-सितंबर, 1999 की अवधि के लिए उपकर के रूप में लगभग 2795 करोड़ रुपए की राशि एकत्रित हुई है।

(घ) जी हां। तेल उद्योग (विकास) अधिनियम 1974 की धारा 15 के प्रावधानों के अंतर्गत तेल उद्योग के विकास के उद्देश्य से इस समय 900/- रुपए प्रति टन की दर से कच्चे तेल पर उपकर लगाया और एकत्रित किया जा रहा है जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है।

[अनुवाद]

एस.टी.डी. सुविधा

1169. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर महाराष्ट्र में एस.टी.डी.-सुविधा उपलब्ध कराये जाने संबंधी मांग लंबित है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा उन लंबित मांगों को निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) महाराष्ट्र में जिलेवार विशेषकर पंढरपुर क्षेत्र के कितने तालुका तहसील-मुख्यालयों में एस.टी.डी-सुविधाओं वाले टेलीफोन एक्सचेंज हैं;

(ङ) जिलेवार कितने तालुका में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(च) शेष तालुकों में उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में एस.टी.डी.-सुविधा प्रदान करने के लिए काफी मांग आई हैं। देश के कुल 19781 ग्रामीण एक्सचेंजों में से 15615 ग्रामीण एक्सचेंजों में एसटीडी-सुविधा प्रदान कर दी गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में एस.टी.डी-सुविधा प्रदान किए जाने वाले एक्सचेंजों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

महाराष्ट्र में 2,568 ग्रामीण एक्सचेंज हैं, जिनमें से 1,163 एक्सचेंजों में अभी एसटीडी-सुविधा प्रदान की जानी है।

(ग) शेष एक्सचेंजों में मार्च, 2000 तक क्रमिक रूप से एस.टी.डी.-सुविधा प्रदान किए जाने की योजना है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(घ) और (ङ) महाराष्ट्र के एस टी डी-सुविधायुक्त व सुविधा-रहित तालुका-मुख्यालयों का जिला-वार ब्यौरा विवरण-II ''क'' में दिया गया है। शोलापुर जिले के पंढरपुर-तालुका क्षेत्र का ब्यौरा विवरण-II ''ख'' में दिया गया है।

(च) शेष तालुकों में मार्च, 2002 तक एस.टी.डी.-सुविधा प्रदान किए जाने की योजना है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

विवरण-I

31.10.99 की स्थिति के अनुसार गांवों में एसटीडी-सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य-वार लम्बित टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	285
2.	असम	0
3.	बिहार	14
4.	गुजरात	173
5.	हरियाणा	316
6.	हिमाचल प्रदेश	54
7.	जम्मू और कश्मीर	83
8.	कर्नाटक	48
9.	केरल	0
10.	महाराष्ट्र	1163
11	गोवा	3
12.	मध्य प्रदेश	652
13	अरुणाचल प्रदेश	35
14.	मणिपुर	9
15.	मेघालय	7
16.	मिजोरम	16
17.	नागालैंड	12
18.	त्रिपुरा	4
19.	उड़ीसा	8
20.	पंजाब	61
21.	राजस्थान	512
22.	तमिलनाडु	19
23.	उत्तर प्रदेश	623
24.	पश्चिम बंगाल	64
25.	सिक्किम	5
	कुल	4166

विवरण-II (क)

31.10.99 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र के तालुका मुख्यालयों में एसटीडी-सुविधा की जिलावार स्थिति

क्रम सं.	जिले का नाम	तालुका मुख्यालयों की कुल संख्या	एस.टी.डी.-सुविधायुक्त टेलीफोन-एक्सचेंज वाले तालुका मुख्यालयों की संख्या	एसटीडी सुविधा-रहित मुख्यालयों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	अहमदनगर	14	14	0
2.	अकोला	7	7	0
3.	वासिम	6	6	0
4.	अमरावती	14	14	0
5.	औरंगाबाद	9	9	0
6.	बीड़	11	11	0
7.	भंडारा	7	6	1
8.	गोंदिया	8	8	0
9.	बुलढाना	13	12	1
10.	चन्द्रपुर	14	13	1
11.	धुले	4	4	0
12.	नंदुरबार	6	6	0
13.	गढ़चिरोली	12	8	4
14.	जलगांव	15	15	0
15.	जालना	8	8	0
16.	कल्याण	14	13	1
17.	कोल्हापुर	12	12	0
18.	लातुर	10	9	1
19.	नागपुर	14	14	0
20.	नांदेड़	14	12	2
21.	नासिक	15	13	2
22.	उस्मानाबाद	8	7	1
23.	परभनी	9	9	0
24.	हिंगोली	5	5	0
25.	पुणे	14	14	0
26.	रायगढ़	13	13	0
27.	रत्नागिरी	9	9	0
28.	सांगली	9	9	0
29.	सतारा	11	11	0
30.	सिंधुदुर्ग	8	8	0
31.	शोलापुर	11	11	0
32.	वर्धा	8	6	2
33.	यवतमाल	16	14	2
	जोड़	348	330	18

विवरण-II (ख)

पंढरपुर क्षेत्र

1. कुल एक्सचेंजों की संख्या-14
2. एस.टी.डी.-सुविधा-सहित एक्सचेंज-2
3. एस.टी.डी.-सुविधा-सहित एक्सचेंज-12

दूरसंचार कार्यक्रम का विस्तार

1170. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में राज्यवार विशेषकर कर्नाटक में दूरसंचार के विस्तार हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितनी राशि नियत की गई है तथा इस संबंध में क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी हां, नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरसंचार विभाग तथा एमटीएनएल द्वारा कुल 223 लाख नई लाइनें प्रदान की जानी हैं। योजना के प्रथम चार वर्षों अर्थात् 1997-2000 के दौरान कर्नाटक सहित सर्किल-वार व वर्षवार लक्ष्य विवरण में दिए गए हैं, 97-98 व 98-99 की उपलब्धियां भी विवरण में दी गई हैं। 2001-2002 के लक्ष्यों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) संसद द्वारा अनुदान-मांगों के अनुमोदन के बाद ही वार्षिक आधार पर निधियों का आवंटन किया जाता है। 97-98 व 98-99 की प्रयुक्त निधियां तथा 99-2000 हेतु निर्धारित निधियों के सर्किल-वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सीधी एक्सचेंज-लाइनों के वर्ष-वार व सर्किल-वार लक्ष्य/उपलब्धियां तथा निर्धारित/प्रयुक्त निधियां (करोड़ रुपये में) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान

क्रम सं.	सर्किल	सीधी एक्सचेंज लाइनें (1997-98)		प्रयुक्त निधियां	सीधी एक्सचेंज लाइनें (98-99)		प्रयुक्त निधियां	लक्ष्य 99-2000	निर्धारित निधियां	लक्ष्य 2000-2001
		लक्ष्य	उपलब्धियां	97-98	लक्ष्य	उपलब्धियां	98-99		99-2000	
1.	आन्ध्र प्रदेश	215000	216487	550.55	250000	404980	696.94	350000	1151.34	400000
2.	असम	35000	36477	122.45	50000	50375	112.85	60000	190.74	65000
3.	बिहार	60000	66294	269.08	131000	103128	325.44	163000	409.84	146000
4.	गुजरात	208000	213824	565.95	250000	255388	552.24	250000	750.62	311000
5.	हरियाणा	73000	73081	181.21	95000	96170	207.17	117000	332.42	135000
6.	हिमाचल प्रदेश	40000	40176	121.59	59000	43217	119.87	59000	169.42	60000
7.	जम्मू एवं कश्मीर	20000	20819	52.51	30000	18501	51.03	40000	118.83	50000
8.	कर्नाटक	195000	254378	654.33	200000	237002	714.02	300000	929.88	310000
9.	केरल	262000	230010	631.11	325000	271065	731.50	400000	913.87	500000
10.	मध्य प्रदेश	70000	102692	329.84	110000	140352	390.54	141000	536.14	161000
11.	महाराष्ट्र	225000	287966	846.63	300000	345348	865.52	395000	1145.04	483000
12.	उत्तर पूर्व	22500	23030	104.72	32000	35116	182.03	40000	176.64	43000
13.	उड़ीसा	35000	67178	167.28	60000	68175	174.44	87000	274.89	75000
14.	पंजाब	164000	165969	463.32	190000	190000	526.00	240000	580.70	250000
15.	राजस्थान	147000	147632	386.01	163000	171445	374.81	180000	562.17	250000
16.	तमिलनाडु	249000	284378	652.38	280000	357609	756.34	350000	966.95	475000
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	95000	181043	593.94	133000	186685	679.70	207000	702.81	310000
18.	उत्तर प्रदेश (प०)	99000	132875	424.15	139000	154917	334.50	193000	484.87	256000
19.	पश्चिम बंगाल	86000	86552	227.54	120000	101425	306.58	231000	496.29	243000
20.	अंडमान निकोबार	4500	2012	9.95	6000	7501	16.46	7000	27.25	7000
21.	कलकत्ता	80000	151588	411.28	112000	180320	362.61	110000	242.92	120000
22.	चेन्नई	75000	80168	223.85	115000	122629	259.34	140000	418.56	150000
23.	एमटीएनएल मुंबई	226000	213475	912.00	230000	156781	977.00	250000	1250.00	270000
24.	एमटीएनएल दिल्ली	214000	180941	दिल्ली व मुंबई	220000	90392	दिल्ली व मुंबई	240000	दिल्ली व मुंबई	260000
	जोड़	2900000	3259045	8901.67	3600000	3791990	9716.93	4550000	12832.19	5330000

पेट्रोल का विकल्प

1171. **डा० वी० सरोजा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोल और डीजल की अधिक कीमतों को ध्यान में रखते हुए ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार के पेट्रोल या डीजल के स्थान पर मिथाइल अल्कोहल के प्रभाव का अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने आटोमोटिव इस्तेमाल के लिए सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) और तरल पेट्रोलियम गैस (एल पी जी) के प्रयोग पर गहनता से विचार किया है। अब तक स्थापित किए गए 33 पुनः भराई स्टेशनों के साथ, मुंबई, दिल्ली, वड़ोदरा, अन्कलेश्वर और सूरत में सी एन जी पहले से ही इस्तेमाल हो रही है और इस ईंधन पर 27 बसों सहित 15,000 से अधिक वाहन चल रहे हैं। आटो-ईंधन के रूप में एल पी जी का इस्तेमाल तभी शुरू किया जाएगा जब मोटर वाहन अधिनियम आदि में आवश्यक संशोधन हो जाएंगे।

(ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) आटोमोबाइल में ईंधन दहन में सुधार करने और वाहनों में धुआं कम करने के उद्देश्य से, तेल उद्योग ने वर्ष 1993 में वडोदरा में पेट्रोल में 3 प्रतिशत मिथानोल के मिश्रण की परियोजना शुरू की थी। लेकिन, तेल उद्योग को आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मिथानोल की आपूर्ति न किए जाने के कारण परियोजना बंद करनी पड़ी क्योंकि उन्हें तेल उद्योग की तुलना में अन्य पक्षकारों से मिथानोल का अधिक मूल्य मिल रहा था।

तमिलनाडु में विद्युत परियोजनाएं

1172. **श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु में नई विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु विदेशी संस्थाओं के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किए हैं या इसकी गारंटी देने की सहमति दी है; और

(घ) इन नई विद्युत परियोजनाओं को किस वर्ष अनुमोदित और क्रियान्वित किया जाएगा ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयवंती मेहता) : (क) और (ख) राज्य क्षेत्र और निजी क्षेत्र में तमिलनाडु राज्य के संबंध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) में प्राप्त की गई विद्युत परियोजनाओं की एक सूची प्रत्येक परियोजना की स्थिति स्पष्ट करते हुये नीचे दी गई है।

क्रम सं.	विद्युत परियोजनाएं	के.वि.प्रा. में प्राप्ति की तिथि	तकनीकी अर्थिकी स्वीकृति की तिथि
1	2	3	4
(क)	**के.वि.प्रा. द्वारा स्वीकृत/मूल्यांकित**		
1.	नेवैली टीपीएस जीरो यूनिट (मै. एसटी-सीएमएस इलैक्ट्रिक कम्पनी) (250 मे.वा.)	8/93	12.8.94
2.	पील्लेयिपैरूमलनलूर सीसीजीटी (मै. दयाना मकोशकी पावर कम्पनी)	7/95	18.10.95
3.	नॉर्थ मद्रास चरण-II (2×525 मे.वा) (मै. वीडीयोकॉन पावर कं०)	4/95	01.03.96
4.	बेसिन ब्रिज डीजीपीपी (4×50 मे.वा.) (मै. जीएमआर वसावी पावर कारपो. लि.)	5/95 3/95	10.05.96
5.	तुतीकोरिन टीपीपी चरण-II (1×525 मे.वा.) (मै. एसपीआईसी इलै० पावर कारपो. लि.)	10/96 12/96	03.06.97
6.	समायनल्लूर डीजीपीपी (106 मे.वा.) (मै० बालाजी पावर कारपोरेशन लि०)	9/96	20.01.98
7.	समलपट्टी डीजीपीपी (106 मेगावाट) मै० समलपट्टी विद्युत निगम	1/97	20.01.98

1	2	3	4
8.	उत्तर मद्रास टीपीपी चरण-III (1×525 मे.वा.) (मै० त्रि-शक्ति इनर्जी प्रा.लि.)	9/96	30.07.98
9.	कुड्डालोर टीपीपी (2×660 मे.वा.) (मै० कुड्डालोर पावर कारपोरेशन)	11/96	8.4.99/ 12.8.99
10.	वेम्बर सीसीजीटी (एलएनजी) (1873 मे.वा.) (मै० इंडिया पावर प्रोजेक्ट लि०)	2/99	24.9.99
(ख)	**डीपीआर के वि.प्रा. द्वारा जांचाधीन**		
1.	श्रीमुसनम लि. टीपीपी (1×250 मे.वा.) (मै० टी आई सी ए पी सी ओ)	9/98	खनन पट्टा/ खनन योजना संबधी एम ओ सी का अनुमोदन तथा राज्य सरकार की सिफारिश अपेक्षित।
(ग)	**विभिन्न निवेशों के अभाव में के.वि.प्रा. द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है।**		
1.	पिल्लईपेरूमलनल्लूर सीसीजीटी फेस-II (300 मे.वा.)	3/91	2/94 में लौटा दी गई
2.	इन्नोर एक्सटेन. (2×210 मे.वा.)	9/81	11/81 में लौटा दी गई
3.	कोविलकलप्पल सीसीपीपी-टीएनईबी (107.88 मे.वा.)	7/99	8.9.99 को लौटा दी गई
4.	इन्नोर सीसीजीटी (एलएनजी) (1500 मे.वा.)	6/97	28.10.97 को जी ओटीएन द्वारा छोड़ दी गई
5.	कट्टुपल्ली सीसीजीटी (एलएनजी)(1042.95 मे.वा.)	12/97	4.3.98 को लौटा दी गई, डीपीआर प्रस्तुत करने की गति 31.12.99 तक बढ़ दी गई है
6.	बेसीन ब्रिज डब्ल्यूएचआरबी-टीएनईबी (30 मे.वा.)	2/97	17.4.97 को लौट दी गई
7.	नेवेली-III टीपीएस एक्सटेन. (3×500 मे.वा.) टीएन-एनएलसी	2/85	एनएलसी वैकल्पिक स्थान की जांच कर रहा है।

तमिलनाडु में निजी क्षेत्र की उन अन्य तरल ईंधन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नवत् है जिनके संबंध में ईंधन लिंकेज के लिए केन्द्र सरकार से सम्पर्क किया गया है :-

क.सं.	परियोजना/प्रवर्तक का नाम	क्षमता (मे.वा.)	ईंधन लिंकेज की तिथि
1	2	3	4
1.	सुजना पावर (तुतीकोरिन) लि०	103.213	14.7.97
2.	सुजना पावर (गंगीकोंडन) लि०	103.213	14.7.97
3.	अबन पावर को.लि. इन्नोर	103.5	14.7.97 (रेव. 9.2.99)
4.	ट्रिची एनर्जी लि० (समयापुरम)	103.00	14.7.97
5.	ट्रिची पावर लि० टुवाकुडी	103.00	18.8.99
6.	गुमीडिपुंडी-I सीसीजीटी	162.00	27.1.99
7.	चेनगलपट्टु-I सीसीजीटी	231.00	1.2.99
8.	गुमीडिपुंडी-II सीसीजीटी	225.00	1.2.99

1	2	3	4
9.	पल्लीपलयम सीसीजीटी	219.00	1.2.99
10.	कुड्डालोर सीसीजीटी	225.00	1.2.99
11.	डीएलएफ पावर प्लांट, होसुर	55.00	14.7.99
12.	पेरूनदरई जीबीपीपी	154.00	ईंधन लिंकेज आवश्यक नहीं है
13.	श्रीरायलसीमा हाई-स्ट्रेंथहाइपो लि. अराक्कोनम	122.00	ईंधन लिंकेज आवश्यक नहीं है
14.	डीसीएम श्रीराम कोन्सोलिडेटेड लि. सीरीमगई	102.6	ईंधन लिंकेज की सिफारिश की गई है

(ग) मै० नवेली टीपीएस जीरो यूनिट के मामले में भारत सरकार द्वारा प्रति गारंटी प्रदान कर दी गई है।

(घ) परियोजना का क्रियान्वयन परियोजना प्राधिकारियों द्वारा वित्तीय सुनिश्चितता पर निर्भर करेंगे।

वाहक अधिनियम, 1965 को समाप्त किए जाने की मांग

1173. **श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ट्रांसपोर्टरों द्वारा वाहक अधिनियम, 1865 को समाप्त किए जाने की मांग ठुकरा दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ट्रकों इत्यादि के लाइसेंस शुल्क तथा पंजीकरण-शुल्क में वृद्धि किए जाने संबंधी दिनांक 22 अक्तूबर, 1999 की अधिसूचना की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

जल भूतल पारवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार द्वारा ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार नीति

1174. **श्री अशोक ना० मोहोल** :
श्री रामसागर रावत :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 के अंतर्गत सन् 1997 तक देश के सभी गांवों को टेलीफोन सुविधा के साथ जोड़ने की परिकल्पना की गई थी और हाल ही में सरकार ने यह कहा है कि सन् 2002 तक सभी गांवों को टेलीफोन के साथ जोड़ दिया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने सन् 1998-99 तक 80,500 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन देने का लक्ष्य निर्धारित किया था;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी है और उसने इस लक्ष्य को घटाकर 45,000 टेलीफोन कर दिया है; और

(च) यदि हां, तो ऐसे गलत लक्ष्यों को निर्धारित करके आम जनता को गुमराह करने का कारण क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) सभी गांवों को सार्वभौम दूरसंचार सुविधा प्रदान करने के लिए दूरसंचार नीति (एनटीपी) 1994 में सभी गांवों को 1997 तक दूरसंचार सुविधाओं से जोड़ने का प्रावधान था। उपयुक्त प्रौद्योगिकी, तथा समुचित उत्पादन क्षमता सहित विक्रेता बेस के विकास के लिए समय की कमी तथा निजी बुनियादी सेवा प्रदाताओं के साथ लाइसेंस पर हस्ताक्षर करने में विलम्ब के कारण लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। नया लक्ष्य, सभी गांवों को मार्च, 2002 तक कवर करने का है।

(घ) से (च) एनालॉग एमएआरआर प्रणालियों में तकनीकी समस्याएं उत्पन्न होने के कारण ऐसी प्रणालियों के नए प्रापण को रोक देना पड़ा। सामग्री/उपस्करों को समग्र उपलब्धता की पुनरीक्षा के बाद लक्ष्य को संशोधित करके 45,000 बीपीटी कर दिया गया था।

[अनुवाद]

चंडीगढ़-अम्बाला राजमार्ग परियोजना

1175. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने चंडीगढ़-अम्बाला राजमार्ग को चार लेन वाला बनाने के लिए धन देने हेतु परियोजना को मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना के कब तक शुरू किए जाने और पूरा किए जाने की संभावना है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डाकघर एवं उप-डाकघरों का खोला जाना

1176. **श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी :**
श्री ब्रजमोहन राम :
श्री पवन कुमार बंसल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश, बिहार और चंडीगढ़ में कार्य कर रहे डाकघरों/उप-डाकघरों की राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक राज्यवार तथा संघ राज्यवार क्षेत्रवार कितने डाक घर खोले गए;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर उपरोक्त राज्यों में नए डाकघर खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस दिशा में सुधार हेतु उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) देश में कार्य कर रहे डाकघरों की श्रेणीवार, राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या से संबंधित जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों की राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या विवरण-II में दी गई है। चालू वर्ष के दौरान डाकघर मार्च, 2000 तक खोले जाने हैं।

(ग) से (च) जी, हां। डाकघर मानदंड आधारित औचित्य पूरा होने तथा संसाधन उपलब्ध रहने पर खोले जाते हैं। डाकघर खोलने के लिए लक्ष्य डाक सर्किलवार आवंटित किए जाते हैं। वार्षिक योजना 1999-2000 के दौरान डाकघर खोलने के लिए आवंटित लक्ष्यों का सर्किलवार ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

31.3.99 की स्थिति के अनुसार देश में डाकघरों की श्रेणीवार संख्या

क्रम सं.	सर्किल का नाम	प्रधान डाकघर	विभागीय उप-डाकघर	अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	104	2360	63	13669	16186
2.	असम	19	590	36	3240	3885
3.	बिहार	42	1442	127	10303	11914
4.	दिल्ली	9	418	20	122	569
5.	गुजरात	43	1367	46	7504	8960
	दादर नगर हवेली		2		32	34
	दमन एवं द्वीव		6		11	17
6.	हरियाणा	15	466	13	2143	2637
7.	हिमाचल प्रदेश	18	444	18	2284	2764
8.	जम्मू एवं कश्मीर	9	242	32	1356	1639
9.	कर्नाटक	69	1784	296	7704	9853
10.	केरल	51	1453	524	3023	5051
	लक्षद्वीप		7	5	2	14

1	2	3	4	5	6	7
11.	मध्य प्रदेश	52	1379	98	9806	11335
12.	महाराष्ट्र	61	2086	129	10150	12426
	गोवा	2	103	3	145	253
13.	उत्तर पूर्व					
	अरुणाचल प्रदेश	1	45		248	294
	मणिपुर	1	51		63	689
	मेघालय	2	61	1	419	483
	मिजोरम	1	38	4	354	397
	नागालैंड	1	40		279	320
	त्रिपुरा	3	80	14	614	711
14.	उड़ीसा	35	1165	195	6725	8120
15.	पंजाब	21	764	10	3084	3879
	चंडीगढ़	1	43	1	7	52
16.	राजस्थान	55	1394	103	8819	10371
17.	तमिलनाडु	91	2730	219	9015	12055
	पांडिचेरी	1	33		61	95
18.	उत्तर प्रदेश	86	2844	457	16836	20223
19.	पश्चिम बंगाल	44	1636	339	6603	8622
	सिक्किम	1	19	6	178	204
	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1	25	7	64	97
	कुल	839	25117	2756	125437	154149

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में खोले गए डाकघरों का सर्किलवार ब्यौरा

क्रम सं.	सर्किल का नाम	इन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या		
		1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	12	14	12
2.	असम	14	21	59
3.	बिहार	36	35	74
4.	दिल्ली	4	7	6
5.	गुजरात	34	21	33
	दादर एवं नगर हवेली			
	दमन व द्वीव			
6.	हरियाणा	16	18	16
7.	हिमाचल प्रदेश	26	4	8
8.	जम्मू एवं कश्मीर		12	22
9.	कर्नाटक	25	37	17

1	2	3	4	5
10.	केरल	15	8	15
	लक्षद्वीप			
11.	मध्य प्रदेश	26	43	55
12.	महाराष्ट्र	41	37	70
	गोवा	2	1	2
13.	उत्तर पूर्व			
	अरुणाचल प्रदेश	1	1	10
	मणिपुर	2	2	15
	मेघालय		1	5
	मिजोरम	1	4	7
	नागालैंड	1	8	13
	त्रिपुरा	2	4	7
14.	उड़ीसा	12	24	12
15.	पंजाब	11	15	16
	चंडीगढ़			
16.	राजस्थान	17	34	31
17.	तमिलनाडु	13	24	12
	पांडिचेरी			
18.	उत्तर प्रदेश	47	63	85
19.	पश्चिम बंगाल	5	26	40
	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह			
	सिकिक्म		3	7
	कुल	363	467	649

विवरण-III

वार्षिक योजना 1999-2000 के दौरान डाकघर खोलने के लिए आवंटित सर्किलवार लक्ष्य

क्र.सं.	सर्किल का नाम	शाखा डाकघर			विभागीय उप डाकघर		
		अन्य क्षेत्र	जनजातीय क्षेत्र	कुल	अन्य क्षेत्र	जनजातीय क्षेत्र	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	10	5	15	2	शून्य	2
2.	असम	40	10	50	3	2	5
3.	बिहार	42	8	50	2	1	3
4.	दिल्ली	4	शून्य	4	2	शून्य	2
5.	गुजरात	26	4	30	3	शून्य	3
6.	हरियाणा	15	शून्य	15	2	शून्य	2
7.	हिमाचल प्रदेश	7	3	10	शून्य	1	1
8.	जम्मू एवं कश्मीर	8	7	15	1	शून्य	1
9.	कर्नाटक	16	5	21	3	शून्य	3
10.	केरल	4	शून्य	4	2	शून्य	2
11.	मध्य प्रदेश	28	12	40	3	1	4
12.	महाराष्ट्र	43	7	50	2	1	3
13.	उत्तर-पूर्व	28	12	40	1	2	3
14.	उड़ीसा	12	2	14	1	1	2

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	पंजाब	10	शून्य	10	1	शून्य	1
16.	राजस्थान	23	4	27	1	1	2
17.	तमिलनाडु	12	3	15	2	शून्य	2
18.	उत्तर प्रदेश	40	10	50	3	शून्य	3
19.	पश्चिम बंगाल	32	8	40	6	शून्य	6
	कुल :	400	100	500	40	10	50

[हिन्दी]

खराब पड़े टेलीफोन एक्सचेंज

1177. **प्रो० रासासिंह रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित अधिकांश टेलीफोन एक्सचेंज तथा टेलीफोन लंबे समय तक खराब पड़े रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इसके कारण करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) टेलीफोन कनेक्शनों को लगाने से पूर्व टेलीफोन एक्सचेंजों के उचित रख-रखाव हेतु तैयार योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इन योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(च) क्या इस संबंध में कई अधिकारियों को दोषी पाया गया है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां। ग्रामीण क्षेत्रों के टेलीफोन एक्सचेंज व वहां संस्थापित टेलीफोन आमतौर पर संतोषप्रद ढंग से कार्य कर रहे हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (छ) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाएं

1178. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले महीनों में विद्युत परियोजनाओं ने 6.4% वृद्धि दर्ज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और चालू वर्ष की शेष अवधि के दौरान बिजली की कमी से निपटने के लिए किस सीमा तक प्रयास किए जाएंगे ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) देश में ऊर्जा की उपलब्धता अप्रैल से अक्तूबर, 1999 के दौरान, 1998-99 की इसी अवधि में 240115 मि.यू. की तुलना में बढ़कर 258743 मि.यू. हो गई। इससे 1999-2000 (अक्तूबर, 1999 तक) के दौरान, गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में ऊर्जा उपलब्धता में 7.8% की वृद्धि हुई है।

(ग) विद्युत आपूर्ति की स्थिति में और सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

- अधिष्ठापित क्षमता में अभिवृद्धि।
- उपलब्धता तथा पीएलएफ में सुधार करने के प्रयास।
- अंतर्राज्यीय और अंत: क्षेत्रीय विद्युत आदान-प्रदानों को प्रोत्साहित करना।
- विद्यमान विद्युत केन्द्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण।
- क्षेत्रीय विद्युत प्रणालियों में जल विद्युत ताप-विद्युत, न्यूक्लीय और गैस टरबाईन विद्युत केन्द्रों का समन्वित प्रचालन।
- मांग पक्ष प्रबंधन हेतु उपायों को प्रोत्साहित करना जैसे औद्योगिक उपभोक्ताओं के साप्ताहिक अवकाश को भिन्न-भिन्न समय पर रखकर भार वक्रता को समतल करना और प्रतिबंधों के वर्गीकरण के द्वारा कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति का विनियमन करना तथा ऊर्जा संरक्षण।
- विद्युत प्रणाली में पारेषण और रूपांतरण क्षमता का संवर्धन।
- पारेषण और वितरण हानियों को कम करना।

उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत घर

1179. **डॉ० बलिराम** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को 1984-88 के दौरान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के दोहरीघाट नामक स्थान में एक ताप विद्युत घर की स्थापना के लिये कोई प्रस्ताव मिला था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने दोहरीघाट में ताप विद्युत घर की स्थापना के लिये सदन में आश्वासन दिया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त ताप विद्युत घर के कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क), (ख), (घ) और (ङ) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में दोहरीघाट में 2×210 मेगावाट थर्मल यूनिट स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (यूपी एस.ई.बी.) के केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी. ई.ए.) के अनुमोदन हेतु मई, 1978 में एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रेलवे द्वारा कोयला ढुलाई में बाधा तथा कोल लिंकेज की अनुपलब्धता के कारण के.वि.प्रा. ने फरवरी 1981 में उ.प्र.रा.वि. बोर्ड को स्कीम की समीक्षा करने की सलाह दी थी। उ.प्र.रा.वि. बोर्ड ने जनवरी, 1988 में सूचित किया कि बलिया जनपद के बेल्थरा रोड पर वैकल्पिक स्थल उपलब्ध है और नवम्बर, 1992 में यूपी.एस.ई. बोर्ड ने बेल्थरा रोड में 3×250 मेगावाट टी.पी.एस. की स्थापना हेतु व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की। पर्याप्त अवधि बीत जाने पर भी आवश्यक निवेशों/स्वीकृतियों के अभाव में स्कीम को के.वि.प्रा. के अनुमोदन हेतु नहीं लिया जा सका। बाद में, फरवरी, 1994 में उ.प्र.रा.वि. बोर्ड को सूचित किया गया था कि आवश्यक निदेशों की सुनिश्चितता लंबित होने के फलस्वरूप स्कीम की के.वि.प्रा. में कार्यवाही नहीं की जा सकी। यू. पी.एस.ई.बी. से आगे और कोई अनुक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

पूर्वोत्तर राज्यों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती

1180. **श्री भीम दाहाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में अर्ध-सैनिक बलों के कितने कार्मिक तैनात हैं;

(ख) क्या इन बलों को इन राज्यों में समानुपाती आधार पर तैनात किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (घ) लोक व्यवस्था बनाए रखने में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए केन्द्रीय अर्धसैनिक बल उपलब्ध कराए जाते हैं। किसी राज्य में तैनाती का स्तर, सम्पूर्ण सुरक्षा स्थिति और इन बलों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। तथापि, इन बलों के ब्यौरे और उनकी तैनाती का स्तर बताना जनहित में उपयुक्त नहीं समझा गया है।

विद्युत संयंत्रों से फ्लाई एश

1181. **श्रीमती श्यामा सिंह** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के विभिन्न विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित और उनसे निकलने वाली राख के बारे में सरकार ने कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह राख विद्युत संयंत्रों के आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है; और

(घ) यदि हां, तो इस समस्या से निपटने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये/उठाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) वर्ष 1998-99 के दौरान एन.टी.पी.सी. विद्युत केन्द्रों में लगभग 22.6 मिलियन टन राख का उत्सर्जन हुआ था। एन.टी.पी.सी. ने सूचित किया है कि लगभग 2.4 मिलियन टन (अनुमानतः उत्सर्जित राख का 11 प्रतिशत) राख का लाभप्रद कार्यकलापों में उपयोग किया गया। राख की शेष मात्रा पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित ढंग से राख कुंडों/राख के ढेरों में विसर्जित की गई।

(ग) और (घ) एन.टी.पी.सी. कोयला आधारित विद्युत केन्द्रों द्वारा उत्सर्जित राख का भण्डारण विशेषतया इस प्रयोजनार्थ बनाये गये राख कुंडों, जो चहुंओर ऐश बांध से घिर होते हैं, में किया जाता है। ऐशडायिक के चारों तरफ पर्याप्त जल भण्डारण की व्यवस्था की जाती है ताकि धूल के अस्थायी प्रभाव से बचा जा सके और फ्लाई ऐश विद्युत संयंत्रों के आस-पास रह रहे लोगों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक न हो।

हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों की मरम्मत/निर्माण

1182. **श्री अजय सिंह चौटाला** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के निर्माण और उनकी मरम्मत कार्यों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(ग) हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के निर्माण और उनके मरम्मत कार्यों के लिए वर्ष 1999-2000 और वर्ष 2000-2001 के क्या प्रस्ताव हैं और इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) ग्यारह।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् (अप्रैल, 1996 से मार्च, 1999 तक) के दौरान 90.00 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से 86 पुलों का निर्माण किया गया है और 28.97 करोड़ रु० की राशि पुलों की मरम्मत सहित राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत पर खर्च की गई है।

(ग) वार्षिक योजना 1999-2000 में 4.60 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से तीन पुलों को स्वीकृति के लिए शामिल किया गया है। वर्ष 2000-2001 की वार्षिक योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आवश्यकतानुसार पुलों की मरम्मत की जाती है। चालू वर्ष 1999-2000 के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत हेतु 16.12 करोड़ रु० का आबंटन किया गया है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक टेलीफोन का लक्ष्य

1184. **श्री जे०एस० बराड़ :**
श्री अजित सिंह :
श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री पी०एस० गढ़वी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक टेलीफोन-सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कोई समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो देश में विशेषकर गुजरात और आंध्र प्रदेश में अक्तूबर, 1999 के अंत तक कितने शहरों तथा गांवों में टेलीफोन सुविधा प्रदान की जानी थी तथा उक्त अवधि के दौरान इन लक्ष्यों की तुलना में इन्हें राज्य-वार कितना प्राप्त किया गया है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि व्यय की गई है तथा वर्ष 1999-2000 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

डी०पी० वधवा आयोग

1185. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आस्ट्रेलियाई मिशनरी की हत्या संबंधी डी०पी० वधवा आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इन पर कार्यवाही करने के लिए क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) आयोग की सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) न्यायमूर्ति डी.पी. वधवा ने अपनी जांच रिपोर्ट 21.6.99 को गृह मंत्रालय को सौंप दी है। की गई कार्रवाई के ज्ञापन सहित यह रिपोर्ट 29.11.1999 को लोक सभा और 1.12.1999 को राज्य सभा के पटल पर रख दी गई है।

विवरण

न्यायमूर्ति डी०पी० वधवा जांच आयोग की सिफारिशें

सिफारिशें :

1. यह अत्यावश्यक है कि जनजातीय क्षेत्रों का विकास तेज किया जाए।

2. विभिन्न समुदायों में साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाने और उनमें अविश्वास को दूर करने के लिए आवश्यक है कि विद्यालय स्तर पर ही बच्चों को सभी पंथों के बारे में परिचित करवाया जाए तथा उन्हें सभी धर्मों की विशेषताएं बताई जाएं।

3. यह आवश्यक है कि भविष्य के लिए एक सामूहिक ढांचा विकसित किया जाए। इसके लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरह "नेशनल फाउंडेशन ऑफ कम्यूनल हारमोनी" (राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना प्रतिष्ठान) को एक सांविधिक निकाय का दर्जा दिया जाए।

4. राज्य में कानून और व्यवस्था तंत्र को मजबूत बनाया जाए। अधिकारियों, विशेषकर जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक का, बार-बार अकारण व अविवेकपूर्ण स्थानांतरण न किया जाए। पुलिस अधीक्षक के स्थानांतरण का प्रस्ताव राज्य के पुलिस महानिदेशक से आना चाहिए। भा.पु.से. और भा.प्र.से. के जो अधिकारी असम, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा काडर के हैं उन्हें अपनी-अपनी अकादमियों में जनजातियों, उनकी संस्कृति व रीति-रिवाजों और आदर्तों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। इन अधिकारियों को उस राज्य विशेष की भाषा पढ़ाई जाती है जहां उन्हें तैनात किया जाता है।

5. इस मामले में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में सही स्थिति नहीं बताई गई है। यह निश्चय ही एक मनगढ़ंत दस्तावेज है। आरम्भ में इस मामले में किसी उचित आधार के बिना 51 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। उनको दो माह से अधिक समय तक हिरासत में रखना प्रथम दृष्टि में अनुचित प्रतीत होता है। जिन परिस्थितियों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा इन अवैध रूप से की गई गिरफ्तारियों के शिकार लोगों को किस प्रकार प्रतिपूर्ति की जाएगी, इस बारे में अलग से जांच की जाए। इसकी जिम्मेदारी निर्धारित की जाए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए चाहे वह राज्य सरकार हो या उसके अधिकारी।

6. आसूचना तंत्र, खासतौर से समुदाय संबंधी आसूचना तंत्र को मजबूत बनाने की जरूरत है।

7. उड़ीसा धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 1967 के उपबंधों और इसके तहत बने नियमों की सही समझ होनी चाहिए।

8. अतिविशिष्ट व्यक्तियों के दौरों को काफी कम करने की आवश्यकता है क्योंकि उनके दौरे जांच में बाधा डालते हैं और जांच में देर होने से महत्वपूर्ण प्रमाण के नष्ट होने की पूरी संभावना रहती है।

9. राजनीतिक दलों के नेता अक्सर घटना की पुष्टि किए बिना ही बयान देते रहते हैं। ऐसे नेताओं के राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता होनी चाहिए। नेताओं को केवल राजनीतिक लाभ के लिए बयान नहीं देना चाहिए। जब वातावरण साम्प्रदायिक रूप से विस्फोटक हो तो उनके बयान स्थिति को शांत करने वाले होने चाहिए न कि भड़काने वाले। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्त्तव्य है कि वह एक दूसरे के धर्म का आदर करें और प्रेम, शांति एवं करुणा का संदेश फैलाए। हत्यारा आखिर हत्यारा ही होता है चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों न हो। इसी तरह अपराधी भी अपराधी ही होता है। ऐसे मामलों में धर्म को नहीं घसीटा जाना चाहिए। पुलिस को, राजनीति या धर्म अथवा जाति आदि से प्रभावित हुए बगैर स्वतंत्र रूप से जांच करने की अनुमति होनी चाहिए।

10. प्रिण्ट और इलैक्ट्रानिक दोनों प्रकार के मीडिया को भी संयम बरतना चाहिए। सनसनीखेज शीर्षकों का सहारा नहीं लेना चाहिए क्योंकि इनसे लोग गुमराह होते हैं और विभिन्न समुदाओं के बीच अधिक तनाव और संदेह पैदा होता है। 'नन के साथ बलात्कार और बलात्कार के बाद इसाई लड़के और लड़की की हत्या' का समाचार मुख्य शीर्ष के रूप में छपा देखा गया। इस प्रकार के शीर्षकों और रिपोर्टों में राज्य व्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचा है, इसका कोई अन्दाजा नहीं लगा सकता। साम्प्रदायिक फसाद की रिपोर्ट बिना सही-सही पुष्टि के नहीं छापनी चाहिए न ही किसी साधारण अपराध को साम्प्रदायिक रंग दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

पेट्रोल पंपों एवं रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन

1186. श्री रामदास आठवले : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विवेकाधीन कोटे से कितने पेट्रोल पंप एवं रसोई गैस एजेंसियां किन-किन स्थानों में आबंटित की गई;

(ख) सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष में किन-किन स्थानों पर पेट्रोल पंप एवं रसोई गैस एजेंसियों के आबंटन करने का है; और

(ग) नई एजेंसियों के आबंटन हेतु स्थानों के चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : (क) जुलाई, 1996 से विवेकाधीन कोटे की समाप्ति के बाद पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप का कोई आबंटन विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत नहीं किया गया है।

(ख) खुदरा बिक्री केन्द्र/एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें अनुमोदित विपणन योजनाओं में शामिल स्थानों पर स्थापित की जाएंगी। डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग) वर्तमान नीति के अनुसार देश के विभिन्न भागों में आर्थिक रूप से व्यवहार्य एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए निम्न मानदंड अपनाए जाते हैं :

1. 15 कि.मी. के अर्धव्यास में आने वाले आसपास के गांवों की संभाव्यता को शामिल करके 10000 और अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहरी स्थान।

2. 15 कि.मी. के अर्धव्यास के भीतर आने वाले आसपास के गांवों की संभाव्यता को गणना में लेते हुए 5000 और अधिक की जनसंख्या वाले शहरी स्थान।

3. न्यूक्लीसय गांवों के 15 कि.मी. के अर्धव्यास के भीतर के गांवों का समूह जिसकी जनसंख्या 10000 और अधिक हो।

4. 1 लाख और अधिक की जनसंख्या वाले कस्बों के आसपास 15 कि.मी. अर्धव्यास के भीतर के गांव।

खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप खोलने के लिए मानदंड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

लोक सभा के दिनांक 6.12.99 के अतारांकित प्रश्न सं० 1186 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

नई डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के विकास के लिए स्थानों की पहचान तेल उद्योग द्वारा समय-समय पर आयोजित सर्वेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए की जाती है :

बाजार	दूरी मानदंड	मात्रा मानदंड
1. खुदरा बिक्री केन्द्र		
(क) केवल एच एस डी अथवा एम एस/एच एस डी		
"क" श्रेणी 1981 की जनसंख्या के अनुसार 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहर	1. महानगरीय शहर और अन्य शहर (नगर-पालिका सीमाओं से 15 कि.मी. की परिधि सहित)।	1. केवल एसएसडी : प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान न्यूनतम 50 कि.ली. प्रतिमाह निकासी होनी चाहिए।
	2. औसत संयुक्त एमएस/एचएसडी थ्रूपुट (3 कि.मी. के अर्धव्यास के भीतर) 80 कि.लो. प्रतिमास से कम नहीं होनी चाहिए। 3. टाऊन प्लानिंग प्राधिकारियों द्वारा नियत स्थानों पर कोई प्रतिबंध नहीं।	2. संयुक्त एमएस/एचएसडी : एचएसडी...25 कि.ली. प्रतिमाह एमएस...30 कि.ली. प्रतिमाह } प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान
"ख" श्रेणी 1981 की जनगणनानुसार 2 और 10 लाख के बीच की जनसंख्या वाले शहर	1. नगरपालिका सीमाओं के 5 कि.मी. के भीतर खुदरा बिक्री केन्द्रों की औसत संयुक्त एमएस/एसएसडी थ्रूपुट 80 कि.ली. प्रतिमाह से अधिक होनी चाहिए।	1. केवल एचएसडी: प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान 50 कि.ली. प्रतिमाह होनी चाहिए।
	2. टाऊन प्लानिंग प्राधिकारियों द्वारा नियत स्थलों पर कोई प्रतिबंध नहीं।	2. संयुक्त एमएस/एचएसडी : एचएसडी...50 कि.ली. प्रतिमाह एमएस...5 कि.ली. प्रतिमाह } प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान
"ग" श्रेणी - अन्य कस्बे	मौजूदा बिक्री केन्द्र से 5 कि.मी. के अर्थव्यास के भीतर औसत संयुक्त थ्रूपुट 80 कि.ली. प्रतिमाह से अधिक होनी चाहिए।	1. केवल एचएसडी: प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान 50 कि.ली. प्रतिमाह होनी चाहिए। 2. संयुक्त एमएस/एचएसडी : एचएसडी...50 कि.ली. प्रतिमाह एमएस...5 कि.ली. प्रतिमाह } प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान
"घ" श्रेणी - राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग	प्रस्तावित खुदरा बिक्री केन्द्र के 15 कि.मी. (दोनों ओर) के भीतर प्रति खुदरा बिक्री केन्द्र संयुक्त थ्रूपुट 80 कि.ली. प्रतिमाह से अधिक होनी चाहिए।	1. केवल एचएसडी: प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान प्रतिमाह 50 कि.ली. होनी चाहिए। 2. संयुक्त एमएस/एचएसडी : एचएसडी...50 कि.ली. प्रतिमाह एमएस...5 कि.ली. प्रतिमाह } प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान

बाजार	दूरी मानदंड	मात्रा मानदंड
"ङ" श्रेणी (राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्य राजमार्गों से दूर के क्षेत्र और 10 कि.मी. अर्धव्यास के भीतर बिना किसी खुदरा बिक्री केन्द्र के कृषि प्रधान क्षेत्र)	इन बाजारों में केवल निम्न लागत के खुदरा बिक्री केन्द्र विकसित किए जाते हैं।	केवल एचएसडी: प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान 25 कि.ली. प्रतिमास।
(ख) केवल एम एस:		
"क" श्रेणी	कोई नहीं।	प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान निकासी 30 कि.ली. प्रतिमाह होनी चाहिए।
"ख" श्रेणी	खुदरा बिक्री केन्द्रों का औसत व्यापार प्रस्तावित स्थान के 5 कि.मी. अर्धव्यास के भीतर 35 कि.ली. प्रतिमाह से कम नहीं होना चाहिए।	कोई नहीं।
"ग" श्रेणी	खुदरा बिक्री केन्द्रों का औसत व्यापार प्रस्तावित स्थान के 5 कि.मी. के भीतर 35 कि.ली. प्रतिमाह से अधिक नहीं होना चाहिए।	कोई नहीं।
"घ" श्रेणी	राजमार्ग के साथ-साथ दोनों ओर 15 कि.मी. के भीतर न्यूनतम मात्रा 35 कि.ली. प्रतिमाह होनी चाहिए।	कोई नहीं।

टिप्पणी : एम एस मौजूदा एच एस डी खुदरा बिक्री केन्द्र से जोड़ा जा सकता है बशर्ते न्यूनतम 5 कि.ली. की संभाव्यता उपलब्ध हो। तथापि एच एस डी को एम एस के मौजूदा खुदरा बिक्री केन्द्र के साथ नहीं जोड़ा जा सकता।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग और पुल के प्रस्ताव

1187. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तटीय आंध्र प्रदेश में ताडा से ईछापुरम तक प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति क्या है;

(ख) क्या पेनुमोदु और पुलीगड्डा में कृष्णा नदी के ऊपर इस प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल के लिए सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्तावित पुल की लम्बाई का ब्यौरा क्या है और इसकी अन्य मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) आंध्र प्रदेश में इस कार्य को कब तक आरंभ कर दिया जाएगा ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) ताडा से ईछापुरम तक राष्ट्रीय राजमार्ग का कोई प्रस्ताव नहीं है। ताडा से ईछापुरम तक तट के साथ-साथ वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 अवस्थित है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

काले हिरनों की संख्या

1188. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में काले हिरनों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या काले हिरनों की संख्या में कमी आ रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) काले हिरनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) मुम्बई प्राकृतिक विज्ञान सोसायटी द्वारा किए गए एक अनुसंधान अध्ययन के अनुसार 1991 में देश में काले हिरनों की संख्या 29,000 से 38,000 के बीच थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) काले हिरनों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं।

1. 'काला हिरन' वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में आता है। अत: काले हिरन के शिकार पर कानूनी प्रतिबन्ध है। इस प्रकार के किसी अपराध की सजा एक से छ: वर्ष तक की कैद और कम से कम 5,000 रु० जुर्माना भी है। इस प्रकार का अपराध दोबारा करने पर 2 से 6 वर्ष तक की कैद होगी तथा न्यूनतम जुर्माना 10,000/- रु० होगा।

2. जंगली वनस्पतिजात (फ्लोरा) तथा प्राणिजात (फाउना) के संरक्षण के लिए 1,50,000 वर्ग कि.मी. को 'कवर' करने वाले 447 वन्यजीव अभयारण्यों तथा 84 राष्ट्रीय उद्यानों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है, जिससे काले हिरनों के वास-स्थलों को सुरक्षा प्रदान करने में सहायता मिली है। राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों के विकास के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध पर केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

3. वन्यजीवों के अवैध व्यापार संबंधी सूचना मिलने पर वन्यजीव प्राधिकारियों द्वारा मारे जाने वाले छापों से सूचीबद्ध जानवरों के अवैध शिकार में कमी आई है।

4. जानवरों की संकटग्रस्त प्रजातियों तथा उनसे बने उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को "कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एनडैंजर्ड स्पिशीज ऑफ वाइल्ड फाउना एण्ड फ्लोरा (साइटस)" के प्रावधान के तहत विनियमित किया जाता है। इसमें अवैध शिकार करने वालों के लिए भी रोक लगाई गई है।

5. वन्यजीव उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए अधिकांशत: देश के मुख्य निर्यात केन्द्रों पर वन्यजीव परिरक्षण संबंधी क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं।

6. पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, उत्पाद शुल्क विभाग, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, तटरक्षक आदि द्वारा अन्य प्रवर्तन संगठनों के साथ अन्त: विभागीय समन्वय को बढ़ाया गया है। इन सभी संगठनों हेतु नई दिल्ली तथा देहरादून में 1995 तथा 1996 के दौरान वन्यजीव प्रवर्तन तथा क्रियान्वयन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए गए थे।

[हिन्दी]

डीजल के मूल्य में वृद्धि

1189. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार डीजल के मूल्य में हाल ही में की गई वृद्धि को वापस लेने अथवा उसके मूल्य को कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो डीजल के मूल्य में वृद्धि करने के तात्कालिक कारण क्या थे और इसके मूल्य को किस सीमा तक कम कर दिये जाने की संभावना है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न संगठनों से इस मूल्य वृद्धि को वापस लेने और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि न करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : (क) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल के मूल्य में वृद्धि को देखते हुए डीजल के मूल्य में 6.10.1999 को ऊर्ध्वगामी संशोधन किया गया था।

(ग) और (घ) सरकार को मूल्य वृद्धि वापस लेने के संबंध में विभिन्न संगठनों/निकायों आदि से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ङ) सरकार ने डीजल के मूल्य में हालिया वृद्धि को वापस न लेने का फैसला किया है।

[अनुवाद]

अवैध आप्रवासियों की पहचान

1190. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवैध आप्रवासियों की घटना उत्कर्ष पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान प्रमुख हवाई अड्डों पर कितने अवैध आप्रवासियों का पता लगाया गया है; और

(घ) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) अवैध आप्रवासियों की संख्या का सही-सही अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि वे चोरी छिपे आते हैं और जातीय समानताओं के कारण आसानी से स्थानीय जनता के बीच घुल-मिल जाते हैं। तथापि, सीमा सुरक्षा बल द्वारा सीमा पर पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या से इसमें कमी आने का पता चलता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, 4 मुख्य अर्न्तराष्ट्रीय हवाई अड्डों अर्थात् मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नै में अवैध रूप से प्रवेश कर रहे 1528, 1851 और 972 विदेशी पकड़े गए और उन्हें भारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गयी।

(घ) भारत में अवैध घुसपैठ की समस्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें सम्मिलित हैं :- सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनें खड़ी करना, सीमा चौकियों के बीच की दूरी को कम करना, भूमि और नदी-तटीय सीमा पर गश्त गहन करना, निगरानी बुर्जों की संख्या में बढ़ोत्तरी और निगरानी

उपकरणों की व्यवस्था करना इत्यादि। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए कहा गया है।

राष्ट्रीय न्यायाधीश वेतन आयोग

1191. **श्री उत्तमराव ढिकले : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम राष्ट्रीय न्यायाधीश वेतन आयोग ने सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का समस्त सिफारिशों को स्वीकार करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इन्हें कब तक लागू कर दिया जाएगा;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार देश में न्यायिक प्रणाली के भारतीयकरण हेतु एक न्यायिक आयोग की स्थापना करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : जी, हां।

(ख) आयोग ने, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों की परिलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों की वर्तमान संरचना में सुधार लाने के संबंध में, विभिन्न सिफारिशें की हैं।

(ग) से (ङ) आयोग ने, अपनी सिफारिशें राज्य सरकारों को अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेजी है।

(च) और (छ) राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रीय शासन कार्यसूची की मदों में से एक मद राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना करना है। इस प्रस्ताव के लिए संसदीय विधान अपेक्षित होगा जो शीघ्र ही पुरःस्थापित करने और पारित किए जाने के लिए तैयार हो जाएगा।

[हिन्दी]

तकनीकी पर्यवेक्षकों को विभागीय टेलीफोन कनेक्शन

1192. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दिल्ली के तकनीकी पर्यवेक्षक अपने घरों में विभागीय टेलीफोन सुविधा को प्राप्त करने के हकदार हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली स्थित सभी टेलीफोन एक्सचेंजों में कार्यरत तकनीकी पर्यवेक्षकों को उक्त सुविधा प्रदान कर दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सभी तकनीकी पर्यवेक्षकों को उनके घरों में कब तक विभागीय टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध करा दिये जायेंगे;

(ङ) क्या तकनीकी पर्यवेक्षक के पद के समकक्ष अथवा उनसे भी नीचे के पद वाले अधिकारी इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं जबकि तकनीकी पर्यवेक्षकों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में पूरा ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, टी डी ई/एस एस टी टी के प्रधान कार्यालय के प्रत्येक टेलीग्राफ इंजीनियरिंग/टेलीग्राफ ट्रैफिक डिवीजन के केवल वरिष्ठतम तकनीकी पर्यवेक्षक, एस टी डी सहित आवासीय सेवा टेलीफोन कनेक्शन के पात्र हैं।

(घ) उक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) आवासीय सेवा टेलीफोन, कर्मचारी के स्तर को ध्यान में रखे बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझे जाने पर सेवा हित में कार्य की आवश्यकता के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

1. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत लागत लेखा अभिलेख (इलैक्ट्रिक मोटर्स) संशोधन नियम, 1999 जो 29 अक्तूबर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 731(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 447/99]

2. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 226(अ) जो 26 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मैसर्स कुबेर म्युचुअल बेनीफिट्स लिमिटेड, मेरठ की 'निधि' के रूप में की गई घोषणा को

रद्द किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल०टी० 448/99]

3. (एक) संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 449/99]

5. (एक) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 450/99]

विद्युत मंत्री (श्री वी०आर० कुमारमंगलम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

1. विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 56 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें) नियम 1999 जो 29 अक्तूबर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 734(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 1999 जो 26 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 8/1/99-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे तथा उसका शुद्धि-पत्र जो 31 मई, 1999 की अधिसूचना संख्या 8/1/99-में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल०टी० 451/99]

2. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 110 के अंतर्गत जारी केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) आदेश, 1999 जो 30 अगस्त, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 8/1/(1)/99/सीईआरसी में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल०टी० 452/99]

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : महोदय, मैं दूरसंचार विभाग के वर्ष 1997-98 के लिए लाभ और हानि लेखे तथा तुलन पत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 453/99]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : महोदय, मैं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) (दूसरा संशोधन) नियम, 1999 जो 5 अक्तूबर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 682(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल०टी० 454/99]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : महोदय, मैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए इस समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल०टी० 455/99]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

1. पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और आपूर्ति का अनुरक्षण) आदेश, 1999 जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन 16 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 272(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल०टी० 456/99]

2. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल०टी० 457/99]

3. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल०टी० 458/99]

4. कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल०टी० 459/99]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

1. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 67 की उपधारा (3) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (आशुलिपिक ग्रेड 2 तथा आशुलिपिक ग्रेड 3 भर्ती नियम, 1999 जो 1 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 126 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (निजी सचिव) भर्ती नियम, 1999 जो 1 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 129 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 1999 जो 15 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 141 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल०टी० 460/99]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : महोदय, मैं संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रचार और प्रसार तथा इसके प्रगामी प्रयोग को त्वरित करने के लिए कार्यक्रम और इसके कार्यान्वयन के बारे में वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल०टी० 461/99]

अपराह्न 12.03 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 1999-2000

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : महोदय, मैं, वर्ष 1999-2000 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत* करती हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 462/99]

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

अपराह्न 12.04 बजे

इस समय श्री राशिद अलवी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए/खड़े हो गए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पहले आप अपनी जगह पर जाइए। पहले आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 'शून्यकाल' में उठाये जाने वाले विषयों पर चर्चा करेगी। श्री कोडीकुनील सुरेश।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कोडीकुनील सुरेश।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.05 बजे

इस समय श्री राशिद अलवी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज उ०प्र०) : अध्यक्ष महोदय, सरकार सही जवाब देने से कतरा रही है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जायें। सदन के बीचोंबीच आना ठीक नहीं है। कृपया अपने स्थान पर जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप सभा में व्यवधान डाल रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर जायें। आप अपने स्थान से बोल सकते हैं, लेकिन यहां से नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कोडीकुनील सुरेश।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कोडीकुनील सुरेश के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री पी०एच० पाण्डियन (तिरूनेलवेली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री पाण्डियन, यह 'शून्यकाल' है। कृपया समझिए कि 'शून्यकाल' के दौरान व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जाता है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 दिसम्बर भारतीय इतिहास का सबसे बुरा दिन है। *(व्यवधान)* वर्ष 1992 में इस दिन पूजा के एक महत्वपूर्ण स्थान को तत्कालीन सत्ताधारी राजनीतिक दल और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की मदद से उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए जानबूझ कर गिराया गया था। अत: मुझे विश्वास है कि इस सभा के सही सोच वाले वर्ग के लोग इस घटना की भर्त्सना करने में मेरा साथ देंगे। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस विषय पर बोलना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी को बोलने की अनुमति दी है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, एक बार फिर, हम उस घटना की भर्त्सना करते हैं और इस मुद्दे को जीवन्त रखने तथा इससे राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करने में सरकार की सहापराधिता न सही किंतु सरकार के ढीले रवैये की भी भर्त्सना करते हैं। हम सरकार की ओर से इस कार्य की निन्दा करते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री कोडीकुनील के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री कोडीकुनील सुरेश का नाम पुकारा है। श्री दासमुंशी, मैं आपको बाद में बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कोडीकुनील सुरेश, क्या आप अपनी बात कहना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है। कृपया इस बात को समझिए।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.10 बजे

इस समय, श्री राशिद अलवी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमती नहीं दी है। सदस्यों को भी यह मालूम होना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले अपने स्थानों पर जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, सभा के बीचों-बीच आना अच्छी बात नहीं है। कृपया अपने स्थान पर जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप पहले अपनी सीटों पर जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया पहले अपने स्थानों पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। कृपया अपने स्थान पर वापस जायें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदया, कृपया अपने स्थान पर जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपील कर रहा हूं।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी इसे नोट कर लिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठ जाइये, आपको बाद में चांस दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपने स्थानों से ही अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पहले आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, कृपया अपने स्थानों पर जायें।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.15 बजे

इस समय श्री राशिद अलवी और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने स्थानों पर वापस चले गए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले अपने स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बोलने का उपयुक्त तरीका नहीं है। कृपया पहले अपने स्थानों पर जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपने स्थान से ही मुद्दा उठा सकते हैं। कृपया अपने स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.16 बजे

इस समय, श्री राशिद अलवी, कुँवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए।

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.16 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.02 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.02 बजे पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुराई) : महोदय, गृह मंत्री जी ने श्री बनातवाला के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है *(व्यवधान)* हम चाहते हैं कि गृहमंत्री जी भी बनातवाला द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर दें। हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार के पास बाबरी मस्जिद मुद्दे से संबंधित चार मामले हैं और क्या हमारे यहां ऐसे लोगों द्वारा सरकार चलाई जा रही है जिन्हें न्यायालय द्वारा अभ्यारोक्ति किया गया है। इस सभा के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के दिन हम ऐसी सरकार, जिसमें उस मामले में आरोपी व्यक्ति शामिल हैं, पर यह भरोसा कर सकते हैं कि वह इस मामले को ठीक तरह से आगे बढ़ाएगी *(व्यवधान)*

श्री पी०एच० पांडियन (तिरूनेलवेली) : महोदय, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह एक गंभीर विषय है यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं प्रत्येक दल के एक-एक सदस्य को इस विषय की गंभीरता के बारे में कुछ कहने की अनुमति दे सकता हूं। आज हमारे पास विधायी कार्य काफी अधिक है। कृपया इस बात को समझें।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदय, जी बनातवाला द्वारा सीधा प्रश्न पूछा गया था। हम गृह मंत्री जी से जानना चाहता हैं कि उन मामलों में क्या हो रहा है जो विचारण न्यायालय में चल रहे हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, गृहमंत्री जी द्वारा माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, मैं आपको बाद में बोलने की अनुमति दूंगा। अब श्री दासमुंशी बोलेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं इस सभा के सदस्यों के साथ भारतीय गणतंत्र की पचासवीं वर्षगांठ मनाने और उस दिन को याद करने का निर्णय लिया।

अध्यक्ष महोदय, 6 दिसम्बर, 1992 को संविधान की उद्देशिका, संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के मूलतत्व पर ही हमला किया गया था। इस बारे में हर कोई जानता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है।

[हिन्दी]

आडवाणी जी से मैं सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूं। आडवाणी जी ने खुद एक मिसाल भारतीय लोकतंत्र में पेश की। जब हवाला का इश्यू उठा तो आडाणी जी ने खुद कहा कि जब तक अदालत इसका फैसला नहीं करती, तब तक मैं सदन में नहीं जाऊंगा और कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय, आज मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मसले को उठा रहा हूं कि बाबरी मस्जिद केस में हमारी सरकार के चार मंत्रियों के नाम एक्यूज्ड की लिस्ट में आ गए हैं और इसके बाद बेल होकर उनको एपीरिएंस के लिए स्टे मिला है, लेकिन स्टे को वैकेट कराने के लिए सी.बी.आई. कुछ नहीं कर रही है। केन्द्र में मंत्री के पद पर वे सत्ता में बैठे हैं, यू.पी. में सत्ता पक्ष की सरकार है और वे लोग सत्ता में बैठे हैं जो एक्यूज्ड की लिस्ट में हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि देश की जनता को कैसे यह विश्वास आएगा कि इस मसले पर सही रूप में विचार हो पाएगा ? क्योंकि एक्यूज्ड होने के बावजूद जब तक हम कुर्सी लेकर सत्ता में बैठे हैं, तो क्या यह डैमोक्रेटिक प्रोप्रायटी है और क्या यह पालिटिकल मारेलिटी है ?

महोदय, यह सवाल किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है बल्कि यह सवाल इंस्टीट्यूशनल सवाल है। इसके ऊपर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया जिससे स्टे वैकेट हो सके। इससे ऐसा लगता है कि सी.बी.आई. के साथ सरकार की कुछ मिलीभगत है ताकि प्रासीक्यूशन आगे नहीं बढ़े और कोई कार्रवाई न हो पाए।

[अनुवाद]

यह बहुत गंभीर बात है। इसलिए, मैं मांग करता हूं कि मामले के विचारण में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जाने चाहिए। जब तक मामले पर विचारण समाप्त नहीं होता, मामले का न्यायालय द्वारा निपटान नहीं किया जाता तब तक आरोपी व्यक्तियों, जो आरोपी व्यक्तियों की सूची में हैं और जो वर्तमान में मंत्री हैं, उन्हें पदधारण नहीं करने चाहिए। आप श्री कल्याण सिंह और श्री साक्षी महाराज जैसे लोगों को यहां नहीं ला सकते क्योंकि वे इस सभा के सदस्य नहीं हैं। यही मेरा निवेदन है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आज का दिन देश के इतिहास में काला दिन है जब वर्ष 1992 में 6 दिसम्बर को विश्व हिन्दू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, शिव सेना और गुंडे लोगों, संघ परिवार तथा भाजपा नेताओं की उपस्थिति में भाजपा कार्यकर्त्ताओं ने भी बाबरी मस्जिद को गिराया था।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : यह वाद-विवाद किस नियम के अधीन चल रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : यह वाद-विवाद किस नियम के अधीन चल रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : कृपया क्षमा करें, मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। यह वाद-विवाद किस नियम के अधीन चल रहा है ? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : मान्यवार अध्यक्ष महोदय, यहां जो चर्चा हो रही है वह किस प्रस्ताव या किन नियमों के तहत हो रही है। *(व्यवधान)*

श्री मनोज सिन्हा (गाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह चर्चा किस नियम के तहत हो रही है ? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति मैंने दी है। कृपया आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : 6 दिसम्बर, 1992 को उन्होंने न केवल बाबरी मस्जिद को गिराया अपितु हमारे देश के धर्म-निरपेक्ष स्वरूप को भी नष्ट किया है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : *(व्यवधान)* जब मामला न्यायनिर्णयाधीन हो तो क्या इस पर सभा में चर्चा की जा सकती है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप बैठ जाइए।

श्री विक्रम केशरी देव : अप्रत्यक्ष रूप से हम इस पर चर्चा ही कर रहे हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया, यह एक निवेदन है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको भी मौका मिलेगा। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के बाद देश में सांप्रदायिक दंगे हुए। इन सांप्रदायिक दंगों में हजारों लोग मारे गए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह चर्चा नहीं है। यह निवेदन है, कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, ये लोग ऐसा करके सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं और गढ़े मुर्दे उखाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य के भाषण के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : आज बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में भाजपा के अनेक नेता आरोपी हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री बसुदेव आचार्य : श्री मुलायम सिंह यादव यहां उपस्थित हैं। जब वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो भाजपा ने षडयंत्र रचा था किंतु उनके कारण बाबरी मस्जिद नहीं गिराई जा सकी थी। जब श्री कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने उन्होंने षडयंत्र रचा और बाबरी मस्जिद गिराई गई *(व्यवधान)*

मेरा प्रश्न यह है कि बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में मंत्रीमंडल के चार सदस्य आरोपी हैं। हम जानना चाहते हैं मंत्रीमंडल के ये सदस्य कौने हैं जो आरोपी हैं और जिनकी उपस्थिति में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, यह सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, क्या ये बार-बार खड़े होते रहेंगे ? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैंने श्री बसुदेव आचार्य को बोलने की अनुमति दी है। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, बाबरी मस्जिद को गिराया जाना एक आपराधिक मामला है। यह दण्डनीय अपराध है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पहले आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

प्रो० रासा सिंह रावत : ये देश की साम्प्रदायिक एकता में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : हम सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या दण्डनीय अपराध में आरोपी व्यक्ति मंत्रीमंडल का सदस्य रह सकता है या *(व्यवधान)* हम जानना चाहते हैं कि मंत्रीमंडल के वे सदस्य कौन हैं जो बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में आरोपी हैं। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि किसी आपराधिक मामले में आरोपी व्यक्ति मंत्रीमंडल में रह सकता है या नहीं *(व्यवधान)* इस मामले हम सरकार से स्पष्टीकरण चाहते हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री अनन्त गंगाराम गीते का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, ये बाबरी मस्जिद गिराने के दोषी हैं *(व्यवधान)* इसलिए सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाहते। *(व्यवधान)*

श्री अनन्त गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : अध्यक्ष महोदय, जब यह बोल रहे थे तब हम सुन रहे थे। *(व्यवधान)* अब आप हमें सुनने की कोशिश करिए *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। *(व्यवधान)* इससे पहले कि वे बोलें मुझे बोलने का अधिकार है क्योंकि मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं नियम 376 को उद्धृत कर रहा हूं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री रूपचन्द पाल : कृपया अनुपूरक प्रश्न के बारे में नियम 50 देखिए। एक माननीय सदस्य ने अनुपूरक प्रश्न पूछा है। मैं नियम 50(2) को उद्धृत करता हूं :

"किसी अनुपूरक प्रश्न को अध्यक्ष द्वारा नियम के विरुद्ध ठहराया जाएगा यदि उसकी राय में :

(एक) वह मुख्य प्रश्न अथवा उसके उत्तर से उत्पन्न नहीं होता है।"

किंतु मेरे विचार से यह अनुपूरक प्रश्न *(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (गढ़वाल) : क्या इस व्यवस्था के प्रश्न के अन्तर्गत हम अध्यक्ष के विनिर्णय पर उंगुली उठा रहे हैं ? वे अध्यक्ष के विनिर्णय पर उंगुली उठा रहे हैं *(व्यवधान)* हम उस प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकते हैं ?

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, आपने इसे नियम विरुद्ध नहीं ठहराया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे व्यवस्था के प्रश्न के बारे में किसी नियम को उद्धृत कर रहे हैं। मैं इसे स्पष्ट कर सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, माननीय मंत्री ने प्रश्न का उत्तर देने से इंकार कर दिया है। माननीय मंत्री स्वयं इस तरीके से इस नियम विरुद्ध नहीं ठहरा सकते हैं और उत्तर देने से इंकार नहीं कर सकते हैं। क्या उन्हें 6 दिसम्बर के इस विशेष दिन, जिस दिन सात वर्ष पूर्व एक पूजा स्थल को गिरा कर जघन्य अपराध किया गया था, किसी संगत अनुपूरक प्रश्न का उत्तर न देने का अधिकार है।

इस समय मंत्रिमंडल में चार अपराधी शामिल हैं। वे अपराध में संलिप्त थे। यह सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है।

एक माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा है। आपने इसे निकाला नहीं है। माननीय मंत्री ने उत्तर देने से मना कर दिया है। *(व्यवधान)* वे उत्तर देने के लिए बाध्य हैं। उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा *(व्यवधान)*। आपने इसे निकाला नहीं है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल जी, सुबह यह निर्णय ले लिया गया था। मैंने अनुपूरक प्रश्न की अनुमति नहीं दी थी क्योंकि यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। आपको यह बात समझनी चाहिए। आप फिर नियम का उल्लेख कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। इसका उत्तर दिया जा चुका है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री गीते जी का नाम पुकार चुका हूं।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : आप क्या बोलेंगे ? *(व्यवधान)* आप तो उसके लिए जिम्मेवार हैं। *(व्यवधान)*

श्री अनन्त गंगाराम गीते : आप सुनिये कि मैं क्या बोल रहा हूं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। मैंने इन्हें बोलने के लिए बुलाया है।

(व्यवधान)

श्री अनन्त गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, बाबर आक्रामक था जिसने इस देश पर, हिन्दुस्तान पर आक्रमण किया था। *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : अध्यक्ष महोदय, क्या यह चर्चा हो रही है ? *(व्यवधान)*

श्री अनन्त गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, ये लोग अशान्ति फैलाना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

अपराह्न 2.15 बजे

इस समय कुंवर अखिलेश कुमार सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

श्री अनन्त गंगाराम गीते : जो ढांचा गिराया गया है, वह जन-आंदोलन था। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने-अपने स्थानों पर चले जाएं।

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते : मिट्टी का ढांचा गिराया गया उसके लिए हम शोक मना रहे हैं लेकिन इस देश के जो हजारों युवक मारे गए हैं, उनके लिए हम शोक व्यक्त नहीं कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों कृपया अपने स्थानों पर चले जाएं। पूरा राष्ट्र आपको देख रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पूरा राष्ट्र यह देख रहा है कि सदस्य किस तरह व्यवहार कर रहे हैं। आपको यह बात समझनी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देशवासी आपको देख रहे हैं। कृपया अपने-अपने स्थानों पर चले जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इस तरह सभा का कार्य कैसे चला सकते हैं ? कृपया यह बात समझिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सभा अपराह्न 4.00 बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

अपराह्न 2.20 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न चार बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 4.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 4.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

सभापति महोदय : हम नियम 377 की कार्यवाही प्रारम्भ कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपने मुद्दे को नियम 377 के अधीन रखे गए मामलों के बाद उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नियम 377 के अधीन मामलों के बाद आप अपने मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा गया समझा जाए।

अपराह्न 4.01

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश में प्रस्तावित रामटेक - गोटेगांव रेल लाइन को शीघ्र बिछाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामनरेश त्रिपाठी (सिवनी) : महोदय, भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा बहुत सारी नई रेलगाड़ियां चलाने की योजना बनाई गई लेकिन मध्य प्रदेश उससे अछूता रह गया। मध्य प्रदेश इस देश का विशालतम लेकिन पिछड़ा प्रदेश है, जहां रेलवे लाइनों का विकास न होने के कारण यहां की वन-संपदा तथा खनिज-संपदा का दोहन नहीं हो सका। रेल मंत्रालय में रामटेक से गोटेगांव रेलवे मार्ग वर्षों से प्रस्तावित है। पिछली सरकार के रेल मंत्री ने इसका सर्वे कार्य दिसम्बर 99 तक पूर्ण कराने का आश्वासन दिया था परन्तु जिस गति से कार्य चल रहा है उससे वर्षों इसके निर्माण की उम्मीद नहीं है। प्रस्तावित रामटेक से गोटेगांव रेलवे लाइन इस देश की महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है। इसके निर्माण से उत्तर-दक्षिण की दूरी 350 कि.मी. कम होगी तथा मध्य प्रदेश के सिवनी, बालाघाट, मंडला जैसे पिछड़े जिले रेलवे लाइन से जुड़ जायेंगे तथा उनकी प्रचुर वन एवं खनिज संपदा का दोहन होकर औद्योगिक विकास हो सकेगा।

(दो) मध्य प्रदेश के सागर संसदीय क्षेत्र के आगासौद में तेल शोधक कारखाने का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सागर के बीना विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत आगासौद में भारत पेट्रोलियम एवं ओमान सरकार के सहयोग से भारत-ओमान रिफायनरी लिमिटेड प्रारम्भ होने जा रही है, जिसमें करोड़ों रुपयों का व्यय भी हो चुका है, किन्तु 12वीं लोकसभा भंग होते समय रिफायनरी का निर्माण कार्य अचानक बीच में रोक देना काफी जनचर्चा का विषय बना हुआ है, जबकि पूर्व में माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं पर्यावरण मंत्री जी के सहयोग से पर्यावरण संबंधी स्वीकृत दी जा चुकी है। सागर जिला उद्योग की दृष्टि से वैसे भी काफी पिछड़ा हुआ है। इस रिफायनरी से जिले के लोगों को काफी आशायें हैं।

अतः माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध है कि सागर के औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए इस रिफायनरी के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर अपने हाथ में लेते हुए, इसमें आने वाली बाधाओं को दूर कर शीघ्रातिशीघ्र निर्माण कार्य आरम्भ कराने का सहयोग करें।

(तीन) गुजरात के राधांपुर और दिशा में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र को शीघ्र आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा) : महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान उत्तर गुजरात के राधानपुर टी.वी. केन्द्र और दिशा टी.वी. केन्द्र की तरफ दिलाना चाहता हूं। इन दोनों केन्द्रों पर आधुनिक किस्म के उपकरण कई करोड़ रुपए खर्च करके स्थापित हो चुके हैं किन्तु अभी तक इनको पूरी तरह से चालू नहीं किया गया है जिसके कारण हम अपने साधनों का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस संबंध में सरकार का ध्यान दिलवाया गया तो हमें आश्वासन मिला है कि इन्हें शीघ्र ही चालू कर दिया जाएगा परन्तु अभी तक उनको चालू नहीं किया गया है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन दोनों टी.वी. रिले केन्द्रों को पूरी तरह से शीघ्र चालू किया जाए।

[अनुवाद]

(चार) महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में न्यूशोल तहसील में चीनी मिल द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता

श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में न्यूशोल तहसील चीनी की एक सरकारी फैक्टरी स्थित है। इस फैक्टरी से निकलने वाले पदार्थों से लगभग 25,000 एकड़ भूमि पूरी तरह बरबाद हो गई है और इस फैक्टरी से निकलने वाले गंदे पानी से काफी गंभीर प्रदूषण पैदा हो गया है।

सिंगानापुर में शानी मंदिर आने वाले हजारों तीर्थ यात्रियों को यही गंदा पानी पीना पड़ता है। चीनी की इस फैक्टरी से हमारी एकड़ भूमि प्रदूषित हो रही है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएं।

*सभा पटल पर रखे गए।

(पांच) आंध्र प्रदेश के कुडप्पा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों पर और अधिक रेल सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी (कुडप्पा) : महोदय, दिनांक 10.10.99 को बड़ी संख्या में प्रभावित लोगों द्वारा हस्ताक्षरित, सीजन टिकट होल्डर्स एशोसिएसन, कुडप्पा, आंध्र प्रदेश की तरफ से रेल मंत्री और महाप्रबंधक, दक्षिण केन्द्रीय रेलवे, सिकन्दराबाद को काफी संख्या में अभ्यावेदन भेजे गए हैं। कुडप्पा और गुंटाकल के बीच चलने वाली यात्री गाड़ी 521 और 522 को एक वर्ष पहले रद्द कर दिया गया था जिससे राज्य, केन्द्र सरकार और अन्य संगठनों के विभिन्न विभागों के कर्मचारी काफी प्रभावित हुए।

दिनांक 6.10.1999 से पुनः गुंटाकल और तिरूपति के बीच चलने वाली 207 पैसेन्जर गाड़ी का समय बदल दिया गया है और यह अपने पहले समय से ढाई घंटे पहले चल रही है। इसके कारण, यात्रियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

इसके अलावा, तिरूपति से काचेगुडा एक्सप्रेस, जो तिरूपति से 5.50 पर चलती है और काचेगुडा 7.45 बजे पहुंचती है उसे 2723 हैदराबाद - नई दिल्ली ए.पी. एक्सप्रेस से जोड़ा जाना चाहिए तथा 7493 मुम्बई - तिरूपति और 7494 तिरुपति - मुम्बई, बाला जी एक्सप्रेस जो सप्ताह में दो बार चलती है उसे रोजाना चलाया जाए और इसे अहमदाबाद तक बढ़ाया जाए।

गाड़ी संख्या 6009/6010 मद्रास - मुम्बई मेल और 7497/7498 तिरुपति - काचेगुडा एक्सप्रेच, 7493/7494 बालाजी एक्सप्रेस और 6011/6012 दादर - चेन्नई एक्सप्रेस में प्रथम श्रेणी की जगह ए.सी. 3 टायेर कोच शुरू किए जाएं क्योंकि यह सस्ते होते हैं और इसमें अधिक लोग बैठ सकेंगे।

511 - 512 एच एक्स - क्यू जेड और 515 - 516 एच एक्स - आर यू पैसेन्जर गाड़ियों को पुनः चालू किया जाए।

(छह) कर्नाटक की लंबित पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री ए० वेंकटेश नायक (रायचूर) : महोदय, कर्नाटक में देश के अन्य राज्यों, विशेषकर कृष्णा नदी के बेसिन में तीन राज्यों, की तुलना में सिंचाई सुविधाएं काफी कम हैं। कृष्णा नदी जल के बंटवारे पर होने वाले विवाद के अलावा, कर्नाटक की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने में देरी इतनी कम सिंचाई सुविधा का मुख्य कारण है। इस समय, कर्नाटक कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा आबंटित कृष्णा बेसिन में 734 टी एम सी के अपने हिस्से तक का उपयोग नहीं कर रहा है। जबकि, अन्य दो राज्य अपने हिस्से से भी अधिक पानी का प्रयोग कर रहे हैं। कर्नाटक की सरकार ने राज्य के सिंचाई कार्यों के लिए 734 टी एम सी पानी का प्रयोग करने के लिए कृष्णा बेसिन की मास्टर प्लान के अंतर्गत अपर तुंगा परियोजना, भीमा सिंचाई परियोजना स्कीम, अपर कृष्णा परियोजना, चरण-II इत्यादि जैसी कुछ सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तुत की थीं। परन्तु ये सभी परियोजनाएं केन्द्रीय जल आयोग और पर्यावरण विभाग के पास काफी समय से लंबित पड़ी हुई हैं। यहां, यह भी कहा जाता है कि 2000 ई० तक आबंटित जल का प्रयोग किए जाने के संबंध में एक शर्त है। आबंटित जल का उपयोग न होने की स्थिति में यह भाग फिर से कृष्णा बेसिन के तीनों राज्यों में बांट दिया जाएगा तथा कर्नाटक को अपने हिस्से में घाटा हो सकता है। इसलिए, कर्नाटक की लंबित पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को तत्काल स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता है।

इसलिए, मैं जल संसाधन, पर्यावरण और वन मंत्रालय के माननीय मंत्रियों से अनुरोध करूंगा कि कर्नाटक की सभी लम्बित पड़ी परियोजनाओं को स्वीकृति दी जाए ताकि यह के डब्ल्यू डी टी द्वारा आवंटित 734 टी एम सी के आबंटित भाग का उपयोग कर सके।

(सात) त्रिवेन्द्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को चौबीसों घंटे चालू रखे जाने की आवश्यकता

श्री कोडीकुनील सुरेश (अड्डूर) : महोदय, केरल के लोग त्रिवेन्द्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को चौबीसों घंटे चालू रखने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। देश में यही एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो चौबीसों घंटे चालू नहीं रहता है।

कोचीन हवाई अड्डे से रात के समय केवल एक ही उड़ान भरी जाती है। परन्तु इसे भी 24 घंटे चालू किया जा चुका है।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे से सप्ताह में 91 उड़ाने भरी जाती हैं। हाल ही में, एयर इंडिया ने बिना किसी कारण 17 उड़ानें रद्द कर दी हैं। मेरी मांग है कि इन्हें जारी रखा जाए।

विभिन्न एयर लाइनों ने त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे को 24 घंटे कार्यरत रखने का अनुरोध किया है, एस आई एल एयरलाइन जिसमें से एक है।

विभिन्न एयर लाइनों ने, जैसे साउदी एयर लाइन, लुफ्तहंसा, एमीरात एयर लाइन ने अपनी उड़ाने त्रिवेन्द्रम से भरने का अनुरोध किया है। उन्हें वहां से उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसलिए, इन एयर लाइनों को त्रिवेन्द्रम से अपनी उड़ानें भरने के लिए आवश्यक अनुमति दी जानी चाहिए।

इसके अलावा कालीकट - कोचीन - त्रिवेन्द्रम के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को जोड़ा जाना चाहिए।

(आठ) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में भारी भूमि कटाव द्वारा निर्मित "चार लैण्ड्स" के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने हेतु उचित स्थानों पर सीमा सुरक्षा बल की चौकियां बनाए जाने की आवश्यकता

श्री मोहनुल हसन (मुर्शिदाबाद) : पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले में पदमा नदी द्वारा होने वाली भूमि कटाव ने काफी भयंकर रूप ले लिया है और नई समस्याओं को खड़ा किया है।

मुर्शिदाबाद जिले के विभिन्न ब्लाकों में न केवल प्रति वर्ष भूमि के बड़े भागों के बहने से इन ब्लाकों में रहने वाले हजारों ग्रामीण विस्थापित हो जाते हैं बल्कि इस विनाशकारी भूमिकटाव के परिणाम-स्वरूप स्थानीय बोली में जाना जाने वाला "चार लैण्ड्स" भाग में नए-नए मार्ग भी पैदा हो जाते हैं। यह "चार-लैण्ड्स" अधिकतर पद्मा

नदी के दोनों तरफ बढ़ रही है, जो इस भारतीय भूमि में काफी गहरी बह रही है। एक तरफ पद्मा नदी हमारी भूमि को काफी नुकसान पहुंचाने के बाद हमारे क्षेत्र में नए रास्तों से बह रही है दूसरे तरफ नवनिर्मित "चार लैण्ड्स" बंग्लादेश की तरफ बढ़ रही है जबकि इसे कानूनी तौर पर अस्थिर पद्मा नदी द्वारा विस्थापित लोगों का होना चाहिए था।

इसकी बहुत अधिक आवश्यकता समझी जा रही है कि सरकार को "चार लैण्ड्स" के आस-पास उपयुक्त स्थानों पर तुंरत बी एस एफ की छावनियां स्थापित करने के उपाय करने चाहिए जिससे भूमि कटाव के शिकार लोगों को इस नई भूमि में आश्रय मिलना सुनिश्चित हो सके, इन भू-भागों पर इन लोगों द्वारा पाले गए पशुओं और लगाई गई खेती की रक्षा की जा सके। इन सबमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि बी.एस.एफ. के कैंप लगाए जाने से हजारों बेघर और भूमिहीन लोगों का पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सकेगा तथा हमारे देश के अंदर ही इस नदी के दूसरे तरफ चार लैण्ड्स पर कब्जा करने से होने वाली कानून और व्यवस्था की समस्याओं को प्रभावी ढंग से निपटाया जा सकेगा।

(नौ) आंध्र प्रदेश में पेनुमड्डी और पुलीगड्डा के निकट कृष्णा नदी पर गुंटूर और कृष्णा जिलों को जोड़ने वाले पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र के लोगों की यह काफी समय से मांग रही है कि पेनुमड्डी और पुलिगड्डा के निकट गुंटूर और कृष्णा जिलों को जोड़ने वाली कृष्णा नदी के ऊपर एक पुल हो। यह तटीय आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित ताडा- इच्छापुरम राष्ट्रीय राजमार्ग का भाग है। इस पुल से कृषि उत्पादों और तटीय क्षेत्रों के जल उत्पादों को चेन्नई और विशाखापत्तनम तथा अन्य स्थानों पर स्थित पत्तनों पर ले जाया जाता है जिससे तटीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सुधर सके। निर्यात के लिए तटीय क्षेत्र में कृषि उत्पादों के अलावा मछली, चिंगट, केकड़े इत्यादि जैसे भूमि और जल उत्पाद की प्रचुरता होती है। इससे लोगों को भारी मात्रा में रोजगार मिलने के अलावा देश में अधिक संख्या में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। यातायात प्रशीतनगृह जैसे संबंधित सेवा क्षेत्रों से रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

इसके अलावा चेन्नई और विशाखापत्तनम के बीच 100 किलोमीटर की सड़क दूरी भी कम होगी तथा प्रतिवर्ष सैंकड़ों करोड़ रुपए के वाहन ईंधन की भी बचत होगी।

इस प्रकार महत्व और जरूरत को देखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि ताडा-इच्छापुरम राष्ट्रीय राजमार्ग को स्वीकृति देकर तुरंत पेनुमुड्डी - पुलिगड्डा पुल का निर्माण करवाएं।

[हिन्दी]

(दस) उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में वाह तहसील में चम्बल नदी पर पुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : महोदय, 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जनपद आगरा (उत्तर प्रदेश) की वाह तहसील में चम्बल नदी पर एक पुल की आधारशिला रखी थी और उस समय उपस्थित जनसमुदाय को आश्वस्त किया था कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की सीमाओं को जोड़ने वाले इस पुल का अविलम्ब निर्माण कराया जायेगा। 11 वर्ष बीत जाने के बावजूद स्थिति ज्यों की त्यों है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से बनने वाले इस पुल पर निर्माण कार्य शुरू न कराये जाने के कारण उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के लोगों को अत्यधिक असुविधा हो रही है और बहुत लम्बा फासला तय करने के बाद गंतव्य स्थल पर पहुंचा जाता है।

सरकार को अविलम्ब इस पुल का निर्माण करके तीनों प्रान्तों की जनता के आवागमन की असुविधा को अविलम्ब दूर करना चाहिए।

(ग्यारह) बिहार के अरवल जिले में रसोई गैस बिक्री केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री अरूण कुमार (जहानाबाद) : महोदय, बिहार राज्य के अंतर्गत अरवल जिले का गठन हुए एक साल से अधिक हो गया है परन्तु वहां के लोगों को रसोई गैस जहानाबाद जाकर प्राप्त करनी पड़ती है। जहानाबाद से अरवल की दूरी 40 कि.मी. से भी अधिक है। गैस प्राप्त करने वाले सभी उपभोक्ताओं को अरवल से जहानाबाद जाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि जनहित में अरवल में एक रसोई गैस वितरण केन्द्र खुलवाने हेतु कार्यवाही करें।

(बारह) जम्मू और कश्मीर के बेरोजगार युवकों के लिए विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान कश्मीर विशेषरूप से बारामूला निर्वाचन क्षेत्र के सीमान्त क्षेत्र के बेरोजगार लड़कों और लड़कियों की दु:खद स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। कश्मीर के सुरक्षा संबंधी अशान्त परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए मैं संघ सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कश्मीर के पात्र लोगों के लिए विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए शीघ्र कदम उठाए। ऐसा करने से वैमनस्य की दलदल में फंसे युवकों को उबारने और कल्याणकारी राज्य की उदारता के बारे में कश्मीर के बैरी बने वर्गों को पुन: आश्वस्त करेगी।

अपराह्न 4.01 बजे

इस समय कुंवर अखिलेश सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया सहयोग दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया आप अपने स्थानों पर जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपको जो कुछ करना था आपने कर दिया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपसे अपने स्थान पर जाने का अनुरोध करता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं आप अपनी सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने स्थान पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सदन पहले भी दो बार स्थगित हो चुका है, कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया सहयोग करिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं बार-बार आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं बार-बार आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब यह सभा कल मंगलवार 7 दिसम्बर, 1999 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 4.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 7 दिसम्बर, 1999/ 16 अग्रहायण, 1921 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 1999 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।